सत्र-**04** **0**6 जनवरी**, 2026**

खण्ड- **08** **...........** मंगलवार, **...........**

अंक- **19** **16** पौष**,1947**(शक्)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

आठवीं विधान सभा

चौथा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-**08** सत्र-**04** में अंक **18** से **22** तक सम्मिलित हैं।**)**

दिल्ली विभान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय**,** दिल्ली-**54**

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

रंजीत सिंह

सचिव

RANJEET SINGH

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-4 मंगलवार, 06 जनवरी, 2026/16 पौष,1947(शक्)अंक-19

दिल्ली विधान सभा

क्र.सं.	विषय	पृ'ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	4-5
2.	सदन में अव्यवस्था	6-8
3.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था(रूलिंग)	9
4.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	10-38
5.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	39-170
6.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था(रूलिंग)	171
7.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	172-173
8.	समिति का प्रतिवेदन	173-174
9.	न्यायालय शुल्क(दिल्ली संशोध्न) विधेयक,2026 का पुर:स्थापन	175
10.	माननीय मंत्री द्वारा वक्तव्य(नियम-270)	176-205
11.	सदन में अव्यवस्था	206-212
12.	उप-राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा	213-224

नोट - सभी तारांकित व अतारांकित प्रश्नों के विभागों द्वारा भेजे गए विस्तृत उत्तर नेवा के वेबसाइट **https://dla.neva.gov.in/** के **Question Module** पर उपलब्ध।

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-4 मंगलवार, 06 जनवरी, 2026/16 पौष,1947(शक्)अंक-19

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

दिनांक 06.01.2026 को सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

क्र.सं.	सदस्य का नाम	क्र.सं.	सदस्य का नाम
1-	श्री अहिर दीपक चौधरी	33-	श्री पंकज कुमार सिंह
2-	श्री अभय कुमार वर्मा	34-	श्री प्रद्युम्न सिंह राजपूत
3-	डॉ अजय दत्त	35-	श्री प्रवेश साहिब सिंह
4-	श्री अजय कुमार महावर	36-	श्री पवन शर्मा
5-	श्री अनिल झा	37-	श्रीमती पूनम शर्मा
6-	श्री अनिल कुमार शर्मा	38-	श्री प्रवेश रत्न
7-	श्री अरविन्दर सिंह लवली	39-	श्री प्रेम चौहान
8-	श्री आशीष सूद	40-	श्री पुनरदीप सिंह साहनी
9-	श्री अशोक गोयल	41-	श्री राज करन खत्री
10-	सुश्री आतिशी	42-	श्री राज कुमार भाटिया
11-	श्री चन्दन कुमार चौधरी	43-	श्री राज कुमार चौहान
12-	चौधरी जुबैर अहमद	44-	श्री राम सिंह नेताजी
13-	डॉ. अनिल गोयल	45-	श्री रवि कान्त
14-	श्री गजेन्द्र दराल	46-	श्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह

15-	श्री गजेन्द्र सिंह यादव	47-	श्री रविन्दर सिंह नेगी
16-	श्री गोपाल राय	48-	श्रीमती रेखा गुप्ता
17-	श्री हरीशे खुराना	49-	श्री सही राम
18-	श्री इमरान हुसैन	50-	श्री संदीप सहरावत
19-	श्री जितेन्द्र महाजन	51-	श्री संजय गोयल
20-	श्री कैलाश गहलोत	52-	श्री सतीश उपाध्याय
21-	श्री कैलाश गंगवाल	53-	श्री श्याम शर्मा
22-	श्री कपिल मिश्रा	54-	श्री सुरेन्द्र कुमार
23-	श्री करनैल सिंह	55-	श्री सूर्य प्रकाश खत्री
24-	श्री करतार सिंह तंवर	56-	श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
25-	श्री कुलदीप सोलंकी	57-	श्री तिलक राम गुप्ता
26-	श्री कुलवन्त राणा	58-	श्री उमंग बजाज
27-	श्री मनजिंदर सिंह सिरसा	59-	श्री वीर सिंह धिंगान
28-	श्री मनोज कुमार शौकीन	60	श्री विजेन्द्र गुप्ता
29-	श्री मोहन सिंह बिष्ट	61	श्री वीरेन्द्र सिंह कादियान
30-	श्री मुकेश कुमार अहलावत		
31-	श्रीमती नीलम पहलवान		
32-	श्री नीरज बैसोया		

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

मंगलवार, **06** जनवरी **2026/16** पौष, **1947**(शक)

सदन पूर्वाह्न **11.00** बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री विजेन्द्र गुप्ता) पीठासीन हुए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: हाँ जी।जी।1 मिनट पहले वो कुछ कह रहे है ।

श्री अजय कुमार महावर: मैंने पिछली 1 जनवरी को एक पत्र भी लिखा था और मैं ये विषय यहाँ उठाना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार के सरकारी अध्यापकों द्वारा जो आवारा कुत्तों का गिनती का विषय का अफवाह विपक्ष ने यहाँ फैलाया और इतनी बेशर्मी से फैलाया, इस झूठ को इस पर। इस पर सदन को संज्ञान लेना चाहिए, इसको सदन को संज्ञान लेना चाहिए, इस पर सदन को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। जिन लोगों ने ये झूठी। जिन लोगों ने ये झूठी।

.....व्यवधान.......

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: बैठिए, सब लोग बैठिये।

श्री अजय कुमार महावर: जिन लोगों ने अफवाह फैलाने का काम किया है, हमारी सरकार को बदनाम करने का काम किया है, उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए सदन से। सदन से माफी मांगनी चाहिए।

.....व्यवधान.......

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष:सदन की कार्यवाही आधे घंटे तक के लिए स्थिगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही आधे घंटे तक के लिए स्थिगित की गई।)

सदन पुन: पूर्वाह्न **11:30** बजे समवेत हुआ

माननीय अध्यक्ष **(**श्री विजेन्द्र गुप्ता**)** पीठासीन हुए

श्री विजेन्द्र गुप्ता**,** माननीय अध्यक्ष : जी सब बैठिये, सभी सदस्य बैठेगें, सभी बैठें। हां जी एक मिनट आप बैठिये, बैठिये सब लोग बैठिये। देखिये इस सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दिया जाए और मेरा ये अनुरोध है कि कोई सदस्य कार्यवाही को डिस्टर्ब ना करें।

......व्यवधान......

श्री विजेन्द्र गुप्ता**,** माननीय अध्यक्ष : बैठिये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा**,** माननीय पर्यावरण मंत्री : ये तो बात जेनुअन है अध्यक्ष जी, ये बात तो टीचरों का मुद्दा तो जेनुअन है टीचरों का, माफी तो इनको मांगनी चाहिए। टीचरों के लिए अगर आप अपने।

......व्यवधान......

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा**,** माननीय पर्यावरण मंत्री : अगर आप शिक्षकों के लिए ऐसा बोलेंगे कि कुत्तों के साथ शिक्षकों को जोड़ेंगे, तो केजरीवाल को माफी तो मांगनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि नेता, विपक्ष नेत्री बहन हमारी यहाँ पर है।

......व्यवधान......

श्री विजेन्द्र गुप्ता**,** माननीय अध्यक्ष : बैठिये- बैठिये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा**,** माननीय पर्यावरण मंत्री : उनको माफी मांग लेनी चाहिये, इसपे क्यों मुद्दा बना रहे हो। आपको माफी मांगकर, मैं आतिशी जी को कहना चाहता हूँ आतिशी जी इसपे मुद्दा क्यों बना रहे हैं आपने गलती करी है, आप माफी मांग लीजिए, बात को खत्म करिए।

......व्यवधान......

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये।

......व्यवधान......

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः बैठिये, बैठिये, बैठिये।

......व्यवधान......

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय पर्यावरण मंत्री : अध्यक्ष जी, मेरा आग्रह है आपसे देखिये, आतिशी जी को इस बात की संजिदगी समझनी चाहिये और माफी मांग लेनी चाहिए, क्या बड़ी जिद्द है। कोई गलती हो गयी है उसमें माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन टीचरों का है, ये कुत्ते बिल्लियों की बात करनी है और झूठ फैलाना ये तो पाप के बराबर है और विधान सभा परिसर के अंदर आज अगर सबने।

......व्यवधान......

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः सदन की कार्यवाही 1:00 बजे तक स्थगित की जाती है और लंच के बाद सदन बैठेगा।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 1:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

सदन पुनः अपराह्न **1.59** बजे समवेत हुआ

माननीय अध्यक्ष (श्री विजेन्द्र गुप्ता) पीठासीन हुए

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः जी।

श्री अजय कुमार महावर: सर सुबह एक इशु हमने रेज किया था तो एलओपी कम से कम सदन से माफी मांग लें।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः अब बैठिए मैं उसका.. माननीय सदस्य गण मुझे श्री अजय महावर, माननीय सदस्य से एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसके अंतर्गत उन्होंने सूचित किया है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री, श्री संजीव झा, माननीय विधायक और अन्य नेताओं द्वारा अखबार मीडिया के माध्यम से दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप

लगाया जा रहा है कि दिल्ली के सरकारी अध्यापकों को आवारा कुत्तों की गिनती कराने के लिए आदेश दिए गए हैं जबकि दिल्ली सरकार द्वारा बार-बार खंडन किया जा रहा है कि ऐसा कोई आदेश दिल्ली सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है। मैं इस बारे में संज्ञान लेते हुए पूरे मामले को डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन को सौंप रहा हूं। उक्त समिति इस संबंध में यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट सदन को प्रस्तुत करे।

माननीय सदस्य गण आज दिनांक 6 जनवरी 2025 को सूचीबद्ध सभी तारांकित और अतारांकित प्रश्न पढ़े हुए माने जाएं तथा उनके उत्तर सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिए जाएं। साथ ही नियम 280 के अंतर्गत उठाए जाने वाले विशेष उल्लेख के मामले भी पढे हुए माने जाए।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या :- 01
दिनांक रू. 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम रू. श्री उमंग बजाज
क्या मंत्रीए लोक निर्माण विभाग **यह बताने की कृपा करेंगे कि** रू.

क.सं	प्रश्न	उत्तर
क)	राजेंद्र नगर विधान सभा के अंतर्गत वर्ष 2016 अप्रैल से वर्ष 2025 मार्च तक पी डब्ल्यूडी विभाग ने कौन-कौ न से कार्यों का भुगतान किया हैट	विवरण संलग्नक ए मे संलग्न है। संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।
ख)	किस किस एजेंसी को किस-किस कार्य के लिए कितना- कितना भुगतान किया हैय और ट	
ग)	एजेंसी का नाम कार्य का विवरण और भुगतान की राशि का विवरण भी उपलब्ध कराया जाएट	

यह पत्र माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

तारांकित प्रश्न संख्या :- 02
दिनांक :- 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री नीरज बसोया, विधायक
क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या एंड्रयूज़ गंज क्षेत्र से प्रवाहित होकर डिफेन्स कॉलोनी से गुजरने वाले नाले में बिना उपचारित सीवेज जल के सीधे प्रवाह की जानकारी विभाग को है;	जी हां
ख)	उक्त नाले से लगातार दुर्गंध फैलने तथा उसके आसपास स्थित आवासीय मकानों एवं निवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को देखते	इस नाले में उन अनधिकृत कॉलोनियों का अपशिष्ट जल (सीवेज) गिर रहा है जो वन विभाग की भूमि पर स्थित हैं। इनमें से कुछ कॉलोनियों को 'समृद्ध श्रेणी' में घोषित किया

	हुए, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अब तक क्या क्या-ठोस कदम उठाए गए हैं;	गया है। इस समस्या के समाधान हेतु दिल्ली जल बोर्ड संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की मांग कर रहा है।
ग)	क्या नाले में गिरने वाले सीवेज जल के उपचार हेतु किसी प्रकार की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट)STP), डीसिल्टिंग यूनिट-, इंटरसेप्शन एवं डायवर्जन)I&D) योजना अथवा अन्य किसी तकनीकी समाधान को लागू किया गया है या प्रस्तावित किया जा रहा है;	दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की अनधिकृत कॉलोनियों के लिए STP निर्माण की योजना बनाई है। इसके साथ ही, अम्बेडकर नगर और देवली विधानसभा क्षेत्र की अनधिकृत कॉलोनियों के अपशिष्ट जल को बोर्ड की मौजूदा (Existing) सीवेज प्रणाली से जोड़ने की परियोजना तैयार की गई है।"
(घ)	यदि हाँ, तो उसका विस्तृत विवरण, समय सीमा-एवं लागत क्या है;	संबंधित विभाग से NOC प्राप्त होने के पश्चात ही सीवेज नेटवर्क बिछाने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।"
(ङ)	नाले के जल को कम प्रदूषित रखने के उद्देश्य से दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वर्तमान में कौन कौन से-नियमित सफाई, डीसिल्टिंग-, केमिकल ट्रीटमेंट या बायो रिमेडिएशन-जैसे उपाय अपनाए जा रहे हैं;	नाले की सफाई का कार्य नगर निगम (MCD) द्वारा किया जाता है। साथ ही, इसके जल शोधन हेतु 'बायो-रेमेडिएशन' (Bio-remediation) योजना पर कार्य प्रक्रियाधीन है।"
(च)	क्या उक्त नाले की सफाई एवं जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी हेतु कोई मानक संचालन प्रक्रिया)SOP) या निर्धारित समयसारिणी मौजूद है-; और	नाले की सफाई का उत्तरदायित्व नगर निगम (MCD) का है, जबकि DPCC द्वारा समय-समय पर इसके जल की गुणवत्ता (Quality) की जाँच की जाती है।"
(छ)	यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है और कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में इसके क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?	उपरोक्तानुसार

तारांकित प्रश्न संख्या:- 03

दिनाँक:-06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री अनिल गोयल जी

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या दिल्ली सरकार द्वारा वर्तमान में डबल शिफ्ट में चल रहे सरकारी स्कूलों को सिंगल शिफ्ट में परिवर्तित करने की काई योजना बनाई जा रही है;	वर्तमान दिल्ली सरकार सारे विद्यालयों में सिंगल शिफ्ट में विद्यालय चलाना चाहती है। परंतु, शिक्षा निदेशालय में 20 वर्ष से अधिक समय से डबल शिफ्ट विद्यालय चल रहे हैं। अब इनका डिजिटल प्रोफाइलिंग विश्लेषण और व्यवहार्यता विश्लेषण हो रहा है। इसके लिए अतिरिक्त भूमि विभागों से मांगी जाएगी। शिक्षा विभाग के पास उपलब्ध जमीन का भी आंकलन किया जा रहा है। इन सबके आधार पर आने वाले वर्षों में सभी विद्यालयों को सिंगल शिफ्ट बनाने का शिक्षा विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है।
ख	यदि हां, इसे जमीनी स्तर पर कब तक लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;	उपरोक्तानुसार।
ग	क्या इस योजना के अंतर्गत कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों को चिन्हित किया गया है;	
घ	यदि हां, तो ऐसे स्कूलों की कुल संख्या और उनके नाम क्या है;	
ड़	क्या सरकार ने स्कूलों को सिंगल शिफ्ट में बदलने के परिणामस्वरूप आवश्यक Additional Teachers, Staff, Infrastructure Development की मांग का कोई विस्तृत आंकलन किया है; और	जब भी स्कूलों को Single Shift में परिवर्तित किया जाएगा, उस समय आवश्यकतानुसार Additional Teachers, Staff, Infrastructure Development को भी पूरा किया जाएगा।
च	यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?	

तारांकित प्रश्न संख्या :- 04
दिनांक :- 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री परवेश रत्न, विधायक
क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क.	प्रश्न	उत्तर
क)	पटेल नगर विधान सभा में कुल कितने किलोमीटर सीवर लाइन है;	पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में लगभग 128 किलोमीटर की सीवर नेटवर्क मौजूद है।
ख)	क्या इन सीवर लाइनों को कभी बदला गया है, और अगर हाँ, तो कब बदला गया;	जी हां, आवश्यकतानुसार और तकनीकी व्यवहार्यता के अनुसार सीवर लाइनें बदल दी गई हैं। चालू वितीय वर्ष 2025-26 में अब तक लगभग 650 मीटर सीवर लाइन बदली जा चुकी है।
ग)	अगर नहीं, तो क्या सरकार के पास क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों को बदलने की कोई योजना है; और	लागू नहीं
घ)	अगर हाँ, तो पूरी जानकारी प्रदान करें	बदली गई सीवर लाइनों का विवरण नीचे दिया गया है:- 1. 35 ब्लॉक पश्चिम पटेल नगर (लगभग 125 मीटर) 2. गली संख्या 13, रणजीत नगर (लगभग 150 मीटर) 3. आर एंड एस ब्लॉक पश्चिम पटेल नगर (लगभग 150 मीटर) 4. माधव सेतु (लगभग 100 मीटर) 5. 30 ब्लॉक पश्चिम पटेल नगर (लगभग 80 मीटर) 6. पूसा गोलचक्कर, 22 ब्लॉक, 8 ब्लॉक, नाला मार्केट (लगभग 40 मीटर) हालांकि, यदि भविष्य में किसी अन्य क्षेत्र में सीवर लाइन बदलने की आवश्यकता होती है, तो तकनीकी व्यवहार्यता के अनुसार उसे भी बदला जाएगा।

तारांकित प्रश्न संख्या :– 05
डायरी संख्या :– 8/4/69
दिनांक :– 06.01.2026
प्रश्नकर्त्ता का नाम :– माननीय विधायक श्री विशेष रवि जी।

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :–

प्रश्न	उत्तर
स्थानीय विधायक द्वारा राजस्व विभाग को निम्नलिखित पत्रों के माध्यम से जो शिकायतें/अनुरोध प्रस्तुत किए गए थे, उन पर विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है, इसकी विस्तृत जानकारी पत्र–वार प्रदान करें? 1. पत्र संख्या No – 123377/6/9/2023 Dated – 6/9/2023, 2. पत्र संख्या No – 116207/29/10/2020 Dated – 29/10/2020, 3. पत्र संख्या No – 129966/13/9/2025 Dated – 13/9/2025	माननीय विधायक जी द्वारा जो शिकायते/अनुरोध किए गए थे, उनका जवाब/कार्यवाही की स्थिति इस प्रकार है:– 1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने में एकल माता को होने वाली समस्याओं का संज्ञान, राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा पहले ही ले लिया गया था। इस विषय में विभाग ने पत्रांक दिनांक 16.03.2023 को एन०आई०सी० को पत्र जारी कर दिया था (पत्र की प्रतिलिपि **अनुलंग्न 'अ'** संलग्न है)। इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने में एकल माता को होने वाली समस्याओं का निदान किया जा चुका है, जिसका सफल उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण दिनांक 22.03.2023 को किया गया था (प्रतिलिपि **अनुलंग्न 'ब'** संलग्न है)। माननीय विधायक जी द्वारा मिली शिकायत/अनुरोध का जवाब राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा पहले ही पत्रांक दिनांक 26.10.2023 को दिया जा चुका है (पत्र की प्रतिलिपि **अनुलंग्न 'स'** संलग्न है)। 2. इस संदर्भ में राजस्व जिला (दक्षिण एवं दक्षिण–पूर्व) को सी०सी०एस० शाखा (मु०), राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार के पत्रांक सं० 5108 एवं 5109 दिनांक 21.11.2024 द्वारा डिजिटाइजेशन् प्रक्रिया को जल्दी पूर्ण करने को कहा गया था। (पत्रों की प्रतिलिपि **अनुलंग्न 'द'** संलग्न है) राजस्व विभाग इस कार्य को जल्दी सम्पूर्ण करने की कोशिश कर रहा है। 3. राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मांगी गई जानकारी इस प्रकार है:– • 10 सितंबर, 2025 तक जारी हुए अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्रों की संख्या 2109 है। • 10 सितंबर, 2025 तक जारी हुए अनुसूचित जाति प्रमाण–पत्रों की संख्या 40,128 है।

इसकी स्वीकृति माननीय मंत्री (राजस्व) से प्राप्त की गई है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ **में** Question Module **पर उपलब्ध।**

तारांकित प्रश्न संख्या:- 06

दिनाँक:-06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्रीमती नीलम पहलवान जी

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्र.सं.	**प्रश्न**	**उत्तर**
क	क्या नजफगढ़ विधानसभा में शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित दो नए स्कूलों के लिए डीडीए द्वारा शिक्षा विभाग को जमीन आवंटित कर दी गई है;	नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र, में खसरा संख्या 47/30 (17 बीघा 3 बिस्वा) ग्राम हैबतपुरा तथा खसरा संख्या 456 एवं 457 (9 बीघा 1 बिस्वा) गावं रोशनपुरा में, डीडीए के द्वारा, शिक्षा विभाग को कोई जमीन आवंटित नहीं की गई है। शिक्षा विभाग का जमीन आवंटन के लिए किया गया अनुरोध, डीडीए के स्तर पर लंबित है। भूमि हस्तांतरण से संबंधित विषय पर अंतर-विभागीय बैठक की जा रही है।
ख	यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;	उपरोक्तानुसार।
ग	इन स्कूलों के लिए खसरा संख्या-47/30 (17 बीघा 3 बिस्वा) गांव हैबतपुरा तथा खसरा सं.-456 और 457 (09 बीघा 1 बिस्वा) गांव रोशनपुरा प्रस्तावित जमीन कब तक आवंटित हो जाएगी; और	
घ	इन दोनो स्कूलों के विषय में विभाग की क्या कार्यवाही चल रही है तथा इन स्कूलों का निर्माण कब तक हो जाएगा, पूर्ण विवरण दें?	जमीन डीडीए के द्वारा आवंटित होने के उपरांत विद्यालय बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी जाएगी। पूर्ण विवरण **संलग्नक-क** में उपलब्ध है।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

तारांकित प्रश्न संख्या:- 07

दिनाँक:-06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री संजय गोयल जी

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क</td><td>पिछले 10 सालों में शाहदरा विधानसभा (एसी-62) क्षेत्र के अतंर्गत आने वाले प्रत्येक सरकारी विद्यालय में मरम्मत एवं रखरखाव (Repair & Maintenance) तथा नई इमारत/भवन निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गई है दिया जाएश;</td><td>उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार शाहदरा विधानसभा में पिछले 10 वर्षों में निम्नलिखित मंजूरी जारी की गई है-

<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>No. of EOR Sanction Amount issued</th><th>स्वीकृत राशि (In Rs.)</th></tr>
<tr><td>2015-16</td><td>12</td><td>2,19,47,960/-</td></tr>
<tr><td>2016-17</td><td>15</td><td>3,15,87,462/-</td></tr>
<tr><td>2017-18</td><td>5</td><td>1,02,13,053/-</td></tr>
<tr><td>2018-19</td><td>5</td><td>27,31,288/-</td></tr>
<tr><td>2019-20</td><td>2</td><td>10,86,320/-</td></tr>
<tr><td>2020-21</td><td>1</td><td>26,78,427/-</td></tr>
<tr><td>2021-22</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2022-23</td><td>3</td><td>52,99,689/-</td></tr>
<tr><td>2023-24</td><td>13</td><td>3,56,47,847/-</td></tr>
<tr><td>2024-25</td><td>1</td><td>46,19,400/-</td></tr>
</table>
स्कूलवार नाम सहित विवरण संलग्नक-क के रूप में संलग्न है।

नए भवन और कमरों का निर्माण का विवरण निम्नलिखित है:-</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>

Name of school buildings	Year of Construction	No. of Rooms Constructed
SKV, (Vishwamitra), Seemapuri (ID-1106021)	2023	76
SKV, (St. Eknath) J&K Block, Dilshad Garden (1106023)	2016, 2023	48, 24
GGSSS, Old Seemapuri (ID-1106281)	2016	44

पिछले 10 वर्षों में EOR (मरम्मत एवं रख-रखाव) व भवन निर्माण के खर्च से संबंधित जानकारी पीडब्ल्यूडी से मांगी गई है। प्राप्त होते ही, उपलब्ध करा दी जाएगी।
</td></tr>
<tr><td>ख</td><td>जहां नई इमारतें बनी हैं, वहां प्रति विद्यालय कितने class rooms का निर्माण हुआ है, इसका विवरण भी दिया जाए;</td><td>

नए भवन और कमरों का निर्माण का विवरण निम्नलिखित है:-

Name of school buildings	Year of Construction	No. of Rooms Constructed
SKV, (Vishwamitra), Seemapuri (ID-1106021)	2023	76
SKV, (St. Eknath) J&K Block, Dilshad Garden (1106023)	2016, 2023	48, 24
GGSSS, Old Seemapuri (ID-1106281)	2016	44
</td></tr>
<tr><td>ग</td><td>प्रत्येक सरकारी विद्यालय को वार्षिक बजट के अंतर्गत कितनी राशि प्राप्त होती है स्कूलवार बजट, खेल गतिविधियों (sports Activities) हेतु प्राप्त राशि एवं उसके उपयोग का विवरण दिया जाए;</td><td>

शाहदरा विधानसभा के अतंर्गत आने वाले प्रत्येक सरकारी विद्यालयों के विद्यालय-वार बजट, खेल गतिविधियों हेतु प्राप्त राशि एवं उसके उपयोग का विवरण **संलग्नक-ख** के रूप में संलग्न है।

पिछले दो वर्षों में विद्यालयों में खेल के लिए शिक्षा निदेशालय द्वारा कोई भी धनराशि प्रदान नहीं की गई थी। वर्ष 2025-26 में प्रत्येक विद्यालय को 20,000/- की राशि प्रदान की गई है, जिसका व्यय
</td></tr>
</table>

		31.03.2026 तक किया जाना है। यह व्यय निम्निलिखित कार्यों के लिए किया जा सकता है:- 1. खेल, योग एवं सांस्कृतिक सामग्री का क्रय: 10,000/- रूपये। 2. जोनल खेल योग एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ-साथ दिल्ली राज्य स्कूल खेल तथा अंतर-जिला सांस्कृतिक गतिविधियों (कक्षा 8वीं तक) में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की सहभागिता हेतु जलपान एवं आवागमन व्यय: 10,000/- रूपयें है। 3. इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय को उसकी मांग/आवश्यकता (Requisition) के अनुसार खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। प्रत्येक जोन को खेल गतिविधियों के आयोजन हेतु 5,00,000/- रूपयें (पांच लाख रूपये मात्र) की धनराशि भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्कूल खेलों में प्रतिभागी विद्यार्थियों के लिए यात्रा व्यय, खेल सामग्री, किट आदि सभी आवश्यक सुविधाएं शिक्षा निदेशालय, खेल शाखा द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। स्कूलों में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा खेलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है, जिसे मंत्रिमडल निर्णय संख्या 3226 दिनांक 26.07.2025 द्वारा अनुमोदित किया गया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली सरकार विभिन्न श्रेणियों के पदक विजेताओं को नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। इसके साथ-साथ यह योजना विद्यालयी छात्रों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रशिक्षण सहायता के रूप में अधिकतम 5,00,000/- रूपये (रूपये पांच लाख मात्र) तक की रशि प्रदान करती है तथा 5,00,000/- रूपये (रूपये पांच लाख मात्र) की चिकित्सा बीमा सुविधा भी उपलब्ध कराती है।
घ	किस विद्यालय में कितनी एवं कौन-कौन सी खेल गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, इसका विवरण प्रस्तुत किया जाए;	शिक्षा निदेशालय द्वारा शाहदरा विधानसभा के अतंर्गत राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, झिलमिल में हॉकी का मैदान तथा सर्वोदय बाल विद्यालय बाबूराम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्विमिंग पूल बनाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध क्षेत्र के अनुसार विद्यालय प्रमुख खेल गतिविधियां संचालित करते हैं

ड़	शाहदरा क्षेत्र में स्थित झिलमिल हॉकी ग्राउंड तथा विवेकानंद महिला महाविद्यालय में स्थित हॉकी ग्राउंड किस विभाग/ संस्थान के अधीन है;	शाहदरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत झिलमिल कॉलोनी स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में स्थित हॉकी मैदान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित किया जाता है। शाहदरा क्षेत्र में स्थित विवेकानंद महिला महाविद्यालय में स्थित हॉकी ग्राउंड विवेकानंद महाविद्यालय के अधीन है।
च	क्या ये खेल मैदान संबंधित कॉलेज अथवा शिक्षा निदेशालय को हस्तांतरित (Handover) किए जा चुके है;	शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार झिलमिल हॉकी ग्राउंड का उद्घाटन दिनांक 24.10.2019 को तत्कालीन उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया द्वारा किया गया था, तथापि अभी तक विधिवत हैंड ओवर, टेक ओवर की प्रक्रिया अभी होना शेष है। विवेकानंद महिला महाविद्यालय में स्थित हॉकी मैदान, विवेकानंद महाविद्यालय को 13.06.2024 को हस्तांतरित (Handover) किया जा चुका है।
छ	यदि नहीं, तो हस्तांतरण की प्रक्रिया क्या है और इसे कब तक पूर्ण किया जाएगा;	इसे प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है तथा शीघ्र ही झिलमिल हॉकी ग्राउंड का हैंडओवर, टेकओवर किया जाएगा।
ज	शाहदरा विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों को प्राप्त SMC Fund (School Management Committee Fund) की राशि कितनी है;	शाहदरा विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में SMC Fund (School Management Committee Fund) के अतंर्गत 75,65,800/- रूपये की राशि स्वीकृत की गई है जिसकी विस्तृत जानकारी **संलग्नक-ग** के रूप में संलग्न है।
झ	इस फंड के उपयोग की अधिकृत सीमाएं एवं दिशा-निर्देश क्या हैं पिछले 10 वर्षों में स्कूलवार इस फंड के अंतर्गत किए गए व्यय का विवरण दिया जाए;	एसएमसी फंड के उपयोग की अधिकृत सीमाएं एवं दिशा-निर्देश **संलग्नक-घ** के रूप में संलग्न है। पिछले 10 वर्षों में स्कूलवार इस फंड के अंतर्गत किए गए व्यय का विवरण **संलग्नक-ड़** के रूप में संलग्न है।

ण	Zone-I & Zone-VI के अंतर्गत आने वाले शाहदरा विधानसभा क्षेत्र के कितने विद्यालयों में स्थायी प्रधानाचार्य (Principal) नियुक्त हैं कितने पद रिक्त हैं और उनकी पूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?	जोन-1 में शाहदरा विधानसभा के अतंर्गत कुल 11 विद्यालय हैं। इनमें से 05 विद्यालयों में स्थायी प्रधानाचार्य नियुक्त हैं शेष 04 विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद खाली हैं। 02 स्कूलों में कक्षा 10वीं तक के स्तर की पढाई होने के कारण प्रधानाचार्य के पद स्वीकृत नहीं हैं यहां स्वीकृत उप-प्रधानाचार्य के पदों पर दोनों विद्यालयों में उप-प्रधानाचार्य नियुक्त हैं। Zone-VI के अंतर्गत आने वाले शाहदरा विधानसभा क्षेत्र के 02 विद्यालयों में स्थायी प्रधानाचार्य (Principal) नियुक्त हैं एवं 06 विद्यालयों में पद रिक्त हैं इन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।
ट	शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत कुल शिक्षकों की संख्या कितनी है इनमें से कितने पद रिक्त हैं, क्या रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई का विवरण दिया जाए; और	शाहदरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में कुल 1267 शिक्षक पद स्वीकृत हैं जिनमें 922 शिक्षक कार्यरत एवं 345 पद खाली हैं हालांकि, रेगुलर टीचरों की कमी के कारण खाली पदों पर अस्थायी व्यवस्था के तौर पर गेस्ट टीचरों को daily Wages पर रखा जाता है। **टीजीटी/टीजीटी (एमआईएल):-**शिक्षा निदेशालय में रिक्त पदों को भरने के लिए, टीजीटी/टीजीटी (एमआईएल) के 9,866 रिक्त पदों के लिए डीएसएसएसबी को अनुरोध भेजा गया है और उक्त रिक्तियों के लिए डीएसएसएसबी द्वारा विज्ञापन संख्या 02/2024 दिनांक 12.01.2024 (4,536 पदों लिए परीक्षा भी आयोजित की गई है, परिणाम प्रतीक्षित हैं) और 06/2025 दिनांक 03.10.2025 के माध्यम से विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया है। **पीजीटी/ईवीजीसी**:-रिक्तियों को विज्ञापन के लिए डीएसएसएसबी को भेजा गया था। रिक्तियों का विज्ञापन विज्ञापन संख्या 01/2025 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था, लेकिन डीएसएसएसबी द्वारा परीक्षा की तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

ठ	Zone-I & Zone-VI के अंतर्गत शाहदरा विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों में पिछले 5 वर्षों में छात्र-छात्राओं की संख्या कितनी रही है, स्कूलवार, कक्षावार, वर्षवार तथा लिंग (Gender)-वार विवरण उपलब्ध कराया जाए?	Zone-I & Zone-VI के अंतर्गत शाहदरा विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों में पिछले 5 वर्षों में छात्र-छात्राओं की संख्या कितनी रही है, स्कूलवार, कक्षावार, वर्षवार तथा लिंग (Gender)-वार विवरण **संलग्नक-च** के रूप में संलग्न है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

तारांकित प्रश्न संख्या:- 08
दिनाँक:- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री मोहन सिंह बिष्ट जी

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे किः-

क्र.सं.	**प्रश्न**	**उत्तर**
क	क्या यह सत्य है कि मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र (एसी-69) के अंतर्गत खसरा नं0 37/18/01, लगभग 1600 वर्ग गज जमीन, वर्ष 1998-99 के दौरान शिक्षा विभाग को दी गई और विभाग द्वारा इसकी चार दीवारी भी की गई;	जी नहीं, यह पूर्णता असत्य है। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र एसी-69 के अंतर्गत खसरा नंबर 37/18/01, 1600 वर्ग गज जमीन शिक्षा विभाग को अभी तक आवंटित नहीं हुई है और चार दीवारी बनाने की प्रक्रिया भूमि आवंटन के बाद शुरू कर दी जाएगी।
ख	क्या यह भी सत्य है कि क्षेत्र में विद्यालय की कमी को देखते हुए यहां विद्यालय खोलने की लगभग 7-8 महीने से कार्यवाही की जा रही है;	जी हां, मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र एसी-69 में विद्यालय खोलने के लिए डीडीए से जमीन आवंटन के लिए निवेदन कई बार की जा चुकी है। भूमि हस्तांतरण से संबंधित विषय पर अंतर-विभागीय बैठक की जा रही है।
ग	क्या यह भी सत्य है कि भूमि संबंधी उपरोक्त फाइल दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास है;	जी हां, जमीन आवंटन से संबंधित मामला डीडीए में लंबित है। भूमि हस्तांतरण से संबंधित विषय पर अंतर-विभागीय बैठक की जा रही है।

घ	शिक्षा विभाग द्वारा उक्त संदर्भ में की गई कार्रवाई का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए; और	शिक्षा विभाग द्वारा इस संदर्भ में की गई कारवाई का विवरण **संलग्नक-क** के रूप में संलग्न है।
ङ	उपरोक्त विद्यालय को दिल्ली सरकार द्वारा कब तक खोले जाने की योजना हैं, पूर्ण विवरण प्रदान करें?	उपरोक्तानुसार।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

तारांकित प्रश्न संख्या :- 09
दिनांक :- 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री वीर सिंह ढिंगान
क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क.सं	**प्रश्न**	**उत्तर**
क)	क्या यह सत्य है दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग के विद्युत विभाग को गत वर्ष सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में विद्युत कार्यों के लिए कोई धनराशि फंड उपलब्ध कराया गया था;	जी नहीं। गत वर्ष सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में वैधुत कार्यों के लिए कोई धनराशि फंड इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है।
ख)	यदि हां, तो सीमापुरी विद्युत विभाग को कुल कितना पैसा किन-किन कार्यों के लिए आवंटित किया गया था;	उपरोक्त (क) के अनुसार लागू नहीं।
ग)	क्या यह भी सत्य है कि विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में कुछ कार्य कराए गए थे;	जी हां । विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यों को कराया गया है: Operation & Maintenance of storm water pumps; DG Sets at various locations (Shahdara) under PWD M-251, Delhi (SH: Repair/Replacement of defective/non repairable panel at C-3, Nand Nagari pump house under PWD sub division M-2533).
घ)	यदि हां तो विद्युत विभाग ने किन-2 कार्यों में कहां-कहां कुल कितना पैसा खर्च किया, पूर्ण जानकारी दी जाए;	Agreement No. 78/EE(E)/PWD/ North East & Shahdara Elect.Div./2025-26/कार्य की निविदा राशि

		रू० 3,87,500/- है लेकिन इस बाबत कोई भुगतान नहीं किया गया है ।
ड़)	क्या यह भी सत्य है कि नंद नगरी ई ब्लॉक पंप हाउस पर गंदा पानी निकालने के लिए कुछ मोटर लगाई गई थी;	जी हाँ। कुल 4 मोटर लगी हुई है, जिसमें से 2 कार्य कर रही है एवं 2 खराब है जो ठीक होने के लिए गई हुई है।
च)	यदि हां तो कुल कितनी मोटर है इनमें से कुल कितनी मोटर कार्य कर रही है और कितनी खराब है;	
छ)	क्या यह भी सत्य है कि ई-ब्लॉक सहित नंद नगरी के अनेक ब्लॉकों के मुख्य नलों में गंदा पानी ओवरफ्लो करता है जिस कारण कॉलोनी के अंदर की नालियों में गंदा पानी हमेशा भरा रहता है;	इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले नालों की Desilting का कार्य करा दिया गया है और करार के अनुसार Desilting का कराया जाता है एवं नालों की सफाई से निकलने वाली सिल्टको भी डिस्पोज ऑफ करा दिया गया है। सीवेज सिस्टम, सीवर व पाइपलाइन से संबंधित समस्याएं दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित है।
ज)	यदि हां तो क्या विभाग गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करेगा; और कब तक ?	उपरोक्त (छ) के अनुसार ।

यह पत्र माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

तारांकित प्रश्न संख्या :- 10
दिनांक :- 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री हरीश खुराना
क्या मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

<table>
<tr><th>क.सं</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क)</td><td>पिछले 11 वर्षों में दिल्ली में गाद/सिल्ट उठाने का वर्ष वार तथा क्षेत्रवार लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया, विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाए;</td><td rowspan="4">PWD के विभिन्न डिविजन के द्वारा पिछले 11 वर्षों में दिल्ली में गाद/सिल्ट उठाने का वर्ष वार तथा क्षेत्रवार लक्ष्य, ठेकेदारों द्वारा वर्षवार तथा क्षेत्रवार प्रस्तुत बिल का विवरण , बिलों की स्वीकृति तथा गाद/ सिल्ट की मात्रा निर्धारित गंतव्य तक पहुचाने की जानकारी अनुलग्नक “A” में संलग्न है.</td></tr>
<tr><td>ख)</td><td>पिछले 11 वर्षों में दिल्ली में गाद/सिल्ट उठाने के लिए ठेकेदारों द्वारा वर्षवार तथा क्षेत्रवार कितने बिल प्रस्तुत किए गए, विस्तृत विवरण प्रदान किया जाए;</td></tr>
<tr><td>ग)</td><td>उपरोक्त अवधि में ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किए गए गाद/सिल्ट उठाने के बिलों में से किन-किन बिलों को द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, वर्षवार तथा क्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध कराई जाए;</td></tr>
<tr><td>घ)</td><td>पिछले 11 वर्षों के दौरान वास्तव में कितनी मात्रा में उठाया गया गाद/ सिल्ट अपने निर्धारित गंतव्य तक पहुंचा वर्षवार तथा क्षेत्रवार विस्तृत जानकारी प्रदान की जाए;</td></tr>
<tr><td>ड़)</td><td>क्या यह सत्य है कि दिल्ली में पिछले 11 वर्षों में जितनी मात्रा में गाद/ सिल्ट उठाई गई और जितनी वास्तव में गन्तव्य तक पहुंची उसमें भारी अंतर पाया गया;</td><td>जी नहीं |</td></tr>
<tr><td>च)</td><td>यदि हां तो इस अंतर का प्रतिशत विवरण उपलब्ध कराया जाए तथा इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई उसकी जानकारी भी दी जाए;</td><td rowspan="2">उपरोक्त के सन्दर्भ में लागू नहीं |</td></tr>
<tr><td>छ)</td><td>यदि कार्रवाई नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं;और</td></tr>
</table>

ज)	पिछले 11 वर्षों में गाद/सिल्ट हटाने के एवज में ठेकेदारों को किए गए भुगतान की क्या कभी ऑडिट कराई गई है, यदि हाँ, तो विस्तृत जानकारी दी जाए और यदि नहीं तो क्या सरकार इस संबंध में ऑडिट करने की योजना बना रही है?	पिछले 11 वर्षों में कोई ऑडिट नहीं कराई गई है । PWD ने 02 अगस्त 2024 को एक आदेश पारित किया है कि बिना थर्ड पार्टी ऑडिट के डिसिल्टिंग के किसी भी बिल का भुगतान न किया जाए। आदेश की प्रति अनुलग्नक “B” में संलग्न है.

यह पत्र माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री के स्वीकृति से जारी किया जाता है।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

तारांकित प्रश्न संख्या:- 11
दिनाँक:-06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री तिलक राम गुप्ता जी

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे किः-

क्र.सं.	**प्रश्न**	**उत्तर**
क	क्या यह सत्य है कि त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शकुरपुर गांव एवं रामपुरा गांव में दिल्ली सरकार के दो विद्यालय हैं, जिनकी इमारत बिल्कुल जर्जर हालत में हैं और इन्हें तोड़कर बनाया जाना अत्यंत आवश्क है; और	जी हां, त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शकुरपुर गांव के, केवल एसकेवी नं.2, दिल्ली सरकार द्वारा संचालित विद्यालय में, 20 कमरे और 01 एम.पी. हॉल जर्जर हालत में है, जिसके विध्वंस की अनुमोदित/अनुमति की प्रक्रिया जारी है। रामपुरा गावं में जी.सी.एस.वी., रामपुरा विद्यालय है, जिसकी इमारत की स्थिति सही हालत में है।

ख	यदि हां, तो ये दोनों विद्यालय भवन कब तक नये बनाकर तैयार कर दिये जायेंगे?	शकुरपुर गांव एसकेवी नं.2 विद्यालय बनाने की प्रक्रिया वर्तमान भवन के विध्वंस के बाद आरंभ की जाएगी।

तारांकित प्रश्न संख्या :- 12

दिनांक :- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री अजय दत्त, विधायक

क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क.	प्रश्न	उत्तर
क)	संगम विहार सीवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले 'खानपुर वार्ड' के सीवर का कार्य कब प्रारंभ होगा और इसके पूर्ण होने की अंतिम तिथि क्या है?	संगम विहार सीवर प्रोजक्ट के अंतर्गत आने वाले खानपुर वार्ड का सीवर कार्य 15-01-2026 तक शुरू किया जायेगा और इसको पूरा करने की अनुमानित अवधि जुलाई 2026 है।

तारांकित प्रश्न संख्या:- 13

दिनाँक:-06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री कैलाश गंगवाल जी

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे किः-

क्र.सं.	**प्रश्न**	**उत्तर**
क	दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में इस समय कितने PRT, TGT & PGT अध्यापक कार्य कर रहे हैं;	रिकार्ड के अनुसार, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार में 2957 पीआरटी, 28366 टीजीटी एवं 13106 पीजीटी अध्यापक कार्यरत हैं।

ख	क्या स्थायी अध्यापकों के अलावा गैस्ट टीचर, ad-hoc Teachers & Contract Teachers भी कार्य कर रहे हैं;	जी हां।
ग	यदि हां तो ऐसे अध्यापकों की संख्या कितनी है ; और	**गेस्ट टीचर**:- एमआईएस पोर्टल के अनुसार, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार में वर्तमान में 15495 गेस्ट टीचर कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 1301 गेस्ट विशेष शिक्षक (Special Education Teachers) भी कार्यरत हैं। **वोकेशनल टीचर:-** 474 पार्ट टाइम वोकेशनल टीचर कंटिजेंट आधार पर विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत हैं ये कंटिंजेंट व्यावसायिक शिक्षक किसी स्वीकृत पद के अंतर्गत नहीं हैं और 2 संविदा शिक्षक व्यवसायिक विषय पढ़ाने के लिए विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत है और अगले वित्तीय वर्ष के लिए उनकी सेवाएं जारी रखने हेतु प्रत्येक वर्ष माननीय उपराज्यपाल जी से अनुमति ली जाती है। **समग्र शिक्षा दिल्ली**:- समग्र शिक्षा दिल्ली में 302 टीजीटी एवं 151 पीआरटी संविदा टीचर्स (Contract Teachers) कार्यरत हैं।
घ	अध्यापकों की नई भर्ती DSSSB द्वारा कब तक की जाएगी?	डीएसएसएसबी द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार:- 1. अध्यापकों के 6787 रिक्त पद डीएसएसएसबी के पास परीक्षा के लिए लंबित हैं, जिसके लिए परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के अनुसार 2026 में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। 2. डीएसएसएसबी द्वारा अध्यापकों की 8031 रिक्तियों की भर्ती हेतु परीक्षाएं अयोजित की गई है। इन परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है। डीएसएसएसबी द्वारा इन परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र घोषित कर दिए जाएंगे।

		शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार के स्तर पर भी डीएसएसएसबी लगातार तालमेल बनाया हुआ है ताकि चयन प्रक्रिया को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करते हुए शिक्षण कार्य के लिए शिक्षकों को नियुक्त किया जा सके।

तारांकित प्रश्न संख्या :– 14
डायरी नं :– 8/4/285
दिनांक :– 06.01.2026
प्रश्नकर्त्ता का नाम :– माननीय विधायक श्री प्रद्युम्न सिंह राजपूत जी।

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
(क)	द्वारका विधानसभा के अंतर्गत राजस्व विभाग की कौन–कौन सी भूमि है;	द्वारका विधानसभा के अंतर्गत ग्राम नसीरपुर में खसरा संख्या 88 मिन एवं 100 मिन राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार की भूमि है।
(ख)	यह भूमि किस स्थान पर और कितने–कितने माप की है;	●उक्त दोनों भूमि ग्राम नसीरपुर में स्थित है। ●खसरा संख्या 88 मिन का माप 19 बीघा है एवं खसरा संख्या 100 मिन का माप 36 बीघा 18 बिस्वा है।
(ग)	वर्तमान में इनका क्या स्टेटस है, और;	उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के अनुसार, वर्तमान में उक्त भूमि का मालिकाना हक सरकार–ए–दौलतमदार, उपायुक्त, जिला (दक्षिण–पश्चिम) के नाम दर्ज है। सीमांकन के अनुसार खसरा संख्या 88 मिन पर सब्जी मंडी का लगभग रकबा (4–16), एसडीएमसी विद्यालय का लगभग रकबा (5–7) तथा सनातन धर्म मंदिर का रकबा (1–10) स्थित है। एवं सड़क स्थित है तथा शेष रकबा खाली है। इसी प्रकार खसरा संख्या 100 मिन पर डीडीए पार्क का लगभग रकबा (26–12), एसडीएमसी विद्यालय का लगभग रकबा (4–7) एवं सड़क स्थित है तथा शेष रकबा खाली है। • जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय में वाद विचारधीन है। • दिल्ली उच्च न्यायालय केस न० W.P.(C) 4633/2023, CM APPL 17726/2023, CM APPL 29023/2023, CM APPL 36267/2023, CM APPL 44055/2023, CM APPL 4540/2023, CM APPL 49238/2023, CM APPL 7198/2024

		Titled: - MOHD YUSUF & ORS. Vs GNCTD & ORS.
(घ)	क्या इस भूमि पर भविष्य की कोई विकास योजना बनी है, तो उसका विवरण भी बताया जाए?	इस संबंध में राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

इसकी स्वीकृति माननीय मंत्री (राजस्व) से प्राप्त की गई है।

प्रश्न संख्या 15

क्या माननीय विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या दिल्ली में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कोई कानून बनाया गया है, जैसा कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्य में ऐसे कानून मौजूद हैं;

ख) यदि नहीं, तो क्या इसे बनाने की सरकार की कोई योजना है; और

ग) यदि हां, तो इसकी समय सीमा क्या है ?

उत्तर-

सेवा में,

उप सचिव ;प्रश्न एवं समिति,

दिल्ली विधानसभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली.110054

विषय: विधायक श्री करनैल सिंह द्वारा उठाए गए जबरन धर्मांतरण को रोकने के कानूनों के संबंध में दिल्ली विधानसभा से NeVA के माध्यम से प्राप्त विधानसभा तारांकित प्रश्न डायरी संख्या 8/4/30 दिनांक 28/12/2025.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर दिल्ली विधानसभा से छमट। के माध्यम से प्राप्त विधानसभा तारांकित प्रश्न डायरी संख्या 8/4/30 दिनांक 28.12.2025 का संदर्भ लें। इस संबंध में उत्तर निम्नानुसार है:-

क) ष्राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वर्तमान में धर्मातरण से संबंधित कोई पृथक या विशेष कानून लागू नहीं है। तथापिए यदि धर्मांतरण बलए धोखाए दबावए धमकीए प्रलोभन या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे अवैध तरीकों से किया जाता हैए तो ऐसे कृत्य दिली में प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर भारतीय न्याय संहिताए 2023 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई योग्य हैंए जिनमें धारा 196 ;धर्म आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देना)ए धारा 298ए 299ए 300ए 301 तथा 302 ;धर्म से संबंधित अपराध) सहित तथा परिस्थितियों के अनुसार धोखाधड़ीए आपराधिक धमकीए दबावए उकसावा या आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित अन्य प्रावधान भी लागू किए जा सकते हैं।

ख) एवं ग) उपरोक्त उत्तर (क) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होते हैं।

अतारांकित प्रश्न संख्या**:- 16**
दिनांक**:- 06/01/2026**
प्रश्नकर्ता का नाम**:-** श्री. इमरान हुसैन

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि**:-**

क. सं	**प्रश्न**	**उत्तर**
क)	क्या यह सत्य है कि बल्लीमारान विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सदर थाना रोड कुतुब रोड एवं ईदगाह रोड पर ट्रांसपोर्टरों द्वारा सड़क एवं सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है,	जी हां।
ख)	यदि हां तो ट्रांसपोर्टरों को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में वैकल्पिक स्थान आवंटित किये जाने के	मामला लोक निर्माण विभाग से संबंधित नहीं है।

	बावजूद उनके द्वारा अतिक्रमण जारी रहने के क्या कारण हैं,	
ग)	इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है, तथा अतिक्रमण हटाने के लिए आगे कौन-से ठोस कदम प्रस्तावित हैं,	इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधीन मंडल कार्यालय द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु दिल्ली नगर निगम को पत्र (प्रति संलग्न) लिखा गया है, अतिक्रमण हटाने से संबंधित विषय दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है।

यह पत्र माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

प्रश्न संख्या 17

क्या माननीय मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:-

(क) दिल्ली में जिलों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया और वर्तमान में 13 जिलों की संख्या किस आधार पर तय की गई है; और

(ख) इन जिलों को बनाने के लिए जिन मापदंडों को अपनाया गया है या जिस रिपोर्ट के आधार पर बनाए गए है, उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रदान करे ?

उत्तर-

विषय : आदरणीय विधायक श्री जितेन्दर महाजन जी द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 17

(डायरी 8/4/104) के सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर अपर जिलाधिकारी (मुख्यालय), संसदीय शाखा (मुख्यालय) से प्राप्त पत्र संख्या एफ.11/2286/डी.सी./पी.सी./वी.स./2025/1456-59 दिनांक 01.01.2026 की प्रति संलग्न पाएं (प्रति संलग्न) और निम्नलिखित जवाब/ उत्तरप्र स्तुत हैं:

1. **दिल्ली में जिलों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया और वर्तमान में 13 जिलों की संख्या किस आधार पर तय की गई है।**

   दिल्ली में जिलों का वर्गीकरण प्रशासनिक सुविधा, जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रफल, बेहतर समन्वय एवं नागरिक सेवाओं की त्वरित उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में पूर्व के 11 जिलों का पुनर्गठन कर 13 जिलों की संख्या मंत्रिमंडल निर्णय संख्या 3280 दिनांक 11.12.2025 के आधार पर तय की गई है। इस पुनर्गठन से शाहदरा जिला समाप्त कर उसके क्षेत्रों को उत्तर-पूर्वी एवं पूर्वी जिलों में विलय किया गया तथा तीन नए जिले - पुरानी दिल्ली (Old Delhi), मध्य उत्तरी (Central North) एवं बाहरी उत्तरी (Outer North) - गठित किए गए हैं। इससे राजस्व जिलों की सीमाएं नगर निगम दिल्ली के 12 जोनों, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद एवं दिल्ली छावनी बोर्ड की सीमाओं से पूर्णतः सह-अंतिम (co-terminus) हो गई हैं, जिससे विभागीय समन्वय मजबूत, शिकायत निवारण त्वरित एवं Ease of Doing Business/Ease of Living में वृद्धि हुई है।

2. **इन जिलों को बनाने के लिए जिन मापदंडों को अपनाया गया है या जिस रिपोर्ट के आधार पर बनाए गए है, उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रदान करे।**

   अधिकार क्षेत्रीय भ्रम की समस्या को भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय की डीरगुलेशन सेल द्वारा डी.ओ. पत्र संख्या 5/7/2025-Deregulation दिनांक **22 जुलाई 2025** (जिसे माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव द्वारा अग्रेषित किया गया) के माध्यम से चिह्नित किया गया था। इन निर्देशों के अनुपालन में, दिल्ली सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग (एआरडी) ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के समन्वय से विस्तृत

व्यवहार्यता अध्ययन कराया। उक्त अध्ययन में विधानसभा क्षेत्रों को उपयुक्त रूप से उप-मंडलों में पुनर्गठित करने की सिफारिश की गई तथा नगरपालिका वार्डों को उनकी प्रशासन की मूलभूत इकाई बनाने पर बल दिया गया (राजस्व गांवों के स्थान पर) तथा शहरी नियोजन, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक-केन्द्रित शासन हेतु एकीकृत प्रशासनिक इकाइयों पर जोर दिया गया। उपरोक्त उल्लिखित व्यवहार्यता अध्ययन तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की फाइल (जो राजस्व विभाग में दिनांक 10.09.2025 को प्राप्त हुई) के अनुसार, नियमानुसार एवं उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनर्गठन कार्य किया गया है। मुख्य मापदंड हैं - राजस्व सीमाओं को MCD के 12 जोनों, NDMC एवं छावनी क्षेत्र से पूर्णतः सह-अंतिम बनाना, प्रशासनिक कार्यभार का संतुलन, क्षेत्रीय विकास की आवश्यकताएं, दीर्घकालिक jurisdictional अस्पष्टता का समाधान तथा नागरिक सेवाओं में देरी को समाप्त करना। पूर्व में राजस्व जिलों एवं MCD जोनों की सीमाओं में असंगति के कारण एक ही कॉलोनी राजस्व कार्यों के लिए एक जिले में तथा नगर निगम सेवाओं (जैसे संपत्ति कर, भवन अनुमोदन) के लिए दूसरे जोन में पड़ती थी, जिससे नागरिकों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, शिकायत निवारण में देरी होती थी एवं आपदा प्रबंधन प्रभावित होता था। MCD जोनों, NDMC एवं छावनी क्षेत्र को आधार बनाने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि MCD जोन शहरी प्रशासन एवं दैनिक नागरिक सेवाओं (स्वच्छता, कर संग्रहण, भवन नियमन आदि) के लिए अधिक प्रासंगिक हैं तथा इनकी सीमाओं से सह-अंतिम बनाने से प्रभावी निगरानी, बेहतर समन्वय एवं Ease of Doing Business में सुधार होता है। यह पुनर्गठन उक्त IT विभाग समिति की अनुरोध तथा कैबिनेट सचिवालय की डीरगुलेशन सेल की सिफारिशों (डी.ओ. दिनांक 22.07.2025, जिसमें MCD जोनों एवं NDMC के साथ राजस्व जिलों की सीमाओं को सह-अंतिम बनाने तथा नगरपालिका एवं राजस्व प्रशासन के वास्तविक विलय की सिफारिश की गई थी) पर आधारित है।

उपरोक्त उत्तर की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गई है।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

तारांकित प्रश्न संख्या :- 18
दिनांक :- 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री शिखा रॉय , विधायक

क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क्र.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि विधानसभा क्षेत्र एसी 51 के अंतर्गत पड़ने वाले रविदास मार्ग, कालकाजी की 32 फुट गहरी सीवरलाइन की गाद के कारण एबी ब्लॉक जनता फ्लैट्स और सीडी ब्लॉक स्लम फ्लैट्स के निवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;	यह सत्य है कि विधानसभा क्षेत्र एसी 51 के अंतर्गत पड़ने वाले रविदास मार्ग, कालकाजी की 32 फुट गहरी सीवरलाइन में गाद है। सीवर लाइन में गाद होने के कारण ए बी ब्लॉक DDA फलटेस और स्लम फलटेस के सभी निवासी प्रभावित है और उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
ख)	क्या सरकार की इस 32 फुट गहरी सीवरलाइन से गाद हटाने की कोई योजना है;	हाँ, सरकार की 32 फुट गहरी सीवर लाइन से गाद हटाने की योजना है।
ग)	यदि हां, तो क्या इसके लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं; और	हाँ, इसके लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं। मेन सीवर लाइन रविदास मार्ग पर, 2 जनवरी 2026 से recycler लगा दी गयी है। एजेंसी को 20 दिन के अंदर सीवर की सफाई के लिए अनुसूची दे दी गयी है।
(घ)	यदि नही तो क्यों?	

तारांकित प्रश्न संख्या:- 19

दिनाँक:-06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री चंदन कुमार चौधरी जी

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क</td><td>क्या यह सत्य है कि संगम विहार विधानसभा, जिसकी अनुमानित आबादी लगभग 10 लाख है, में वर्तमान में एक भी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (Senior Secondary School) उलपब्ध नहीं है;</td><td>नहीं, यह सत्य नहीं है। संगम विहार विधानसभा क्षेत्र में, संगम विहार, तुगलकाबाद एक्सटेंशन और लाल कुआं क्षेत्र आते हैं, जहां वर्तमान में वरिष्ठ माध्यमिक सरकारी विद्यालयों की सूची है:-
<table>
<tr><th>S.No.</th><th>School ID</th><th>District</th><th>School Name & Address</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>1925048</td><td>South East</td><td>Tughlakabda Extn.-GGSS</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>1925061</td><td>South East</td><td>CM Shri School, Tughlakabad Extn.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>1925249</td><td>South East</td><td>Tuglakabad Extn.-GBSSS No.3</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>1925056</td><td>South East</td><td>Tughlakabad Extn. SBV</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>1925250</td><td>South East</td><td>Tughlakabad Extn.-GGSSS no.2</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ख</td><td>यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;</td><td>लागू नहीं होता।</td></tr>
<tr><td>ग</td><td>क्षेत्र के छात्रों को कक्षा 12वीं तक की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;</td><td>प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा विभाग नए स्कूलों के निर्माण और उच्च स्टूडेंट-क्लासरूम अनुपात (एस.सी.आर.) वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता और व्यवहार्यता अध्ययन और डिजिटल प्रोफाइलिंग की प्रक्रिया में है।</td></tr>
<tr><td>घ</td><td>क्या सरकार का संगम विहार विधानसभा क्षेत्र में</td><td>प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा विभाग के नए स्कूलों के निर्माण और उच्च स्टूडेंट-क्लासरूम अनुपात (एस.सी.आर.) वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण के लिए</td></tr>
</table>

	नवीन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और	भूमि की उपलब्धता और व्यवहार्यता अध्ययन और डिजिटल प्रोफाइलिंग की प्रक्रिया में है।
ङ़	यदि हां, तो उसकी समय-सीमा क्या है?	प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा विभाग के नए स्कूलों के निर्माण और उच्च स्टूडेंट-क्लासरूम अनुपात (एस.सी.आर.) वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता और व्यवहार्यता अध्ययन और डिजिटल प्रोफाइलिंग की प्रक्रिया में है।

तारांकित प्रश्न संख्या:- 20

दिनाँक:-06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री जरनैल सिंह जी

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्र.सं.	**प्रश्न**	**उत्तर**
क	EWS श्रेणी के छात्रों के निजी विद्यालयों में दाखिले से संबंधित सरकार की वर्तमान नीति क्या है, उक्त नीति का विस्तृत विवरण दिया जाए;	आरटीई अधिनियम, 2009 और शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 07.01.2011 को जारी अधिसूचना के अनुसार कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में पच्चीस प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं और उन्हें प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2011 से इसी नीति का पालन किया जा रहा है। (सत्र 2025-26 का परिपत्र **"संलग्नक-क"** के रूप में संलग्न है।
ख	EWS श्रेणी के छात्रों को सरकार द्वारा कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, इन सुविधाओं का विस्तृत विवरण दिया जाए;	निजी गैर-सहायता मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस, पुस्तकें, लेखन सामग्री व वर्दी इत्यादि दी जाती है।

<table>
<tr><td>ग</td><td>वर्तमान तिथि में दिल्ली के प्रत्येक निजी विद्यालय EWS श्रेणी में कुल सीटें उपलब्ध हैं तथा पिछले दो वर्षों में प्रति वर्ष कितनी EWS सीटें रिक्त रह गई, इसका विद्यालय-वार विवरण दिया जाए;</td><td>शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में 28799 सीटें उपलब्ध थीं जिनमें से 2602 सीटें रिक्त रहीं और शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में 33212 सीटें उपलब्ध थीं जिनमें से 3506 सीटें रिक्त रहीं। गैर-अनुरूप क्षेत्रों में पात्र निजी गैर-अनुदानित विद्यालयों को मान्यता प्रदान किए जाने की नीति को 89वर्तमान सरकार द्वारा क्रियान्वित करने से शैक्षणिक सत्र 2026-27 में ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

विद्यालयवार विस्तृत जानकारी एकत्रित की जा रही है, प्राप्त होने के उपरांत उपलब्ध करा दी जाएगी</td></tr>
<tr><td>घ</td><td>पिछले दो वर्षों में शिक्षा विभाग EWS श्रेणी में कुल कितने बच्चों के लिए ड्रॉ निकाले गए, ड्रॉ के अनुसार कितने बच्चों का दाखिला हुआ तथा कितने बच्चों का दाखिला नहीं हो पाया, इसका वर्ष-वार विवरण दिया जाए;</td><td><table><tr><th>शैक्षणिक वर्ष</th><th>आवंटित पंजीकरण आईडी की संख्या</th><th>प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या</th><th>प्रवेश न पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या</th></tr><tr><td>2024-25</td><td>28799</td><td>26197</td><td>2602</td></tr><tr><td>2025-26</td><td>33212</td><td>29706</td><td>3506</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>ड़</td><td>ड्रॉ के अनुसार दाखिला न होने के क्या-क्या कारण रहे, इसका जोन-वार एवं विद्यालय-वार विस्तृत विवरण दिया जाए;</td><td>जोन वार व विद्यालयवार विस्तृत जानकारी एकत्रित की जा रही है, प्राप्त होने के उपरांत उपलब्ध करा दी जाएगी
दाखिला न होने के कारण इस प्रकार है:-
1. माता-पिता द्वारा लंबी दूरी के कारण प्रवेश अस्वीकार कर दिया गया।
2. माता-पिता अपने बच्चे के पहले से ही किसी अन्य स्कूल में पढ़ने के कारण प्रवेश में रूचि नहीं रखते।
3. किसी अन्य स्कूल में प्रवेश ले चुके हैं।
4. माता-पिता द्वारा दस्तावेज जमा नहीं किए गए हैं।
5. वैध ओबीसी प्रमाण पत्र और एनसीएल जमा नहीं किए गए हैं।
6. क्षेत्रीय स्तर पर दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं।
7. पिता का नाम और जाति प्रमाण पत्र मेल नहीं खाता है।
8. उन्होंने पहले प्रवेश लिया लेकिन बाद में घर से लंबी दूरी के कारण वापस ले लिया।</td></tr>
<tr><td>च</td><td>ड्रॉ के अनुसार दाखिला न मिलने को लेकर शिक्षा विभाग को पिछले दो वर्षों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उन शिकायतों पर विभाग</td><td>शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में प्रवेश न मिलने के कारण 553 शिकायतें प्राप्त हुईं। इस शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में सरकार द्वारा प्रवेश प्रक्रिया में सुधार तथा शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को दुरूस्त किए जाने के कारण शिकायतों की संख्या घटकर कल 331 रह गई है।</td></tr>
</table>

	द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई, इसका विस्तृत विवरण दिया जाए;	इस वर्ष केवल एक शिकायत लंबित है बाकी 267 शिकायतों का निवारण कर दिया गया है तथा 63 शिकायत दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
छ	पिछले दो वर्षों में EWS श्रेणी के कितने छात्रों को परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने के कारण विद्यालय से निकाला गया, इसका वर्ष-वार एवं विद्यालय-वार विवरण दिया जाए; और	पिछले दो वर्ष में ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 37 छात्रों को परीक्षा में फेल होने के कारण प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में स्थानंतरित किया गया विद्यालयवार विस्तृत जानकारी **''संलग्नक-ख''** के रूप में संलग्न है।
ज	पिछले दो वर्षों में शिक्षा विभाग द्वारा EWS श्रेणी के छात्रों को प्रदान की गई नि:शुल्क यूनिफॉर्म एवं नि:शुल्क पुस्तकों का विस्तृत विवरण दिय जाए तथा यह भी बताया जाए कि विभाग किस प्रकार यह सुनिश्चित करता है कि यह सुविधा सभी पात्र EWS छात्रों को पूर्ण रूप से प्राप्त हो?	इस संबंध में डेटा प्राप्त करने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है व संबंधित डेटा उपलब्ध होने के उपरांत, उचित जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। प्रत्येक छात्र को उपलब्ध सुविधाओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग के नामित प्रतिनिधि द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 01

दिनांक :- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री हरीश खुराना, विधायक

क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क.	प्रश्न	उत्तर
क)	मोतीनगर क्षेत्र में वर्ष 2015 से अभी तक वित्तवर्ष वार जल आपूर्ति का विवरण (एमजीडी में) प्रदान करें, जिसमें स्रोत के अनुसार (उदाहरणार्थ दिल्लीजलबोर्ड जल शोधन संयंत्र, ट्यूबवेल, टेंकर आपूर्ति, आदि) के त्रैमासिक/मासिक आंकड़ों का संपूर्ण विवरण;	मोती नगर क्षेत्र में वित वर्ष 2015-16 से 2025-26 (31.12.2025 तक) तक जल आपूर्ति का मासिक विवरण (एमजीडी में), जिसके स्त्रोत (ट्यूवैल, पंजाबी बाग बीपीएस और किर्ति नगर बीपीएस) है, परिशिष्ट A में संलग्न है।
ख)	उक्त अवधि के लिए सभी संबंधित ऑफिसियल दस्तावेजों की प्रतियां, रिपोर्टें व डिजिटल डेटा फाइलें, जिनमें मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति (एमजीडी में) दर्शाई गई हो;	उक्त अवधि के लिए सभी सम्बंधित आफिसियल दस्तावेजो (लोग सीट) कि प्रतियों व रिपोर्ट बहुत अधिक मात्रा में है। इस लिए इन सभी दस्तावेजो कि प्रतियाँ माननीय विधायक श्री हरिश खुराना जी से समय लेकर उनके आफिस में भेज दी जाएगी
ग)	विधानसभा क्षेत्रों अथवा विशिष्ट क्षेत्रों में दिल्ली जलबोर्ड अथवा रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार द्वारा जल आपूर्ति की की नीति अथवा पद्धति को दर्शाने वाले दस्तावेज की प्रतिलिपि दें?	दिल्ली में पानी की सप्लाई की प्लानिंग और ऑपरेशन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, अंडरग्राउंड रिज़र्वेयर और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों के कमांड एरिया के आधार पर सीपीएचईईओ मैनुअल के नियमों और टेक्निकल/हाइड्रोलिक बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 02
दिनांक :- 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री सहीराम, विधायक
क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के वास्तिवक आवश्यकता में काफी कम पानी की आपूर्ति होने के कारण काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण वहां के निवासियों को टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है,	यह पूरी तरह सत्य नहीं है। पानी की उपलब्धता मॉग की तुलना में कम है परंतु ट्यूबवैल तथा वाटर टैंकरों से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
ख)	यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि संबंधित माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री तथा दिल्ली जल बोर्ड के इस संबंध में अवगत कराने के बावजूद अभी तक इस समस्या को कोई ठोस समाधान नहीं निकाला जा सकता है, और	दिल्ली में कच्चे पानी की उपलब्धता पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है, दिल्ली जल बोर्ड पानी की उपलब्धता बढाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
ग)	यदि हां, तो इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु पानी की आपूर्ति बढ़ाने, अंडरग्राउंड रिजरवायर निर्माण इत्यादि हेतु सरकार की क्या कार्ययोजना है, पूर्ण विवरण दें ?	समस्या के स्थाई समाधान के लिए हिमाचल प्रदेश में तीन बाँध बनाने का कार्य प्रगति पर है। इन बाँधों के कार्य पूरे होने पर दिल्ली में पानी की आपूर्ति में समुचित वृद्धि होने का पूर्ण अनुमान है।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 03
दिनांक :- 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री जरनैल सिंह, विधायक
क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	दिल्ली में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पानी की मासिक खपत कितनी है तथा इसका पिछले दो वर्षों का विधानसभावार एवं माहवार विवरण दिया जाए;	राजौरी गार्डन, हरी नगर, तिलक नगर, जनकपुरी, उत्तम नगर एवं द्वारका विधानसभाओं की मासिक तथा दो वर्षों की पानी की खपत का विवरण अनुलग्नक ए के अनुसार है

(ख)	दिल्ली में पानी की आपूर्ति किन-किन जल स्रोतों से की जाती है, इसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए;	दिल्ली में पानी की आपूर्ति जल उपचार संयंत्रों और नलकूपों द्वारा की जाती है।
(ग)	वर्ष 2026 की गर्मियों के दौरान दिल्ली में पानी की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा क्या समर एक्शन प्लान (ग्रीष्मकालीन कार्य योजना) तैयार की गई है, विस्तृत विवरण दिया जाए; और	समर एक्शन प्लान (ग्रीष्म कार्य योजना) तैयार की जा रही है।
(घ)	दिल्ली में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत कितने जूनियर इंजीनियर (JE), ज़ोनल इंजीनियर (ZE) एवं एक्ज़िक्यूटिव इंजीनियर (EE) तैनात हैं, इसका विधानसभावार विस्तृत विवरण दिया जाए?	दिल्ली जल बोर्ड में कार्य व्यवस्था के अनुसार एक् इग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर (EE) को सामान्युतः दो विधानसभा क्षेत्रों का कार्यभार सौंपा गया है। इस प्रकार दिल्ली की कुल 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए दिल्ली जल बोर्ड में वर्तमान में 34 इग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर (EE) तैनात हैं। विधान सभा क्षेत्र नई दिल्ली एवं दिल्ली कैंट में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल आपूर्ति का कार्य नहीं किया जाता है। दिल्ली जल बोर्ड प्रशासन द्वारा जूनियर इंजीनियर (JE) एवं ज़ोनल इंजीनियर (ZE/AE) की पदस्थापना संबंधित इग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर (EE) के अधीन की जाती है। संबंधित इग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा विधानसभा क्षेत्र की आवश्यकता, कार्य की प्रकृति एवं प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए JE एवं AE को कार्यभार आवंटित किया जाता है। जूनियर इंजीनियर (JE) एवं ज़ोनल इंजीनियर (ZE) की संख्या का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 04

दिनांक :- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री अनिल झा, विधायक

क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या सरकार को यह जानकारी है कि किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के कई वार्डों/कॉलोनियों में पिछले कई वर्षों से गंभीर पेयजल संकट बना हुआ है तथा क्षेत्र की पाइपलाइन नेटवर्क अत्यंत पुरानी और जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण बार-बार लीकेज, दूषित पानी की आपूर्ति एवं भारी जल अपव्यय हो रहा है? यदि हाँ, तो ऐसे प्रभावित वार्डों/कॉलोनियों का विवरण क्या है;	किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में पानी की उपलब्धता के अनुसार नियमत अंतराल पर पानी दिया जाता है। किराड़ी क्षेत्र में पुरानी, गहरी व पानी की लाईनों को, जिन क्षेत्रों में बार-बार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहाँ प्राथमिकता के आधार पर पेयजल लाइनों को चरणबद्ध रूप से बदला जा रहा है। यह कार्य उपलब्ध बजट, तकनीकी स्वीकृति एवं आवश्यकता के अनुसार निरंतर जारी रहेगा। प्रभावित कालोनियों जैसे रूप विहार, किशन विहार, प्रताप विहार, 1,2 व 3, व विनय एन्क्लेव मै कुछ छतिग्रस्त लाइनों को बदला जा रहा है एवं कुछ कॉलोनियां जैसे जनता एन्क्लेव, कैलाश विहार, इन्दर एन्क्लेव फेस-1 व 2. वाई ब्लॉक प्रेमनगर-2, हिन्द विहार इत्यादि मे बदलने का प्रस्ताव है।
ख)	क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार किराड़ी विधानसभा क्षेत्र की लगभग 8.50 लाख आबादी के लिए प्रतिदिन लगभग 33 MGD पानी की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में केवल लगभग 8 MGD पानी की आपूर्ति की जा रही है? यदि हाँ, तो इस भारी अंतर के लिए कौन-कौन से कारण उत्तरदायी हैं;	किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार क्षेत्र की लगभग 6.50 लाख आवादी के लिए लगभग 8. 50 एम.जी.डी. पानी आवांटित किया जा रहा है। आवांटित किए गए पेयजल को सभी कालोनियों में हर तीसरे दिन पानी दिया जाता है। प्रतिदिन सभी कालोनियों में पानी की सप्लाई हेतु लगभग 33एम.जी.डी. पानी की आवश्यकता है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी की आपूर्ति बढाने हेतु प्रयास किए जा रहे है।
ग)	क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि क्षेत्र में पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु नए अंडरग्राउंड रिज़र्वायर (UGR) का निर्माण अत्यंत आवश्यक है, किंतु अब तक इसके लिए भूमि की पहचान/आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;	किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक नए 2.13 mg क्षमता यू.जी.आर. बनवाने हेतु 6000 वर्ग मीटर भूमि की पहचान बलजीत विहार कालोनी के पास की गई थी जिसे आवंटित करने में डी.डी.ए ने असमर्थथता जताई है। वैकल्पिक भूमि के आवंटन हेतु DDA को पुनः निवेदन किया जा रहा है । भूमि आवंटन के पश्चात् UGR के निर्माण की प्रकिर्या शुरू हो पायेगी ।
(घ)	सरकार द्वारा नए UGR के निर्माण हेतु भूमि की पहचान एवं आवंटन कब तक किया जाएगा तथा निर्माण कार्य प्रारंभ करने की समय-सीमा क्या निर्धारित की गई है; और	ऊपरोक्त
(ङ)	इस संपूर्ण प्रक्रिया (भूमि आवंटन, निर्माण एवं जल आपूर्ति बढ़ाने) के लिए कौन-कौन से विभाग एवं	भूमि का आवंटन डी.डी.ए के द्वारा किया जाना है।

	अधिकारी उत्तरदायी/जिम्मेदार हैं, तथा यदि निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं होता है तो उनके विरुद्ध क्या जवाबदेही तय की जाएगी?	

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 05
दिनांक :- 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री राम सिंह नेताजी, विधायक
क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग पीने के पानी का UGR बनांये जाने का कोई प्रस्ताव दिल्ली सरकार द्वारा तैयार किया गया है;	वर्तमान में बदरपुर विधान सभा में लगभग 6.00 MGD फिल्टर पानी की आपूर्ति अपोलो भूमिगत जलाशय एवं पंपिंग स्टेशन द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त 343 टयूबवेल द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है। बदरपुर विधानसभा के लिए किसी अन्य भूमिगत जलाशय का प्रस्ताव अतिरिक्त फिल्टर पानी की उपलब्धता न होने के कारण प्रस्तावित नहीं है।
ख)	क्या दिल्ली जल बोर्ड इस प्रस्ताव पर कार्य कर रहा है; और	नहीं
ग)	यही हाँ, तो यह कार्य कब तक आरम्भ करने की योजना है ?	उपरोक्तानुसार

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 06
दिनांक :- 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री करनैल सिंह, विधायक
क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क.	प्रश्न	उत्तर
क)	शकुरबस्ती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कॉलोनियों में डाले गये सीवर एवं पीने के पानी	शकूरबस्ती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न्न कालोनियों में कई स्थानों पर डाली गई सीवर एवं

	की लाईन कितनी साल पुरानी है;	पीने के पानी की लाईन लगभग 30 से 45 वर्ष पुरानी है ।
ख)	इनमें से कहाँ—कहाँ की सीवर एवं पीने के पानी की लाईन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त यानि जर्जर हालत में हो गये है, जिसे अविलम्ब बदलने की जरूरत है; और	शकूरबस्ती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कालोनियों जैसेः- रिषी नगर, रानी बाग, सैनिक विहार, संत नगर, वैस्ट इंक्लेव, तरूण इंक्लेव, सरस्वती विहार, पुष्पांजली इंक्लेव, मुल्तानी मौहल्ला, और A-3, A-4 ब्लाक पश्चिम विहार, स्टेट बैंक नगर पश्चिम विहार, पश्चिम पुरी, मंगोल पुरी इंडस्टिरियल एरिया फेज-2 इत्यादि में कई स्थानों पर सीवर एवं पानी की लाईनें जर्जर हालत में है जिन्हें आवश्कतानुसार बदला जा रहा है।
ग)	इन जर्जर सीवर एवं पानी की लाईन को कब तक नई सीवर लाईन एवं पानी की लाईन से बदली जायेगी?	इन जर्जर सीवर एवं पानी की लाईनों को चरणबद तरीके / क्रमिक रूप से संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अवसक्तानुसार अगले विगत वर्षों में बदला जाएगा ।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 07
दिनांक :- 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री अजय महावर, विधायक
क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क.	प्रश्न	उत्तर
क)	घोंडा विधानसभा क्षेत्र में यमुना खादर से होकर गुजरने वाली पीने के पानी की मुख्य लाइन, जो सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP) से आती है, के रख-रखाव (मरम्मत, पेंटिंग आदि) का कार्य अंतिम बार कब कराया गया;	यमुना खादर में उक्त लाइनों का रख रखाव कार्य आवश्यकतानुसार नियमित रूप से किया जाता - है। हा लांकि, विभाग द्वारा कोई भी पेंटिंग का - काम नहीं किया गया है।

ख)	क्या यह सत्य है कि वर्तमान में उक्त लाइन की स्थिति संतोषजनक नहीं है;	वर्तमान में उक्त लाइन की स्थिति संतोषजनक है।
ग)	इस लाइन की मरम्मत एवं पेंटिंग का कार्य कब तक कराया जाएगा;	उक्त लाइन पर पेंटिंग का काम अगले वित्तीय वर्ष में बजट की उपलब्धता के अधीन विचाराधीन है।
(घ)	दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी के मीटरों की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु अंतिम बार टेंडर कब जारी/स्वीकृत किया गया था;	दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अंतिम बार 15/03/2024 में टेंडर किया गया था ।
(ङ)	जिन उपभोक्ताओं के यहाँ अब तक पानी के मीटर स्थापित नहीं हुए हैं, उनके मीटर कब तक लगाए जाएंगे तथा भविष्य में मीटरों की स्थापना हेतु नए टेंडर की प्रक्रिया क्या है;	आदेश के अनुसार - फा। No.234/DJB/2024/11394 to 11607 dated 31/10/25 उपभोक्ता अपना जल मीटर स्वयं स्थापित करेंगे।
(च)	यदि किसी उपभोक्ता का पानी का मीटर खराब (Defective) हो जाता है, तो दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उपभोक्ता का पानी का बिल किस आधार/मानक (Billing Basis) पर तैयार किया जाता है;	यदि किसी उपभोक्ता का पानी का मीटर खराब (Defective) हो जाता है तो नियमानुसार बिलिंग पिछले एक साल की वास्तविक औसत भोग या असेस्ट उपभोग या 25 केएल / महीना जो भी ज्यादा हो के अनुसार दी जाती है।
(छ)	कई मामलों में औसत (Average) के आधार पर एकमुश्त बिल जारी करने से उपभोक्ताओं को होने वाली भारी असुविधा की स्थिति में जवाबदेही किस अधिकारी/विभाग की तय की जाती है, पूर्ण विवरण दें;	बिल वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर ही - दिया जाता है। यदि किसी कारणवश वास्तविक रीडिंग उपलब्ध नहीं हो पाती है जैसे कि unmetered कनेक्शन, मीटर लॉक, हाउस लॉक, अनुमति न देना आदि, तो नियमानुसार बिलिंग पिछले एक साल की वास्तविक औसत भोग या assessed उपभोग या 25 Kl/pm जो भी ज्यादा हो के अनुसार दी जाती है।
(ज)	दिल्ली जल बोर्ड की परियोजनाओं के अंतर्गत घोंडा विधानसभा क्षेत्र में चल रहे PS Rising Main (1000 MM एवं 800 MM) के कार्य में अत्यधिक देरी होने के क्या कारण हैं तथा	1. PWD, MCD, DMRC से सड़क काटने की अनुमति न मिलना। 2. GRAP-III/IV लागू होने के कारण निर्माण गतिविधियों पर रोक।

	यह कार्य कब तक पूर्ण किए जाने की संभावना है; और	यह कार्य 31/03/2026 तक पूर्ण किए जाने की संभावना है।
(झ)	घोंडा विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने किलोमीटर पीने के पानी की लाइनें एवं सीवर लाइनें बिछी हुई हैं, इनमें से कितनी लाइनें किस व्यास (MM में) की हैं, इनमें से कितनी लाइनें पूर्णतः ठीक स्थिति में हैं और कितनी खराब/जर्जर अवस्था में हैं, जर्जर लाइनों की मरम्मत अथवा प्रतिस्थापन कब तक किया जाएगा–पूर्ण जानकारी दें ?	घोंडा विधानसभा क्षेत्र में कुल 175 किलोमीटर पानी एवंम 161 किलोमीटर सीवर की लाइन है जिसमे 900 MM dia से अधिक 2.2, किलोमीटर 450 से 900 MM की 7.2 किलोमीटर और 250 से 400 MMकी 151.6 किलोमीटर सीवर की लाइन है । और पानी की लाइन 100 MM से 200 MM dia की 164.6 कि०मी० तथा 250 से 900 MM तक 10.4 कि.मी. है। इनमे पानी की लाईन 100 mm से 200 mm dia की 6 किलो मीटर क्षतिग्रस्त/जर्जर है और बाकि 169 किलो मीटर ठीक है । और सीवर की लाईन 250 से 450 mm dia की 8 किलो मीटर जर्जर है । बाकि 153 किलो मीटर ठीक है इन्हें 31 मार्च 2027 तक मरम्मत एवम नई लाईन द्वारा बदला जायेगा

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 08
दिनांक :- 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री हरीश खुराना, विधायक
क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क.	प्रश्न	उत्तर
क)	वर्ष 2015 के बाद से वेस्ट दिल्ली ट्रंक सीवर लाइन पर किए गए डीसिल्टिंग कार्य का वर्षवार विवरण - एक मैनहोल से दूसरे मैनहोल तक स्थान की सटीक जानकारी सहित जिसमें कुल डीसिल्टिंग कार्य की लंबाई मीटरों में, कार्य के आरंभ व समाप्ति की तिथि का उल्लेख हो;	कार्यकारी अभियंता (सिविल)-24 के अंतर्गत तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में 2015 से Nov 2025 तक इस लाइन पर कोई डिसिल्टिंग का कार्य इस डिवीज़न में नहीं हुआ है।
ख)	वेस्ट दिल्ली ट्रंकलाइन से निकाले गए सिल्ट (गाद) की वर्षवार कुल मात्रा (मीट्रिक टन में);	इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है।

ग)	वर्ष 2015 के बाद से उक्त डीसिल्टिंग कार्यों से संबंधित कार्यादेशों, निविदाओं व अनुबंधों की वर्षवार प्रतियां;	इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है।
(घ)	जिन ठेकेदारों/एजेंसियों को यह डीसिल्टिंग का कार्य दिया गया, उनके नाम, पैन/जीएसटी व अन्य विवरण जिसमें वर्षवार किए गए कार्य का व्यौरा, निविदा राशि, भुगतान की गई वास्तविक राशि व यदि कोई लंबित राशि है तो उसका विवरण;	इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है।
(ङ)	प्रत्येक डीसिल्टिंग कार्य के लिए दिल्ली जलबोर्ड के इंजीनियरों द्वारा तैयार इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, समापन प्रमाणपत्र व गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट की प्रतियां;	इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है।
(च)	क्या डीसिल्टिंग के कार्य प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, जीपीएस ट्रैकिंग अथवा अन्य कोई डिजिटल प्रमाण आज्ञापित (mandated) किया गया था;	इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है।
(छ)	यदि हां, तो उनकी प्रतियां दें या उनका अभिगम (access details) कराएं;	इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है।
(ज)	जहां यह निकाली गई गाद डाली गई, ऐसे अधिकृत डंपिंग स्थलों का व विवरण व गाद के परिवहन रिकॉर्ड दें;	इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है।
(झ)	वेस्ट दिल्ली ट्रंक सीवर लाइन के संबंध में वर्ष 2015 से सीवरचोक होने, ओवरफ्लो होने या बैकफ्लो आदि के संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों का विवरण ज़ोन/वार्ड/विधानसभाक्षेत्र के अनुसार दें;	वेस्ट दिल्ली ट्रंक सीवर लाइन चोक होने, ओवरफ्लो होने या बैकफ्लो आदि के संबंध में वर्ष 2015 से तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र मे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।
ञ)	पश्चिम दिल्ली में सीवर के डीसिल्टिंग कार्य के संबंध में किए गए आंतरिक ऑडिट, सीएजी	इस प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है।

	निष्कर्षों, सतर्कता जांचों व विभागीय पुनरीक्षणों की प्रतियां दें;	
ट)	दिल्ली जलबोर्ड के पास उपलब्ध अद्यतन स्टेटस रिपोर्ट/वास्तविक स्थिति क्या है;	वेस्ट दिल्ली ट्रंक सीवर लाइन लगभग 50%-60% सिल्टेड है और डिसिल्टिंग का कार्य राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र मे शुरू किया गया है।
ठ)	वेस्ट दिल्ली ट्रंक सीवर लाइन पर डीसिल्टिंग कार्य के निरीक्षण व प्रमाणीकरण हेतु उत्तरदायी अधिकारी/अधिकारियों के नाम व पदनाम एवं कार्य की वर्तमान स्थिति बताएं, और	इस कार्य में अभिषेक शर्मा (अवर अभियंता), प्रेमनाथ मिश्रा (सहायक अभियंता) और संजीव वशिष्ट (अधिशाषी अभियंता) (C)-23 है। केशोपुर से कुकरेजा हॉस्पिटल तक का डिसिल्टिंग का कार्य शुरू किया गया है।
ड)	यह डीसिल्टिंग कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?	31 मई 2026 तक।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 09

दिनांक :- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री मनोज कुमार शोकीन, विधायक

क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड को नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनियों में सीवर जाम, ओवरफ्लो एवं गंदे पानी के सड़कों पर फैलने संबंधी लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं;	नांगलोई विधानसभा की अनाधिकृत कॉलोनियों में बरसाती नालियों के बंद रहने के कारण सारा कूड़ा कर्कट सीवर लाइन में चला जाता है। जिसके कारण सीवर जाम या ओवरफ्लो की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिसकी शिकायत हमें समय-समय पर प्राप्त होती रहती है तथा जिसका निवारण साथ की साथ कर दिया जाता है।

ख)	यदि हाँ, तो विगत एक वर्ष में इस संबंध में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उनमें से कितनी शिकायतों का निस्तारण किया गया है;	विगत एक वर्ष में इस सम्भन्ध में कुल 15672 शिकायते प्राप्त हुई है तथा उनमे से सभी (15672) शिकायतों का निस्तारण किया गया।
ग)	जिन क्षेत्रों में बार-बार सीवर जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, वहाँ सीवर लाइनों की सफाई, मरम्मत एवं उन्नयन के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अब तक क्या ठोस कार्रवाई की गई है;	सीवर लाइनों की सफाई का कार्य निरंतर किया जा रहा है तथा भविष्य में Recycler Machine द्वारा भी सीवर लाइनों की सफाई की जाएगी। एवं क्षतिग्रस्त, पुरानी अथवा छोटी साइज की सीवर लाईनो को बदलने का कार्य क्रमबद्ध तरीके से किया जा रहा है।
(घ)	नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्र में सीवर व्यवस्था के स्थायी समाधान हेतु क्या कोई विशेष योजना/परियोजना प्रस्तावित या स्वीकृत है; और	नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्र में सीवर व्यवस्था के स्थाई समाधान हेतु ट्रंक सीवर, पेरीफेरल सीवर तथा ब्रांच सीवर लाईनो की सफाई का कार्य क्रमबद्ध तरीके से विभन्न तरह की मशीनो द्वारा किया जा रहा है।
(ङ)	यदि हाँ, तो उसकी समय-सीमा क्या है?	यह कार्य अप्रैल-2026 महीने तक पूरा कर दिया जायेगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 10

दिनांक :- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री संदीप शेरावत, विधायक

क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ.क.	प्रश्न	उत्तर
क)	मटियाला विधानसभा क्षेत्र में UGR/WTP से जल आपूर्ति आवश्यकता से कम होने के कारण इस सम्बन्ध में सुधार कदम एवं ग्रामीण डीप बोरवेलों को UGR से जोड़ने/क्षमता वृद्धि योजना का विवरण क्या है;	मटियाला विधानसभा क्षेत्र में जल आपूर्ति के सुधार हेतू 30 नए ट्यूबवेल एवं 19 रिबोरिंग के काम किये जायेंगे। जिससे लगभग 0.45 MGD पानी की वृद्धि होगी।

ख)	पिछले 5 वर्षों में जल आपूर्ति/सीवर सुधार हेतु DJB द्वारा किए गये प्रमुख कार्यों का वर्षवार विवरण तथा नई सीवर लाइन (किमी) एवं आगामी प्रस्ताव क्या हैं;	पिछले 5 वर्षों में जल आपूर्ति एवं सीवर सुधार हेतू जल बोर्ड द्वारा किये गए कार्यों का विवरण अनुलग्नक 1, 2, 3, 4, 5 में है।
ग)	सैनिक नगर, जैन कॉलोनी, केशवकुंज आदि में गंदे पानी/सीवर ओवरफ्लो शिकायतों (पिछले 6 माह) का निस्तारण स्थिति, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही एवं बिना रीडिंग बिलिंग/पूर्ण सीवर के कनेक्शन के कारण क्या हैं; और	बिल वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर ही दिया जाता है। यदि किसी कारणवश वास्तविक रीडिंग उपलब्ध नहीं हो पाती है जैसे कि unmeterd कनेक्शन, मीटर लॉक, हाउस लॉक, अनुमति न देना आदि, तो नियमानुसार बिलिंग पिछले एक साल की वास्तविक औसत उपभोग या assessed उपभोग या 25 Kl/pm जो भी ज्यादा हो के अनुसार दी जाती है। सैनिक नगर में गंदे पानी की शिकायत के निवारण करने हेतु पुरानी पाइप लाइन बदलने हेतु प्राक्लन तैयार कर लिया गया है एवं जैन कॉलोनी में जहाँ पर भी गन्दा पानी आता है वह पर पानी की आपूर्ति टैंकरों से की जाती है। जल आपूर्ति सुधार हेतु प्राक्लन तैयार किया जा रहा है। सीवर ओवरफ्लो की शिकायतों का निवारण उपलब्ध संसाधनों से कर दिया जाता है एवं क्रमानुसार निगरानी की जाती है। केशव कुंज में वर्तमान में सीवर ओवरफ्लो और गंदे पानी की कोई शिकायत नहीं है। बिलिंग के लिए उक्त क्षेत्र में मीटर रीडर नियुक्त किए गए हैं, जो क्षेत्र में रीडिंग कर रहे हैं और वर्तमान मीटर स्थिति के अनुसार बिल जारी कर रहे हैं।
(घ)	क्षेत्र में कार्यरत/प्रस्तावित UGR संख्या, MGD आपूर्ति, इलेक्ट्रिक विभाग ट्यूबवेल/कर्मचारी विवरण एवं सीवर समस्या के स्थायी समाधान की कार्ययोजना क्या है?	वर्तमान में मटियाला विधानसभा में लगभग 21.95 MGD संशोधित पानी की आपूर्ति 6 प्राथमिक भूमिगत जलाशयों से की जा रही है एवं अभी जल बोर्ड द्वारा कोई जलाशय (UGR) प्रस्तावित नहीं है। सीवर की समस्या के समाधान हेतु 3 प्रमुख कार्य किये जायेंगे जिनका विवरण अनुलग्नक 6 में है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 11
दिनांक :- 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री कैलाश गंगवाल, विधायक
क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या दिल्ली जल बोर्ड में कर्मचारियों व अधिकारियों की भारी कमी है;	उप निदेशक (वितरण) के कार्यालय द्वारा कार्यान्वित पदों में स्वीकृत और रिक्त पदों का विवरण संलग्न है। अनुलग्नक 'अ'
ख)	बोर्ड द्वारा खाली पड़ें पदों पर एई, जेई की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी;	दिल्ली जल बोर्ड द्वारा विभाग में सहायक अभियंता (सिविल) एवं कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के रिक्त पदों को भरने हेतु विभाग द्वारा दिनांक 21.02.2024 को प्रस्तावना की जा चुकी है एवं जानकारी के अनुसार डी. एस. एस. एस. बी द्वारा इस विषय में अग्रीम प्रक्रिया गतिशील है। इसके अतिरिक्त, यह सूचित किया जाता है कि कनिष्ठ (विधुत एवम् यांत्रिकी) के 50 पदों के लिए टियर-1 की परीक्षा डी.एस.एस.एस.बी द्वारा पूर्ण हो चुकी है अवं परिणाम की घोषणा शेष है। इसके अतिरिक्त, यह सूचित किया जाता है कि कनिष्ठ (विधुत एवम् यांत्रिकी) के अन्य 50 पदों के लिए डी.एस.एस.एस.बी द्वारा अधिसूचना जारी कर दी है।

ग)	क्या यह सत्य है कि सीवरों की सफाई करने के लिए बोर्ड के पास मजदूरों की कमी है;	सीवर की सफाई का कार्य वर्तमान में सीवर मशीनों द्वारा किया जाता है ।
(घ)	यदि हां तो कार्य कौन और कैसे करेगा;	उपरोक्तानुसार
(ङ)	क्या यह सत्य है कि जल बोर्ड में ठेकेदार मजदूरों की तनख्वाह व उनसे जुडे पीएफएसआई फंड समय पर नही दे रहे; और	नहीं, ऐसा कोई भी मामला संज्ञान में नहीं आया है ।
(च)	क्या सरकार की दिल्ली जल बोर्ड के निजीकरण की कोई योजना है?	यह एक नीतिगत मामला है।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 12
दिनांक :- 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री जितेंद्र महाजन, विधायक
क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क.	प्रश्न	उत्तर
क)	सरकार और उसके अंदर आने वाले कार्यालय एवं घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से संबंधित कितने आवेदन दिल्ली जल बोर्ड को दिए गए और सरकार द्वारा इनमें से कितने लोगों को प्रमाण पत्र या परमिशन दी गई;	पिछले दो वर्षों में सरकार और उसके अंदर आने वाले कार्यालय एवं घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से संबंधित 726 आवेदन आर डब्लू एच डिवीजन, दिल्ली जल बोर्ड को दिए गए। और सरकार द्वारा इनमें से 502 लोगों को प्रमाण पत्र दिया गया है।
ख)	पिछले दो वर्षों में सरकार और उसके अंतर्गत आने वाले कार्यालयो में कितने रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अभी तक लगाए	दिल्ली के विभिन्न विभागों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार सरकार और उसके अंतर्गत आने वाले कार्यालयो में 6996 इमारतों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अभी तक लगाए गए हैं । दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत आने वाली इमारतों में 600 रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अभी तक लगाए गए हैं।

<table>
<tr><td></td><td>गए हैं तथा उसके रखरखाव से संबंधित कार्य किस एजेंसी को दिया गया है;</td><td>उनके रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित अनुरक्षण विभाग के अधीन है।</td></tr>
<tr><td>ग)</td><td>पिछले 5 वर्षों में सरकार ने रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए कितना बजट आवंटित किया है तथा उनमें से कितना बजट खर्च हुआ है;</td><td>
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>Fund received (in cr.)</th><th>Fund taken from unspent balance (in cr.)</th><th>खर्च (in cr.)</th></tr>
<tr><td>2021-22</td><td>1.25</td><td>1.25</td><td>2.50</td></tr>
<tr><td>2022-22</td><td>0.60</td><td>12.39</td><td>12.99</td></tr>
<tr><td>2023-24</td><td>4.12</td><td>0.35</td><td>4.47</td></tr>
<tr><td>2024-25</td><td>0.37</td><td>0.00</td><td>0.37</td></tr>
<tr><td>2025-26 (Dec 25)</td><td>1.55</td><td></td><td>1.55</td></tr>
</table>

वर्ष 2025-26 से दिल्ली सरकार द्वारा इसके लिए अलग से कोई बजट निर्धारित नहीं किया गया और न ही अलग से बजट बताया गया है। इसका खर्च GIA Capital Head से ही किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>(घ)</td><td>दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दिल्ली में कितने बोरवेल द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है, क्योंकि वैधानिक तथ्यों के अनुसार दिल्ली का भूजल पीने योग्य नहीं है; और</td><td>रोहताश नगर क्षेत्र में वर्तमान में 11 बोरवेल के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है। यह व्यवस्था मुख्यतः वैकल्पिक/पूरक जल आपूर्ति के रूप में की जाती है, ताकि जल आपूर्ति सुचारु रूप से बनी रहे।</td></tr>
<tr><td>(ङ)</td><td>दिल्ली सरकार द्वारा लोगों को यह दूषित पानी पीने से बचाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं तथा ग्राउंडवाटर रिचार्ज के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?</td><td>दिल्ली सरकार एवं दिल्ली जल बोर्ड द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं कि किसी भी नागरिक को दूषित पानी की आपूर्ति न हो। इसके अंतर्गत जल गुणवत्ता की नियमित जांच, निगरानी एवं आवश्यक सुधारात्मक कार्य किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, ग्राउंडवाटर रिचार्ज को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे भूजल स्तर को संतुलित एवं बेहतर बनाए रखा जा सके।</td></tr>
</table>

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 13

दिनांक :- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री मोहन सिंह बिष्ट, विधायक

क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र (एसी-69) के अन्तर्गत 45 कालोनियों में सीवर निर्माण का कार्य किया गया;	इस डिवीज़न के अन्तर्गत मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र (एसी-69) के 45 कालोनियों में सीवर निर्माण का कार्य किया गया ।
(ख)	क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त कालोनी में जो सीवर लाइन डाले गए वो आधी अधूरी है;	यह सत्य नहीं है।
(ग)	क्या यह भी सत्य है कि सीवर लाइन डालने के पश्चात मुख्य लाइन में कनेक्शन होना अनिवार्य है;	हाँ
(घ)	यदि हां तो जो सीवर लाइन डाली गई उसमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखे जाने और दिल्ली जल बोर्ड को एनओसी प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाने के क्या करण हैं, पूर्ण विवरण दें; और	मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में EE (C)DR-VIII द्वारा वज़ीराबाद ट्रंक सीवर के कमांड पर स्थित 45 कॉलोनी में सीवर लाइन भली भान्ति डाली गयी थी, इन सभी कॉलोनी का आउटफाल का कनेक्शन वज़ीराबाद ट्रंक सीवर में सही रूप से किया गया था तथा कालोनियों की सीवर लाइनों को तब के JE(M)/AE(M)/EE(M) द्वारा पूरी तरह से निरीक्षण के बाद आगे के रखरखाव के लिए संबंधित रखरखाव प्रभाग को 2020 में सौंप दिया गया था।
(ङ)	उपरोक्त समस्याओं का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाएं?	मैनहोलों में सिल्ट/ मलवा है, जिसकी सफाई का कार्य चल रहा है, जो मैनहोल दबे हुए हैं, उनकी मरम्मत का कार्य भी प्रगति पर है तथा ट्रंक

		सीवर एवं पेरिफेरल सीवर लाइनों की सफाई का कार्य भी प्रगति पर है।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 14

दिनांक :- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री मोहन सिंह बिष्ट, विधायक

क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र (एसी-69) के अन्तर्गत अधिकत्तर कालोनियों में विगत वर्षों से पेय जल की गंभीर समस्या रहने के क्या कारण हैं, पूर्ण विवरण दें;	मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अधिकांश कॉलोनियाँ, जैसे शिव विहार (फेज-1 से फेज- 10 तक), कमल विहार, यू-ब्लॉक, ओ एवं पी-ब्लॉक, शिव विहार आदि में जलापूर्ति नवीन भूमिगत जलाशय सोनिया विहार से की जाती है। यह क्षेत्र जल वितरण प्रणाली के अंतिम सिरे (टेल एंड) पर स्थित है तथा अत्यधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। गर्मी में पानी ना आने की समस्या आने पर स्लुईस वाल्व रेगुलेट किये जाते

		हैं, एवं पानी के टैंकरों द्वारा भी पीने के पानी की सप्लाई की जाती है.
(ख)	क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बिना मीटर रीडर के उपभोक्ताओं को लाखों का एवरेज बिल बनाकर भेजा जा रहा है, जबकि पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है; और	दिल्ली जल बोर्ड के नियम के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं के पानी के मीटर नहीं लगे हैं या उनके मीटर खराब चल रहे हैं, उस स्थिति में उपभोक्ताओं को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा (25 यूनिट प्रति माह के हिसाब से) औसत बिल भेजे जाते हैं। जहां तक उपभोक्ताओं के क्षेत्र में पानी की सप्लाई ना होने का प्रश्न है, ऐसे उपभोक्ताओं के आवेदनों को संबंधित अधिशासी अभियन्ता को पानी की उपलब्धता की जांच हेतु भेजा जाता है, और उनकी रिपोर्ट के आधार पर पानी के बिलों का निपटारा किया जाता है।
(ग)	यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, पूर्ण विवरण दें?	उपरोक्तानुसार

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 15
दिनांक :- 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री प्रेम चौहान , विधायक
क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	देवली विधानसभा क्षेत्र को तेहखंड (ओखला) जल शोधन संयंत्र से प्रतिदिन कितना पानी (MGD) उपलब्ध कराया जा रहा है;	देवली विधानसभा क्षेत्र का ओखला जल शोधन संयंत्र से समय से प्रतिदिन लगभग 1 एमजीडी पानी उपलब्ध कराया जाता है।
(ख)	देवली विधानसभा क्षेत्र को ग्रेटर कैलाश क्षेत्र से प्रतिदिन कितना पानी (MGD) उपलब्ध कराया जा रहा है;	लगभग 2.5 एमजीडी।
(ग)	देवली विधानसभा क्षेत्र में पानी के टैंकरों के माध्यम से प्रतिदिन कुल कितना पानी (MGD) सप्लाई किया जा रहा है;	लगभग 0.35 एमजीडी।
(घ)	देवली विधानसभा क्षेत्र में ट्यूबवेलों के माध्यम से प्रतिदिन कुल कितना पानी (MGD) उपलब्ध कराया जा रहा है;	लगभग 2.60 एमजीडी।

(ङ)	देवली विधानसभा क्षेत्र की कुल जल आवश्यकता (डिमांड) प्रतिदिन कितनी है (MGD) तथा वर्तमान में जल आपूर्ति और जल मांग के बीच कितना अंतर/घाटा (शॉर्टफॉल) है (MGD);	लगभग 18 एमजीडी डिमांड एवं जल आपूर्तिऔर जल मांग के बीच लगभग 11 एमजीडी की कमी है।
(च)	देवली विधानसभा क्षेत्र में पानी की सप्लाई पूरी करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कौन-कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं;	देवली विधानसभा क्षेत्र में पानी की सप्लाई में वृद्धि के लिए 24 रीबोर एवं 4 नए बोर किए जाने का प्रावधान है।
(छ)	क्या भविष्य में देवली विधानसभा क्षेत्र में जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए कोई योजना/परियोजना प्रस्तावित या स्वीकृत है; और	हां,
(ज)	यदि हाँ, तो उसका विवरण एवं समय-सीमा क्या है?	दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली के लिए स्वच्छ पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। देवली विधानसभा दक्षिणी दिल्ली में स्थित है। दक्षिणी दिल्ली में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ओखला में एक 6 एमजीडी का जलशोधन संयंत्र 31.07.2026 तक पूर्ण हो जाएगा और छतरपुर क्षेत्र में एक 80 एमजीडी के जलशोधन संयंत्र प्रस्तावित हैं जिस के लिए अभी कोई समय-सीमा सुनिश्चित नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 16

दिनांक :- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री मनोज कुमार शोकीन, विधायक

क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या दिल्ली जल बोर्ड को नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनियों में सीवर जाम, ओवरफ्लो एवं गंदे पानी के सड़कों पर फैलने संबंधी लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं;	नांगलोई विधानसभा की अनाधिकृत कॉलोनियों में बरसाती नालियों के बंद रहने के कारण सारा कूड़ा कर्कट सीवर लाइन में चला जाता है रजिसके कारण सीवर जाम या ओवरफ्लो की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिसकी शिकायत हमें समय-समय पर प्राप्त होती रहती है तथा जिसका निवारण साथ की साथ कर दिया जाता है।

(ख)	यदि हाँ, तो विगत एक वर्ष में इस संबंध में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उनमें से कितनी का निस्तारण किया गया है;	विगत एक वर्ष में इस सम्भन्ध में कुल 15672 शिकायते प्राप्त हुई है तथा उनमे से सभी (15672) शिकायतों का निस्तारण किया गया।
(ग)	जिन क्षेत्रों में बार-बार सीवर जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, वहाँ सीवर लाइनों की सफाई, मरम्मत एवं उन्नयन के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अब तक क्या ठोस कार्रवाई की गई है;	सीवर लाइनों की सफाई का कार्य निरंतर किया जा रहा है तथा भविष्य में Recycler Machine द्वारा भी सीवर लाइनों की सफाई की जाएगी। एवं क्षतिग्रस्त, पुरानी अथवा छोटी साइज की सीवर लाईनो को बदलने का कार्य क्रमबद्ध तरीके से किया जा रहा है।
(घ)	नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्र में सीवर व्यवस्था के स्थायी समाधान हेतु क्या कोई विशेष योजना/परियोजना प्रस्तावित या स्वीकृत है; और	नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्र में सीवर व्यवस्था के स्थाई समाधान हेतु ट्रंक सीवर, पेरीफेरल सीवर तथा ब्रांच सीवर लाईनो की सफाई का कार्य क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न तरह की मशीनो द्वारा किया जा रहा है।
(ङ)	यदि हाँ, तो उसकी समय-सीमा क्या है?	यह कार्य अप्रैल-2026 महीने तक पूरा कर दिया जायेगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 17

दिनांक :- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री राज कुमार भाटिया, विधायक

क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या पेयजल और सीवर शोधन संयंत्रों (STP) के जल उपयोग (Utilization) एवं उपभोग (Consumption) हेतु ऑडिट की आवश्यकता है;	दिल्ली जल बोर्ड (DJB) वर्तमान में 814 एमजीडी की कुल स्थापित क्षमता वाले 37 सीवेज शोधन संयंत्रों (STPs) का संचालन एवं रखरखाव कर रहा है। इनमें से 28 STPs को नवीनतम निर्धारित मानकों के अनुरूप पहले ही उन्नत (अपग्रेड) किया जा चुका है। शेष 9 STPs के उन्नयन एवं क्षमता वृद्धि का प्रस्ताव है ताकि वर्तमान मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, जिसके लिए संबंधित प्रभागों द्वारा निविदाएँ आमंत्रित की गई हैं।
(ख)	यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?	

		दिल्ली जल बोर्ड वर्तमान में दिल्ली भर में विभिन्न गैर-पेय प्रयोजनों के लिए लगभग 117 एमजीडी शोधित जल का उपयोग कर रहा है। इसमें प्रगति पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को विद्युत उत्पादन हेतु आपूर्ति, सेंट्रल विस्टा एवं लुटियंस ज़ोन में बागवानी, डीडीए पार्कों, भलस्वा गोल्फ कोर्स, कृषि सिंचाई, एमसीडी/पीडब्ल्यूडी/डीडीए द्वारा सड़कों की धूल नियंत्रण हेतु पानी का छिड़काव, तथा दिल्ली के विभिन्न तालाबों एवं जल निकायों के पुनर्भरण हेतु उपयोग शामिल है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली के निवासी भी शहर के विभिन्न स्थानों पर निर्माण गतिविधियों में शोधित जल का उपयोग कर रहे हैं। आगे, दिल्ली जल बोर्ड चरणबद्ध तरीके से शोधित जल के उपयोग को और अधिक गैर-पेय प्रयोजनों के लिए बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य भूजल दोहन को न्यूनतम करना, सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा देना तथा ताज़े जल संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) वर्तमान में औसतन 822 एमजीडी की कुल स्थापित क्षमता वाले 10 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTPs) का संचालन एवं रख-रखाव कर रहा है। इन सभी संयंत्रो से लगभग 1000 एमजीडी ट्रीटेड वाटर का उत्पादन प्रतिदिन होता है, जिसमें 135 एमजीडी भूजल शामिल है। सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTPs) इनलेट व आउटलेट पर फ्लोमीटर लगे हुए हैं, जिससे प्रोसेस ट्रीटमेंट लॉस की आडिट प्रतिदिन होती है। यहां तक कि फ्लोमीटर के माध्यम से प्राइमरी नेटवर्क की ऑडिट भी सभी (WTPs) की होती है। वर्तमान में प्राइमरी वाटर ऑडिट के अनुसार लगभग 38.84 एमजीडी का लॉस है, जिसको कम करने के लिए तकनीकी कदम विभाग के द्वारा उठाए जा रहे हैं। कई स्थानों पर जहां फ्लोमीटर नहीं हैं, वहां लगाये जा रहे हैं। आगे, दिल्ली जल बोर्ड चरणबद्ध तरीके से शोधित जल के उपयोग को उपभोक्ताओं तक सही मात्रा में पहुंचाने के उद्देश्य से निरंतर कार्य कर रहा है। अधिक गैर-पेय प्रयोजनों के लिए भी योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य भूजल दोहन को न्यूनतम करना तथा ताजे जल संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना है,

		तथा नये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को योजनाबद्ध तरीके से स्थापित करने एवं ट्रीटमेंट क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 18

दिनांक :- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम :- सुश्री आतिशी, विधायक

क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क्र.	प्रश्न	उत्तर
d½	कालकाजी विधानसभा के लिए जल के वास्तविक आवंटन की मात्रा क्या है;	कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 14 एमजीडी पानी की सप्लाई की जा रही है।
[k½	इस आवंटन की गणना का क्या आधार है और अंतिम बार यह गणना कब की गई थी;	पानी की मात्रा का आवंटन उपलब्धता से संबंधित है, उपरोक्त मात्रा पिछले कुछ वर्षों से सप्लाई की जा रही है।
x½	क्या इस आवंटन का निर्धारण करते हुए जनसंख्या को भी आधार बनाया गया था, यदि हां, तो कब कैसे;	पानी की मात्रा का आवंटन उपलब्धता पर निर्भर करता है। जनसंख्या के आधार की कोई जानकारी नहीं है।
(घ)	वर्ष 2024 और 2025 में अब तक कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में जितने जल की आपूर्ति की गई है, उसकी महीने वार तालिका प्रदान करें;	कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 14 एमजीडी पानी की सप्लाई प्रतिदिन की जा रही है।
(ङ)	कृपया गोविंदपुरी गली 1-16, गोविंदपुरी विस्तार 1-19 व अमृतपुरी गढ़ी में वर्ष 2024 में व 2025 में अब तक की गई जलआपूर्ति का महीनेवार विवरण दें;	बताए गए क्षेत्रों में अनुमानतः 1.8 एमजीडी पानी की आपूर्ति प्रतिदिन की जाती है।

(च)	क्या इन क्षेत्रों से जलआपूर्ति में कमी की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;और	जी हाँ।
(छ)	यदि हां, तो इनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं?	प्रश्न क्रमांक (ड़) में बताए गए क्षेत्रों में पानी की कमी दूर करने के लिए हाल ही में 05 ट्यूबवैल लगाए जा चुके हैं तथा 05 अतिरिक्त ट्यूबवैल निकट भविष्य में लगाए जाने का प्रावधान है।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 19
दिनांक :- 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री चंदन कुमार चौधरी, विधायक
क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	यह सत्य है कि संगम विहार में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा नई पानी एवं सीवर लाइनों के कार्य प्रस्तावित हैं, परंतु वन विभाग से एनओसी न मिलने के कारण ये कार्य लंबित हैं;	कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 14 एमजीडी पानी की सप्लाई की जा रही है।
(ख)	यदि हाँ, तो उक्त एनओसी किन-किन कारणों से अब तक जारी नहीं की गई है;	पानी की मात्रा का आवंटन उपलब्धता से संबंधित है, उपरोक्त मात्रा पिछले कुछ वर्षों से सप्लाई की जा रही है।
(ग)	एनओसी प्राप्त करने हेतु दिल्ली जल बोर्ड एवं वन विभाग के बीच अब तक क्या पत्राचार/बैठकें हुई हैं? विवरण दें;	पानी की मात्रा का आवंटन उपलब्धता पर निर्भर करता है। जनसंख्या के आधार की कोई जानकारी नहीं है।
(घ)	क्या सरकार इस समस्या के शीघ्र समाधान हेतु कोई समन्वित कार्ययोजना तैयार कर रही है; और	कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 14 एमजीडी पानी की सप्लाई प्रतिदिन की जा रही है।
(ङ)	यदि हाँ, तो उसकी समय-सीमा क्या है?	बताए गए क्षेत्रों में अनुमानतः 1.8 एमजीडी पानी की आपूर्ति प्रतिदिन की जाती है।
(च)	क्या इन क्षेत्रों से जलआपूर्ति में कमी की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;और	जी हाँ।

(छ)	यदि हां, तो इनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं?	प्रश्न क्रमांक (ड़) में बताए गए क्षेत्रों में पानी की कमी दूर करने के लिए हाल ही में 05 ट्यूबवैल लगाए जा चुके हैं तथा 05 अतिरिक्त ट्यूबवैल निकट भविष्य में लगाए जाने का प्रावधान है।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 20
दिनांक :- 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री विशेष रवि, विधायक
क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क.	प्रश्न	उत्तर
क)	दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक दिल्ली के समस्त विधान सभा क्षेत्रों में विभिन्न हेडों के अंतर्गत किए गए बजट आवंटन की पूर्ण जानकारी (विधानसभावार एवं हेडवार) प्रदान की जाए;	जनवरी 25 से मार्च 25 तक विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग से कोई आवंटन नहीं किया गया। अप्रैल 25 से दिसम्बर 25 के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र (विधानसभा 38 दिल्ली कैंट और 40 नई दिल्ली को छोड़कर) को एकसमान 6.25 करोड़ (योजनागत कार्यों के लिए रू0 5.50 करोड़ एव गैरयोजनागत कार्यों कि लिए रू0 0.75 करोड़) का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त समय समय पर विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकता के अनुसार, परियोजनाओं की तत्कालिकता, पूर्व में कियें गए कार्य, आकस्मिक कार्य, ब्रेकडाउन, सीवर एवं जल पाइपलाइन की स्थिति आदि तथा मशीन एवं लेबर की आवश्यकता आदि कार्यों के लिए कार्यकारी अभियंता/अधिशासी अभियंता/मुख्य अभियंता के अनुरोध पर बजट आवंटन किया जाता है।
ख)	उक्त बजट आवंटन किस आधार पर, किन नियमों/कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत तथा किस प्रक्रिया के अनुसार सभी विधान सभा क्षेत्रों में किया जाता है, इसकी भी जानकारी दें; और	उपरोक्त के अनुसार
ग)	अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिल्ली जल बोर्ड को लिखे गए पत्र संख्या 130430 तिथि	इस संदर्भ में कार्यों का परीक्षण कराया जा रहा है।

	20/12/2025 पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण प्रदान करें?	

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 21
दिनांक :- 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री संजीव झा, विधायक
क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि ओखला वेस्ट वाटर लेबोरेटरी सीवेज पंपिंग स्टेशनों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर बॉडीज़, नहर और नालियों से वेस्ट वाटर सैंपल का टेस्ट करती है और अलग-अलग जगहों से यमुना नदी के पानी के सैंपल टेस्ट करके यमुना नदी की पानी की क्वालिटी की निगरानी करती है;	हाँ
ख)	जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक सीवेज पंपिंग स्टेशनों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर बॉडीज़, यमुना नदी, नहर और नालियों में इस लेबोरेटरी द्वारा टेस्ट किए गए सैंपल की महीनेवार संख्या बताएं;	जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक सीवेज पंपिंग स्टेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर बॉडीज़, यमुना नदी, नहरों एवं नालियों से इस लेबोरेटरी द्वारा परीक्षण किए गए सैंपल की माह-वार संख्या है: जुलाई 2025 - 366 अगस्त 2025 - 415 सितम्बर 2025 - 600 अक्टूबर 2025 - 524 नवंबर 2025-524 दिसंबर 2025 - 630

ग)	क्या यह सत्य है कि मार्च 2025 की तुलना में ऊपर बताए गए DJB इंस्टॉलेशन से सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी और सैंपल की टेस्टिंग में भारी कमी आई है;	नहीं, मार्च माह 2025 में 625 सैंपल परीक्षण किए गए थे। इसके पूर्व फरवरी माह 2025 में 499 सैंपल परीक्षण किए गए थे। आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक माह सैंपलों की संख्या में अंतर रहता है। उपर्युक्त माह इंस्टॉलेशनों सैंपलिंग में गिरावट का कारण यह है कि नया ओखला एसटीपी प्लांट अप्रैल 2025 में कमीशन हो गया, जिसके परिणामस्वरूप ओखला के पूर्व के तीन फेज़ जो अब बंद और डिस्मेंटल कर दिए गए हैं और अब उसके के स्थान पर केवल एक बड़ा एसटीपी शेष रह गया। इस कारण सैंपलिंग पॉइंट्स की संख्या में कमी आई।
(घ)	क्या यह सत्य है कि ऊपर बताए गए महीनों में यमुना नदी, नहर, वाटर बॉडीज़, सीवेज पंपिंग स्टेशन आदि के लिए कोई सैंपल टेस्ट नहीं किया गया था;	नहीं, मानसून अवधि के दौरान जुलाई एवं अगस्त माह में, प्रत्येक वर्ष की भांति, यमुना नदी, नहरों, तथा वाटर बॉडीज़ से सैंपल परीक्षण नहीं किए गए। अन्य सभी महीनों में आवश्यकतानुसार सैंपल परीक्षण किए गए हैं।
(ङ)	क्या यह सत्य है कि ओखला लेबोरेटरी NABL से मान्यता प्राप्त थी;	हाँ, ओखला लेबोरेटरी को 30.03.2022 से 29.03.2024 तक NABL से मान्यता प्राप्त थी।
(च)	क्या यह सत्य है कि इसने 2025 में अपनी NABL मान्यता खो दी; और	नहीं, ओखला लेबोरेटरी की NABL मान्यता 29.03.2024 को समाप्त हो चुकी है।
(छ)	सैंपल और टेस्टिंग में अभूतपूर्व कमी और NABL स्टेटस खोने के लिए DJB द्वारा क्या कार्रवाई की गई?	सैंपलिंग एवं टेस्टिंग में अभूतपूर्व कमी नहीं आई है। DJB ओखला के साथ-साथ 14 अन्य प्रयोगशालाओं को NABL स्टेटस प्राप्त करने हेतु कार्य कर रहा है।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 22
दिनांक :- 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री कुलदीप कुमार, विधायक
क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि कोंडली एसटीपी प्लांट की क्षमता बढ़ाने का कार्य पिछले 10 वर्षों में किया गया है;	पिछले 10 वर्षों में कोंडली के सभी एसटीपी का पुनर्वास और उन्नयन कार्य हुआ है जिसमे बंद हुए फेज-1 (10 MGD) तथा फेज-III (10 MGD) एसटीपी भी शामिल है,

		जिससे की कोंडली एसटीपी की क्षमता में २० MGD का विस्तार हुआ है।
ख)	यदि हाँ तो उसका पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाए;	पिछले 10 वर्षों में कोंडली के सभी एसटीपी का पुनर्वास और उन्नयन कार्य हुआ है जिसमे बंद हुए फेज-1 (10 MGD) तथा फेज-III (10 MGD) एसटीपी भी शामिल है, जिससे की कोंडली एसटीपी की क्षमता में २० MGD का विस्तार हुआ है।
ग)	ये कार्य कब शुरू हुआ था ,कार्य पूर्ण होने की तिथि क्या थी;	कोंडली एसटीपी के पुनर्वास और उन्नयन का कार्य 10.08.2018 को प्रारम्भ हुआ तथा यह 30.11.2024 को पूर्ण हुआ
(घ)	यदि इस कार्य में विलंब हुआ है तो उसके कारण क्या है;	कार्य में देरी का मुख्य कारण पेड़ो का ट्रांसप्लांट तथा कोविद-१९ की बजह से कार्य प्रतिबंधित एवं प्रभावित होना है।
(ङ)	अभी तक कितना प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है; और	कार्य दिनांक 30.11.2024 को समाप्त हो चुका है।
(च)	यदि कार्य समय से पूर्ण नहीं हुआ है तो कार्य पूर्ण करने की नई समय अवधि क्या है ?	लागु नहीं।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 23
दिनांक :- 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री अनिल गोयल, विधायक
क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र के लिए कार्यरत Zonal Revenue Officer (ZRO) के कार्यालय को वहां से स्थानांतरित कर योजना विहार में शिफ्ट कर दिया गया है;	सत्य है।
ख)	यदि हाँ, तो इस अचानक हुए स्थानांतरण के मुख्य कारण क्या हैं;	राजस्व विभाग का पुनर्गठन विधानसभा के अनुरूप करने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। अतः प्रत्येक जेडआरओ कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में 2 विधानसभा क्षेत्र होंगे, तदानुसार प्रशासनिक निर्णय के अनुसार कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र जेड.आर.ओ प्रीत विहार कार्यालय के अंतर्गत आता था, जेड.आर.ओ प्रीत विहार कार्यालय कि ऑफिस कंडीशन ख़राब

		होने के वजह से इस ऑफिस को योजना विहार में स्थानांतरित कर दिया गया है.
ग)	क्या यह सत्य है कि कृष्णानगर के निवासियों को अब अपने पानी के बिल संबंधी कार्यों के लिए कई किलोमीटर दूर दूसरी विधानसभा में स्थित कार्यालय पर जाना पड़ता है;	माननीय विधायक जी के कृष्णा नगर क्षेत्र के उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु जेडआरओ कार्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
(घ)	कृष्णानगर विधानसभा का कार्यालय हटाकर वहां बाबरपुर क्षेत्र के कार्यालय को संचालित करने के पीछे क्या Administrative Logic है;	राजस्व विंग के पुनर्गठन का निर्णय तकनीकि विंग के अनुरूप एवं आरएमएस कनेक्टिविटी को ध्यान में रख कर किया गया है।
(ङ)	क्या यह भी सत्य है कि इससे दोनों क्षेत्रों की जनता को दूरी और समय की बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है;	दिल्ली जल बोर्ड कि सारी सेवाए ऑनलाइन उपलब्ध है एवं उपभोक्ता अपनी कोई भी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकता जिसकी स्थिति एवं निपटान की जानकारी भी ऑनलाइन देख सकता है अतः क्षेत्रीय राजस्व कार्यालय की लोकेशन से विशेष प्रभाव नहीं होता है।
(च)	क्या जनहित और बुजुर्ग नागरिकों की सुविधा को देखते हुए सरकार की ZRO कार्यालय को पुनः कृष्णानगर विधानसभा के भीतर (मूल स्थान पर) वापस लाने की कोई योजना है;	जी हा जेडआरओ कार्यालय खोलने का जी हो जेडआरओ कार्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
(छ)	यदि हाँ, तो यह कार्य कब तक संपन्न होगा; और	जी हां जेडआरओ कार्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
(ज)	यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?	

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 24

दिनांक :- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री संजय गोयल, विधायक

क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क.	प्रश्न	उत्तर
क)	वर्तमान में दिल्ली में कुल कितने जल मीटर रीडर कार्यरत हैं तथा विशेष रूप से शाहदरा विधानसभा (AC-62) क्षेत्र में कितने मीटर रीडर तैनात हैं तथा पिछले 10 वर्षों में इन मीटर रीडरों पर विधानसभावार एवं वर्षवार कितना व्यय किया गया है, उसका विवरण प्रस्तुत किया जाए;	दिल्ली जल बोर्ड में कुल 901 जल मीटर रीडर कार्यरत है। 5 ppp क्षेत्र के एवं एक JWIL क्षेत्र अनतर्गत 138 मीटर रीडर्स हैं.

		मीटर रीडर की तैनाती विधानसभा के अनुसार नहीं की जाती है। मीटर रीडरों की संख्या समय-समय पर कार्यानुसार बदलती रहती है। वर्तमान क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (शाहदरा) में कुल 25 मीटर रीडर तैनात है। जल बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन मान उनकी seniority, सेवा अवधि एवं भारत सरकार द्वारा जारी सातवें वेतन आयोग के अनुसार Pay Matrix के अनुसार दिया जाता है।
ख)	पिछले 10 वर्षों में शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में कितने उपभोक्ताओं के जल बिल शून्य (Zero) रहे हैं, इसका वर्षवार एवं श्रेणीवार (आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक आदि) विवरण उपलब्ध कराया जाए;	मांगी गई जानकारी अनुलग्नक 'अ' पर संलग्न है
ग)	शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कुल कितने जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, इन्हें श्रेणीवार (Residential/Commercial/Industrial) दर्शाया जाए तथा इन कनेक्शनों से पिछले 5 वर्षों में प्राप्त राजस्व का वर्षवार विवरण भी दिया जाए;	मांगी गई जानकारी अनुलग्नक 'आ' पर संलग्न है
(घ)	पिछले 5 वर्षों में शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कितने सबमर्सिबल पंप सील किए गए हैं, वर्षवार	अवैध सबमर्सिबल बोरवेल/ट्यूबवेल पंपों को सील करने का कार्य जिला मजिस्ट्रेट (DM) के अधीन होता है। DJB को आने वाली सभी सबमर्सिबल पंप संबंधी शिकायतें संबंधित DM को भेज दी जाती है। डी एम / एस डी एम की टीम उन् अवैद्य सबमर्सिबल पंप को सील करती है।

	एवं क्षेत्र/गलीवार विवरण उपलब्ध कराया जाए;	
(ङ)	भवन निर्माण के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल कनेक्शन प्रदान करने की वर्तमान प्रक्रिया क्या है, क्या इस प्रक्रिया के लिए कोई निर्धारित समय-सीमा है तथा पिछले 5 वर्षों में ऐसे कितने कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, इसका विवरण भी दिया जाए;	सामान्यतः भवन निर्माण में जल के उपयोग हेतु जल बोर्ड द्वारा जल कनेक्शन प्रदान नहीं किया जाता। यदि पूर्व स्वीकृत जल कनेक्शन द्वारा भवन निर्माण किया जाता है तो दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, दिल्ली जल एवं सीवर टैरिफ एवं मिश्रण विनियम 2012 की अनुसूची 3 के अनुसार Cost of Water लगाई जाती है।
(च)	पिछले 10 वर्षों में शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में कहाँ-कहाँ नई जल पाइपलाइन एवं सीवरेज पाइपलाइन बिछाई गई हैं, इसका वर्षवार, गली/वार्डवार विवरण तथा इन कार्यों पर किए गए व्यय का वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाए;	विगत 10 वर्षों में संबंधित विधानसभा क्षेत्र में पेयजल एवं सीवर नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य योजना बनाकर चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन किया गया है। जिनमें मुख्यतः नई पाइप लाइन बिछाने, पुरानी लाइन के प्रतिस्थापन तथा सीवर नेटवर्क विस्तार के कार्य सम्मिलित हैं। इनका विवरण माननीय सभा को परिशिष्ट-'क' के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है।
(छ)	पिछले 10 वर्षों में शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि (MLALAD) एवं विभागीय कोष से जल से संबंधित कितने कार्य कराए गए हैं, कार्यों का प्रकार, स्थान, वर्षवार व्यय सहित विवरण दिया जाए; और	विगत 10 वर्षों में संबंधित विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि (MLALAD) एवं विभागीय कोष से जल से संबंधित कराए गए कार्य ऊपर उपलब्ध परिशिष्ट-'छ' में मौजूद है।
(ज)	शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल कितने रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्वाइंट्स उपलब्ध हैं, उनकी वर्तमान स्थिति (चालू/बंद/अनुपयोगी) बताई जाए तथा	दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के पास शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में स्वयं के 10 रेन वाटर हार्वेस्टिंग (RWH) पिट्स/पॉइंट्स है। जो अभी चालू अवस्था में है

	पिछले 5 वर्षों में कितने नए हार्वेस्टिंग प्वाइंट्स बनाए गए हैं और उनकी निगरानी हेतु क्या व्यवस्था है, इसका विवरण भी दिया जाए?	जिसका रखरखाव दिल्ली जल बोर्ड (DJB) स्वयं करती है। पिछले 5 वर्षों में कुल 02 (RWH) पिट्स/पॉइंट्स बनाए गए हैं

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 25
दिनांक :- 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री सतीश उपाध्याय, विधायक
क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क.	प्रश्न	उत्तर
क)	दिल्ली जलबोर्ड की रिबेट/वेवर योजना 2025 के अंतर्गत मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में कितने उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ उठाया है;	मालवीय नगर विधानसभा का क्षेत्र दिल्ली जल बोर्ड के दो ZROS के अधीन आता है- पहला ZRO(MNWS) मालवीय नगर और दूसरा ZRO आर. के. पुरम। द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर दिनांक 01.01.2026 तक कुल 3186 मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के उपभोक्ताओं ने दिल्ली जल बोर्ड के सरचार्ज छूट योजना 2025 के तहत छूट का लाभ उठाया।
ख)	इस योजना के अंतर्गत दिल्ली जलबोर्ड ने कितना राजस्व प्राप्त हुआ ;	उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 31.12.2025 तक Rs. 220,010,2951/- राजस्व की प्राप्ति हुई (सरचार्ज छूट योजना 2025 के तहत)
ग)	अप्रेल 2025 से दिसंबर 2025 तक मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से दूषित पेयजल संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, व ऐसी शिकायतों के निवारण हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;	उक्त अवधि के दौरान मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में PPP- MNWS क्षेत्र में 56 शिकायतें तथा गैर-PPP क्षेत्र में 35 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनका समुचित रूप से निवारण कर दिया गया है। ऐसी शिकायतों के समाधान हेतु क्षतिग्रस्त जल कनेक्शनों की मरम्मत की जाती है, जल आपूर्ति

		लाइनों की सफाई कराई जाती है, तथा आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण कर क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति लाइनों को बदला भी जाता है
(घ)	मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में दो बड़े नाले हैं, क्या इन नालों पर सीवर शोधन संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है, यदि हां तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, किस स्थान पर स्थापित किया जाना है व इसके पूरा होने संबंधी समयसीमा का संपूर्ण विवरण ;	इन नालों पर सीवर शोधन संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना इस विभाग की नहीं है!
(ङ)	मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में मालवीय नगर जलआपूर्ति सेवाओं की वर्तमान प्रशासनिक (Administrative) व परिचालनीय (Operational) स्थिति क्या है; और	इसका अनुबंध दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 30 अप्रैल 2027 तक बढ़ा दिया गया है
(च)	दिल्ली जलबोर्ड इसे चालू रखने जा रहा है या समाप्त कर रहा है, यदि समाप्त कर रहा है तो क्षेत्रवासियों को जल आपूर्ति में बाधा न हो, इसके लिए क्या आकस्मिक योजना (Contingency Plan) है?	इसका अनुबंध दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 30 अप्रैल 2027 तक बढ़ा दिया गया है

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 26
दिनांक :- 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री प्रवेश रत्न, विधायक
क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क.	प्रश्न	उत्तर
क)	वर्ष 2010 से 2015 के बीच पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में प्रतिदिन औसतन कितने एमजीडी (Million Gallon per Day) / लीटर प्रति व्यक्ति पानी की आपूर्ति की जाती थी;	वर्ष 2010-2015 के दौरान औसतन प्रतिदिन 7.5 मिलियन गैलन पानी की आपूर्ति की गई।

ख)	वर्तमान वर्ष 2024–25 में प्रतिदिन औसतन कितनी पानी की आपूर्ति की जा रही है;	वर्तमान वर्ष 2024-25 में प्रतिदिन औसतन 8.36 मिलियन गैलन पानी की आपूर्ति की जा रही है।
ग)	क्या यह तथ्य सही है कि पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ने के बावजूद जल आपूर्ति में कमी आई है;	पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी की आपूर्ति में कोई कमी नहीं की गयी है।
(घ)	यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;	उपरोक्त के अनुसार।
(ङ)	क्या पानी की कमी का कारण पुरानी और लीकेज वाली पाइप लाइनें, अवैध कनेक्शन एवं अवैध निर्माण हैं;	उपरोक्त के अनुसार।
(च)	क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि जल संकट के कारण जनता को निजी टैंकरों पर निर्भर होना पड़ रहा है, जिससे भ्रष्टाचार और कालाबाज़ारी बढ़ रही है; और	यह सत्य नहीं है।
(छ)	क्या भविष्य में पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में जल आपूर्ति को पहले के स्तर तक लाने हेतु क्या कोई समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तावित है?	पटेल नगर विधान सभा क्षेत्र में जल आपूर्ति में सुधार करने की योजना है जिसे JICA द्वारा सहायता प्राप्त (DWSIP) दिल्ली वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP) के पैकेज-2 के कार्य द्वारा किया जाएगा, यह कार्य अनुमानतः 1 वर्ष में पूरा किया जाएगा |

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 27
दिनांक :- 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री तिलकराम गुप्ता, विधायक
क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र की सभी सीवर लाईन और पीने के पानी की लाईन लगभग 50 साल से अधिक पुरानी हैं;	जी हाँ, यह तथ्य सही है कि त्रि नगर विधानसभा क्षेत्र के कई भागों में सीवर एवं पेयजल की लाइनें 40-50 वर्ष पुरानी

		हैं। "जहाँ-जहाँ लाइनों में अधिक समस्या पाई गई है, वहाँ उन्हें समय-समय पर बदला गया है।"
ख)	क्या यह भी सत्य है कि ये सभी सीवर लाईन और पीने के पानी की लाईन जर्जर हालत में है और इनको अविलम्ब नई लाईनों से बदलने की जरूरत है; और	नहीं, सभी लाइनें जर्जर अवस्था में नहीं हैं। हालांकि, कुछ स्थानों पर पुरानी लाइनों के कारण समस्याएँ पाई गई हैं, जिनके समाधान हेतु आवश्यकता अनुसार मरम्मत अथवा प्रतिस्थापन का कार्य किया जा रहा है।
ग)	यदि हाँ, तो त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र की सभी सीवर लाईन और पीने के पानी की लाईन को कब तक नई लाईनों से बदलने की सरकार की योजना है, पूरी जानकारी देने का कष्ट करें?	पुरानी सीवर व पीने के पानी की लाइन स्तिथि अनुसार प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध रूप से बदला जा रहा है। यह कार्य उपलब्ध बजट, तकनीकी स्वीकृति एवं आवश्यकता के अनुसार आगामी वर्षों में भी बदला जायेगा ।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 28

दिनांक :- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री जुबैर अहमद, विधायक

क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क.	प्रश्न	उत्तर
क)	दिल्ली में, विशेषकर सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में, सीवर लाइनों और मैनहोल का निर्माण या अंतिम बार अपग्रेड कब किया गया था;	यह दैनिक रखरखाव का एक हिस्सा है। हालांकि, शिकायतों के आधार पर इसे समय- समय पर अपग्रेड किया गया है। कुछ काम अभी भी जारी हैं।
ख)	क्या यह सत्य है कि वर्तमान में सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में सीवर लाइनों का बड़ा हिस्सा जाम, क्षतिग्रस्त तथा अत्यंत खराब स्थिति में है, जिससे नियमित जलभराव और गंदगी की समस्या उत्पन्न हो रही है;	नहीं, यह दैनिक रखरखाव का एक हिस्सा है। हालांकि, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों को समय- समय पर बदला जा चुका है। कुछ काम अभी भी जारी हैं।
ग)	क्या दिल्ली जल बोर्ड में सीवर रख-रखाव और शिकायत निवारण के लिए पर्याप्त मैनपावर और वाहनों की कमी है, जिसके कारण समय पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है;	नहीं, यह दैनिक रखरखाव का एक हिस्सा हैं। हमारे पास पर्याप्त जनशक्ति और सीवर सफाई मशीनें हैं।

(घ)	यदि हाँ, तो सरकार द्वारा क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों और मैनहोल को दुरुस्त करने अथवा नए सिरे से अपग्रेड करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं; और	हाँ, पुरानी और क्षतिग्रस्त सीवर लाइन को बदलने का काम चल रहा है। और सीवर मेनहोल की मरम्मत का काम किया जाएगा। यह दैनिक रखरखाव का एक हिस्सा है। हालांकि, शिकायतों के आधार पर इसे समय-समय पर अपग्रेड किया गया है।
(ङ)	यह कार्य कब तक पूरा किया जाएगा?	यह कार्य 31/03/2026 तक पूर्ण किए जाने की संभावना है।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 29
दिनांक :- 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री चौधरी जुबैर अहमद, विधायक
क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में भूजल में यूरेनियम सुरक्षित सीमा (30 ppb) से ज्यादा पाया गया है और हाल ही में कई हैंडपंप और बोरवेल्स में इसका स्तर अधिक है;	DJB द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल में यूरेनियम की मात्रा स्वीकार्य सीमा से अधिक नहीं पाई गई है।
ख)	क्या यह सत्य है कि यूरेनियम मुख्य रूप से गुर्दे के लिए नुकसानदेह है और बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए यह स्वास्थ्य जोखिम बढ़ा सकता है;	यह प्रश्न DJB से संबंधित नहीं है।
ग)	क्या सरकार प्रभावित इलाकों में लोगों को असुरक्षित पानी के बारे में बताने, वैकल्पिक पीने का पानी उपलब्ध कराने और पानी की जांच कर नतीजे सार्वजनिक करने की योजना बना रही है; और	उत्तर (क) के अनुसार ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।
(घ)	क्या सरकार लंबी अवधि में सामुदायिक RO, सुरक्षित पाइप्ड पानी और नियमित पानी की जांच जैसी योजनाओं पर काम कर रही है?	DJB द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले जल का नियमित रूप से जल परीक्षण किया जाता है।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 30

दिनांक :- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री रविंदर सिंह नेगी, विधायक

क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र (AC-57) में पिछले काफी समय से सीवर लाइन जाम रहने एवं पेयजल आपूर्ति की गंभीर समस्या बनी हुई है, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;	पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में पुरानी एवं क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों को आवश्यकता अनुसार बदला जा रहा है व सीवर क्लीनिंग मशीनों द्वारा सीवर लाइनों की सफाई कराई जा रही है। पेयजल आपूर्ति को सुचारू करने के लिए पुरानी लाइनों को चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है और जहां पानी का प्रेशर कम है वहां पर इंटर कनेक्शन करके पानी का प्रेशर ठीक किया जा रहा है।
ख)	क्या यह भी सत्य है कि कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है; और	जब भी जल बोर्ड कार्यालय में पानी और सीवर सम्बंधित कोई भी शिकायत आती है उसका तुरन्त निदान किया जाता है।
ग)	इस समस्या के समाधान हेतु संबंधित विभाग द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है तथा भविष्य में सीवर लाइन की मरम्मत और नियमित स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस योजना और समय-सीमा निर्धारित की गई है?	सीवर लाइनों को साफ करने के लिए विभाग द्वारा सुपर सकर व रिसाइकलर मशीनों द्वारा सफाई कराई जा रही है और पानी की व्यवस्था को सुचारू करने हेतु पुरानी लाइनों को आवश्यकता अनुसार बदला जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 31

दिनांक :- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री इमरान हुसैन, विधायक

क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि बल्लीमारान विधानसभा क्षेत्र में सीवर डीसिल्टिंग (नालों/सीवर की सफाई) का कार्य अब तक पूर्ण नहीं हो पाया है;	बल्लीमारान विधानसभा में सीवर की सफाई का कार्य प्रगति पर है।
ख)	यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और	NA
ग)	उक्त कार्य को पूर्ण करने के लिए कौन-सी एजेंसी जिम्मेदार है तथा इसे किस तिथि तक पूर्ण किया जाएगा?	३१ मार्च २०२६ तक सभी सीवर लाइन की सफाई हो जाने की संम्भावना है

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 32

दिनांक :- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री कुलदीप कुमार, विधायक

क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क.	प्रश्न	उत्तर
क)	वाटर ट्रांस्मीशन मेन को भागीरथी से दल्लूपुरा प्रतिस्थापन किए जाने के बारे में बताएं कि इस परियोजना के लिए निविदा कब पास की गई थी;	इस परियोजना की निविदा दिनांक 04.03.2022 को आमंत्रित की गयी थी।
ख)	इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;	इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹219.67 करोड़ है।
ग)	क्या इस पाइपलाइन पर कार्य आरंभ हो गया है;	जी हाँ।
(घ)	इस परियोजना के पूरा होने की अनुमानित समयावधि क्या है;	इस परियोजना के पूरा होने की अनुमानित अवधि 17.08.2026 तक है ।
(ङ)	क्या इस समयसीमा में कोई विलंब हो रहा है;और	जी हाँ।
(च)	यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?	• GRAP द्वारा निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध ।

		• मानसून ऋतु । • विभिन्न सड़क मालिक एजेंसियों से अनुमति मिलने में देरी । • नाले के किनारे काम करने के लिए सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग से अनुमति मिलने में देरी • रेलवे लाइन पार करने के लिए नॉर्दर्न रेलवे से अनुमति मिलने में देरी।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 33

दिनांक :- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री गजेन्द्र दराल, विधायक

क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	कमरूदीन नगर में सीवरेज पंपिंग स्टेशन का कार्य अब तक पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं;	कमर उद्दीन नगर में सीवरेज पंपिंग स्टेशन का कार्य अब तक पूर्ण नहीं होने के निम्नलिखित कारण हैं- 1. कार्य एजेंसी को भूमि हस्तांतरित किए जाने में विलंब 2. वृक्ष कटान की अनुमति प्राप्त होने में देरी

		3. वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली CAQM द्वारा बार-बार निर्माण कार्य को बैन लगाने के कारण।
(ख)	इस कार्य को पूरा करने की वर्तमान समय-सीमा क्या निर्धारित की गई है; और	वर्तमान में इस काम को पूरा करने की तारीख 30.06.2026 प्रस्तावित है।
(ग)	देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है या प्रस्तावित है ?	कार्य में देरी के लिए ठेकेदार पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार दंड (Penalty) लगाए जाने का प्रावधान है, जिसे नियमानुसार लागू किया जाएगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 34

दिनांक :- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री प्रेम चौहान, विधायक

क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड ने अपने इंजीनियरों को बिना टेंडर बुलाए या बिना स्पॉट कोटेशन के काम करने की आज़ादी दी है;	यह सत्य नहीं है।
(ख)	यदि हाँ, तो ऐसी आज़ादी देने के क्या कारण हैं;	उपरोक्तानुसार ।
(ग)	बिना टेंडर या स्पॉट कोटेशन के दिए गए ऐसे कामों पर निगरानी रखने के लिए क्या इंतज़ाम हैं;	उपरोक्तानुसार ।
(घ)	क्या यह आज़ादी कई तरह से भ्रष्टाचार को नहीं बढ़ाएगी;	उपरोक्तानुसार ।
(ङ)	उन सभी कामों की लिस्ट पूरी जानकारी के साथ दें, जैसे काम का प्रकार, उसकी अर्जेंसी, ठेकेदार का नाम, काम की जगह, अब तक बिना टेंडर के दिए गए सभी काम और हर काम की कीमत;	बिना टेंडर या बिना स्पॉट कोटेशन के कोई भी कार्य नहीं कराया गया है।
(च)	बिना टेंडर या स्पॉट कोटेशन के कितने काम दिए गए और पूरे किए गए और उनकी लागत कितनी	शून्य

	थी, और क्या ऐसे किसी काम की फिजिकली जांच किसी सीनियर ऑफिसर (चीफ इंजीनियर और उससे ऊपर) या खुद CEO ने की है;	
(छ)	इस साल (2025) कालिंदी कुंज यमुना में झाग हटाने पर कितना पैसा खर्च हुआ, जिसमें झाग हटाने के लिए छिड़काव, केमिकल की खरीद, नावों पर खर्च, पानी की सप्लाई के लिए टैंकरों का ब्रेकअप शामिल है;	इस वर्ष (2025) कालिंदी कुंज, यमुना में झाग हटाने पर किया गया व्यय (ब्रेक-अप सहित) निम्नानुसार है: झाग हटाने हेतु प्रयुक्त केमिकल की खरीद पर व्ययः ₹1,66,52,160/- झाग हटाने हेतु केमिकल के छिड़काव (ऑपरेशन) पर व्ययः 1,43,94,053/- यह भी अवगत कराया जाता है कि झाग हटाने के कार्य में प्रयुक्त नाव खाद्य विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई, जिस पर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कोई पृथक व्यय नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, पानी की आपूर्ति हेतु किसी अलग से टैंकर की व्यवस्था नहीं की गई, अतः इस मद में कोई विशिष्ट/अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ।
(ज)	झाग हटाने का काम किस तारीख से शुरू हुआ और किस तारीख तक चला, तारीख के हिसाब से झाग हटाने वाले केमिकल की खपत और तारीख के हिसाब से पानी की सप्लाई की मात्रा बताएं;	कालिंदी कुंज में झाग हटाने का कार्य दिनांक 13.10.2025 से 17.12.2025 (Annexure A) तक किया गया। तिथि-वार केमिकल की खपत का विवरण संबंधित अभिलेखों में उपलब्ध है।
(झ)	कालिंदी कुंज में लगाए गए केमिकल प्लांट द्वारा रोज़ाना कितना पतला केमिकल साइट पर तैयार किया गया, जिसमें झाग हटाने वाले कंसंट्रेट की कितनी मात्रा थी। सहायक दस्तावेज़ दें;	कालिंदी कुंज में केमिकल का डायल्यूशन विगत तीन वर्षों की प्रचलित कार्यप्रणाली के अनुसार 1:10 के अनुपात में किया गया, जो झाग की मात्रा एवं पानी

		की गुणवत्ता के आकलन आधारित पर था। इसके अतिरिक्त, केमिकल का उपयोग न्यूनतम रखा गया तथा झाग नियंत्रण हेतु फ्रॉथ अरेस्टर प्रणाली एवं नाव द्वारा (Aeration) झाग को तोड़ने (फ्रॉथ रप्चर) जैसी यांत्रिक विधियों का भी उपयोग किया गया।
ञ)	दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना में झाग हटाने के लिए इस्तेमाल किए गए केमिकल की डोज़ की गणना कैसे की;	दिल्ली जल बोर्ड द्वारा यमुना में झाग हटाने हेतु केमिकल की डोज़ की गणना झाग की मात्रा तथा पानी की गुणवत्ता के आकलन के आधार पर की गई।
ट)	DJB द्वारा कालिंदी कुंज में स्थापित ऑन-साइट लैब में कौन से टेस्ट किए गए और टेस्ट रिपोर्ट बताएं; और	कालिंदी कुंज में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा स्थापित ऑन-साइट लैब में आवश्यक जल गुणवत्ता परीक्षण किए गए। उक्त परीक्षणों की रिपोर्ट संलग्नक (Annexure B) के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है।
ठ)	क्या यह सत्य है कि छठ के अगले दिन ऑन-साइट अस्थायी लैब को हटा दिया गया था, जबकि छठ के बाद 45 दिनों से ज़्यादा समय तक झाग हटाने का काम जारी रहा?	यह सत्य है कि छठ पर्व के अगले दिन ऑन-साइट अस्थायी लैब हटा ली गई थी। तथापि, छठ पर्व के उपरांत साइट से लिए गए जल नमूनों की जांच ओखला प्रयोगशाला में की गई।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 35

दिनाँक:-06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री करनैल सिंह

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क</td><td>शकुरबस्ती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली सरकार के कुल कितने सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी स्कूल कार्यरत है;</td><td>शकुरबस्ती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली सरकार के कुल 13 सीनियर सैकेण्डरी स्कूल हैं।</td></tr>
<tr><td>ख</td><td>उपरोक्त विद्यालयों में किस-किस विद्यालय में प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं कितने पद भरे हुए हैं;</td><td>शकुरबस्ती विधानसभा क्षेत्र में प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों की संख्या निम्न प्रकार है:-
<table>
<tr><th>Post Name</th><th>Sanctioned</th><th>Filled</th></tr>
<tr><td>Principal</td><td>12</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Vice Principal</td><td>20</td><td>06</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Post Name</th><th>Sanction</th><th>Regular</th><th>Guest Teacher</th><th>Net Vacant</th></tr>
<tr><td>PGT/EVGC</td><td>214</td><td>174</td><td>22</td><td>18</td></tr>
<tr><td>TGT/TGT(MIL)</td><td>305</td><td>234</td><td>56</td><td>15</td></tr>
<tr><td>Misc. Teachers</td><td>172</td><td>142</td><td>14</td><td>16</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ग</td><td>उपरोक्त विद्यालयों में खाली पड़े हुए पद कब तक भर दिए जायेंगे;</td><td>शिक्षा विभाग के विभिन्न रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग के स्तर पर ही समग्र प्रयास किए जाते हैं, जिसका विवरण निम्न अनुसार है:-
प्रधानाचार्य:- प्रधानाचार्य के कुल 950 पद स्वीकृत हैं। इन पदों को 50 प्रतिशत विभागीय पदोन्नति कोटा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती कोटा के तहत विभाजित किया गया है। 950 पदों में से 6 पद समाप्त कर दिए गए हैं और 326 पद रिक्त हैं, जिनमें से 201 पद विभागीय पदोन्नति कोटे के तहत और 125 पद सीधी भर्ती कोटे के तहत रिक्त हैं।
जहाँ तक विभागीय पदोन्नति कोटे के अंतर्गत रिक्त 201 पदों का प्रश्न है, इन्हें अभी नहीं भरा जा सकता क्योंकि कोई भी उप-प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी अनिवार्य अर्हकारी सेवा (Qualifying Service) (जिसमे उप-प्रधानाचार्य के रूप में 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा अथवा 12 वर्ष की संयुक्त सेवा, 7 वर्ष PGT के रूप में और 5 वर्ष उप-प्रधानाचार्य के रूप में आवश्यक है) पूरी नहीं की है।
सीधी भर्ती कोटे के तहत रिक्त 125 पदों के संबंध में, इन रिक्त पदों का प्रस्ताव विज्ञापन के लिए जनवरी 2026 तक संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। जैसे ही संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अंतिम चयनित पैनल हमें प्राप्त होगा, इन 125 पदों को भर दिया जाएगा।</td></tr>
</table>

		टीजीटी/टीजीटी (एमआईएल):-शिक्षा निदेशालय में रिक्त पदों को भरने के लिए, टीजीटी/टीजीटी (एमआईएल) के 9,866 रिक्त पदों के लिए डीएसएसएसबी को अनुरोध भेजा गया है और उक्त रिक्तियों के लिए डीएसएसएसबी द्वारा विज्ञापन संख्या 02/2024 दिनांक 12.01.2024 (4,536 पदों के लिए परीक्षा भी आयोजित की गई है, परिणाम प्रतीक्षित हैं) और 06/2025 दिनांक 03.10.2025 के माध्यम से विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया है। **पीजीटी/ईवीजीसी**:-रिक्तियों को विज्ञापन के लिए डीएसएसएसबी को भेजा गया था। रिक्तियों का विज्ञापन विज्ञापन संख्या 01/2025 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था, लेकिन डीएसएसएसबी द्वारा परीक्षा की तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है। **विशेष शिक्षक:-** खाली पड़े हुए पदों को भरने के लिए डीएसएसएसबी को Requisition भेजी जा चुकी है और बाकि बचे हुए पदों के लिए भी जा रही है
घ	उपरोक्त विद्यालयों में से किस-किस विद्यालय में विज्ञान एवं कॉमर्स की पढ़ाई नहीं हो रही है;	शकुरबस्ती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिन विद्यालयों में विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो रही है, जो निम्न प्रकार है:- 1. सर्वोदय विद्यालय, शारदा निकेवन (1411124) 2. राजकीय सह शिक्षा वरिष्ठ विद्यालय, सैनिक विहार (1411178) शकुरबस्ती विधानसभा क्षेत्र के अतंर्गत आने वाले सभी विद्यालयों में वाणिज्य विषय की पढ़ाई हो रही है।
ङ	इन विद्यालयों में कब तक सभी में विज्ञान एवं कॉमर्स की पढ़ाई भी शुरू कर दी जायेगी;	सर्वोदय विद्यालय, शारदा निकेवन (1411124) में स्थान की उपलब्धता की कमी के कारण विज्ञान श्रेणी शुरू नहीं की जा सकती है, इस विद्यालय के विज्ञान श्रेणी के बच्चे सर्वोदय विद्यालय सी-ब्लॉक सरस्वती विहार (1411123) में भेजे जाते हैं। राजकीय सह शिक्षा वरिष्ठ विद्यालय सैनिक विहार (1411178) में स्थान की उपलब्धता की कमी के कारण विज्ञान श्रेणी शुरू नहीं की जा सकती है, इस स्कूल के विज्ञान श्रेणी के बच्चे सर्वोदय विद्यालय कैलाश एन्क्लेव (1411005) तथा सर्वोदय विद्यालय रानी बाग (1411043) में भेजे जाते हैं।
च	शकुरबस्ती विधानसभा क्षेत्र के किन-किन विद्यालयों में डिजिटल बोर्ड की सुविधा उपलब्ध है; और	शकुरबस्ती विधानसभा क्षेत्र के 13 सरकारी विद्यालयों में से 12 सरकारी विद्यालयों में कुछ ही क्लास रूम में डिजिटल बोर्ड की सुविधा उपलब्ध है, इस संबंध में, इन विद्यालयों में कार्यक्षमता का आकलन (functionality assessment) किया जा रहा है व उनकी विस्तृत सूची **संलग्नक–क** के रूप में संलग्न है। शिक्षा विभाग का अगले पांच वर्ष में पूरी दिल्ली में 21,000 Instructional Classrooms में Smart Classrooms बनाने का लक्ष्य है।

छ	यदि नहीं, तो इन विद्यालयों में कब तक डिजिटल बोर्ड की सुविधा उपलब्ध करवा दी जायेगी?	शिक्षा विभाग का अगले पांच वर्ष में पूरी दिल्ली में 21,000 Instructional Classrooms में Smart Classrooms बनाने का लक्ष्य है।

उत्तर माननीय शिक्षा मंत्री जी की पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित किया जाता है

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या:-36

दिनाँक:-06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री अजय महावर जी

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे किः-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	घोंडा विधानसभा क्षेत्र के कितने सरकारी विद्यालयों में साइंस लैब एवं कंप्यूटर लैब उपलब्ध हैं तथा कितने विद्यालयों में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;	सभी 14 विद्यालयों में साइंस लैब हैं और 11 विद्यालयों में कंम्प्यूटर लैब हैं और 3 विद्यालयों में कंम्प्यूटर लैब नहीं हैं
ख	घोंडा विधानसभा में कितने विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी पूर्ण रूप से कार्यशील है और कितनें में नहीं;	शिक्षा निदेशालय के 125 राजकीय विद्यालयों में लाइब्रेरी के डिजिटलीकरण की परियोजना अभी इस वर्ष प्रक्रियाधीन है।
ग	जिन विद्यालयों में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां इन्हें स्थापित करने हेतु सरकार की कार्य-योजना एवं समय-सीमा क्या है, विद्यालयवार विवरण प्रदान किया जाए;	उपरोक्तानुसार।
घ	घोंडा विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने सरकारी विद्यालयों में साइंस एवं कॉमर्स स्ट्रीम उपलब्ध है;	घोंडा विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 11 सरकारी विद्यालयों में साइंस स्ट्रीम एवं 12 सरकारी विद्यालयों में कॉमर्स स्ट्रीम उपलब्ध है।
ड़	इन विद्यालयों में साइंस विषय के लिए कितने नियमित (स्थायी) शिक्षक कार्यरत है तथा कितने पद रिक्त हैं,	विद्यालयों में साइंस विषय के लिए कितने नियमित (स्थायी) शिक्षक कार्यरत है तथा कितने पद रिक्त हैं, उनकी सूची **संलग्नक-क** के रूप में संलग्न है।

<table>
<tr><td></td><td>विद्यालय-वार एवं विषय-वार सूची उपलब्ध कराई जाए;</td><td></td></tr>
<tr><td>च</td><td>क्या सरकार द्वारा घोंडा विधानसभा क्षेत्र के सभी सरकारी विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब (Atal Tinkering Lab) स्थापित करने की कोई योजना प्रस्तावित/स्वीकृत है;</td><td rowspan="2">व्यवहार्यता का आकलन किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>छ</td><td>यदि हां, तो अब तक कितने विद्यालयों में यह लैब स्थापित की जा चुकी है तथा शेष विद्यालयों में इसे कब तक स्थापित किया जाएगा;</td></tr>
<tr><td>ज</td><td>घोंडा विधानसभा क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में कुल कितने शिक्षक पद स्वीकृत हैं, वर्तमान में इनमें से कुल कितने शिक्षक कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं व कार्यरत शिक्षकों में से कितने स्थायी एवं कितने अस्थायी/संविदा पर है, विषयवार एवं विद्यालयवार शिक्षकों की कमी का विवरण प्रदान किया जाए;</td><td><table>
<tr><th>Post Name</th><th>Sanction</th><th>Regular</th><th>Guest Teacher</th><th>Net Vacant</th></tr>
<tr><td>PGT/EVGC</td><td>405</td><td>275</td><td>82</td><td>48</td></tr>
<tr><td>TGT/TGT(MIL)</td><td>569</td><td>331</td><td>199</td><td>39</td></tr>
<tr><td>Misc. Teachers</td><td>167</td><td>104</td><td>45</td><td>18</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>झ</td><td>भविष्य में इन रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार की भर्ती/नियुक्ति योजना क्या है;</td><td>टीजीटी/टीजीटी (एमआईएल):-शिक्षा निदेशालय में रिक्त पदों को भरने के लिए, टीजीटी/टीजीटी (एमआईएल) के 9,866 रिक्त पदों के लिए डीएसएसएसबी को अनुरोध भेजा गया है और उक्त रिक्तियों के लिए डीएसएसएसबी द्वारा विज्ञापन संख्या 02/2024 दिनांक 12.01.2024 (4,536 पदों के लिए परीक्षा भी आयोजित की गई है, परिणाम प्रतीक्षित हैं) और 06/2025 दिनांक 03.10.2025 के माध्यम से विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया है।

पीजीटी/ईवीजीसी:-रिक्तियों को विज्ञापन के लिए डीएसएसएसबी को भेजा गया था। रिक्तियों का विज्ञापन विज्ञापन संख्या 01/2025 के माध्यम से प्रकाशित किया जा चुका है।

विशेष शिक्षक:- खाली पड़े हुए पदों को भरने के लिए डीएसएसएसबी को Requisition भेजी जा चुकी है और बाकि बचे हुए पदों के लिए भी Requisition भेजी जा रही है
विविध शिक्षक:- संबंधित रिक्तियां डीएसएसएसबी को भेजी जा चुकी है।</td></tr>
<tr><td>ट</td><td>क्या यह सत्य है कि घोंडा विधानसभा क्षेत्र के जनकल्याण (राजकीय) स्कूल के</td><td>जी हां, भजनपुरा (सह-शिक्षा) एसएसएस आरडीजेके में भेजा गया है।</td></tr>
</table>

	विद्यार्थियों को पूर्व में पोर्टा केबिन में अध्ययन करने के लिए विवश होना पड़ा था तथा वर्तमान में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को अन्य विद्यार्थियों की इमारतों में पढ़ाई करने के लिए भेजा हा रहा है;	
ठ	क्या उक्त विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए स्थायी भवन उपलब्ध कराने अथवा नए भवन के निर्माण की कोई योजना प्रस्तावित/स्वीकृत है; औऱ	प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा विभाग नए सकूलों के निर्माण और उच्च स्टूडेंट-क्लासरूम अनुपात (एस.सी.आर.) वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता और व्यवहार्यता अध्ययन डिजिटल प्रोफाइलिंग की प्रक्रिया में है।
ड़	यदि हां, तो उसका विवरण एवं संभावित समय-सीमा क्या है?	डिजिटल प्रोफाइलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात इसे चरणबद्ध तरीके से लोगू किया जाएगा।

उत्तर माननीय शिक्षा मंत्री जी की पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या:-37

दिनाँक:-06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री विशेष रवि जी

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	वष 2025-26 के दौरान जिला केन्द्रीय एवं नई दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत जोन-26, 27 और 28 में स्थित प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत पढ़ रहे बच्चों को किताबे, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म (गर्मी व सर्दी) की उपलब्ध कराई गई हैं या नहीं; और	जोन-26 के अंतर्गत आने वाले सभी निजी विद्यालय पाठ्यपुस्तकें, वर्दी तथा लेखन सामग्री प्रदान कर रहे हैं एवं भारतीय विद्या भवन मेहता विद्यालय, कस्तूरबा गांधी मार्ग ने विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तके, वर्दी तथा लेखन सामग्री प्रदान की है तथा भारतीय विद्या भवन मेहता विद्यालय, कस्तूरबा गांधी मार्ग को शेष विद्यार्थियों को 05 दिनों के भीतर पाठ्यपुस्तकें प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए है। जोन-27:- हां। जोन-28:- हां
ख	जिन स्कूलों द्वारा जब तक बच्चों को किताबे, स्टेशनरकी एवं यूनिफॉर्म	जोन-26 के अंतर्गत इस मामले में भारतीय विद्या भवन मेहता विद्यालय, कस्तूरबा गांधी मार्ग को शेष विद्यार्थियों को 05 दिनों के

	उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, उन स्कूलों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही एवं बच्चों को उपरोक्त सामग्री कब तक प्रदान कर दी जाएगी , इसकी जानकारी उपलब्ध कराए?	भीतर पाठ्यपुस्तकें प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं अन्यथा नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। जोन-27 के अंतर्गत उक्त के अनुसार स्कूल के विरूद्ध कोई कार्यवाही वांछनीय नहीं है। जोन-28 के अंतर्गत सत्र 2025-26 के दौरान मिली शिकायतों के अनुसार सिर्फ कुछ ही बच्चों को यूनिफॉर्म और स्टेशनरी नहीं मिल। जानल ऑफिस ने इन चीजों की उपलब्ध ना कराने के लिए संबंधित स्कूलों से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है तथा शिक्षा विभाग के आदेशानुसार बचे हुए बच्चों को यूनिफॉर्म, स्टेशनरी व किताबें एक सप्ताह के अंदर दे दी जाएगी।

उत्तर का प्रारूप माननीय शिक्षा मंत्री जी की पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 38

दिनाँक:-06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री संदीप सेहरावत जी

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	मटियाला विधानसभा क्षेत्र में स्थित अर्जुन पार्क एवं कुतुब विहार में विद्यालय भवनों की जमीन पर स्कूल बनाने की कोई योजना प्रस्तावित है;	मटियाला विधानसभा के अर्जुन पार्क में जमीन शिक्षा विभाग के पास उपलब्ध है परंतु डीडीए के अनुसार वहां भवन निर्माण की अनुमति नहीं है। इसी प्रकार कुतुब विहार में भी जमीन उपलब्ध है और वहां विद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है।
ख	यदि हां, तो कार्य कब तक पूर्ण किया जाएगा;	उपरोक्तानुसार।
ग	क्या यह सत्य है कि मटियाला विधानसभा क्षेत्र के मटियाला एसकेवी, छावाल एसकेवी तथा घुमनहेड़ा एसकेवी विद्यालयों की स्थिति अत्यंत खराब है तथा ये अभी भी टिन शेड में संचालित हो रहे हैं;	जी हां, स्कूल की इमारते जर्जर हालत में हैं। 1. मटियाला एसकेवी भवन का निर्माण वर्ष 1989, 1992 हुआ था तथा कोई टिन शेड नहीं है। 2. छावाल एसकेवी भवन का निर्माण वर्ष 1969, 1988 एवं 2008 था तथा 15 टिन शेड कमरे हैं, पर उपयोग में नहीं है। 3. घुमनहेड़ा एसकेवी विद्यालय भवन का निमार्ण वर्ष 1967 हुआ था तथा कोई टिन शेड नहीं है।

घ	यदि हां, तो इनके स्थायी निर्माण/मरम्मत हेतु क्या योजना बनाई गई है और कब तक कार्य पूरा किया जाएगा;	तीनों विद्यालयों के जर्जर भवनों को तोड़ने का प्रस्ताव प्रक्रियारत है।
ड़	क्या मटियाला विधानसभा क्षेत्र में नए सरकारी स्कूल खोलने की सरकारी की कोई योजना है;	शिक्षा विभाग Digital Profile ओर Feasibility assessment कर रहा है। जहां कक्ष और छात्र अनुपात अधिक है वहां शिक्षा विभाग द्वारा अतिरिक्त कक्ष/भवन का निर्माण किया जाएगा।
च	यदि हां, तो उनके प्रस्तावित स्थानों का विवरण उपलब्ध कराया जाए;	उपरोक्तानुसार।
छ	मटियाला विधानसभा क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में छात्रों को प्रदान की जारी मिड-डे-मील योजना किस एजेंसी/एनजीओ के माध्यम से संचालित की जा रही है; और	मटियाला विधानसभा क्षेत्र में एमडीएम सप्लाई कर रहे है, एनजीओ निम्न है:- 1. Ekta Shakti Foundation 2. Micro Educational and Social Welfare Society 3. Nav Prayas 4. Hope Heath Care
ज	क्या भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच की जी है, संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाए?	जी हां, शिक्षा विभाग द्वारा निविदा के माध्यम से चयनित FRAC Lab (FICCI) द्वारा भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाती है। FRAC Lab (FICCI) द्वारा प्रति माह हर एनजीओ के 3 नमूने विद्यालयों से और 1 नमूना केंद्रित रसोई से उठाया जाता है। भोजन की गुणवत्ता की FRAC Lab (FICCI) द्वारा प्रदान की गयी रिपोर्ट www.edudel.nic.in पोर्टल पर मासिक आवर्ती पर अपलोड की जाती है।

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 39

दिनाँक:-06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री मोहन सिंह बिष्ट जी

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे किः-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि एसी-69 मुस्ताफाबाद के अन्तर्गत खसरा नं.31/13/02 जो लगभग 362	जी हां, यह सत्य है कि एसी-69 मुस्तफाबाद के अंतर्गत खसरा नं. 31/13/02 जो लगभग 362 वर्ग गज की है,

	वर्ग गज की है, उक्त जमीन को डीडीए ने वर्ष 2017 में शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दिया था;	उक्त जमीन को डीडीए ने वर्ष 2017 में शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दिया था
ख	यदि हां तो क्या उक्त जमीन पर दिव्यांग बच्चों के लिए संसाधन निर्माण केन्द्र (सीडब्ल्यूएसएन रिसोर्स सेन्दर (G+2)) प्रस्तावित है, पूर्ण विवरण दें; और	क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार व्यवहार्यता का आकलन किया जा रहा है और तदनुसार परियोजना का प्रस्ताव और क्रियान्वयन किया जाएगा। हालांकि, इस समय एसकेवी, बाबरपुर एवं एसकेवी, लोनी रोड, पूर्व में एक-एक रिसोर्स सेंटर्स चल रहे हैं।
ग	शिक्षा विभाग द्वारा उक्त संदर्भ में की गई कार्रवाई का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए?	

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 40

दिनाँक:-06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री मोहन सिंह बिष्ट जी

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्र.सं.	**प्रश्न**	**उत्तर**
क	क्या यह सत्य है कि एसी-69 मुस्तफाबाद के अन्तर्गत खसरा नं. 36/25 जो लगभग 1018 वर्ग गज की है? उक्त जमीन को डीडीए ने वर्ष 2014 में शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दिया था;	जी हां, यह सत्य है कि एसी-69 मुस्तफाबाद के अंतर्गत खसरा नं. 36/25 जो लगभग 1018 वर्ग गज की है, उक्त जमीन को डीडीए ने वर्ष 2014 में शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दिया था।
ख	क्या उक्त जमीन पर माध्यमिक विद्यालय निर्माण की योजना दिल्ली सरकार के अन्तर्गत प्रस्तावित है;	जी हां, माध्यमिक विद्यालय बनाने का प्रस्ताव है।
ग	यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण दें; और	जी हां, शिक्षा निदेशालय ने लोक निर्माण विभाग को अनुरोध किया है कि सीपीडब्ल्यूडी नियमों के मुताबिक विद्यालय भवन के निर्माण हेतु नक्शा प्रेषित करें।
घ	शिक्षा विभाग द्वारा उक्त संदर्भ में की गई कार्रवाई का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए?	उपरोक्तानुसार।

अतारांकित प्रश्न संख्या:-41

दिनाँक:-06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- सुश्री अतिशी जी

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क</td><td>वर्ष 2025 के शिक्षा वर्ष के लिए एसडीएम के नेतृत्व में बनी कमेटियों ने जिन बिन सहायता वाले निजी विद्यालयों (Private Unaided Schools) के वित्तीय लेनदेन संबंधी ली गई ऑडिट रिपोर्ट की जांच की गई थीं, उन सभी स्कूलों की विस्तृत सूची दें;</td><td>1624 बिना सरकारी मदद वाले प्राइवेट स्कूलों का निरीक्षण किया गया।</td></tr>
<tr><td>ख</td><td>इन रिपोर्टों के आधार पर कितने स्कूलों को वित्तीय अनियमितताओं का या मुनाफाखोरी का दोषी पाया गया;</td><td rowspan="2">प्रक्रिया जारी है।</td></tr>
<tr><td>ग</td><td>ऐसे स्कूलों के विरूद्ध दिसंबर 2025 तक कौन सी दंडात्मक कार्रवाई, जैसे कारण बताओ नोटिस, जुर्माना या मान्यता वापस लेने की संस्तुति की गई, इसकी प्रति उपलब्ध कराएं;</td></tr>
<tr><td>घ</td><td>वर्ष 2025-2026 के सत्र के लिए जिन निजी स्कूलों ने अपनी फीस बढ़ाई है, उनकी सूची दें, प्रत्येक स्कूल की फीस वृद्धि का प्रतिशत भी बताएं, व क्या इस फीसवृद्धि की पूर्वस्वीकृति शिक्षा निदेशालय से या नवगठित स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमेटी (एसएलएफआरसी) से ली गई थी;</td><td>इस तरह का डाटा इकट्ठा करने की कोई प्रक्रिया 2025-26 से पहले नहीं होती थी और ना ही प्रत्येक स्कूल की फीस वृद्धि प्रतिशत के आधार पर कोई जानकारी समेकित की जाती थी।इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह देखा गया की इसमें नीतिगत अंतर था। इसके अलावा, दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस तय करने और रेगुलेशन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 जिसके लिए 10 दिसंबर 2025 को अधिसूचना जारी की गई थी, के तहत, 24 दिसंबर 2025 को SLFRC (स्कूल फीस रेगुलेटरी कमेटी) बनाने के लिए एक आदेश जारी किया गया था, और उसी के अनुसार फीस तय करने के लिए टाइमलाइन दी गई हैं।</td></tr>
<tr><td>ड़</td><td>सरकारी हस्तक्षेप के कारण कितने स्कूलों को फीसवृद्धि वापस लेने का आदेश दिया गया;</td><td>उपरोक्तानुसार।</td></tr>
<tr><td>च</td><td>क्या डीपीएस द्वारका द्वारा बढ़ी हुई फीस न दे पाने के कारण विद्यार्थियों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार के बारे में माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी से मंत्री महोदय अवगत हैं;</td><td>संबंधित नहीं है।</td></tr>
</table>

छ	क्या डीपीएस द्वारका द्वारा बढ़ी हुई फीस न दे पाने के कारण छात्रों को रोकने के लिए बाउंसरों का प्रयोग करने और बच्चों को लायब्रेरी में बंद करने के संबंध में एफआईआर कराई गई है; और	इस संबंध में मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। शिक्षा विभाग समय-समय पर स्थिति की समीक्षा कर रहा है।
ज	यदि नही तो जिलाधीश की अत्यंत आपत्तिजनक निरीक्षण रिपोर्ट के बावजूद आपराधिक कार्रवाई न करने का क्या कारण है?	उपरोक्तानुसार।

उत्तर का प्रारूप माननीय शिक्षा मंत्री जी की पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 42

दिनाँक:-06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री संजीव झा जी

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्र.सं.	**प्रश्न**	**उत्तर**
क	वर्ष 2025-26 में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के कितने दाखिले प्राइवेट स्कूलों में हुए और इन्हें करने की क्या प्रक्रिया अपनाई गई;	वर्ष 2025-26 में आर्थिक रूप से कमजोर 29706 छात्रों के दाखिले प्राइवेट स्कूलों में हुए और इन्हें करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:- शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार के निजी गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं (जैसे नर्सरी/प्री-स्कूल, केजी/प्री-प्राइमरी और कक्षा-1) में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के लिए ईडब्ल्यूएस/डीजी और सीडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश हेतु ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत लॉटरी प्रणाली का पालन करता है। शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए सत्र शुरू होने से पहले ही परिपत्र जारी कर दिए जाते हैं (जो शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट www.edudel.nic.in पर अपलोड किए जाते हैं) ताकि अभिभावकों को ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों की जानकारी मिल सके। कंम्प्यूटर आधारित लॉटरी के माध्यम से चयनित बच्चों को पात्रता पूरी होने पर और वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर आवंटित स्कूल में प्रवेश दिया जाता है।

ग		यदि पहली कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं, तो एक और लॉटरी निकाली जाती है और उसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
ख	क्या यह सत्य है कि इस वर्ष जो दाखिले किए गए सभी को शिक्षा मंत्री द्वारा बधाई पत्र दिए गए;	जी हां, यह सत्य है।
ग	जो पत्र दिए गए उनमें से कितने पत्र गलत पता एवं अन्य कार्य के कारण वापस आए सभी की सूची प्रदान की जाए;	1307 पत्र प्राप्त हूए, इन पर कार्यवाही जारी हैं।
घ	क्या यह सत्य है कि शिक्षा मंत्री द्वारा एडेड स्कूलों में शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं एसडीएम व अन्य अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई;	नहीं।
ड़	यदि हां तो उसे कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी, उसकी कॉपी दी जाए;	
च	क्या यह सत्य है कि वर्ष 2025 में एडेड स्कूलों में सीधी भर्ती करी गई यदि; और	जी हां, वर्ष 2025 में सीधी भर्ती की गई।
छ	यदि हां, तो उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई गई एवं सरकार का उसमें क्या रोल था तथा जिन जिन स्कूलों में भर्ती की गई उन सभी शिक्षकों की सूची प्रदान की जाए?	कुछ एडेड स्कूलों ने 2025 में शिक्षकों की सीधी भर्ती की थी, जिसमें सरकार/विभाग का कोई रोल नहीं था। विभाग को इस बात की सूचना अखबारों/शिकायतों से पता चला, जिसके बाद विभाग ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन काननू और नियमों के तहत कार्रवाई की गई। भर्ती प्रक्रिया में कोई रोल न होने के कारण, विभाग के पास कोई सूची उपलब्ध नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्याः- 43

दिनाँकः-06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नामः- श्रीमति पूनम शर्मा जी

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे किः-

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क</td><td>वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र, विशेषकर अशोक विहार में स्थित दिल्ली सरकार के स्कूलों की इमारतें किस वर्ष निर्मित की गई थी, तथा इनमें</td><td>वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र के आशोक विहार में स्थित स्कूल निम्न प्रकार है:-
<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>School Name</th><th>Construction Year</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Ashok Vihar, Phase-I Block-H, SKV</td><td>1972</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Ashok Vihar, Block D- GGSSS</td><td>1980</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>से कितने स्कूल भवन पुराने एवं जर्जर अवस्था में हैं;</td><td><table><tr><td>3.</td><td>Ashok Vihar, SKV Phase-II</td><td>1974 & New Building in 2017</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>ख</td><td>इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंतिम बार संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) सर्वे कब कराया गया था, और उसके आधार पर कितने स्कूलों को तत्काल मरम्मत या पुनर्निर्माण की आवश्यकता बताई गई है;</td><td>इन विद्यालयों में अंतिम बार संरचनात्म सर्वे की स्थिति निम्न प्रकार है:-<table><tr><th>Sl. No.</th><th>School Name</th><th>Last Structure Audit Year</th><th>Remarks</th></tr><tr><td>1.</td><td>Ashok Vihar, Phase-I Block-H, SKV</td><td>2023</td><td>मरम्मत की जरूरत नहीं है।</td></tr><tr><td>2.</td><td>Ashok Vihar, Block D-GGSSS</td><td>2016</td><td>मरम्मत की जरूरत नहीं है।</td></tr><tr><td>3.</td><td>Ashok Vihar, SKV Phase-II</td><td>2024</td><td>मरम्मत की जरूरत नहीं हैं, फिर भी कुछ कमरे जर्जर हालत में है।</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>ग</td><td>वर्ष 2023 से 2025 के दौरान वजीरपुर क्षेत्र के सरकारी स्कूलों की मरम्मत के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई कितनी राशि वास्तव में खर्च हुई, तथा किन-किन स्कूलों में यह कार्य कराया गया;</td><td>इन विद्यालयों में ईओआर में निम्न प्रकार राशि स्वीकृत की गयी:-<table><tr><th>Sl. No.</th><th>School Name</th><th>EOR Sanction (2023-2024)</th><th>EOR Section (2024-25)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Ashok Vihar, Phase-I Block-H, SKV</td><td>36,68,546/-</td><td>NIL</td></tr><tr><td>2.</td><td>Ashok Vihar, Block D- GGSSS</td><td>22,84,100/-</td><td>NIL</td></tr><tr><td>3.</td><td>Ashok Vihar, SKV Phase-II</td><td>21,59,100/-</td><td>NIL</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>घ</td><td>क्या यह सत्य है कि कई सरकारी स्कूलों के बाहर स्कूल के बाहर स्कूल शुरू होने और छुट्टी के समय अवैध पार्किंग एवं अतिक्रमण के कारण गंभीर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है, जिससे छोटे बच्चो, अभिभावकों एवं स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा प्रभावित होती है;</td><td>शिक्षा विभाग के जिले के उप-शिक्षा निदेशक एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा इसकी नियमित रूप से देख-रेख की जाती है और समय-समय पर अन्य विभागों के साथ मिलकर इस पर उचित कार्रवाई की जाती है।</td></tr>
<tr><td>ड़</td><td>बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों के बाहर नो-पार्किंग जोन, पिक-उप/ड्रॉप जोन, स्पीड ब्रेकर, जेब्रा क्रॉसिंग, चेतावनी संकेत बोर्ड तथा ट्रैफिक पुलिस या वार्डन की तैनाती के संबंध में क्या</td><td>छात्रों के विद्यालय आने और जाने के समय अध्यापकों की गेट पर ड्यूटी लगायी जाती है। सुरक्षा कर्मचारी सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रहते हैं और विद्यालय के प्रधानाचार्य समस्त सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करते हैं।</td></tr>
</table>

	कोई स्थायी योजना बनाई गई है;	
च	क्या यह भी सत्य है कि कई स्कूलों के बाहर गंदगी, कूड़ा-कचरा और अवैध पार्किंग एक साथ होने के कारण स्वच्छता और सुरक्षा दोनों प्रभावित हो रही है;	शिक्षा विभाग के जिले के उप-शिक्षा निदेशक एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा इसकी नियमित रूप से देख-रेख की जाती है और समय-समय पर अन्य विभागों के साथ मिलकर इस पर उचित कार्रवाई की जाती है।
छ	यदि हों तो इस संबंध में नियमित सफाई, अतिक्रमण हटाने एवं निरीक्षण की जिम्मेदारी किस विभाग की हैख्; और	उपरोक्तानुसार
ज	पिछले एक वर्ष में वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र के कितने सरकारी स्कूलों के बाहर सफाई, पार्किंग और अतिक्रमरण व्यवस्था को लेकर संयुक्त निरीक्षण किया गया है, और इसके आधार पर क्या कार्रवाई की गई है?	उपरोक्तानुसार

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 44

दिनाँक:-06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री कुलदीप कुमार जी

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे किः-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस निर्धारण एवं नियमन में पारदर्शिता) अधिनियम 2025 का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया के लिए कालक्रमानुसार संपूर्ण समय-प्रक्रिया एवं प्रशासनिक प्रक्रिया क्या है;	विभागीय अभिलेखों के अनुसार विधायी/प्रशासनिक प्रक्रिया के उपरांत उक्त विधेयक दिनांक 08.08.2025 को दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित हुआ, दिनांक 13.08.2025 को माननीय उपराज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई तथा दिनांक 14.08.2025 को दिल्ली गजट (असाधारण) में प्रकाशित/अधिसूचित हुआ। अधिनियम के उपबंध विभागीय

		अधिसूचना के दिल्ली राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त हुए। इस संबंध में विभागीय अधिसूचना दिनांक 09.12.2025 जारी की गई थी, जिसका दिल्ली राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन दिनांक 10.12.2025 को हुआ।
ख	इस अधिनियम के लिए रा.रा.क्षे.दि. सरकार के विधि विभाग द्वारा, वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा अथवा सरकार के नियमित स्थाई अधिवक्ताओं के अतिरिक्त विविविभाग के बाहर से मंगाए गए और प्राप्त हुए वैधानिक परामर्श की एक विस्तृत सूची उनकी प्रतिलिपियों सहित उपलब्ध कराएं;	दिल्ली सरकार के विधि सचिव से सुझाव लिए गए थे।
ग	बाहर से मंगाए गए परामर्श के संबंध मं कृपया संबंधित व्यक्तियों अथवा विधि विशेषज्ञों का नाम भी बताएं;	लागू नहीं होता।
घ	इस प्रकार बाहर से मंगाए गए परामर्शों के लिए कुल पेशेवर शुल्क अथवा मानदेय की राशि बताएं व सरकार के अपने विधि विधि विभाग पर निर्भर करने के बजाए बाहर से परामर्श के लिए जाने के क्या कारण हैं;	चूंकि बाहरी कानूनी राय प्राप्त नहीं की गई, अत: कोई पेशेवर शुल्क/मानदेय, देय/भुगतान नहीं किया गया।
ड़	इस संबंध में शिक्षा विभाग की संपूर्ण आंतरिक नोटिंग व पत्र-व्यवहार की प्रति उपलब्ध कराएं जिसमें शिक्षा सचिव एवं मंत्री महोदय की विशिष्ट टिप्पणियां भी हों;	लागू नहीं होता।
च	क्या किसी भी परामर्श में दिल्ली स्कूल एजूकेशन (फीस निर्धारण एवं नियमन में पारदर्शिता) अधिनियम 2025 में और दिल्ली स्कूल एजूकेशन अधिनियम एंड रूल्स 1973 में क्या काई टकराव (Conflicts) है, यदि हा, तो इन्हें कैसे दूर किया गया; और	दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस निर्धारण एवं नियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 के उपबंध दिल्ली स्कूल एजुकेशन अधिनियम एवं नियम, 1973 के अतिरिक्त है तथा उनके प्रतिकूल नहीं है।
छ	असहमति एवं सावधानी हेतु पॉइंट ऑफ कॉशन दर्शाने वाली फीस सीमा निर्धारण लागू करने वाली सभी वित्त एवं विधि विभाग की टिप्पणियों की प्रतियां उपलब्ध कराएं?	फीस-नियंत्रण/विनियमन व्यवस्था के संबंध में विधि विभाग अथवा वित्त विभाग द्वारा कोई असहमति नोट/चेतावनी (Dissent Notes/Point of Caution) अभिलेख पर दर्ज नहीं की गई।

उत्तर माननीय शिक्षा मंत्री जी की पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित किया जाता है

अतारांकित प्रश्न संख्या:-45

दिनाँक:-06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री सतीश उपाध्याय जी

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे किः-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 'ब्रीद स्मार्ट योजना' के अंतर्गत लगाए गए एयर प्योरीफायरों की कुल संख्या क्या है और इनमें से मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में कितने लगे हैं;	यह प्रक्रियाशील है।
ख	ग्रैप 4 के प्रतिबंधों व लंबे समय तक स्कूल में कक्षाओं की पढ़ाई न होने और पूरी तरह ऑनलाइन पढ़ाई किए जाने को देखते हुए, विशेष रूप से प्राथमिक व आरंभिक स्तर के विद्यार्थियों के संबंध में, शिक्षा में आए अंतराल (Learning Gap) को पूरा करने के लिए सरकार की क्या योजना है;	शिक्षा निदेशालय, जीआरएपी-4 प्रतिबंधों और कक्षा शिक्षण में लंबे समय तक व्यवधान के कारण उत्पन्न हुए अधिगम अंतर को बहुआयामी रणनीति के माध्यम से दूर करने का प्रयास कर रहा है। शिक्षकों को सुलभ डिजिटल और ऑफलाइन संसाधनों का उपयोग करके छात्रों के साथ नियमित शैक्षिणक जुड़ाव बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन दिया जा रहा है। विशेष रूप से बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में, लक्षित उपचारात्मक शिक्षण, योग्यता-आधारित अधिगम और गतिविधि-उन्मुख कक्षा अभ्यासों पर जोर दिया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी बच्चा पीछे न छूट जाए, लचीली शैक्षणिक योजना और अतिरिक्त शिक्षण सहायता को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है

ग	पूरी दिल्ली और विशेषकर मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं जैसे साफ पेयजल, विद्युत आपूर्ति, कक्षाओं में प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता व अग्नि शमन आदि की वर्तमान स्थिति क्या है;	पूरी दिल्ली तथा विशेषकर मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वच्छ पेयजल, विद्युत आपूर्ति, कक्षाओं में प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता व अग्नि शमन आदि की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।
घ	'अपार आईडी' वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के क्रियान्वयन की क्या स्थिति है, क्या इन्हें आधार से जोड़ा गया है व जिन छात्रों के पास आधार नहीं है, उनके लिए क्या प्रावधान है; और	'अपार आईडी' वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी को आधार के साथ जोड़ा गया है। अत: अपार आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार जरूरी है। सभी विद्यालयों में UDISE एवं स्टूडेंट आईडी से संबंधित कार्य प्रगति पर है। अधिकांश विद्यार्थियों का डेटा आधार से लिंक किया जा चुका है जिन विद्यार्थियों के पास आधार उपलब्ध नहीं है, उनके लिए वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों के आधार पर अस्थायी प्रविष्टि की सुविधा प्रदान की गई हैं।

<table>
<tr>
<td>ड़</td>
<td>अध्यापकों की रिक्तियों के संबंध में वर्तमान स्थिति, विशेषरूप से मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों के संबंध में, क्या है और स्वीकृत पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में स्थिति क्या है?</td>
<td>मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में पदों की स्थिति निम्नानुसार है:-
<table>
<tr><th>Post Name</th><th>Sanction</th><th>Regular</th><th>Guest Teacher</th><th>Net Vacant</th></tr>
<tr><td>PGT/EVGC</td><td>149</td><td>134</td><td>22</td><td>15</td></tr>
<tr><td>TGT/TGT(MIL)</td><td>252</td><td>165</td><td>73</td><td>14</td></tr>
<tr><td>Misc. Teachers</td><td>143</td><td>75</td><td>45</td><td>23</td></tr>
</table>

पीजीटी/ईवीजीसी:- रिक्तियों को विज्ञापन के लिए डीएसएसएसबी को भेजा गया था रिक्तियों का विज्ञापन संख्या 01/2025 के माध्यम से प्रकाशित किया जा चुका है।

विविध शिक्षक:- संबंधित रिक्तियां डीएसएसएसबी को भेजी जा चुकी है।

टीजीटी/टीजीटी(एमआईएस): के 9866 रिक्त पदों के लिए डीएसएसएसबी केा अनुरोध भेजा गया है और उक्त विरिक्तयों के लिए डीएसएसएसबी द्वारा विज्ञापन संख्या 02/2024 दिनांक 12.01.2024 (4536 पदों के लिए परीक्षा भी आयोजित की गई है, परिणाम प्रतीक्षित है) और 06/2025 दिनांक 03.10.2025 के माध्यम से विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया है।</td>
</tr>
</table>

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 46

दिनाँक:-06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री कुलदीप कुमार जी

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्र.सं.	**प्रश्न**	**उत्तर**
क	क्या यह सत्य है कि सरकार ने वर्ष 2025 में डॉ बी.आर. अंबेडकर स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का नाम औपचारिक रूप से बदलकर ‘सीएम श्री स्कूल (चीफ मिनिस्टिर स्कूल्स फॉर	नहीं।

	हॉलिस्टिक रीसोर्स एंड एजूकेशन एक्सीलेंस) कर दिया है;	
ख	यदि हां, तो नाम के इस परिवर्तन के लिए निर्देश जारी करने वाले प्राधिकारी अथवा अधिकारी का नाम व पदनाम बताएं, व इस परिवर्तन का औपचारिक आदेश किस तिथि को जारी हुआ था;	लागू नहीं होता।
ग	भारत रत्न डॉ. बी आर अंबेडकर के नाम को हटाने के इस निर्णय के संबंध में संपूर्ण फाइल नोटिंग्स, आंतरिक पत्रव्यवहार तथा कैबिनेट नोट की प्रतियां सदन के पटल पर रखी जाएं;	
घ	क्या एक वर्तमान शैक्षिक परियोजना से डॉ. बीर आर अंबेडकर के नाम को हटाने के कारण होने वाले सामाजिक एवं वैधानिक निहितार्थों के बारे में विधि विभाग से कानूनी सलाह ली गई थी;	
ड़	इस परिवर्तन प्रक्रिया में सभी स्कूलों में संकेतों, बोर्डों को बदले जाने, सरकारी स्टेशनरी, वेबसाइट व डिजिटल पोर्टल्स को अपडेट करने तथा सीएम श्री के प्रचार व विज्ञापन पर किए जाने वाले खर्च की कुल अनुमानित लागत क्या है;	प्रचार व विज्ञापन पर कोई खर्च नहीं किया गया है।
च	क्या डॉ. बी आर अंबेडकर का नाम हटाए जाने को लेकर नागरिकों, शिक्षा विशेषज्ञों अथवा सामाजिक संगठनों की ओर कोई प्राप्त हुए हैं, यदि हां तो ऐसी कितनी आपत्तियां/प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं और सरकार ने उनका क्या उत्तर दिया है; और	इस संदर्भ में 03 प्रतिवेदन प्राप्त हुए है।
छ	क्या यह परिवर्तन शैक्षिक मॉडल अथवा इन स्कूलों के पाठ्यक्रम में किसी परिवर्तन को दर्शाता है अथवा यह केवल नाम का ही परिवर्तन है?	लागू नहीं होता।

उत्तर का प्रारूप माननीय शिक्षा मंत्री जी की पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 47

दिनाँक:-06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री चौधरी ज़ुबेर अहमद जी

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि SIR के तहत अत्यधिक दस्तावेज़ीकरण के कारण जनता को कठिनाइयाँ हो रही हैं;	उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली में अभी SIR शुरू नहीं हुआ है
ख	क्या यह सत्य है कि स्कूलों में स्टाफ की कमी के बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षक SIR और अन्य कार्यों के लिए तैनात किए जा रहे हैं; और	उपरोक्तानुसार।
ग	यदि हाँ, तो सरकार ने इस स्थिति का छात्रों की पढ़ाई पर पड़ने वाले प्रभाव का क्या मूल्यांकन किया है और इसे सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?	

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 48

दिनाँक:-06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री चौधरी ज़ुबेर अहमद जी

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर

क	क्या यह सत्य है कि गांधी 'को एड' / ब्रह्मपुरी स्कूल को वर्ष 2021 के आसपास गिरा दिया गया था और आज तक उसका पुनर्निर्माण शुरू नहीं हुआ है;	ब्रह्मपुरी विद्यालय के पुर्निर्माण की प्रक्रिया, पेड़ कटाई/विस्थापित की वजह से लंबित है। पेड़ कटाई के लिए प्रधानाचार्य और उप-शिक्षा निदेशक को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं, निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा।
ख	क्या यह भी सत्य है कि उक्त स्कूल के पुनर्निर्माण से संबंधित फाइल विभिन्न विभागों के बीच लंबित है और अब तक उस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है; और	उपरोक्तानुसार।
ग	यदि हाँ, तो इस असामान्य देरी के क्या कारण हैं और स्कूल का पुनर्निर्माण कब तक पूरा किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को हो रही परेशानी समाप्त हो सके ?	उपरोक्तानुसार।

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 49

दिनाँक:-06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री चौधरी ज़ुबैर अहमद जी

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे किः-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली सरकार के कई स्कूलों में, विशेषकर सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में, आज भी उचित सीवर कनेक्शन उपलब्ध नहीं हैं और वे केवल सेप्टिक टैंक पर निर्भर हैं;	शिक्षा निदेशालय के विद्यालयों में सीवर कनेक्शन की व्यवस्था करवाई गई है। जिस विद्यालय में सीवर कनेक्शन क्षेत्रानुसार नहीं हैं, वहां एसटीपी की एवं अन्य वैकल्पिक व्यवस्था हैं।
ख	यदि हाँ, तो दिल्ली सरकार के ऐसे कितने स्कूल हैं जहाँ अभी तक स्थायी और पूर्ण सीवर कनेक्शन नहीं दिया गया है;	कुल 06 स्कूलों में सीवर कनेक्शन नहीं है, परंतु एसटीपी व वैकिल्पक व्यवस्था उपलब्ध है।
ग	क्या सरकार द्वारा इन स्कूलों में स्वच्छता, स्वास्थ्य और विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उचित सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है; और	उपरोक्तानुसार।
घ	यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?	उपरोक्तानुसार।

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 50

दिनाँक:-06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- सूर्य प्रकाश खत्री जी

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क</td><td>क्या यह सत्य है कि दिल्ली में अनेक सरकारी विद्यालयों के भवन काफी पुराने और जर्जर हो चुके हैं जो कि बच्चों एवं शिक्षकों की सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर विषय है;</td><td>जी हां, कुछ विद्यालयों के भवन पुराने और जर्जर हो चुके हैं।</td></tr>
<tr><td>ख</td><td>यदि हाँ, तो क्या सरकार ने सभी सरकारी विद्यालय भवनों का समयबद्ध रूप से संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट करने की कोई व्यापक योजना बनाई है ताकि जर्जर भवनों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत/पुनर्निर्माण किया जा सके;</td><td>शिक्षा विभाग सभी सरकारी भवनों के डिजिटल प्रोफाइलिंग और व्यवहार्यता अध्ययन करने की प्रक्रिया में है।</td></tr>
<tr><td>ग</td><td>क्या सरकार द्वारा विद्यालयों में खेलकूद को समान महत्व देने हेतु कोई विशेष नीति/कार्यक्रम तैयार किया गया है जिससे बच्चों के आउटडोर खेलों के प्रति रूचि विकसित हो;</td><td rowspan="3">स्कूलों में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा खेलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, जिसे मंत्रिमंडल निर्णय संख्या 3226 दिनांक 26.07.2025 द्वारा अनुमोदित किया गया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली सरकार विभिन्न श्रेणियों के पदक विजेताओं को नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। इसके साथ-साथ, यह योजना विद्यालयी छात्रों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रशिक्षण सहायता के रूप में अधिकतम 05 लाख तक की राशि प्रदान करती है तथा 05 लाख तक की चिकित्सा बीमा सुविधा भी उपलब्ध कराती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार पीपीपी मॉडल के माध्यम से तथा अपने संसाधनों द्वारा विद्यालयों में खेल अकादिमयां खोलने की योजना बना रही है, ताकि छात्रों को उच्च स्तर का पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। विभाग द्वारा शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों, स्टेडियमों/खेल परिसरों/खेल केंद्रों में आधुनिक खेल उपकरणों की खरीद हेतु निविदाएं पहले ही आमंत्रित की जा चुकी है। निविदाओं के अंतिम रूप से स्वीकृत होने के पश्चात, संबंधित उपकरणों की खरीद कर उन्हें प्राप्त अनुरोधों के अनुसार सभी विद्यालयों, स्टेडियमों/खेल परिसरों/खेल केंद्रों को उपलब्ध कराया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>घ</td><td>क्या इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा विद्यालयों के पर्याप्त खेल मैदान, आधुनिक खेल सामग्री, प्रशिक्षित, खेल शिक्षक उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई गई है; और</td></tr>
<tr><td>ङ</td><td>उपरोक्त संबंध में सरकार द्वारा उठाए जा रहे वर्तमान एवं प्रस्तावित कदमों का पूर्ण विवरण दें?</td></tr>
</table>

		जहां तक विद्यालयों में खेल मैदानों के विकास का प्रश्न है, विभाग विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त स्थानों की पहचान करने तथा यह परीक्षण करने की प्रक्रिया में है कि उनका उपयोग किस खेल के लिए और किस प्रकार किया जा सकता है। इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय अंतिम रूप दिया जाएगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 51

दिनाँक:-06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री कुलदीप सोलंकी जी

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	पालम विधानसभा में सर्वोदय कन्या विद्यालय विजय इनक्लेव (1821025) मे लगभग 10 साल से एक ही प्रिंसिपल विराजमान है जबकि SKV पालम इनक्लैव (1821001) मे प्रधानाचार्य का तबादला बहुत थोड़े समय बाद हो गया और उसके बदले किसी दूसरे Principal को आज तक नही भेजा गया;	पालम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोदय कन्या विद्यालय विजय इनक्लेव (1821025) विद्यालय में वर्तमान में 26/07/2017 से प्रधानाचार्य कार्यरत है एवं एसकेवी पालम इनक्लेव (1821001) में दिनांक 16/11/2023 से प्रधानाचार्य कार्यरत है।
ख	यदि हां, तो सर्वोदय कन्या विद्यालय जिसमे 10 साल से एक ही Principal है उसकी शैक्षिणक स्थिति दयनीय है, ऐसी स्थिति मे मेरा प्रश्न यह है; और	आवश्यकतानुसार, समय समय पर तबादला किया जाता है।
ग	क्या सरकार कोई ठोस नई तबादला नीति लेकर आ रही हैं जिससे सभी स्कूलों का प्रबंधन प्रभावी रूप से हो सके और जो स्कूल प्रधानाचार्य रहित है वहाँ कब तक नये School Head की नियुक्ति हो जाएगी?	

अतारांकित प्रश्न संख्या:-52

दिनाँक:-06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नामः- श्री अशोक गोयल जी

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे किः-

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क</td><td>मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार के कुल कितने स्कूल हैं , पूर्ण विवरण दें;</td><td>मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार में 21 स्कूल हैं, जिसका पूर्ण विवरण संलग्नक-क के रूप में संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>ख</td><td>क्या उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में पिछले १० साल में सरकार द्वारा नए स्कूल या कमरे बनाए गए हैं;</td><td>मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 साल में सरकार द्वारा नए स्कूल या कमरे बनाए गए, वो निम्न प्रकार है:-
<table>
<tr><th>S.No.</th><th>Name of School</th><th>No. of equivalent classroom</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>GBSSS No.2, Roop Nagar</td><td>24</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>GBSSS, No.1, Roop Nagar</td><td>28</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>SKV, Rana Pratap Bagh</td><td>40</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ग</td><td>यदि हाँ तो उनकी लागत सहित विस्तृत ब्यौरा दें;</td><td>प्राथमिकता-2 के तहत सरकारी विद्यालय के मौजूदा परिसर में निर्माण के लिए संयुक्त मंजूरी दी गई और पीडब्ल्यूडी विभाग से जानकारी मांगी गई है व उसका जवाब प्रतीक्षारत है, जानकारी प्राप्त होते ही उपलब्ध करा दी जाएगी।</td></tr>
<tr><td>घ</td><td>उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार स्कूलों में कितने खाली पद हैं , इनका ब्यौरा दिया जाए;</td><td>मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों में खाली पदों का ब्यौरा:-
<table>
<tr><th>Post Name</th><th>Sanction</th><th>Working</th><th>Vacant</th></tr>
<tr><td>Principal</td><td>17</td><td>10</td><td>07</td></tr>
<tr><td>Vice - Principal</td><td>24</td><td>09</td><td>15</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Post Name</th><th>Sanction</th><th>Regular</th><th>Guest Teacher</th><th>Net Vacant</th></tr>
<tr><td>PGT/EVGC</td><td>263</td><td>214</td><td>26</td><td>23</td></tr>
<tr><td>TGT/TGT(MIL)</td><td>397</td><td>272</td><td>94</td><td>31</td></tr>
<tr><td>Misc. Teachers</td><td>191</td><td>138</td><td>36</td><td>17</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ड़</td><td>उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के समस्त प्रधानाचार्यों के नाम और मोबाइल नंबर सहित पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाए;</td><td>उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के समस्त प्रधानाचार्यों के नाम और मोबाइल नंबर सहित पूर्ण विवरण संलग्नक-ख के रूप में संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>च</td><td>पिछले 2013 से 2025 तक कक्षा 9वीं , 10वीं और 12वीं में ड्राप ऑउट बच्चो की संख्यां कितनी</td><td>पूर्व में, मांगे गए प्रारूप में आंकड़े संकलित नहीं किए गए थे। इस संबंध में वांछित आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं।</td></tr>
</table>

	रहीं हैं , वर्षवार पूर्ण विवरण दें; और	
छ	मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में कितने सीएम श्री स्कूल हैं, तथा क्या भविष्य में और भी सीएम श्री स्कूल बनाने की दिल्ली सरकार की योजना हैं?	एक सीएम श्री स्कूल राणा प्रताप बाग (1309271) है तथा भविष्य में नीतिगत निर्णय के आधार पर सीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे।

उत्तर का प्रारूप माननीय शिक्षा मंत्री जी की पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 53

दिनाँक:-06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री गजेन्द्र दराल जी

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	लाडपुर गांव में स्थित विद्यालय भवन में DIET (District Institute of Education and Training) अथवा आईटीआई (ITI - Industrial Training Institute) की स्थापना की जा सकती है;	इस प्रस्ताव की व्यवहार्यता का आकलन किया जाएगा।
ख	क्या सरकार द्वारा लाडपुर में DIET अथवा ITI स्थापित करने हेतु कोई योजना प्रस्तावित है; और	उपरोक्तानुसार।
ग	यदि नहीं, तो भविष्य में इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?	

उत्तर माननीय शिक्षा मंत्री जी की पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

अतारांकित प्रश्न संख्या:-54

दिनाँक:-06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नामः- श्री प्रेम चौहान जी

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे किः-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 के प्रारूप (Drafting) से लेकर उसकी अधिसूचना (Notification) तक की पूरा कालानुक्रमिक विवरण (Timeline) एवं प्रशासनिक प्रक्रिया क्या रही;	विभागीय अभिलेखों के अनुसार विधायी/प्रशासनिक प्रक्रिया के उपरांत उक्त विधेयक दिनांक 08.08.2025 को दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित हुआ, दिनांक 13.08.2025 को माननीय उपराज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई तथा दिनांक 14.08.2025 को दिल्ली गजट (असाधारण) में प्रकाशित/अधिसूचित हुआ। उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों की विभागीय अधिसूचना दिनांक 09.12.2025 है, जिसका दिल्ली राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन दिनांक 10.12.2025 को हुआ।
ख	क्या इस अधिनियम के संबंध में कानूनी राय (Legal Opinion) प्राप्त की गई थी;	जी हां, उक्त अधिनियम/नियमों के संबंध में विधि विभाग, दिल्ली सरकार से वैधानिक परीक्षण/वेटिंग (कानूनी राय) प्राप्त की गई।
ग	यदि हाँ, तो कृपया सभी प्राप्त कानूनी रायों की पूरी सूची एवं उनकी सत्यापित प्रतियाँ उपलब्ध करायें जिन्हें निम्न श्रेणियों में स्पष्ट रूप से विभाजित किया जाए - दिल्ली सरकार (GNCTD) के विधि विभाग द्वारा दी गई आधिकारिक कानूनी राय, सरकार के नियमित स्टैंडिंग काउंसल के अतिरिक्त बाहरी कानूनी विशेषज्ञों / वरिष्ठ अधिवक्ताओं / निजी लॉ फर्मों से प्राप्त स्वतंत्र कानूनी राय;	प्रश्न में मांगी गई जानकारी संबंधित मामले के संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा किए गए प्रारूपण, परीक्षण/परीक्षणात्मक जांच, आंतरिक परामर्श तथा विधिक जांच से संबंधित है।
घ	जिन मामलों में विधि विभाग के अतिरिक्त बाहरी कानूनी विशेषज्ञों से राय ली गई, वहाँ कृपया यह स्पष्ट किया जाए, परामर्श लिए गए व्यक्तिगत कानूनी विशेषज्ञों / लॉ फर्मों के नाम;	कानूनी राय, जहां भी आवश्यक हो, स्थापित सरकारी प्रथा के अनुसार प्राप्त की जाती है।

ड़	इस विशिष्ट अधिनियम के संबंध में बाहरी कानूनी राय प्राप्त करने हेतु उन्हें कुल कितना पेशेवर शुल्क / मानदेय भुगतान किया गया;	उपरोक्तानुसार।
च	सरकार के आंतरिक विधि विभाग पर निर्भर रहने के बजाय बाहरी कानूनी विशेषज्ञों से राय लेने का औचित्य एवं कारण क्या थे;	
छ	शिक्षा विभाग की सभी संबंधित फाइलों की नोटिंग एवं पत्राचार, विशेष रूप से प्रारूप तैयार करते समय सचिव (शिक्षा) एवं प्रभारी मंत्री द्वारा की गई टिप्पणियाँ;	उपरोक्तानुसार।
ज	क्या किसी आंतरिक अथवा बाहरी कानूनी राय में यह इंगित किया गया था कि यह अधिनियम दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम एवं नियम, 1973 (DSEAR) के साथ किसी प्रकार के टकराव (Conflict) की स्थिति उत्पन्न कर सकता है;	इस अधिनियम के प्रावधान दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम,1973 के अतिरिक्त हैं, ना कि उसके लघुकरण में।
झ	यदि हाँ, तो ऐसे टकरावों को अंतिम प्रारूप में किस प्रकार सुलझाया गया, इसका विवरण दिया जाए;	उपरोक्तानुसार।
ण	क्या इस अधिनियम के अंतर्गत फीस नियंत्रण (Fee-Capping) व्यवस्था को लागू करने के संबंध में विधि विभाग अथवा वित्त विभाग द्वारा कोई असहमति नोट / चेतावनी (Dissent Notes / Points of Caution) दर्ज की गई थी;	
ट	यदि हाँ, तो उनके विवरण एवं प्रतियाँ सदन में रखी जाएँ; और	उपरोक्तानुसार।
ठ	इस विशिष्ट अधिनियम से संबंधित सभी फाइलों में उपलब्ध संपूर्ण फाइल नोटिंग एवं पत्राचार की प्रतियाँ उपलब्ध करायें?	

उत्तर का प्रारूप माननीय शिक्षा मंत्री जी की पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : **55** **उच्च शिक्षा**

दिनांक : 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री करनैल सिंह

क्या माननीय उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्रम सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	दिल्ली सरकार अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को शामिल करने जैसी अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए वैश्विक स्तर पर अग्रणी विश्वविद्यालयों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग और छात्रविनिमय कार्यक्रम जैसी क्या पहल कर रही है;	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को सुदृढ़ करने, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने तथा विशेष रूप से उभरती प्रौद्योगिकियों और नवाचार के क्षेत्रों में शैक्षणिक एवं अनुसंधान गतिविधियों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने हेतु अनेक महत्वपूर्ण पहलें की जा रही हैं। प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं: <u>अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग:</u> अमेरिका, यूरोप तथा एशिया के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ अनुसंधान सहयोग एवं समझौता ज्ञापन (MoUs) स्थापित किए गए हैं। ये सहयोग संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, सह-लेखित प्रकाशनों तथा संकाय विनिमय कार्यक्रमों पर केंद्रित हैं। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटाविज्ञान, साइबर सुरक्षा, मशीन-लर्निंग, वीएलएसआई, रोबोटिक्स तथा संगणकीय जीव विज्ञान जैसे उभरते क्षेत्र शामिल हैं। <u>छात्र एवं संकाय विनिमय कार्यक्रम:</u> अग्रणी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ छात्रविनिमय, सेमेस्टर-विदेश कार्यक्रम, ग्रीष्मकालीन अनुसंधान इंटर्नशिप तथा अल्पकालिक शैक्षणिक भ्रमण को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, संकाय विनिमय कार्यक्रम तथा पी.एच.डी. अनुसंधान के संयुक्त पर्यवेक्षण से अंतरराष्ट्रीय अनुभव एवं अनुसंधान की गुणवत्ता में निरंतर वृद्धि हो रही है। <u>उत्कृष्टता केंद्र एवं उन्नत अनुसंधान प्रयोगशालाएँ:</u>

		दिल्ली में स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मानव–कंप्यूटर अंतःक्रिया, नेटवर्किंग, वाक् एवं भाषा प्रौद्योगिकियाँ तथा स्वास्थ्य सूचनाविज्ञान जैसे उभरते क्षेत्रों में अनेक विशिष्ट अनुसंधान केंद्र एवं अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं। ये केंद्र अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक भागीदारों एवं वैश्विक उद्योग अग्रणियों के सहयोग से संचालित किए जा रहे हैं। <u>उद्योग–शिक्षा–वैश्विक साझेदारियाँ:</u> संबंधित संस्थान प्रायोजित अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार को बढ़ावा देने हेतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों के साथ सहयोग कर रहे हैं। इन साझेदारियों के माध्यम से वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, अत्याधुनिक उपकरणों तथा वास्तविक जीवन की समस्याओं तक प्रभावी पहुँच सुनिश्चित होती है। <u>नवाचार एवं स्टार्ट-अप के लिए समर्थन:</u> इन्क्यूबेशन एवं नवाचार कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों के अनुरूप अनुसंधान-आधारित उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। संस्थानों से उभरने वाले स्टार्ट-अप्स को अंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शन, वैश्विक अनुभव तथा नवाचार पारिस्थिति की तंत्र में सहभागिता का लाभ प्राप्त होता है। <u>वैश्विक अनुसंधान मंचों में सहभागिता:</u> छात्र एवं संकाय सदस्य अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, वैश्विक अनुसंधान संघों तथा प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान वित्तपोषण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिससे अनुसंधान परिणामों का अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मूल्यांकन सुनिश्चित होता है।
2.	क्या यह सत्य है कि शकूरबस्ती विधानसभा स्थित केशव महाविद्यालय कॉलेज रानी बाग की बिल्डिंग दयनीय स्थिति में है;	जी हाँ, पिछली सरकार द्वारा इस ओर कोई ध्यान नही दिया गया तथा न ही मरम्मत एवं रख - रखाव हेतु कोई अनुदान दिया गया, जिसके कारण केशव महाविधालय, पीतमपुरा की बिल्डिंग का पलस्तर जगह-२ से गिरता जा रहा है एवं कई बार चलती कक्षाओं के दौरान भी कमरों एवं बरामदों में पलस्तर गिरता देखा गया है,

3.	यदि हां, तो उसको ठीक करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, और इस कार्य को कब तक कर दिया जाएगा?	महाविधालय द्वारा समय- समय पर लोक निर्माण विभाग को कालेज में सिविल एवं विधुत (Civil & Electrical) से सम्बन्धित कार्यों को करने के लिए आवेदन किया गया है । नई सरकार बनने के बाद कालेज को 9 कार्यों को करने हेतु प्रशासनिक अनुमोदन स्वीकृत किया जा चुका है, जिसके तहत कालेज को लगभग 3.11 करोड़ अनुदान प्राप्त हुआ है, टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तथा कुछ कार्यों पर काम शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि मार्च 2026 से पहले अधिकतर कार्य पूरे हो जायेंगे।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 56

दिनांक :- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम :- **श्री अनिल झा (किरारी)**

क्या माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली की सबसे अधिक जनसंख्या वाली विधानसभा क्षेत्रों में से एक, किराड़ी विधानसभा लगभग)8–9 लाख आबादी में प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा (विभाग के अंतर्गत आज तक एक भी सरकारी औद्योगिक) प्रशिक्षण संस्थानITI), पॉलिटेक्निक कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट सेंटर अथवा मल्टीस्किल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित नहीं क-िया गया है;	समय के अभाव में मांगी गई जानकारी वर्तमान में संबंधित शाखाओं से एकत्र की जा रही है। जानकारी प्राप्त होते ही यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी।
(ख)	क्या यह भी सत्य है कि किराड़ी विधानसभा क्षेत्र की लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रूप से कमजोर, श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी एवं असंगठित क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जिनके बच्चों एवं युवाओं के लिए तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा ही रोजगार प्राप्ति का प्रमुख साधन हो सकता है;	
(ग)	क्या यह भी सत्य है कि स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों के अभाव के कारण किराड़ी क्षेत्र के हजारों युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु दूरदराज़ के क्षेत्रों में जाना पड़ता है-, जिससे पढ़ाई छोड़ने)Dropout), बेरोज़गारी एवं सामाजिक समस्याओं में वृद्धि हो रही है;	

(घ)	क्या यह सत्य है कि किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक नया सरकारी ITI / पॉलिटेक्निक मल्टी-स्किल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की / आवश्यकता का विभागीय स्तर पर कोई सर्वेक्षण, आकलन अथवा प्रस्ताव तैयार किया गया है;	
(ड.)	यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा उसमें भूमि की उपलब्धता, अनुमानित लागत, प्रस्तावित ट्रेड्स, सीटों की संख्या एवं संभावित लाभार्थियों का विवरण क्या है;	
(च)	यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार किराड़ी विधानसभा जैसे आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कब तक ठोस कार्ययोजना, बजटीय प्रावधान एवं समय सीमा-निर्धारित करेगी; और	
(छ)	भविष्य में किराड़ी क्षेत्र के युवाओं, विशेषकर गरीब, महिला, दिव्यांग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कौशल प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट से जुड़ी कौनकौन सी योजनाएँ लागू की जाएँगी-?	गत वर्षों में ऐसी कोई योजना नहीं बनी है। इस मामले में सरकार की व्यवहार्यता अध्ययन कराने की योजना है, जिसका प्रतिवेदन/रिपोर्ट यथासमय उपलब्ध करा दी जाएगी।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 57

दिनांक :- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री संजय गोयल (शाहदरा)

क्या माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
(क)	दिल्ली में वर्तमान में कुल कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान)ITI) संचालित हो रहे हैं, प्रत्येक ITI में पिछले 10 वर्षों में कुल छात्रों की संख्या का वर्षवार विवरण प्रदान करें। विशेषकर शाहदरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ITI संस्थानों में प्रवेशित छात्रों की संख्या का पिछले 10 वर्षों का वर्षवार विवरण दिया जाए छात्रों का कोर्सवार / ट्रेडवार / लिंगवार विवरण भी प्रदान किया जाए;	दिल्ली में DTTE के अंतर्गत 19 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) संचालित हो रहे हैं। समय के अभाव में मांगी गई जानकारी वर्तमान में संबंधित शाखाओं से एकत्र की जा रही है। जानकारी प्राप्त होते ही यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी।
(ख)	क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिल्ली के प्रत्येक ITI में कितनी प्रायोगिक प्रयोगशालाएं)Workshop's) संचालित हैं;	
(ग)	शाहदरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ITI संस्थानों में कुल कितनी वर्कशॉप हैं पिछले 10 वर्षों का वर्षवार एवं संस्थानवार विवरण दिया जाए;	
(घ)	पिछले 10 वर्षों में शाहदरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित ITI को कितनी धनराशि दी गई, यह फंड किस मद में व्यय हुआ वर्षवार, मदवार एवं संस्थानवार विवरण दें इन ITI में वर्तमान में कितने शिक्षक,	

	प्रशिक्षक)Trainers), कर्मचारी कार्यरत हैं इनकी संख्या का पिछले 10 वर्षों का वर्षवार विवरण प्रस्तुत किया जाए;	समय के अभाव में मांगी गई जानकारी वर्तमान में संबंधित शाखाओं से एकत्र की जा रही है। जानकारी प्राप्त होते ही यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी।
(ङ.)	Delhi Skill and Entrepreneurship University (DSEU) के अंतर्गत दिल्ली में कुल कितने परिसरों)Campuses) की स्थापना की गई है, प्रत्येक परिसर का पूरा पता एवं स्थापना वर्ष सहित विवरण दें तथा इन परिसरों में पिछले 10 वर्षों में कुल छात्रों का नामांकन कितनी संख्या में हुआ कैंपसवार एवं वर्षवार विवरण दें;	
(च)	DSEU में वर्तमान में कौन कौन से पाठ्यक्रम कोर्स संचालित हो रहे / हैं, प्रत्येक कोर्स की फीस संरचना क्या है तथा इन कोर्सों को पढ़ाने वाले फैकल्टी शिक्षक / प्रशिक्षकों की संख्या क्या है पाठ्यक्रमवार एवं /	
(छ)	DSEU के अंतर्गत स्थापित परिसरों की संख्या दिल्ली की जनसंख्या क्षेत्रफल / आवश्यकता के अनुपात में / कितनी होनी चाहिए थी तथा क्या सरकार भविष्य में और परिसर खोलने की योजना बना रही है; और	
(ज)	DSEU से पास आउट हुए छात्रों में से पिछले 5 वर्षों में कितने छात्रों को रोजगार)Placement) प्राप्त हुआा वर्षवार, कोर्सवार एवं कंपनीनियोजक के नाम सहित विवरण दें तथा/ कितने छात्रों को दिल्ली में रोजगार मिला और कितने अन्य राज्यों या विदेश में नियोजित हुए?	

अतारांकितप्रश्नसंख्या**:- 58**
दिनांक**:- 06/01/2026**
प्रष्नकर्ता का नाम **:**श्री जरनैल सिंह
क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि**:-**

क.सं	**प्रश्न**	**उत्तर**
क)	क्या लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा दिल्ली मेंप्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्यसे ANTI SMOG GUN MACHINE की तैनाती की जातीहै;	जी हाँ।
ख)	यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों में मशीनों की आपूर्ति एवं संचालन से संबंधित जारी किए गए सभी टेंडरों का वर्ष-वारविवरण दिया जाए तथा प्रत्येक वर्ष तैनात की गई मशीनों की संख्या एवं उन की कार्य अवधिका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए;	सूची संलग्नक-A, B, C में संलग्न है।
ग)	यह भी बताया जाए किवर्ष 2025-26 मेंमशीनों की संख्या को कम करने का क्या कारण है तथा इस संबंध में विभाग द्वारा क्या आकलन किया गयाहै, इसका विस्तृत विवरण दिया जाए	यह पॉलिसी मैटर है और प्राप्त अनुमति के अनुसार कार्य किया जारहा है।

घ)	यह भी स्पष्ट किया जाए कि मशीनों का संचालन पूर्ण क्षमता के साथ सुनिश्चित करने के लिए कौन से अधिकारी उत्तरदायी हैं तथा उनके दायित्वों काविवरण दिया जाए;	कार्यपालक अभियंता, (एग्रिमेंट के अनुसार कार्य निष्पादन और निरक्षण किया जाताहै) सहायक अभियंता (एग्रिमेंट के अनुसार कार्य निष्पादन और निरक्षण किया जाताहै) कनिष्ठ अभियंता (एग्रिमेंट के अनुसार कार्य निष्पादन किया जाता है)
ङ.)	क्या विभाग को बिना स्प्रिंकलर के चल रही गाड़ियों के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; (च) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों में प्राप्त शिकायतों की संख्या, उनके निस्तारण की स्थिति	जी नहीं।
छ)	तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में PWD Horticulture, PWD Civil तथा PWD Electrical विभागों द्वारा पिछले पाँच वर्षों में करा एग एस भी कार्यों कावर्ष-वार एवं कार्य-वार विस्तृत विवरण दिया जाए ?	सूची संलग्नक –D में संलग्न है।

यह पत्र माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- **59**

दिनांक :- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री अनिल झा

क्या मंत्री, **yksd fuekZ.k foHkkx** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क.सं	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या सरकार को यह जानकारी है कि नांगलोई रेलवे फाटक से लेकर किराड़ी विधानसभा के 12-C रेलवे फाटक तक प्रस्तावित अंडरपास के निर्माण कार्य में लंबे समय से लगातार देरी हो रही है; जिससे क्षेत्र में भारी यातायात जाम, दुर्घटनाओं की आशंका तथा आम जनता को गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ रहा हैं।	नांगलोई रेलवे फाटक से लेकर किराड़ी विधानसभा के 12-C रेल्वे फाटक तक कोई प्रस्तावित अंडरपास कि जानकारी विभाग को नही हैं।
ख)	क्या यह भी सत्य है कि उक्त अंडरपास परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दिनांक 25.06.2025 को संबंधित विभाग से लोक निर्माण विभाग (PWD) को हस्तांतरित (ट्रांसफर) कर दी गई थी	अंडरपास परियोजना क्रियान्वन कि कोई भी जिम्मेदारी विभाग को नहीं है।
ग)	यदि हाँ, तो हस्तांतरण के उपरांत अब तक PWD द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई है;	लागू नही हैं।
घ)	यदि परियोजना का दायित्व PWD को सौंपे जाने के बावजूद अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है,	लागू नही हैं।

	तो इसके लिए कौन-कौन से प्रशासनिक, तकनीकी अथवा वित्तीय कारण उत्तरदायी हैं।	
ङ)	सरकार द्वारा अंडरपास के निर्माण कार्य को प्रारंभ करने एवं पूर्ण करने की स्पष्ट समय-सीमा क्या निर्धारित की गई है; और	लागू नही हैं।
च)	इस परियोजना में हो रही अनावश्यक देरी के लिए कौन सा विभाग एवं कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध क्या जवाबदेही / दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है ?	लागू नही हैं।

यह पत्र माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

अतारांकित प्रश्न संख्या:- **60**

दिनांक:- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री नीरज बसोया

क्या मंत्री, yksd fuekZ.k foHkkx यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क.सं	प्रश्न	उत्तर
क)	कस्तूरबा नगर विधानसभाक्षेत्र में विगत तीन वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) के दौरान कितनेसड़क निर्माण / पुनर्निर्माणकार्य पूर्ण किए गए हैं, कितने कार्य वर्तमान मेंप्रगति पर हैं, तथा कितनेनए सड़क कार्य प्रारंभकिए जाने प्रस्तावित हैं।	क) कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों के दौरान August Kranti Marg पर Strengthening का कार्य किया गया था तथा वर्तमान में इस कार्यालय के अन्तर्गत 02 सड़क पर संयुक्त रूप से Strengthening का कार्य प्रस्तावित है। 2022-2023 - जे.बी.टीटो मार्ग 2023-2024 - शून्य 2024-2025 - शून्य वर्तमान में कोई कार्य प्रगति पर नही है। कोई भी नई सड़क का निर्माण नही किया गया। Ring Road from Ashram Chowk to AIIMS, Barapullah Elevated Road, 4th Avenue Road, 5th Avenue Road, Chandu Lal Balmiki Road, Jagan Nath Marg, Lodhi Road,Vardhmaan Marg पर पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है।

ख)	उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी केअंतर्गत कार्यो का विवरण, उनकी लागत, लंबाई तथासंबंधित सड़कों के नामक्या है।	(ख) Strengthening of 1.August Kranti Marg (ID-16) (Remaining Length) Length 1170 Mtr. Rs. 166.52 Lacs 2. PR Block Road (ID-557) Length 500 Mtr. Rs. 39.85 Lacs 3. D Block Road (ID-558) Length 300 Mtr. Rs. 26.20 Lacs 4.Ring Road from Ashram Chowk to AIIMS Length (In Km.) 5.30 Cost (In Crores) 29.26 5. Barapullah Elevated RoadLength (In Km.) 2.04 Cost (In Crores 8.28 6. 4th Avenue Road Length (In Km.) 1.22 Cost (In Crores 1.56 7. 5th Avenue Road Length (In Km.) 1.00 Cost (In Crores 1.29 8. Chandu Lal Balmiki Road Length (In Km.) 1.26 Cost (In Crores 1.71 9. Jagan Nath Marg Length (In Km.) 0.63 Cost (In Crores 0.82 10. Lodhi Road Length (In Km.) 1.76 Cost (In Crores 3.19 11. Vardhmaan Marg Length (In Km.) 0.51 Cost (In Crores 0.41 9. J.B. Tito Marg Length (In Km.) 3.25 Cost (In Crores 11.69

यह पत्र **माननीय मंत्री**, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

अतारांकित प्रश्न संख्या:-**61**

दिनांक:- 06.01.2026

प्रष्नकर्ता का **नाम:-श्रीवीर सिंह** ढींगान

क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग **यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**

क.सं	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा माननीय सदस्यों से उनके क्षेत्र के मुख्य मार्गों परफ्लाईओवर अंडरपास फुट ओवर ब्रिज बनाने के सुझाव मांगे गए थे,	जी हॉ।
ख)	यदि हां, तो कब मांगे गए थे,	(अक्टूबर एवं नवंबर)2025 ।
ग)	क्या यह भी सत्य है कि सीमापुरी विधानसभा में भी सरकार के पास कुछ फ्लावर ओवर, अंडरपास व फुट ओवर ब्रिज बनाने के कुछ सुझाव दिए गए थे, तथा	माननीय विधायक महोदय द्वारा एक फुट ओवर ब्रिज बनाने का सुझाव दिया गया है जोकि GTB एंक्लेव,नन्द नगरी और सुंदर नगरी क्षेत्र में बनना है। Traffic Police Department की अनुशंसा के पश्चात फुटओवर ब्रिज निर्माण हेतु Subway

		Sub Committee के समक्ष विषय प्रेषित किया गया है।
घ)	यदि हां तो सरकार को कहां-कहां तथा कुलकितने सुझाव प्राप्त हुए	GTB एंक्लेव, नन्द नगरी और सुंदर नगरी
ड़)	क्या यह भी सत्य है कि सरकार इन सुझावोंपर कार्य करने पर कोई विचार कर रही है,और	जी हाँ।
च)	यदि हां तो सीमापुरी में इन कार्यों को कब तकपूरा किया जाएगा?	Subway Sub Committee के अनुमोदन के पश्चात कार्य करायाजाएगा।

यह पत्र माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

अतारांकित प्रश्न संख्या**:- 62**
दिनांक**:- 06/01/2026**
प्रश्नकर्ता का नाम**:-** श्री वीर सिंह ढींगान
क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि**:-**

क.सं	**प्रश्न**	**उत्तर**
क)	क्या यह सत्य है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सीमापुरी विधानसभा में गंदे पानी की निकासी के लिए नए नालों का निर्माण कराया जाएगा ?	जी हॉ।
ख)	यदि हां तो कुल कितने नालों का निर्माण या पुनः निर्माण कहां-कहां और कब तक कराया जाएगा?	Rajiv Gandhi Hospital Road and Tanga Stand Road ij RCC नाले का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है
ग)	क्या यह सत्य है कि गांव ताहीरपुर में गंदे व बरसात के पानी की पर्याप्त निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है?	ताहिरपुर गाँव में गन्दे व बरसात के पानी की पर्याप्त निकासी की जिम्मेदारी MCD के पास है।
घ)	यदि हां तो उक्त गांव के गंदे व बरसात के पानी की निकासी की व्यवस्था के लिए विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?	उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं है।
ड़)	क्या यह भी सत्य है कि गांव ताहीरपुर वह राजीव गांधी अस्पताल की जल निकासी की कोई एस्टीमेट प्रस्ताव क्षेत्रिय अधिकारियों द्वारा बनाए गए थे?	Rajiv Gandhi Hospital Road पर RCC नाले का निर्माण कार्य हेतु Preliminary Estimate प्रक्रिया में है।
च)	यदि हां तो यह अनुमान कहां पर लंबित है इस कार्य को कब तक पूरा किया जाएगा ताकि गंदे व बरसात के पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था हो सके, विस्तृत जानकारी दी जाए?	Rajiv Gandhi Hospital Road पर RCC नाले का निर्माण कार्य हेतु Preliminary Estimate प्रक्रिया में है। स्वीकृति पश्चात यह कार्य समय सीमा में पूर्ण कर दिया जाएगा।

यह पत्र माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 63

दिनांक:- 06/01/2026

प्रश्नकर्ता का नाम श्री करनेल सिंह

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क.सं	प्रश्न	उत्तर
क)	(क) प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का प्रावधान है?	प्रत्येक विधानसभा में 4000 सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रावधान है। यह आंकड़ा एक औसत है, और वास्तविक संख्या निष्पादन के समय स्थल की स्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।
ख)	शकूरबस्ती विधानसभा क्षेत्र सहित किस- किस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने- कितने सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये गये हैं, और	अनुलग्नक- 'ए'
ग)	शकूरबस्ती विधानसभा क्षेत्र में शेष सी.सी.टी.वी. कैमरे कब तक लगा दिये जायेंगे ?	नए सीसीटीवी कैमरे एसओपी के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही लगाये जाते हैं।

यह पत्र माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या:-**64**

दिनांक:- 06.01.2026

प्रष्नकर्ता का नाम:-श्री अजय कुमार महावर

क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क.सं	**प्रश्न**	**उत्तर**
क)	घोंडा विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग (PWD) के अंतर्गत आने वाली सड़कों गामीरोड, डिवाइडिंग रोड, सी-1 से सी-4 यमुनाविहार रोड तथा	घोंडा विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग (PWD) के अंतर्गत आने वाली सड़कों गामड़ीरोड,डिवाइडिंग रोड, सी-1 से सी-4 यमुना

	घोंडा चैक से ब्रह्मपुरी गली नं. 1 रोड पर स्थित नालों की अंतिम बार कबसफाई/डी-सिल्टिंग (Desilting) कराई गई थी, उक्त कार्य के अंतर्गत कुल कितनी मात्रा मेंगाद शिल्ट निकाली गई सड़क वार पूर्ण विवरणदें;	विहाररोड तथा घोंडा चैक से ब्रह्मपुरी गली नं. 1 रोडपर स्थित नालों की initial desilting 07-07-2025 को पूर्ण कर दी गई थी। निकालीगई सिल्ट का रोड़वार ब्यौरा निम्नवत् हैगामड़ी रोड, डिवाइडिंग रोड, सी-1 से सी-4 यमुना विहार रोड तथा घोंडा चैक से ब्रह्मपुरीगली नं. 1 रोड से निकाली गई सिल्ट कीमात्रा = 725 cum
ख)	यमुना विहार सर्विस रोड और सी-1 से सी-4 ब्लॉक यमुना विहार एवं डिवाईडिंग रोड़ यमुनाविहार के साथ बने नाले, फुटपाथ एवं सड़कका निर्माण कब किया गया था;	यमुना विहार सर्विस रोड़ के नालों और फुटपाथका निर्माण 2005-06 में किया गया था एवं सी-1 से सी-4 ब्लॉक यमुना विहार एवं डिवाईडिग रोड़यमुना विहार के नाले एवं फुटपाथ सड़क सहित 2012 में एम.सी.डी. से टेकओवर किये गये थेजिनके निर्माण का कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।
ग)	इनके पुनर्निर्माण मरम्मत हेतु क्या कोईप्रस्ताव स्वीकृत है;	यमुना विहार सर्विस रोड़ और फुटपाथका निर्माण के कार्य के लिए टेंडर हो चूका है जिसे मार्च 2026 तक पूर्ण कर दिया जाएगा|
घ)	यदि हाँ, तो कार्य प्रारंभ किए जाने कीसंभावित तिथि एवं समय-सीमा क्या है;	यमुना विहार सी-1 से सी-4 ब्लॉक एवं dividing road की strengthening सितम्बर 2026 में due है एवं यमुना विहारसर्विस रोड़ के कार्य की निविदा जारी हो गईहै जोकि 25-05-2026 तकStrengthening करा दी जायेगी	
ड़)	घोंडा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित पम्पहाउस (डिवाइडिंग रोड यमुना विहार, भगत सिंहपार्क यमुना विहार, सी-5 यमुना विहार, वजीराबाद रोड भजनपुरा, तथा गामड़ी पाँचवाँपुस्ता) में प्रत्येक पम्प हाउस पर स्थापितमोटरों की क्षमता (HP/MLD) कितनी है, इनमेंसे कितनी मोटरें वर्तमान में कार्यरत हैं औरकितनी अकार्यरत हैं,पम्प हाउसवार सूची प्रदानकरें;	पंप हाउस से संबन्धित कार्यों की सूचना (Annexure-A) में संलग्न है।
च)	इनकी क्षमता बढ़ाने अथवा नई मोटरें स्थापितकरने की क्या कोई योजना प्रस्तावित है;	ऐसी कोई भी योजना प्रस्तावित नहीं है।
ज)	घोंडा विधानसभा क्षेत्र में उद्यान विभाग केअंतर्गत वर्तमान में कुल कितने कर्मचारीकार्यरत हैं, पदवार एवं क्षेत्रवार सूची उपलब्धकराने की कृपा करें; और	घोंडा विधानसभा क्षेत्र में दो माली लगाये गएहैं।
झ)	विभाग के पास उपलब्ध पेड़ छंटाई (Tree Pruning) से संबंधित उपकरणों एवं संसाधनोंका विस्तृत विवरण भी प्रदान किया जाए ?	ठेकेदार के द्वारा एक छटाई की गाड़ी लगाईजा रही है जिसमें सारे उपकरण ठेकेदारद्वारा उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

यह पत्र माननीयमंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- **65**

दिनांक :- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री नीरज बसोया

क्या मंत्री, **yksd fuekZ.k foHkkx** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क.सं	प्रश्न	उत्तर
क)	कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में) पीडब्ल्यूडी सड़कों पर वृक्षों की छंटाई कटाई हेतु पिछले तीन वर्षों 2023-2024 और 2024-2025 में कोई ठेका आवंटित किया गया है;	(i) वर्ष 2023-24 में करार संख्य 06/DDH/South/PWD/2023-24 के अंतर्गत पेड़ों क छँटाई/कटाई का कार्य किया गया था। (ii) वर्ष 2024-25 मे करार संख्या 60/EE/PWD/SER-1/2024-25 के अंतर्गत पेड़ों की छँटाई/कटाई का कार्य किया गया था एवं यह कार्य वर्तमान में भी जारी है।
ख)	यदि हाँ, तो संबंधित ठेके का विवरण आवंटन तिथि, ठेका राशि, कार्य अवधि तथा कार्य अनुसूची क्या है;	(i) करार संख्या 06/DDH/South/PWD/2023-24 आवंटन तिथि: 15-04-2023, अवधि:- 6 माह, राशि:- 10,17,930 रुपए (ii) करार संख्या 60/EE/PWD/SER-1/2024-25, आवंटन तिथि: 06 -01-2025, अवधि:- 42 माह राशि:- 2,27,17,126 रुपए (कस्तूरबा नगर विधानसभा एवं जंगपुरा विधानसभा)
ग)	उक्त कार्य की निगरानी हेतु विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की गई है तथा छंटाई के दौरान काटी गई शाखाओं पत्तियों का निस्तारण कहाँ किया जाता है व क्या इसके लिए कोई निर्धारित डंपिंग साइट है;	निगरानी के लिए इस कार्यालय द्वारा सुपरवाइजर नियुक्त किया गया था। छँटाई के दौरान निकले मलबे का निपटान ठेकेदार द्वारा किया गया था।
घ)	क्या इस कार्य के लिये संबंधित ठेकेदार के पास आवश्यक मशीनरी एवं पर्याप्त श्रमबल उपलब्ध है;	एजेंसी के पास छँटाई हेतु सभी आवश्यक मशीनरी उपलब्ध है;
ड)	यदि हाँ, तो क्या उक्तश्रमिकों का पंजीकरण दिल्ली सरकार के श्रम विभाग में किया गया है तथा क्या उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है;और	श्रमिकों का पंजीकरण दिल्ली सरकार के श्रम विभाग में किया गया है तथा उन्हे निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी गई थी।
च)	उक्त ठेके के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों की संख्या एवं उनका विवरण क्या है?	श्रमिकों की संख्या 10 थी।

यह पत्र माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- **66**

दिनांक :- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री संदीप सहरावत

क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क.सं	प्रश्न	उत्तर
क)	मटियाला विधानसभा क्षेत्र में पिछले पाँच वर्षों के दौरान लोक निर्माण विभाग, (PWD) के Civil एवं Horticulture Department द्वारा कौन-कौन से कार्य कराए गए हैं, वर्षवार, कार्यवार एवं व्यय राशि सहित विवरण उपलब्ध कराया जाए;	लोक निर्माण विभाग द्वारा निम्न सिविल एवं ईलेक्टिकल कार्य कराये गये है जिनका वर्षवार, कार्यवार एव व्यय राशि सहित विवरण निम्नवत है। (Annexure-A Enclosed) मटियाला विधानसभा क्षेत्र की सड़कों पर पिछले 5 वर्षों मे वर्क चार्ज स्टाफ (माली) द्वारा उद्यान के रख रखाव संबंधित कार्यों को कराया गया है। वर्ष 2025-26 वर्तमान में करार संख्या:- 08/DD (H) / South (M-114)/2025-26 के अंतर्गत उद्यान के कार्यों को कराया जा रहा है। करार की लागतः रुपए 42,21,393/-
ख)	क्या यह सत्य है कि मटियाला विधानसभा क्षेत्र में दीनपुर गोयला रोड ड्रेन का पानी वाटर बॉडी में छोड़ा जा रहा है;	हाँ, उक्त ड्रेन दीनपुर मोड से शुरू होकर 25 फुटाचौक से मुडकर 25 फुटा रोड होते हुये (जिसकी लम्बाई लगभग 1.0 किलोमीटर है तथा यह एम०सी०डी० के अधिकार क्षेत्र में है) साहिबी नदी में मिल जातीहै। एम०सी०डी० द्वारा बार-बार 25 फुटा रोड पर इसका प्रवाह रोके जाने के कारण पानी आगे नही बढ पाता जिस कारण पानी ओवर फ्लो होकर या तो पक्का तालाब में चला जाता है या लोक निर्माण विभाग की सडको पर आ जाता है यह मुद्दा विभाग के उच्च स्तर से एम०सी०डी० के साथ उठाया जा चुका है (प्रतिलिपि सलग्न) (Annexure-B Enclosed)
ग)	यहा हाँ, तो इसे रोकने एवं जल प्रदूषण से बचाव हेतु विभाग द्वारा क्या ठोस योजना बनाई गई है;	ड्रेनेज मास्टर प्लान में इस नाले का अध्ययन कन्सलटेन्ट द्वारा किया जा रहा है और इसकी अतिम रिर्पोट/संस्तुति प्राप्त होने पर इस नाले के पुननिर्माण का प्रस्ताव दिया जायेगा। जिसकी पर्याप्त क्षमता एवं ढाल होगा जिससे किसी भी वाटर बोडी में नाले का पानी को जाने से रोक दिया जायेगा।

घ)	मटियाला विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा आगामी दिनों में किन-किन ड्रेनों की मरम्मत, सफाई अथवा सुधार कार्य किए जाने का प्रस्ताव है, कृपया संबंधित स्थानों का विवरण दें;	मटियाला विधान सभा में लोक निर्माण विभाग की सभी ड्रेनों की सफाई / डिसिल्टिग का कार्य जारी है। तथा ड्रेनेज मास्टर प्लान के तहत प्राथमिकता के आधार पर नालो के निर्माण का प्रस्ताव / प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
ड)	क्या यह सत्य है कि मटियाला विधानसभा क्षेत्र में नजफगढ़ रोड में उत्तम नगर से साई बाबा मंदिर नजफगढ़ तक स्थित ड्रेन की स्थिति अत्यंत खराब है; और	इस मंडल के अन्तर्गत नजफगढ रोड में पुराने ककरोला मोड मेट्रोपिलर न0 802 से साई बाबा मन्दिर, नजफगढ की न आती है जिसकी स्थिति का विभागीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि उक्त ड्रेन की स्थिति अत्यंत खराब नहीं है तथा क्षेत्र की अन्य ड्रेनों की तुलना में यह अपेक्षाकृत अच्छी अवस्था में है। तथापि, दीर्घ कालिक एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उक्त ड्रेन की रीमॉडलिंग (Remodelling) को विभागीय ड्रेनेज मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस संबंध में आवश्यक तकनीकी परीक्षण एवं औपचारिकताएं प्रक्रिया धीन हैं
च)	यदि हाँ, तो उक्त ड्रेन की मरम्मत एवं स्थायी समाधान हेतु विभाग द्वारा क्या कार्ययोजना प्रस्तावित है और कार्य कब तक पूर्ण किया जाएगा?	रीमॉड लिंग कार्य को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता के पश्चात नियमानुसार आरंभ किया जाएगा तथा कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा पृथक से अवगत कराई जाएगी।

यह पत्र माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या**:- 67**
दिनांक**:- 06/01/2026**
प्रश्नकर्ता का नाम**:-** श्री कैलाश गंगवाल
क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि**:-**

क.सं	**प्रश्न**	**उत्तर**
क)	दिल्ली में नांगलोई से सुलतान पुरी को जोड़ने वाले पुल के अधूरा रहने व इसे पूरा नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?	नांगलोई से सुल्तान पुरी को जोड़ने वाले पुल का निर्माण MCD ds द्वारा किया जा रहा है।

ख)	पुल में सामने बनी कुछ पुरानी इमारतों के कारण पुल पर जाना मुश्किल हो गया है इसे कब तक ठीक किया जा सकेगा; और	उपरोक्त के संदर्भ में लागू नही है ।
ग)	क्या इसमें ठेकेदार की देरी है या अन्य कोई कारण, स्पष्ट किया जाए ?	

यह पत्र माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 68

दिनांक :- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री चंदन कुमार चौधरी

क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग **यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**

क.सं	प्रश्न	उत्तर
क)	यह सत्य है कि मेरी विधानसभा संगम विहार से होकर गुजरने वाली रविदास मार्ग से ओखला रोड, जिस पर मेट्रो रेल मेवा भी संचालित है, पर भारी अतिक्रमण होने के कारण सड़क संकरी हो गई है:	उक्त प्रश्न में संदर्भित सड़क मेहरौली बदरपुर रोड है. जिसका अधिकांश भाग दिल्ली मैट्रो को हस्तांतरित है। इस कार्यालय के अन्तर्गत एम बी रोड पर रेहड़ी पटरी व बिल्डंग मैटेरियल सप्लाई द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है।
ख)	क्या उक्त सड़क को अतिक्रमण मुक्त कर चौडा किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;	इस कार्यालय के अन्तर्गत एम बी रोड से अतिक्रमण हटाने हेतु समय-समय पर एसटीएफ एव दिल्ली नगर निगम से निवेदन किया जाता है। एवं सम्मलित अतिक्रमण अभियान चलाया जाता है। वर्तमान में सड़क को चौड़ा करने का कोई प्रावधान नहीं है।
ग)	यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;	जैसा कि क्रम संख्या (ख) में अंकित है।
घ)	क्या यह सत्य है कि संगम विहार विधानसभा की अधिकांश सड़कों की स्थिति अत्यत खराब है तथा सड़कों पर गड्डों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं,जिससे जानमाल की हानि हो रही है; और	PWD के अन्तर्गत एम बी रोड पर री- कार्पेटिंग की आवश्यकता है। जिसके लिए कार्य आवंटित किया जा चुका है।
ड)	यदि हों, तो इन सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु सरकार द्वारा क्या कार्ययोजना बनाई गई है तथा इसे कब तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है?	PWD के अन्तर्गत एम बी रोड पर रीकारपेंटिंग के लिए कार्य आवटित किया जा चुका है जिसे 31.03.2020 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

यह पत्र माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

अतारांकित प्रश्न संख्या:- **69**
दिनांक:- **06/01/2026**
प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री सतीश उपाध्याय

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क.सं	**प्रश्न**	**उत्तर**
क)	लोक निर्माण विभाग द्वारा चिह्नित, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के जल भराव स्थलोंकी सूची प्रदान करें?	लोक निर्माण विभाग द्वारा मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में जल भराव वाले स्थलों की पहचान की गई है। जो कि निम्नानुसार श्री अरविंदो मार्ग पर है -अधचीनी -मदर इंटरनेश्नल स्कूल -ग्रीनपार्क इन स्थानों को Desilting of drains और अतिरिक्त लेबर व पीटीओ पम्प लगाकर अटेंड किया जाता है।
ख)	मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र वाले कुल कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण अथवा अनधिकृत कब्जा है?	मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में कई स्थल हैं जिन पर अतिक्रमण या अवैध कब्जा है, जिनमें से कुछ प्रमुख स्थल हैं: - हौज रानी , कुम्हार बस्ती, प्रेस एनक्लेव रोड - N-ब्लॉक, खिड़की रोड के पास चाय की दुकानों और इस्त्री की दुकानों द्वारा अतिक्रमण -अरविंदो मार्ग - गुरु गोविंदसिंह मार्ग - एस बैंड रोड - बसत कौर मार्ग इन स्थलों पर अतिक्रमण की स्थिति है और इनको हटवाने के लिए समय-समय पर एस.टी.एफ. को पत्र लिखा जा चुका है।

ग)	मालवीय नगर विधानसभ क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र वाली अतिक्रमित गलियों और फुटपाथों की Location Wise संख्या बताएं?	मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में कई स्थल हैं जिन पर अतिक्रमण या अवैध कब्जा है,जिनमें से कुछ प्रमुख स्थल हैं: - हौज रानी कुम्हार बस्ती,प्रेस एनक्लेव रोड - N-व्लॉक,खिड़की रोड के पास चाय की दुकानों और इस्त्री की दुकानों द्वारा अतिक्रमण अरविंदो मार्ग • गुरु गोविंदसिंह मार्ग -एस बैंड रोड - बसंत कौर मार्ग इन स्थलों पर अतिक्रमण की स्थिति है और इनका समाधान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
घ)	मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पुराने, क्षतिग्रस्त व अपठनीय संकेत बोर्डोंके संबंध में क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है और ऐसे संकेत बोडों को बदलने अथवा सुधारने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?	साइनेज बोर्डों के संबंध में विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया है और खराब स्थिति वाले बोडों को बदलने के लिए कार्यवाही की जा रही है। साइनेज बोडों के चल रहे टेंडर में इन बोर्डों को बदलने की व्यवस्था की गई है।
ड़)	लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों के लिए क्या कोई केंद्रीकृत अभिगम नियंत्रण व्यवस्था बनाई गई है?	जी हॉ, बनाई गई है
च)	नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हेतु स्वीकृति (approval), अभिगम अधिकार (authorization) एवं डेटा सुरक्षा (data security) सहित मानक परिचालनीय प्रक्रिया (एसओपी)क्या है; और पहले लगाए गए सीसीटीपी कैमरों की वर्तमान परिचालनीय स्थिति क्या है?	SOP अनुलग्नक- 'ए' में संलग्न है।
छ)	पहले लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की वर्तमान परिचालनीय स्थिति क्या है, उनमें से कितने चल रहे हैं और कितने बंद हैं तथा वे सक्रिय रूप से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या बंद हैं?	सीसीटीवी कैमरों की CAMC कार्य M/s BELL द्वारा कि जा रही है। जिसका ब्यौरा अनुलग्नक-बी में है।

यह पत्र माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ **में** Question Module **पर उपलब्ध।**

अतारांकित प्रश्न संख्या :- **70**

दिनांक :- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री संजीव झा

क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क.सं	**प्रश्न**	**उत्तर**
क)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों इलाकों में पूर्व में लगाए गए बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे वर्तमान में बद पड़े हैं तथा उनकी नियमित देखरेख और मेंटेनेस नहीं की जा रही है;	लोक निर्माण विभाग के द्वारा RWA/MA area में जो सीसीटीवी लगाये गये है वे कार्यरत है जिनका नियमित देखरेख एंव maintenance M/s BEL द्वारा निरंतर रूप से किया जा रहा है।
ख)	क्या यह सही है कि सीसीटीवी कैमरों के बंद पड़े रहने का मुख्य कारण सरकार द्वारा उनके रख-रखाव (मेंटेनेस) हेतु आवश्यक बजट समय पर जारी न किया जाना है;	इस कार्य के हेतू अनुकुल बजट विभाग में उपलब्ध है।
ग)	दिल्ली में बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों की विधानसभा क्षेत्र जोनवार संख्या, उनकी लोकेशन, स्थापना वर्ष, संबंधित एजेंसी तथा वर्तमान स्थिति की विस्तृत सूची प्रदान करें;	अनुलग्नक- 'ए'
घ)	भविष्य में दिल्ली के सभी सीसीटीवी कैमरों को नियमित रूप से कार्यशील बनाए रखने, उनके समयबद्ध रख-रखाव और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा क्या कोई ठोस, चरणवद्ध एवं समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है;	लोक निर्माण विभाग द्वारा सीसीटीवी के रखरखाव का कार्य निरंतर रूप मे करार एंव एसओपी के अनुसार किया जा रहा है एवं भविश्य में खराब होने वाले कैमरों के रख रखाव के लिए एक समेकित टेंडर किया जा रहा है।
ड)	यदि हाँ, तो उसका विवरण दिया जाए;	

च)	जो सीसीटीवी कैमरे वर्तमान में कार्यशील हैं, उनकी रिकॉर्डिंग यदि कोई नागरिक या सक्षम अधिकारी देखना चाहे तो उसकी निर्धारित प्रक्रिया क्या है;	सीसीटीवी फुटेज स्थानीय पुलिस प्राधिकरण को निम्नलिखित में से किसी एक के आधार पर उपलब्ध कराई जा सकती है- पुलिस प्राधिकरण द्वारा इस कार्यालय / संबंधित क्षेत्र के माननीय विधायक को प्रेषित एफआईआर की प्रति के साथ अनुरोध पत्र,या माननीय न्यायालय का आदेश ।अनुरोध पत्र / न्यायालय आदेश में आवश्यक फुटेज की तिथि एवं समय तथा संबंधित ODE बॉक्स नंबर (6 अंकों या 9 अंकों का) का स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य है।
N)	क्या इसके लिए कोई नियम, दिशा-निर्देश या आवेदन प्रक्रिया तय है; और	
ज)	रिकॉर्डिंग देखने/प्राप्त करने की अनुमति किस विभाग या प्राधिकरण द्वा प्रदान की जाती है?	

यह पत्र माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या:- **71**
दिनांक:- **06/01/2026**
प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री कुलदीप कुमार
क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क.सं	**प्रश्न**	**उत्तर**
क)	कोंडली पुल पर बन रहे स्लीप ब्रिज की शुरुआत कब की गई व उसके काम पूरा होने का समय तब तक था ?	कोंडली पुल पर बन रहे स्लीप ब्रिज की शुरुआत की प्रारंभ की तिथि-22.11.2021 समाप्ति की तिथि- 17.10.2022
ख)	अभी तक यह कार्य कितना प्रतिशत पूर्ण हुआ है?	90 प्रतिशत हो चुका है।
ग)	यदि समय अवधि पर इसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो उसके क्या कारण हैं और लो०नि०वि० द्वारा उस पर क्या कार्यवाही कर गई उसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराए?	विलंब के कारण फण्ड की अनुपलब्धता है।

घ)	यदि समय पर पूर्ण नहीं हुआ तो इस कार्य को पूर्ण करने की सीमा अवधि क्या है?	फण्ड उपलब्ध होने के बाद शेष कार्य 3 माह में पूर्ण कर दिया जाएगा।

यह पत्र माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

अतारांकित प्रश्न संख्या:- **72**

दिनांक:- 06.01.2026

प्रष्नकर्ता का नाम:- श्री अनिल गोयल

क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क.सं	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली PWD की मुख्य सड़कों जैसे परवाना रोड, मास्टर प्लान रोड और रोड नंबर 57 पर MCD द्वारा बड़े-बड़े डस्ट बिन(कूड़ेदान) रखे गए हैं;	जी हाँ, कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली लो०नि०वि० की सड़कों पर दिल्ली नगर निगम द्वारा कूड़ेदान रखे गए है।
ख)	क्या इन डस्ट बिनों को रखने के लिए कूड़ा एकत्र करने वाली एजेंसी 'मेट्रो वेस्ट कंपनी' या MCD ने PWD विभाग से NOC प्राप्त किया है;	लोक निर्माण विभाग द्वारा मैट्रो वेस्ट कंपनी या दिल्ली नगर निगम को कोई भी NOC नहीं दी गई है।
ग)	यदि हाँ, तो यह अनुमति कब दी गई और वर्तमान में इन सड़कों पर ऐसे कुल कितने डस्टबिन रखे गए हैं;	चूंकि PWD द्वारा किसी प्रकार की NOC नहीं दी गई है अतः इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।
घ)	इन डस्टबिनों के रखरखाव और इनमें जमा होनेवाले कूड़े को Collect करने की निर्धारित प्रक्रिया क्या है;	उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं ।
ड़)	क्या 'मेट्रो वेस्ट कंपनी' के साथ हुए MoU केअनुसार यह उनकी जिम्मेदारी है कि कूड़ा डस्टबिन से बाहर सड़क पर न फैले;	
च)	यदि हाँ तो विवरण दे और 'मेट्रो वेस्ट कंपनी' द्वारा सड़क पर रखे डस्टबिन से कूड़ा न उठाने, कूड़ा सड़क पर गिरने पर क्या कोई कार्यवाही की जातीहै तो उसका विवरण दे;	
छ)	क्या यह सत्य है कि इन स्थानों पर अक्सर कूड़ासड़क पर फैला रहता है; और	कूडे. कोउठाते समय कुछकूड.ा सड.क पर आ जाता है जिसको यथाशीघ्र साफ कर दिया जाताहै।
ज)	यदि हाँ, तो MoU के नियमों के उल्लंघन के लिएअभी तक 'मेट्रो वेस्ट कंपनी' पर कितनी बारजुर्माना लगाया गया है, पूर्ण विवरण प्रदान करें?	इसके लिए PWD द्वारा समय –समय पर MCD से शिकायत की जाती रही है।

यह पत्र माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

अतारांकित प्रश्न संख्या:- **73**
दिनांक:- **06/01/2026**
प्रश्नकर्ता का नाम:-:- श्री अनिल गोयल
क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क. सं	**प्रश्न**	**उत्तर**
क)	क्या यह सत्य है कि कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली PWD की सड़कों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की समस्या बनी हुई है?	जी हॉ।
ख)	यदि हाँ, तो विभाग द्वारा चिन्हित किए गए कुल अतिक्रमण का विवरण क्या है?	1) रोड नं0 57 पर सर्विस रोड एव फुटपाथ पर लगभग 500 मीटर क्षेत्र में रेहड़ी पटरी, दुकानों का सामान, रैम्प, कार एवं बाईक रिपेयर के सर्विस सेन्टर संचालित हैं एवं आसपास के दुकानदारों द्वारा अवैध पार्किंग द्वारा अस्थायी अतिक्रमण किया हुआ है। 2) पटपडगंज रोड़ (खुरेजी रेड लाईट से झील) पर हुए अतिक्रमण की लिस्ट संलग्न है Annexure-'A'
ग)	पिछले दो वर्षों में इन सड़कों से अतिक्रमण और अवैध पार्किंग हटाने के लिए विभाग द्वारा कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं, तिथिवार और स्थान का विवरण प्रदान करें?	1) Patparganj road पर Encrochment drive दिनांक 12.06.2025, 01.07.2025 एवं 21.08.2025 को STF के नेतृत्व में हटाई गयी थी। 2) SDM, विवेक विहार के पत्र संख्या SDM /VV/STF/2025/3446-3467 दिनांक 18.08.2025 की अनुपालन में दिनांक 21.08.2025 को Jagatpuri red light to Kanti Nagar Extn. Red Light तक अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही की गई (प्रतिलिपि संलग्न) Annexure-B एवं सहायक अभियंता कार्यालय के पत्र संख्या 21 (1) / स०अ० / लो०नि०वि० उपमंडल एम 2113/ दि०स०/324 दिनांक 11.09.2025 द्वारा उपरोक्त अतिक्रमण को हटवाने के लिये श्रीमान SDM Vivek Vihar, SDM Preet Vihar & DCP Traffic से अनुरोध किया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न) Annexure-C

घ)	क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा कार्रवाई किए जाने के कुछ समय बाद ही इन सड़कों पर पुनः अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हो जाता है?	जी हॉ, सत्य है।
ड.)	क्या विभाग पिछली कार्रवाइयों को 'सफल' मानता है?	लोक निर्माण विभाग की सहायता से STF द्वारा अतिक्रमण दिनांक 12.06.2025, 01.07.2025 एवं 21.08.2025 को सफलता पूर्वक हटाया गया है।
च)	यदि नहीं] तो इस विफलता के मुख्य कारण क्या है?	अस्थायी अतिक्रमण जैसे रेड़ी वाले, अवैध पार्किग इत्यादि विफलता का कारण है।
छ)	क्या लोक निर्माण विभाग कृष्णा नगर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए कोई 'फुलप्रूफ योजना' बना रहा है?	दिशानिर्देशों अनुसार, पुनः अतिक्रमण होने पर विभाग द्वारा संबंधित SDM की SpecialTask Force को सूचित किया जाता है।
ज)	क्या भविष्य में इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए Special Task Force, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम Revenue Department के साथ मिलकर किसी Joint Monitoring Mechanism को लागू करने का प्रस्ताव है; और	वर्तमान में अतिक्रमण हटाये जाने के बाद, सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखने का दायित्व पुलिस और दिल्ली नगर निगम का है।
झ)	यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है?	उपरोक्त (ज) से संदर्भ में लागू नहीं है।

यह पत्र माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ **में** Question Module **पर उपलब्ध।**

अतारांकित प्रश्न संख्या :- **74**

दिनांक :- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्रीमती पूनम शर्मा

क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क.सं	प्रश्न	उत्तर
क)	वज़ीरपुर विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख सड़कों का निर्माण किस वर्ष किया गया था;	वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख सडको का निर्माण वर्ष 2022 एवं 2023 में किया गया था।

ख)	क्या यह सत्य है कि इनमें से कई सड़कों का पिछले 15 वर्षों से पुनर्निर्माण नहीं हुआ, जिसके कारण आए दिन गड्ढे, जलभराव और दुर्घटनाओं की स्थिति बन रही है;	नही, लोक निर्माण विभाग के नियम एवं मानको के अनुसार ऐसी कोई भी सडक नही है जिसका पिछले 15 वर्षों से पुनर्निर्माण नही हुआ है, जिसके कारण आए दिन गड्ढे, जलभराव और दुर्घटनाओं की स्थिति बन रही है।
ग)	PWD के निर्धारित मानकों के अनुसार किसी सड़क की औसत आयु कितनी होती है, कितने वर्षों के बाद उसका पुनर्निर्माण आवश्यक माना जाता है, तथा वज़ीरपुर क्षेत्र की कितनी सड़कें इस अवधि को पार कर चुकी हैं	लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत किसी भी सडक की औसत आयु 5वर्ष होती है एवं 5 वर्ष के बाद उस सडक का पुनर्निर्माण आवश्यक माना जाता है, तथा वजीरपुर क्षेत्र की ऐसी 3 सडके (Jhule Lal Marg, Shri Ram Mandir Marg and ROB Road No.37) है, जो इस अवधि को पार कर चुकी है, उन सडकों का टेंडर अवार्ड हो चुका है, जिसका कार्य शीघ्र शुरू कर दिया जाऐगा।
घ)	वर्ष 2024 25 और 2025-26 के दौरान वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के रखरखाव, मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई, कितनी राशि वास्तव में खर्च हुई, और किन-किन सड़कों पर कार्य कराया गया;	चूंकि वजीरपुर क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की ज्यादातर सभी सडकों का पुननिर्माण का कार्य साल 2023-24 में ही करवा दिया गया था। अतः वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान सड़कों के कार्य की आवश्यकता नही पड़ी है।
ड)	वर्तमान में वज़ीरपुर क्षेत्र की कितनी सड़कें ऐसी हैं जो जर्जर हालत में हैं या मरम्मत की प्रतीक्षा में लंबित हैं, इन सड़कों का कार्य कब तक पूरा किए जाने का लक्ष्य विभाग द्वारा तय किया गया है	वजीरपुर क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत ऐसी कोई भी सडक नही है जिसकी हालत जर्जर हो,सभी सडके सूचारू रूप से अच्छी हालत में है।
च)	क्या यह सत्य है कि वजीरपुर क्षेत्र में लगाए गए कई OCTV कैमरे या तो खराब है या लंबे समय से निष्क्रिय पड़े हैं, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था प्रभावित हो रही है;	इस कार्यालय द्वारा वजीरपुर विधान सभा के अतंर्गत RWA/MA में कुल 3740 सीसीटीवी कैमरे लगाये जा चुकें है एव इनका working व non-working status संलग्न है (Annexure-'A') तथा इन कैमरो की नियमित निरीक्षण, मरम्मत और निगरानी का कार्य M/s BEL द्वारा किया जा रहा है ।
N)	PWD द्वारा क्षेत्र में कुल कितने CCTV कैमरे लगाए गए हैं, इनमें से वर्तमान में कितने संचालित स्थिति में हैं, तथा इनके नियमित निरीक्षण, मरम्मत और निगरानी की क्या व्यवस्था है; और	
ज)	क्या भविष्य में इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए Special Task Force, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम Revenue Department के साथ मिलकर किसी Joint Monitoring Mechanism को लागू करने का प्रस्ताव है; और	वर्तमान में अतिक्रमण हटाये जाने के बाद, सड़कों को निगम अतिक्रमण मुक्त रखने का दायित्व पुलिस और दिल्ली नगर का है।
झ)	यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है?	उपरोक्त (ज) से संदर्भ में लागू नहीं है।

यह पत्र माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

विभाग का नामः लोक निर्माण विभाग, दिल्लीसरकार
विभाग का पताः तीसरा, तल, ए–विंग, एम.एस.ओ बिल्डिग,
आई.टी.ओ. इन्द्रप्रश्थ, नई दिल्ली–110002

अतारांकित प्रश्न संख्या**:- 75**
दिनांक**:- 06/01/2026**
प्रश्नकर्ता का नाम**:-** श्री राज कुमार भाटिया

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि**:-**

क.सं	**प्रश्न**	**उत्तर**
क)	विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित विकास कार्यों के लिए किन अतिरिक्त भवन /विकासात्मक एजेंसियों (Additional Building & Development Agencies), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) को जोड़ा जाएगा ?	यह नीतिगत मामला है, जो लोक निर्माण विभाग से संबंधित नहीं है।

यह पत्र माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

अतारांकित प्रश्न संख्या**:- 76**
दिनांक**:- 06/01/2026**
प्रश्नकर्ता का नाम**:-** श्री तिलक राम गुप्ता
क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि**:-**

क.सं	**प्रश्न**	**उत्तर**
क)	क्या यह सत्य है कि त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी फुटपाथ, जो बिल्कुल टूट गये हैं, उनके मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा टेण्डर जारी कर दिये गये हैं?	जी हाँ, यह सत्य है।

ख)	यदि हाँ, तो उन फुटपाथों के मरम्मत का कार्य कब से शुरू होगा और कब तक पूरा कर लिया जायेगा?	फुटपाथ मरम्मत का कार्य शुरू हो चुका है एवं दिन प्रतिदिन मेंटेनेंस के कार्य की निविदा की समाप्ति की तिथि 11.08.2027 है।
ग)	त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले नाले की सफाई का कार्य लगभग 25 से 30 प्रतिशत तक हुआ है, शेष कार्य को कब तक पूरा कर लिया जायेगा; और	लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले नाले की सफाई का कार्य प्रगति पर है एवं Desilting operations of drains चालू मौजूदा निविदा के अनुसार 13.07.2025 तक चलेगा।
घ)	श्री अग्रसेन फाउंटेन वाटिका के फब्बारे और लाईटें काफी समय से बंद पड़े हैं, उनके फुटपाथ बुरी तरह से टूटे हुए हैं,उन सबकी मरम्मत कब तक करवा दी जायेगी ?	**Civil Works:** श्री अग्रसेन फाउंटेन वाटिका के फुटपाथ का साईट की आवश्यकता के अनुसार प्रारम्भिक अनुमान बनाकर सक्षम अधिकारी को प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति के लिए 09.01.2026 तक भेज दिया जाएगा एवं प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त होने के 45 दिनो के भीतर मरम्मत का कार्य करवा दिया जाऐगा। **Electrical Works:** श्री अग्रसेन fountain के फव्वारे एवं लाईटें का कार्य करने हेतु रु.1,92,74,925/- मात्र का प्राम्भिक अनुमान इस कार्यालय के पत्र सं023 (27) /उ.प.व.नं. / लो.नि.वि./ 1303 दिनांक 13.11.2025 के द्वारा सक्षम अधिकारी को प्रशासनिक अनुमोदन उवं व्यय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित किया गया है।

यह पत्र माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- **77**

दिनांक :- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री रविंदर सिंह नेगी

क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग **यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**

क.सं	**प्रश्न**	**उत्तर**
क)	क्या यह सत्य है कि पटपडगंज विधानसभा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों की संख्या अत्यंत कम है तथा कई कैमरे लंबे समय से खराब पड़े हुए हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है; और	लोक निर्माण विभाग द्वारा पटपडगंज विधानसभा क्षेत्र में कुल 4003 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके है एंव cabinet decision के अनुसार 4000 कैमरे लगाने का ही प्रवधान था एंव इनका working व non-working status संलग्न है (Annexure- 'B')।
ख)	यदि हों तो इस क्षेत्र में नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने एवं खराब पड़े कैमरों की मरम्मत/प्रतिस्थापन हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं और इसे कब तक पूरा किया जाएगा?	नए सीसीटीवी कैमरे एसओपी के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही लगाये जाते है और ख़राब पड़े CCTV कैमरो की मरमत BELL के द्वारा यथाशिघ्र की जाती है।

यह पत्र माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ **में** Question Module **पर उपलब्ध।**

अतारांकित प्रश्न संख्या :- **78**
दिनांक :- 06.01.2026

क.सं	**प्रश्न**	**उत्तर**
क)	पिछले पाँच वर्षों में मुंडका विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा मेंटेनेंस और सिविल कार्यों के कितने वर्क ऑर्डर जारी किए गए हैं?	पिछले पाँच वर्षों में मुंडका विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा मेंटेनेंस और सिविल कार्यों का विवरण की सूची संलग्न है। पिछले पांच वर्षों के दौरान मुंडका के विधानसभा क्षेत्र में PWD द्वारा केवल एक कार्य पूर्ण कराया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है:- Development of Play Field in Govt. Boys Sr. Sec. School, Hiran Kudna, New Delhi.
ख)	इन कार्योंमें से कितने पूरे हो चुके हैं, कितने अभी चल रहे हैं और कितने अब तक शुरू नहीं हुए हैं?	CCTV कार्य पूर्ण हो चूका है एवं सिविल कार्यों में से (1) कार्यों में से 100 कार्य पूरे हो गये है। (2) कार्यों में से 10 कार्य rescind/foreclose किये गये है। (3) 6 कार्य प्रगति पर है।

ग)	हर कार्य से जुड़ी जानकारी जैसे स्वीकृत राशि, कार्य स्थल, ठेकेदार का नाम और कार्य की वर्तमान स्थिति की फोटो उपलब्ध कराई जाए; और	स्वीकृति राशि -3.45 करोड़ दिनांक 10.05.2019 कार्यस्थल - Govt. Boys Sr. Sec. School, Hiran Kudna, New Delhi. ठेकेदार का नाम M/s Desan International, F-3, First Floor, Manish Chambers, LSC, Pocket-B, Mayur Vihar-II, Delhi-110091. वर्तमान स्थिति की फोटो: Annexure-2 फोटो संलग्न है।
घ)	जिन कार्यों में देरी हुई है, उनके लिए जिम्मेदार अधिकारियों या ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?	कार्य में देरी फण्ड की उपलब्धता न होने के कारण हुई है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या:-**79**

दिनांक:- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:-श्री अशोक गोयल

क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क.सं	**प्रश्न**	**उत्तर**
क)	मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र मेंपी.डब्ल्यू.डी. के अंतर्गत आनेवाली कुल कितनी सड़के हैउनका पूर्ण विवरणः	सूची संलग्नक-ए संलग्न है।
ख)	उपरोक्त सड़को के रखरखाव केलिए क्या विभाग की कोईयोजना है;	Princess Road, Model Town II Road एवं Model Town III Road की micro surfacingहेतु प्राक्कलन बनाकर स्वीकृति हेतु उच्च कार्यालय को भेजा जा चुका है। वर्तमान में G. T.

		Road दिल्ली मैट्रो को हस्तान्तरित है और इस सड़क की देखरेख दिल्ली मैट्रो द्वारा की जाती है।
ग)	यदि हां तो उनका पूर्ण विवरणदे;	विवरण संलग्नक-सी में संलग्न है।
घ)	क्या पुरानी और खराब होचुकी पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कोको नई बनाने की कोई योजनाविभाग के पास विचारधीन है;और	Lala Aunchit Ram Road, Brahm-kumari Marg एवं Stadium Road की strengthening हेतु sanction प्राप्त होचुकी है और इन सड़कों की strengthening हेतु टैन्डर का कार्यप्रगति पर है। Mall Road कीStrengthening हेतु कार्य अवार्डकिया जा चुका है जो शीघ्र ही निष्पादित किया जायेगा।
ड़)	यदि हां, तो उसका विवरणदें?	विवरण संलग्नक-सी में संलग्न है।

यह पत्र माननीयमंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गयाहै।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या:- **80**

दिनांक:- **06/01/2026**

प्रश्नकर्ता का नामरू. श्री गजेन्दर सिंह यादव

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क.सं	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि महरौली विधानसभा में PWD द्वारा अरविंदो मार्ग पर कभी PTS से फ्लाईओवर ओर अहिंसा स्थल के पास अंडर पास बनाने का प्रस्ताव या योजना बनी थी?	लोक निर्माण विभाग में कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।
ख)	यदि हां तो वह प्रोजेक्ट पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं,और	

ग)	भविष्य में यह प्रोजेक्ट कब पूर्ण होगा, इसकी जानकारी उपलब्ध कराए?	

यह पत्र माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

अतारांकित प्रश्न संख्या :- **81**

दिनांक :- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री अहीर दीपक चौधरी

क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क.सं	**प्रश्न**	**उत्तर**
क)	क्या यह सत्य है कि बादली विधान सभा में अनेक स्थानों पर सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है; और	जी हॉ।
ख)	यदि हाँ, तो इसे हटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं।	अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे सड़क में सीमांकन का कार्य प्रगति पर है और अन्य सड़कों के लिए पत्र राजस्व विभाग को सीमांकन के लिए भेजा गया है।

यह पत्र माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

अतारांकित प्रश्न संख्या:-**82**

दिनांक:- 06.01.2026

प्रष्नकर्ता का नाम:-श्री परद्युम्न सिंह राजपूत

क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क.सं	**प्रश्न**	**उत्तर**
क)	द्वारका विधानसभा के अंतर्गत वर्ष 2017 अप्रैल से वर्ष 2024 मार्च तक पीडब्ल्यूडी विभाग ने कौन-कौन से कार्यों काभुगतान किया है; और	द्वारका विधानसभा के अंतर्गत वर्ष 2017 अप्रैल से वर्ष 2024 मार्च तकपीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा कियेगये कार्यों के भुगतान के संबंधमें सूची संलग्न है।
ख)	(ख) किस किस एजेंसी को किस-किस कार्य के लिए कितनाकितना भुगतान किया है एजेंसी का नाम कार्य का विवरणऔर भुगतान की राशि का विवरण भी उपलब्ध कराया जाए?	

यह पत्र माननीयमंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी कियागयाहै।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 83
दिनांक : 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री जरनैल सिंह
क्या माननीय लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या विभाग द्वारा नजफगढ़ ड्रेन (साहिबी नदी) को साफ सुंदर करने का कार्य चल रहा है;	वर्तमान में नजफगढ़ ड्रेन (साहिबी नदी) पर चल रहे कार्यों का विवरण संलग्न सूची 'क' में है।
(ख)	इस कार्य के अंतर्गत किए जाने वाले अलग–अलग कार्यों की टेंडर सहित विस्तृत जानकारी दी जाए;	विस्तृत जानकारी संलग्न सूची 'क' में है।
. (ग)	यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा, विस्तृत जानकारी दी जाए;	उपरोक्त
(घ)	बाढ़ व सिंचाई विभाग द्वारा पिछले 3 वर्षों में तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर किए गए सभी कार्यों की विस्तृत जानकारी दी जाए; और	विस्तृत जानकारी संलग्न सूची 'ख' में है।
(ङ)	तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बाढ़ व सिंचाई विभाग की सभी संपत्तियों की विस्तृत जानकारी दी जाए ?	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के नजफ़गढ़ नाले का दाया किनारा आरडी 41980 ख्याला ब्रिज से आरडी 40680 आउटर रिंग रोड़ तक का क्षेत्र तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ **में** Question Module **पर उपलब्ध।**

अतारांकित प्रश्न संख्या : 84
दिनांक : 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री अजय कुमार महावर
क्या माननीय सिंचाई एवं बाढ़ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर
(क)	घोंडा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुराना गढ़ी मेंडू एवं उस्मानपुर गाँव, जो यमुना नदी के तट पर स्थित हैं तथा जहाँ हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, सरकार द्वारा यमुना नदी एवं उक्त गाँवों के मध्य एक स्थायी बाँध/तटबंध (Embakmant) के निर्माण हेतु कोई नीति, योजना अथवा प्रावधान वर्तमान में मौजूद है;	जी नहीं
(ख)	यदि हाँ, तो उसका विस्त्तृत विवरण दें;	उपरोक्त
. (ग)	यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में इन गाँवों की बाढ़ से सुरक्षा, जन–जीवन की स्थिरता एवं समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए उक्त बाँध/तटबंध के निर्माण हेतु कोई ठोस एवं दीर्घकालिक योजना प्रस्तावित करने पर विचार कर रही है; और	आवश्यकतानुसार विभाग उचित निर्णय लेगा।

(घ)	यदि हाँ, तो उसकी समय–सीमा क्या निर्धारित की गई है ?	उपरोक्त

अतारांकित प्रश्न संख्या : 85
दिनांक : 06–01–2026
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री नीरज बसोया
क्या माननीय सिंचाई एवं बाढ़ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कीः–

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर
(क)	कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षो (2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) के दौरान बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग द्वारा कितने टेंडर जारी किए गए हैं;	विगत तीन वर्षो (2022–23, 2023–24, एवं 2024–25) के दौरान किए गए टेंडरों का विवरण सूची 'क' में है
(ख)	उक्त टेंडरों से संबंधित कार्यों का नाम, अनुमानित लागत, वर्तमान प्रगति स्थिति, भुगतान की स्थिति तथा पूर्णता की समय–सीमा क्या हैं;	उपरोक्त
. (ग)	क्या इनमें से कोई कार्य निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण नहीं हुआ है; और	विवरण संलग्न सूची 'ख' में है।
(घ)	यदि हॉ, तो इसके कारण क्या हैं तथा इन्हें पूर्ण करने की संशोधित समय–सारिणी क्या है ?	विवरण संलग्न सूची 'ख' में है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ **में** Question Module **पर उपलब्ध।**

अतारांकित प्रश्न संख्या : 86
दिनांक : 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री मनोज कुमार शौकीन
क्या माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः–

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्र में सप्लीमेंट्री ड्रेन के साथ मीराबाग से हैदरपुर तक प्रस्तावित सड़क निर्माण से पश्चिम एवं उत्तर–पश्चिम दिल्ली की यातायात व्यवस्था में व्यापक सुधार हो सकता है;	यह कार्य सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से संबंधित नहीं है।
(ख)	क्या यह भी सत्य है कि उक्त सड़क निर्माण से नांगलोई जाट सहित लगभग 10 विधानसभा क्षेत्रों के लाखों नागरिकों को आवागमन, वैकल्पिक मार्ग तथा ट्रैफिक दबाव में कमी का सीधा लाभ मिलेगा;	उपरोक्त
. (ग)	क्या सरकार ने इस मार्ग को शहर–स्तरीय वैकल्पिक ट्रैफिक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने हेतु कोई फिजिबिलिटी स्टडी / DPR / सर्वेक्षण कराया है अथवा कराने का प्रस्ताव है;	उपरोक्त
(घ)	यदि हॉ, तो उक्त योजना की वर्तमान स्थिति, अनुमानित लागत, क्रियान्वयन एजेंसी तथा समय–सीमा क्या निर्धारित की गई है; ?	उपरोक्त

(ङ)	यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मार्ग की रण नीतिक उपयोगिता, ट्रैफिक भार में कमी, जलभराव नियंत्रण तथ भविष्य की शहरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे प्राथमिकता की योजना के रूप में स्वीकृत करने पर विचार करेंगी?	उपरोक्त

अतारांकित प्रश्न संख्या : 87
दिनांक : 06–01–2026
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री संदीप सहरावत
क्या माननीय सिंचाई एवं बाढ़ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर
(क)	पिछले पॉच वर्षों में मटियाला विधानसभा क्षेत्र की ग्रामीण एवं अनधिकृत कॉलोनियों में I&FC विभाग द्वारा कौन–कौन से कार्य कराए गए हैं, कार्यवार, क्षेत्रवार एवं व्यय राशि सहित विवरण उपलब्ध कराया जाए;	विस्तृत विवरण संलग्न सूची 'क' में है।
(ख)	मटियाला विधानसभा क्षेत्र में सोम बाजार रोड़ एवं C–ब्लॉक नन्हे पार्क में रोड/सड़क कब बनाई गई थी फोटो सहित रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएं;	मांगी गई जानकारी संलग्न सूची 'क' में है एवं Geotagged फोटोग्राफ भी संलग्न है।
(ग)	मटियाला विधानसभा क्षेत्र के नजफगढ़ नाले से सटे जिन मार्गों पर सड़क निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है, वे सड़कें कहॉ–कहॉ तक बनाई जाएँगी तथा कार्य कब प्रारंभ एवं कब पूर्ण किया जाएगा;	नजफगढ़ नाले के तटबंध पर सड़क निर्माण का प्रस्ताव "झटीकरा से छावला बाएं किनारे तथा छावला से बसई दारापुर दोनों किनारे दो लेन" की प्रस्तावित योजना 45th TAC दिनांक 24.07.2025 की बैठक के अंतर्गत स्वीकृत हुई है, एवं प्रस्तावित योजना 39th Flood Control Board दिनांक 09.12.2025 की बैठक में अनुमोदन हेतु रखी गई है, बैठक के कार्यवृत्त (Minutes of Meeting) अभी जारी किये जाने है उपरोक्त प्रस्तावित योजना Expenditure Finance Committee (E.F.C.) की बैठक में स्वीकृति के लिए रखी जाएंगी। कार्य को पूर्ण करने की अवधि 18 माह है।
(घ)	मटियाला विधानसभा क्षेत्र में गौशाला का निर्माण का कार्य कब प्रारंभ किया जाएगा;	मटियाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम घुम्मनहेड़ा में एक गौशाला के विकास हेतु पशुपालन इकाई (विकास विभाग), रा. रा. क्षे. दिल्ली सरकार से पत्र दिनांक 15. 07.2024 के द्वारा 4631.64 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई। तदनुसार, उक्त कार्य के लिए व्यापक परामर्श सेवाओं हेतु एक परामर्शदाता नियुक्त किया गया। परामर्शदाता द्वारा तैयार की गई संकल्पना एवं प्रारंभिक लेआउट को अनुमोदन हेतु पत्र दिनांक 26.03.2025 के द्वारा पशुपालन इकाई (विकास विभाग) को प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात् आगे की गहन डिज़ाइनिंग प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने हेतु संकल्पनाओं एवं लेआउट के अनुमोदन

		के लिए पत्र दिनांक 30.06.2025 के द्वारा एक अनुस्मारक भी भेजा गया। पशुपालन इकाई, विकास विभाग रा. रा. क्षे. दिल्ली सरकार, का उत्तर/निर्देष अपेक्षित है।
(ङ)	क्या यह सत्य है कि मटियाला विधानसभा क्षेत्र के छावला धूलसीरस क्षेत्र में नजफगढ़ नाले से संबंधित सड़क कार्य स्वीकृत होने के बावजूद कार्य रोक दिया गया है; और	"Construction of double lane road on right bank of Najafgarh Drain to enhance connectivity of villages of South West, Delhi to UER-II] Dwarka Expressway, Gurugram and Airport (Chawla to UER-II @ Dhulsiras)" शीर्षक योजना को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा विशेष पूंजी निवेश सहायता (SASCI) योजना 2025–26 के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की गई है। विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान प्रस्ताव नजफगढ़ ड्रेन के किनारे पर झटिकरा से बसईदारापुर तक डबल लेन सड़क के निर्माण हेतु एक व्यापक परियोजना का हिस्सा प्रस्तावित है, जो पहले से प्रक्रियाधीन है। ऐसे में इस कार्य का आंशिक रूप से निष्पादन करने से सम्पूर्ण परियोजना की समग्रता प्रभावित हो सकती है। अतः निर्देश दिए गए कि इस कार्य को किसी अन्य ऐसे स्थान पर प्रतिस्थापित करने की संभावनाएं तलाश की जाएं, जिससे व्यापक जनहित की पूर्ति हो सके। उपर्युक्त परिस्थितियों के कारण, संबंधित अनुबंध को प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत बंद कर दिया गया है।
(च)	यदि हॉ, तो किस कारण और वो बजट अब कहाँ लगाया जा रहा है जानकारी दें?	इसके पश्चात, "Improvement of Inspection Road on left bank of Najafgarh Drain from Dhansa to Jhatikara to enhance connectivity of rural villages of South West, Delhi to Gurugram & other main cities of Delhi" शीर्षक एक नई योजना तैयार की गई है तथा इसे कार्य के प्रतिस्थापन हेतु स्वीकृति प्राप्त करने के लिए योजना विभाग, रा. रा. क्षे. दिल्ली सरकार को प्रस्तुत किया गया है। आवश्यक स्वीकृति के बाद निविदा की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। उपर्युक्त क्षेत्र नजफगढ़ ड्रेन की व्यापक डबल लेन सड़क परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ **में** Question Module **पर उपलब्ध।**

अतारांकित प्रश्न संख्या : 88

दिनांक : 06–01–2026

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री कैलाश गंगवाल

क्या माननीय सिंचाई एवं बाढ़ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या सरकार की नजफगढ़ ड्रेन को साफ करके पर्यटन के तौर पर विकसित करने की कोई योजना है;	नजफगढ़ ड्रेन में सफाई का कार्य प्रगति पर है विभाग द्वारा नजफगढ़ ड्रेन के किनारे पार्क विकसित करने का कार्य किया जा रहा है पानी की गुणवत्ता में सुधार के बाद विभाग द्वारा नजफगढ़ ड्रेन को पर्यटन के रूप में विकसित करने पर विचार किया जाएगा।
(ख)	क्या मादीपुर विधानसभा से गुजरने वाले नजफगढ़ ड्रेन को सीमेंट कंक्रीट से पक्का करने की सरकार की कोई योजना है; और	मादीपुर विधानसभा से गुजरने वाले नजफगढ़ ड्रेन को सीमेंट कंक्रीट से पक्का करने की कोई योजना स्वीकृत, प्रस्तावित या विचाराधीन नहीं है।
. (ग)	क्या साहिबी नदी (नजफगढ़ ड्रेन) को कवर करके इस पर सड़क का निर्माण करने की सरकार की कोई योजना है?	साहिबी नदी (नजफगढ़ ड्रेन) को कवर करके इस पर सड़क का निर्माण करने की कोई योजना स्वीकृत, प्रस्तावित या विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 89
दिनांक : 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री सतीश उपाध्याय
क्या माननीय सिंचाई एवं बाढ़ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर
(क)	मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के विशेष संदर्भ सहित नए ड्रेनेज मास्टर प्लान 2025 के कियान्वयन की चरणबद्ध समयावधि की जानकारी उपलब्ध कराएं;	मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला नाला सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस संबंध में दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग एवं दिल्ली जल बोर्ड से उत्तर अपेक्षित है।
(ख)	मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में चिन्हित 'ड्रेनेज चोक बिंदुओं का विवरण दें, व 2026 के मानसून से पहले उनकी डीसिल्टिंग, सफाई व सुधार हेतु कार्ययोजना की समयबद्ध जानकारी दें; और	उपरोक्त
. (ग)	वर्तमान में ड्रेनेज प्रबंधन एमसीडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड आदि विभिन्न एजेंसियों द्वारा किया जाता है अतः नए ड्रेनेज मास्टर प्लान के अंतर्गत क्या वैधानिक अथवा संस्थागत रूपरेखा तैयार की जा रही है ताकि दिल्ली में और विशेषकर मालवीयनगर विधानसभा क्षेत्र में जलभराव के लिए किसी एक के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जा सके ?	उपरोक्त

अतारांकित प्रश्न संख्या : 90
दिनांक : 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री संजीव झा
क्या माननीय सिंचाई एवं बाढ़ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर

(क)	क्या यह सत्य है कि वर्ष 2024 एवं 2025 में बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के CD-06 एवं CD-07 डिवजन के अंतर्गत नालों की सफाई हेतु टेंडर जारी किए गए थे;	वर्ष 2024 एवं 2025 में बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के CD-VI के अंतर्गत नालों की सफाई हेतु टेंडर जारी किए गए थे। CD-VII का कोई भी नाला बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।
(ख)	उक्त टेंडरों के अंतर्गत अब तक कुल कितने प्रतिशत सफाई कार्य पूर्ण किए गए हैं; डिवजीनवार एवं नालेवार विवरण उपलब्ध कराया जाए;	विवरण संलग्न सूची 'क' में है।
(ग)	किन–किन नालों के लिए टेंडर आमंत्रित नहीं किए जा सके अथवा सफल नहीं हो पाए, तथा इसके पीछे क्या कारण है;	ऐसा कोई नाला CD-VI में नहीं है।
(घ)	नालों के ऊपर पम्पिंग सेट लगाने की योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;	बाढ़ के मौसम के दौरान बैक–फ्लो (पानी के उल्टे प्रवाह) को रोकने हेतु एक अस्थायी उपाय के रूप में पंपो की तैनाती की जाती है।
(ङ)	अब तक कुल कितने पम्पिंग सेट स्वीकृत, स्थापित एवं कार्यशील किए जा चुके हैं, स्थानवार विवरण दिया जाए;	उपरोक्तानुसार, यद्यपि विवरण संलग्न सूची 'ख' में है।
(च)	क्या यह सत्य है कि पंप हाउस नाला (Transport Authority से West Kamal Vihar Pump House तक) स्थित टूटी हुई दीवार की <u>मरम्मत / पुर्ननिर्माण</u> हेतु कोई प्रावधान स्वीकृत किया गया है;	जी नहीं।
(छ)	यदि हॉ, तो अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;	उपरोक्त
(ज)	यदि उक्त दीवर की मरम्मत के संबंध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण है;	विचाराधीन
(झ)	क्या यह सत्य है कि वर्ष 2024 एवं 2025 में जारी नालों की सफाई तथा विभाग द्वारा बनाए गए छठ घाटों से संबंधित टेंडरों की दरों में अंतर पाया गया है; और	जी हाँ, नालों की सफाई एवं छठ घाटों से संबंधित निविदाए दिल्ली सरकार की ई–निविदा प्रणाली से प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के तहत कराए गए हैं।
(ट)	यदि हॉ, तो कृपया वर्ष 2024 और वर्ष 2025 के टेंडर रेट का तुलनात्मक विवरण (कार्यवार / नालेवार) उपलब्ध कराया जाए ?	विवरण संलग्न सूची 'ग' में है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 91
दिनांक : 06–01–2026
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री प्रेम चौहान
क्या माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर
(क)	वर्ष 2025 में किस विशिष्ट प्राधिकारी अथवा अधिकारी ने वासुदेव घाट पर एक अतिरिक्त कृत्रिम घाट व कुड बनाने के निर्देश दिए थे, कृपया एतद्संबंधी औपचारिक आदेश की प्रति अथवा इस निर्णय को रिकॉर्ड किए जाने वाली फाइल नोटिंग्स की प्रति प्रदान करें;	उत्तर राजस्व विभाग, रा. रा. क्षे दिल्ली सरकार से अपेक्षित है।
(ख)	वासुदेव घाट पर सिविल कार्यों के लिए जारी निविदाओं व उसके बाद ठेकेदारों को जारी किए गए कार्यादेशों की प्रति उपलब्ध कराएं;	वासुदेव घाट पर सिविल कार्यों के लिये सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने एक निविदा आमंत्रित की थी। विभाग के द्वारा ठेकेदार को जारी किए गए कार्यादेशों की प्रतिलिपि संलग्न है।
(ग)	इस कृत्रिम घाट के निर्माण की अनुमानित लागत व वास्तविक लागत क्या थी औरा क्या यह सत्य है कि वासुदेव घाट में लागातार जल आपूर्ति के लिए के समीपस्थ क्षेत्र की पानी की पाइपलाइन को तोड़ा अथवा मोड़ा गया था;	निर्माण की अनुमानित लागत रू 18,77,103 / – व वास्तविक लागत रू.5,13,074 / – थी। दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त उत्तर संलग्न है।
(घ)	यदि हॉ, तो पाइपलाइन को तोड़ने का आदेश किस अधिकारी ने दिया था;	दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त उत्तर संलग्न है।

(ङ)	नगर में जलसंकट की स्थिति के दौरान पेयजल को एक कृत्रिम कुंड में डाले जाने के संबंध में यदि कोई तकनीकी औचित्य रिपोर्ट है तो उसकी प्रति उपलब्ध कराएं:	दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त उत्तर संलग्न है।
(च)	पाइपलाइन को तोड़ने के कारण इस पाइपलाइन से पानी प्राप्त करने वाली कॉलोनियों में जलदाब संबंधी क्या प्रभाव पडा;	दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त उत्तर संलग्न है।
(छ)	इस परियोजना के कारण पानी की कमी संबंधी कितनी जन शिकायतें प्राप्त हुईं;	दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त उत्तर संलग्न है।
(ज)	इस परियोजना के लिए दिल्ली जल बोर्ड की मूलभूत संरचना को इस अनाधिकृत अथवा गलत योजना के कारण होने वाले नुकसान के लिए किस अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया और उन अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरूद्ध जो इस पाइपलाइन के नुकसान के लिए उत्तरदायी हैं क्या अनुशासनात्मक कार्यवाई की गई, यदि नहीं, तो क्यों;	दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त उत्तर संलग्न है।
(ण)	घाट और कुंड के निर्माण, इसमें पानी भरने व इसके रख–रखाव तोड़ी गई पाइपलाइन की मरम्मत पर होने वाले कुल खर्च का अलग–अलग विवरण प्रदान करें ?	उत्तर उपरोक्त 'ग' में है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ **में** Question Module **पर उपलब्ध।**

अतारांकित प्रश्न संख्या : 92

दिनांक : 06–01–2026

प्रश्नकर्ता का नाम : सुश्री आतिशी

क्या माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर
(क)	एक जनवरी 2024 से 28 दिसंबर 2025 तक की अवधि में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा कालकाजी व ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में किए गए सभी विकास कार्यों की विस्तृत सूची प्रदान करें;	इस विभाग के द्वारा कालकाजी एवं ग्रेटर कैलाश विधानसभा के अंतर्गत जनवरी 2024 से 28 दिसम्बर 2025 तक किए गए कार्यों की सूची 'क' संलग्न है।
(ख)	प्रत्येक कार्य/परियोजना के संबंध में धनराशि के स्रोत की जानकारी दें, (जैसे एमएलए लैंड फंड, दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड, मुख्यमंत्री सड़क पुर्ननिर्माण योजना अथवा एससी/एसटी कल्याण निधि);	जानकारी संलग्न सूची 'क' में उपलब्ध है।
. (ग)	प्रत्येक योजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि और समापन की वास्तविक अथवा अनुानित तिथि, तथ प्रस्येक कार्य की वर्तमान स्थिति (जैसे काम आरंभ नहीं हुआ, हो रहा है, अथवा पूरा हो गया) भी बताएं तथा कुल स्वीकृत राशि और ठेकेदारों को जारी की गई राशि का तिथिवार विवरण दें: और	उपरोक्त
(घ)	जो परियोजनाएं तय समय पर पूरा नहीं हो सकीं उनके लिए दोषी ठेकेदारों के विरूद्ध की गई कार्रवाई तथा उनके समापन की संशोधित तिथि की जानकारी ?	उपरोक्त

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ **में** Question Module **पर उपलब्ध।**

अतारांकित प्रश्न संख्या : 93
दिनांक : 06—01—2026
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री इमरान हुसैन
क्या माननीय सिंचाई एवं बाढ़ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कीः—

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर
(क)	ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र (AC-50) में चिराग दिल्ली मेन ड्रेन पर फुट ओवर ब्रिज (FOB) निर्माण परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;	ग्रेटर कैलाश विधानसभा (AC-50) के अंतर्गत चिराग दिल्ली मेन ड्रेन पर प्रस्तावित फुट ओवर ब्रिज (FOB) के बैलेंस कार्य के निष्पादन हेतु दूसरी बार टेंडर आमंत्रित कर दिए गए हैं।
(ख)	क्या यह सत्य है कि इस विशेष FOB के ''Balance work'' के लिए हाल ही में नया टेंडर निकाला गया है;	जी हाँ
. (ग)	इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत क्या है, और कार्य रोकने से पहले पिछले ठेकेदारों को कितनी राशि भुगतान की जा चुकी है;	इस परियोजना के अनुमानित लागत 65.59 लाख रूप्ये है, सिविल खंड संख्या—X (लेखा शाखा) में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार 9,31,931 / — रूपये Ist रनिंग बिल का भुगतान किया जा चुका है।
(घ)	परियोजना के पूरा न होने के विशिष्ट कारण क्या थे, जिनके कारण ''Balance work''के लिए नया टेंडर आवश्यक हुआ; और	दस्तावेजों की प्रतिलिपि संलग्न है।
(ड.)	इस परियोजना से संबंधित फाइल नोटिंग्स की प्रति विशेष रूप से उन नोटिंग्स की, जिनमें अधूरा कार्य छोड़ने के कारण और नए टेंडर के लिए प्रशासनिक अनुमोदन शामिल हैं, प्रदान की जाएं?	इस परियोजना से संबंधित फाइल नोटिंग्स की प्रतिलिपिया संलग्न है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ **में** Question Module **पर उपलब्ध।**

विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली –सरकार
5/9 अंडर हिल रोड, दिल्ली – 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या.– 94
दिनांक – 06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम– श्री अनिल झा
क्या माननीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि –

क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या सरकार को यह जानकारी है कि डीवीडीबी परियोजना के अंतर्गत किरारी गांव में अंबेडकर भवन (चौपाल) का निर्माण दिनांक 28.08.2023 को स्वीकृत किया गया था जिसकी अनुमानित लागत रू 579.63 लाख है	जी हां। रूपये 573.89 लाख की धनराशि प्रसाशनिक एवं व्यय स्वीकृति पत्र संख्या F.2(80)PDRD/DVDB/A/A&E/S/ 2024-25/3353-3367 दिनांक 27.08. 2024 के द्वारा प्रदान की गई ।
ख	यदि हां तो इसका पूर्ण विवरण दें	रू 573.89 लाख की धनराशि प्रसाशनिक एवं व्यय स्वीकृति पत्र संख्या F.2(80)PDRD/DVDB/A/A&E/S/ 2024-25/3353-3367 दिनांक 27.08. 2024 के द्वारा प्रदान की गई ।
ग	क्या यह सत्य है कि उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु डीवीडीबी द्वारा आई एण्ड एफ सी विभाग को विधिवत सिफारिश भेज दी गई थी	जी हां।
घ	यदि हां, तो सिफारिश भेजने के तिथि क्या है	27.08.2024
ड	यदि परियोजना स्वीकृत होने एवं संबंधित विभाग को सिफारिश भेजे जाने के बावजूद अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, तो इसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं	तत्कालीन माननीय विधायक, किरारी विधानसभा के पत्र सं. AAP/09/24 दिनांक 05.09.2024 की सिफारिश के उपरांत, परियोजना की प्रसाशनिक एवं व्यय स्वीकृति को रद्द कर दिया गया था।
च	सरकार द्वारा अंबेडकर भवन (चौपाल) के निर्माण कार्य को प्रारंभ करने की निर्धारित समय सीमा क्या है तथा इसे कब तक पूर्ण किया जाएगा	प्रश्न संख्या ड़ के उत्तर के संदर्भ में लागू नहीं है।
छ	इस परियोजना के विलंब के लिए कौन सा विभाग एवं कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं, तथा अनावश्यक देरी के लिए उनके विरूद्व क्या जवाबदेही /कार्रवाई प्रस्तावित है	प्रश्न संख्या ड़ के उत्तर के संदर्भ में लागू नहीं है।

मोहन कुमार 03.01.26
संयुक्त आयुक्त (विकास विभाग)

कार्यालय निदेशक पशुपालन
विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
जोरावर सिंह मार्ग, तीस हजारी दिल्ली– 110054.
फोन न0 011–20833238

एफ नं0 11 (97)/एएचडी/वीएस–एलएस/2025–26/ 4048 **दिनांकः–** 05/01/2026

सेवा में,
उपसचिव (लेजिस्लेशन),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

विषयः– **विधानसभा अतारांकित प्र0 सं0 95 माननीय विधायक श्री कैलाश गंगवाल (मादिपुर) उत्तर दिनांक** 06.01.2026 **के** सन्दर्भ में।

महोदय,
विधान सभा अतारांकित प्र0 सं0 95 माननीय विधायक श्री कैलाश गंगवाल (मादिपुर) द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 95 के संबंध मे आपके ईमेल दिनांक 31.12.2025 के संदर्भ में निम्न जानकारी प्रस्तुत हैः–

क्रं सं0	प्रश्न	उत्तर
क.	क्या यह सत्य है कि दिल्ली में आवारा (गायों) की वजह से सड़कों पर प्रतिदिन कोई न कोई दुर्घटना आम बात हो गई है	इस तरह का कोई भी आंकड़ा विकास विभाग में उपलब्ध नहीं है।
ख.	यदि हां तो सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गये हैं	इस समस्या के समाधान हेतु दिल्ली सरकार द्वारा 04 गौशाला गैर सरकारी संगठनो (एनजीओ) द्वारा संचालीत की जा रही है एवं 11 जिलों में गौशाला स्थापित करने के लिए प्रयास जारी है। गौशाला आंवटित करने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति को प्रकाशित करने की प्रक्रिया जारी है।
ग.	दिल्ली में अवैध डेयरियों की समस्या से निबटने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है	यह प्रश्न दिल्ली नगर निगम और शहरी विकास विभाग से संबंधित हैं और अग्रिम कार्यवाही हेतु दिल्ली नगर निगम एवं शहरी विकास विभाग को प्रषित किया जा रहा है।
घ.	अवैध डेयरियों से सप्लाई होने वाले अस्वच्छ / अस्वास्थ्यकर दूध के प्रति लोगों को जागरुक करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है	यह प्रश्न शहरी विकास विभाग एवं खाद्य सुरक्षा विभाग, दिल्ली सरकार से संबंधित है और अग्रिम कार्यवाही हेतु शहरी विकास विभाग एवं खाद्य सुरक्षा विभाग को प्रेषित किया जा रहा है।
ड.	डेयरी वाले दूध नहीं जहर बेच रहे हैं, आवारा गायें सड़कों पर कूड़ा खा रही है, गंदगी खाने की वजह से इन्फेक्शन हा रहा है, जिससे लोगों को कैंसर और किडनी खराब हो रही है, सरकार लोगों को इसके प्रति किस प्रकार जागरूक करेगी?	यह प्रश्न शहरी विकास विभाग एवं खाद्य सुरक्षा विभाग, दिल्ली सरकार से संबंधित है और अग्रिम कार्यवाही हेतु शहरी विकास विभाग एवं खाद्य सुरक्षा विभाग को प्रेषित किया जा रहा है।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की पूर्वअनुमोदन से जारी किया गया है।

S. Shanmugavel 05/01/26.
(डा0 एस0 सेनमुगवल)
उप निदेशक,पशुपालन ईकाई
दिनांकः–

एफ नं0 11 (97)/एएचडी/वीएस–एलएस/2025–26/

सूचना हेतु प्रतिः–
1. संयुक्त आयुक्त, विकास विभाग, 5, शाम नाथ मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली – 110054

(डा0 एस0 सेनमुगवल)
उप निदेशक,पशुपालन ईकाई.

विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली –सरकार
5/9 अंडर हिल रोड, दिल्ली – 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या.– 96
दिनांक –06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम– श्री चंदन कुमार चौधरी
क्या माननीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि –

क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि ग्रामीण विकास बोर्ड के माननीय अध्यक्ष द्वारा संगम विहार विधानसभा के लिए विकास कार्यों हेतु 1.54 करोड़ की राशि प्रस्तावित / स्वीकृत की गई है	जी हां।
ख	यदि हां, तो उक्त राशि से संबंधित कार्यों की टेंडर प्रकिया अब तक पूर्ण न होने के क्या कारण हैं	पत्र संख्या F.No.DEV-PROJ(PF)/2/2025/ I&FC/ 6712-6719 दिनांक 21.10.2025 के द्वारा रू 153.96 लाख की प्रसाशनिक स्वीकृति प्रदान की गई एवं कार्य प्रक्रिया में है।
ग	टेंडर प्रकिया पूर्ण न होने से प्रस्तावित विकास कार्यों में हो रही देरी से सरकार अवगत है	कार्य प्रक्रिया में है।
घ	संबांधित कार्यों की टेंडर प्रकिया कब तक पूर्ण किए जाने की संभावना है तथा कार्य कब प्रारंभ किए जाऐंगे	कार्य प्रक्रिया में है।

मोहन कुमार
03.01.26
संयुक्त आयुक्त (विकास विभाग)

तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या -97 8/4/264

दिनांक - 06/01/2026

प्रश्नकर्ता का नाम - श्री राज कुमार भाटिया (आदर्श नगर)

सवाल	उत्तर
(क) आजादपुर मंडी में मार्केटिंग कमेटियों तथा विभिन्न विकास कार्यों में व्यापारियों को सम्मिलित करने की तत्काल आवश्यकता है, इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?	आजादपुर मंडी में मार्केटिंग कमेटी का पुनर्गठन नहीं हुआ है।
(ख) आजादपुर मंडी के परिचालन में आधुनिकीकरण और पारदर्शिता की आवश्यकता को देखते हुए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?	आजादपुर मंडी के परिचालन में आधुनिकीकरण ओर पारदर्शिता की आवश्यकता को देखते हुए निम्न कदम उठाए गए है। 1. विपणन शुल्क की वसूली ऑनलाइन होती हैं। 2. लाइसेंस व अभियोजन बालान प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। 3. मंडी द्वारों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे लगाए जा रहे हैं। 4. आवारा पशुओं का मंडी में प्रवेश रोकने के लिए सभी मंडी द्वारों पर अवरोधक लगाए गए हैं। 5. मंडी परिसर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किया गया है। 6. मंडी परिसर में दो नए सुलभ शौचलयों का निर्माण किया गया है। वर्तमान में मंडी में कुल 11 सुलभ शौचलय व 40 पेशाब घर है। 7. मंडी परिसर में कुल 28 पियाऊ है जिनमे सब पर शीतलन संयंत्र लगे है। 6 पियाऊ पर आरओ जल उपलबध है। 8 मंडी द्वारों पर भार तुला स्थापित करने हेतु निविदा आमंत्रित की गई हैं।

विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली –सरकार
5/9 अंडर हिल रोड, दिल्ली – 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या.– 98
दिनांक –06.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम– श्री इमरान हुसैन
क्या माननीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि –

क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
क	8 फरवरी 2025 से 28 दिसंबर 2025 तक दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड (डीवीडीबी) द्वारा कितने नए प्रोजेक्ट्स स्वीकृत किए गए हैं;	776 प्रोजेक्ट्स स्वीकृत किए गए हैं।
ख	इन प्रोजेक्ट्स की सूची प्रस्तुत करें, जिसमें प्राजेक्ट का नाम और प्रकार विधानसभा क्षेत्र और गॉव /वार्ड, स्वीकृत धनराशि और वर्तमान स्थिति (पूर्ण, प्रगति में , या अब तक शुरू नहीं हुई और देरी के कारण शामिल हों;	सूची संलग्न है। 776 स्वीकृत प्रोजेक्ट्स में से 699 प्रोजेक्ट्स की 10 प्रतिशत व्यय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 77 प्रोजेक्ट्स प्रक्रिया में है।
ग	स्वीकृत कुल प्राजेक्ट्स में कितने स्थानीय विधायकों द्वारा प्रस्तावित थे और कितने सीधे विभाग / बोर्ड द्वारा शुरू किए गए	सभी प्रोजेक्ट्स माननीय सांसद / स्थानीय विधायकों द्वारा प्रस्तावित थे।
घ	2025–26 वित्त वर्ष में रू 900 करोड़ (या वर्तमान आवंटित राशि) में से कुल कितना बजट उपयोग किया गया: और	2025–26 वित्त वर्ष में अभी तक कुल 150.64 करोड़ रूपये की व्यय स्वीकृति सिंचाई एवं बाढ़ विभाग, दिल्ली नगर निगम व डी.एस.आई.आई.डी.सी. को जारी की जा चुकी है।
ड	क्या सभी गांवों में समान विकास सुनिश्चित करने के लिए कोई प्राथमिकता सूचि या अन्य मापदंड अपनाया जा रहा है ?	दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड, स्थानीय विधायकों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं को SOP के अनुसार स्वीकृति प्रदान करता है। SOP संलग्न है।

मोहन कुमार 03.01.26
संयुक्त आयुक्त (विकास विभाग)

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या- 99

दिनांक :- 06-01-2026

प्रश्नकर्ता का नाम- माननीय विधायक श्री अजय कुमार महावर (घोंडा)

क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

प्रश्न	**उत्तर**
(क) दिल्ली में कम आयु के बच्चों-किशोरों द्वारा बार-बार किए जा रहे संगीन अपराधों की रोकथाम हेतु वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएँ एवं नीतिगत उपाय लागू है;	इस प्रकार के अपराधों की जाँच किशोर न्याय बोर्ड द्वारा की जाती है, जिसकी स्थापना किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संशोधित 2021) के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। इसके अतिरिक्त, जनसामान्य में विधिक जागरूकता उत्पन्न करने हेतु जिला स्तर पर विभिन्न जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता है। इस संदर्भ मे अधिक और अतिरिक्त जानकारी दिल्ली पुलिस के पास उपलब्ध हो सकती है ।
(ख) क्या भविष्य में ऐसे मामलों में कानून को और अधिक कठोर बनाए जाने अथवा दंडात्मक एवं सुधारात्मक प्रावधानों को सुदृढ़ करने पर सरकार द्वारा कोई विचार किया जा रहा है;	चूँकि किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संशोधित 2021) एक केंद्रीय विधान है, इसलिए इस संबंध में कोई टिप्पणी करना संभव नहीं है।
(ग) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है;	जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।
(घ) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में कुछ मामलों में कम आयु के बच्चों-किशोरों का उपयोग संगठित अपराधों को अंजाम देने हेतु किया जा रहा है;	संबंधित जानकारी संभवतः दिल्ली पुलिस के पास उपलब्ध हो सकती है।
(ङ) यदि हाँ, तो ऐसे संगठित अपराधों की रोकथाम हेतु अब तक क्या-क्या ठोस कदम उवाए गए हैं; और	यह जानकारी संभवतः दिल्ली पुलिस के पास उपलब्ध हो सकती है। हालांकि किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति , जिला बाल संरक्षण, इकाई पुलिस के साथ स्थापित प्रक्रिया के अनुसार समन्वय कर इस दिशा मे कार्य करते है। मनोचिकित्सा स्वास्थ्य इकाई द्वारा भी बच्चों को परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(च) यदि कोई किशोर बार-बार संगीन अपराधों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध अधिक सख्त एवं प्रभावी कानून बनाने अथवा मौजूदा कानूनों में संशोधन हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?	किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संशोधित 2021) के तहत संगीन अपराधों के संबंध मे सख्त एवं कठोर प्रावधान किए गए हैं।

विषय: विधानसभा प्रश्न संख्या 100, डायरी संख्या 8/4/192, 'न्यायालय कक्षों की कमी तथा रिक्त न्यायाधीशों के संबंध में।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर दिनांक 02.01.2026 के आपके ईमेल के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी अग्रेषित करने का निर्देश दिया गया है:-

प्र0 सं0	**प्रश्न**	**<u>प्रस्तावित उत्तर</u>**
(क):	**दिल्ली जिला न्यायालयों (कड़कड़डूमा, साकेत, रोहिणी, द्वारका, पटियाला हाउस आदि) और दिल्ली उच्च न्यायालय में वर्तमान में उपलब्ध न्यायालय कक्षों की कुल संख्या तथा पिछले 10 वर्षों में न्यायालय-वार और वर्ष-वार उनकी संख्या में हुए परिवर्तन;**	**<u>अधीनस्थ/जिला न्यायालय</u>** वर्तमान में, दिल्ली के जिला न्यायालयों में 739 न्यायालय कक्ष उपलब्ध हैं। यह जानकारी/आंकड़ा अनुलग्नक क में दिया गया है। **<u>दिल्ली उच्च न्यायालय</u>** वर्तमान में, इस न्यायालय परिसर में 50 न्यायालय कक्ष उपलब्ध हैं। इनकी संख्या में वर्षवार परिवर्तन निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	न्यायालय कक्षों की संख्या
2017	36
2018	50
2019	50
2020	50
2021	50
2022	50
2023	50
2024	50

		2025	50
		2026	50

(ख): **वर्तमान में दिल्ली के जिला न्यायालयों तथा दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों की कुल संख्या, रिक्त पदों की संख्या और पिछले 10 वर्षों में रिक्तयों का न्यायालय-वार और वर्ष-वार विवरण;**

अधीनस्थ/जिला न्यायालय

दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा (डीएचजेएस)

जहां तक संबंध है, दिनांक 01.01.2026 तक दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यरत संख्या बल 399 है। इसके अतिरिक्त, रिक्तयों का वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	रिक्तियां
01.01.2017	49
01.01.2018	18
01.01.2019	15
01.01.2020	35
01.01.2021	39
01.01.2022	118
01.01.2023	60
01.01.2024	19
01.01.2025	19
01.01.2026	16

दिल्ली न्यायिक सेवा (डीजेएस)

आज की तिथि अर्थात दिनांक 05.01.2026 तक, दिल्ली न्यायिक सेवा में कार्यरत संख्या बल और रिक्तयों की कुल संख्या का विवरण इस प्रकार है:-

कार्यरत संख्या बल	रिक्तियां
438*	44**

दिल्ली न्यायिक सेवा में पिछले दस वर्षों में रिक्तयों की संख्या का वर्ष-वार विवरण के संबंध में सूचना इस प्रकार है:-

वर्ष	रिक्तियां

01.01.2017	220
01.01.2018	259
01.01.2019	202
01.01.2020	83
01.01.2021	120
01.01.2022	73
01.01.2023	143
01.01.2024	70
01.01.2025	82
01.01.2026	44

दिल्ली उच्च न्यायालय

जहां तक दिल्ली उच्च न्यायालय का संबंध है, माननीय न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या बल 60 है। रिक्त पद 16 हैं। कार्यरत संख्या बल 44 है।

पिछले 10 वर्षों में माननीय न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या से संबंधित विवरण निम्नलिखित है:-

वर्ष (दिनांक की)	रिक्तियां
31.12.2016	21
31.12.2017	23
31.12.2018	26
31.12.2019	23
31.12.2020	29
31.12.2021	30
31.12.2022	14
31.12.2023	18

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>31.12.2024</td><td>25</td></tr>
<tr><td>31.12.2025</td><td>16</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>(ग):</td><td>इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है?</td><td>
<u>अधीनस्थ/जिला न्यायालय</u>
वर्ष 2025 के लिए, सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत विज्ञापित 12 रिक्तियों के लिमिटेड 9 उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है और पदोन्नति कोटा के अंतर्गत 10 रिक्तियों के लिए 10 अधिकारियों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा (एलएसई) के लिए कड़कड़डूमा में की गई है। सीमित प्रतियोगी परीक्षा (एलएसपी) कोटा के अंतर्गत 2 रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
सीधी भर्ती कोटा के अतिरिक्त अन्य कोटा के अंतर्गत डीएचजेएस के 03 रिक्त पदों को भरने के संबंध में सीमित समिति डीएचजेएस नियमों में दिनांक 20.05.2025 को इंडलू.पी.(सी) 1022/1989 'अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ तथा अन्य' के निणय के निबंधनों में संशोधन होने तक मामला स्थानित कर दिया गया है। 16 मौजूदा रिक्त पदों में से 03 रिक्त पद दिनांक 01.01.2026 से प्रस्तावित हुए हैं।
जब भी दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा (विधित्र से 25% सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत) और दिल्ली न्यायिक सेवा की भर्ती प्रक्रियाओं की सिफारिश की जाती है, तो माननीय न्यायाधीश को शुरू करने की सिफारिश, मानलों में से उल्लिखित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित करने और मुख्य न्यायाधीश समिति (डीएचजेएस) द्वारा मानलों में सलाह और डीजीएस द्वारा निरंतर निगरानी की जाती है।
यह न्यायालय न केवल सभी मौजूदा रिक्त कोटा के अंतर्गत आयोजित होने वाली सभी संभावित रिक्तियों को भी प्रकाशित करता है, बल्कि डीएचजेएस और दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा के दौरान आगामी एक वर्ष में उत्पन्न होने वाली संभावित रिक्तियों को भी प्रकाशित करता है। हालांकि, सीमित प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में, कैलेंडर वर्ष के दौरान दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा (25% सीधी भर्ती कोटा और सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से 10% पदोन्नति) की भर्ती प्रक्रियाओं को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए, मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। पिछली दो परीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान दोनों वर्गों की (लिखित) परीक्षाएं एक ही तिथि पर आयोजित की गई थीं।
</td></tr>
<tr><td>(घ):</td><td>पिछले 10 वर्षों के लंबित मामलों का विस्तृत वर्षवार विवरण के साथ परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 (चेक</td><td>
<u>अधीनस्थ/जिला न्यायालय</u>
जिला न्यायालय- दिनांक 01.12.2025 तक दिल्ली जिला न्यायालयों में लंबित मामलों की कुल संख्या इस प्रकार है:
<table>
<tr><th>दीवानी मामले</th><th>आपराधिक मामले</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>194695</td><td>1360339</td><td>1555034</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

बाउंसिंग) के अंतर्गत आपराधिक, दीवानी और मामले सहित; दिल्ली के जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालय में वर्तमान में लंबित मामलों की कुल संख्या

पारिवारिक न्यायालय- दिनांक 01.12.2025 तक, दिल्ली जिला न्यायालयों में लंबित मामलों की कुल संख्या इस प्रकार है:

दीवानी मामले	आपराधिक मामले	कुल
25717	28070	53787

पिछले 10 वर्षों के दौरान दिल्ली के जिला एवं पारिवारिक न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या:-

वर्ष	जिला न्यायालय में लंबित	पारिवारिक न्यायालय में लंबित
2015	543901	29328
2016	606181	29940
2017	717371	30333
2018	803080	31733
2019	848850	33516
2020	977909	40733
2021	1182853	48520
2022	1390751	49798
2023	1307501	51602
2024	1361329	52242
2025 (दिनांक 31.10.2025 तक)	1583409	53795

दिनांक 01.12.2025 तक, परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के संबंध में लंबित मामलों की कुल संख्या 715630 है।

पिछले 10 वर्षों के दौरान परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के संबंध में लंबित मामलों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	लंबित
2016	133534
2017	196571
2018	261013
2019	257429
2020	357686
2021	421659
2022	432411
2023	418380
2024	557409
2025 (दिनांक 01.12.2025 तक)	715630

दिल्ली उच्च न्यायालय

जहां तक दिल्ली उच्च न्यायालय का संबंध है, दिनांक 31.12.2025 तक कुल 1,21,608 मामले लंबित थे, जिनमें 90,060 दीवानी मामले और 31,548 आपराधिक मामले शामिल हैं। लंबित आपराधिक मामलों में से 2,698 मामले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित थे। इसके अलावा, पिछले 10 वर्षों के लंबित मामलों के आंकड़े इस प्रकार हैं:-

वर्ष	वर्ष के अंत में लंबित मामले
2015	68784
2016	67082
2017	70284
2018	74536
2019	80950
2020	91279
2021	101685

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>2022</td><td>105625</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>112891</td></tr>
<tr><td>2024</td><td>116616</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>(ङ):</td>
<td>धारा 138 (परक्राम्य लिखत अधिनियम) के अंतर्गत मामलों के निपटान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है तथा पिछले पांच वर्षों में कितने मामलों का निपटान समय सीमा के भीतर किया गया है एवं कितने मामले अभी भी लंबित हैं;</td>
<td>
<u>अधीनस्थ/जिला न्यायालय</u>
परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत, इस धारा के अधीन प्रत्येक मुकदमे की सुनवाई यथाशीघ्र की जाएगी और शिकायत दर्ज होने की तिथि से छह माह के भीतर मुकदमे की सुनवाई करके उसे समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत वर्ष 2020 से 2025 तक दिल्ली जिला न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों से संबंधित जानकारी निम्नलिखित है:-
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>43816</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>59954</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>108188</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>123948</td></tr>
<tr><td>2024</td><td>122673</td></tr>
<tr><td>2025 (दिनांक 30.11.2025 तक)</td><td>121868</td></tr>
</table>
दिनांक 30.11.2025 की तिथि तक दिल्ली जिला न्यायालयों में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत 715630 मामले लंबित हैं; जिनका विवरण उपरोक्त प्रश्न (घ) के उत्तर में भी दिया गया है।
<u>दिल्ली उच्च न्यायालय</u>
परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत वर्ष 2020 से 2025 तक निपटाए गए मामलों के आंकड़े इस प्रकार हैं:-
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या</th></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>2020</td><td>236</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>116</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>391</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>951</td></tr>
<tr><td>2024</td><td>1467</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>3160</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>(च):</td><td>लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों में केंद्र सरकार या उच्चतर न्यायपालिका को फास्ट ट्रैक न्यायालयों / विशेष न्यायालयों की स्थापना, न्यायिक प्रक्रिया में तकनीकी सुधारों, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि और अतिरिक्त कक्षों की स्थापना के लिए किए गए पत्राचार/अनुरोध का विवरण शामिल है।</td><td>
<u>अधीनस्थ/जिला न्यायालय</u>
दिल्ली में वर्तमान में 13 फास्ट ट्रैक न्यायालय 4 साल से अधिक पुराने मामलों का निपटान कर रहे हैं, 16 विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय पीओसीएसओ अधिनियम और बलात्कार के मामलों का निपटान कर रहे हैं, और 9 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों का निपटान कर रहे हैं।
वर्तमान में, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल की दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अतिरिक्त 53 पदों के सृजन की स्वीकृति से अवगत कराया है। यद्यपि, दिल्ली उच्चतर न्यायालय के नियमों से संलग्न अनुसूची में अभी संशोधन होना शेष है और तदनुसार, संशोधन के बाद, इन रिक्तियों को भरने के प्रयोजनार्थ आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
दिनांक 05.01.2026 तक, दिल्ली न्यायिक सेवा स्तर पर 306 नियमित न्यायालय कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए वर्ष 2025 में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:
(i) सायं कालीन न्यायालयों की संख्या 32 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है। उक्त 60 न्यायालयों में से 44 न्यायालयों को यातायात चालानों (ईसीटीसी) का निपटान करने वाली सायं कालीन न्यायालयों के रूप में नामित किया गया है।
(ii) वित्तीय संस्थानों और दूरसंचार कंपनियों द्वारा धारा 138 एन.आई. अधिनियम के अंतर्गत दायर मामलों का निपटान करने के लिए सायं कालीन न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र, जहां विवादित राशि पहले 25,000/- रुपये या उससे कम थी, को बढ़ाकर 50,000/- रुपये या उससे कम कर दिया गया है।
(iii) दिल्ली में कार्यरत डिजिटल यातायात न्यायालयों को अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 300 यातायात चालानों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।
<u>दिल्ली उच्च न्यायालय</u>
दिल्ली उच्च न्यायालय तकनीकी सुधारों के संदर्भ में न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत, इस न्यायालय ने न्यायालयों, अधिवक्ताओं, वादकारियों और आम जनता के लाभ के लिए अनेक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित सेवाएं लागू की हैं।
</td></tr>
</table>

		फिलहाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के समस्त न्यायालय पेपरलेस ई-कोर्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं और मामलों के रिकॉर्ड न्यायालयों को डिजिटल पीडीएफएफ प्रारूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। इस न्यायालय में सभी मामले, याचिकाएं, जवाब, दस्तावेज आदि केवल ऑनलाइन ई-फाइलिंग प्रणाली के माध्यम से ही दर्ज किए जाते हैं। इस न्यायालय के सूचना एवं संचार प्रकोष्ठ ने रजिस्ट्री द्वारा विभिन्न उद्देश्यों जैसे कि सूचीकरण, पंजीकरण, निपटान आदि के लिए उपयोग किए जाने हेतु अपनी स्वयं की 'मामला सूचना प्रणाली' विकसित की है। इस न्यायालय के सभी न्यायालय भौतिक रूप से कार्यरत हैं और 'इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमावली, 2025' के अनुसार सिस्को वेबएक्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/हाइब्रिड मोड में सुनवाई की सुविधा उपलब्ध है। इस न्यायालय के सभी न्यायालयों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/हाइब्रिड सुनवाई के लिए मीटिंग लिंक इस न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई दैनिक वाद सूची में 'पीडीएफ वाद सूची' लिंक के साथ-साथ 'डिस्प्ले बोर्ड' लिंक के अंतर्गत उपलब्ध हैं, और कोई भी अधिवक्ता/वादकारी/आम जनता उक्त लिंक का उपयोग कर सकती है, बशर्ते किसी विशेष मामले में कोई और आदेश/निर्देश न हो। इस न्यायालय ने वर्तमान में केवल दो न्यायालय कक्षों से ही लघु पैमाने पर मामले के आधार पर न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है और अब तक केवल एक मामले की न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त, इस न्यायालय ने निम्नलिखित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित सेवाओं को भी लागू किया है: (i) ई-सत्य प्रति (ii) ई-निरीक्षण (iii) ई-आरटीआई (iv) ईमेल सेवाएं (v) व्हाट्सएप सेवाएं (vi) मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ में आपदा निवारण स्थल की स्थापना (vii) वर्चुअल टूर (viii) पायलट आधार पर ई-ऑफिस (ix) जिला न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए ई-एचआरएमएस। आदेश, निर्णय, वाद सूची, न्यायालय के नियम, नोटिस आदि सहित अत्याधिक जानकारी इस न्यायालय की वेबसाइट http://delhihighcourt.nic.in/ पर सभी संबंधित पक्षों के लाभ के लिए अपलोड की जाती हैं। इस न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं:- 1. पीठों का गठन और रोस्टर प्रबंधन- दिल्ली उच्च न्यायालय विभिन्न प्रभाग पीठों और एकल पीठों के समक्ष मामलों के आवंटन के लिए रोस्टर प्रणाली का पालन करता है। न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि या कमी जैसी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार उच्चतर निपटान दर प्राप्त करने के लिए रोस्टर को समय-समय पर परिवर्तित/संशोधित किया जाता है। दीवानी और आपराधिक मामलों की लंबिता के अनुसार दीवानी और

		आपराधिक क्षेत्राधिकार में पर्याप्त संख्या में पीठों का गठन किया गया है ताकि मामलों की लंबिता का बेहतर प्रबंधन किया जा सके। पुराने मामलों के निपटान को सुनिश्चित करने के लिए, दीवानी और आपराधिक मामलों की अनेक श्रेणियों को विभिन्न पीठों के रोस्टर में वर्षवार रूप से युक्तिसंगत बनाया गया है। वर्तमान में, इस न्यायालय में 9 प्रभाग पीठ और 26 एकल पीठ गठित हैं। इन 26 एकल पीठों में से 8 पीठ आपराधिक क्षेत्राधिकार के लिए, 5 पीठ मूल के लिए, 11 पीठ दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार के लिए और 2 पीठ आईपी प्रभाग के लिए गठित की गई हैं। 2. नियमित मामलों की सूची का प्रबंधन- नियमित मामलों की सूची में मामलों को उनकी आयु-वार वरिष्ठता के अनुसार सूचीबद्ध किया जाता है ताकि पुराने मामलों का निपटान सुनिश्चित किया जा सके। 3. वरिष्ठ नागरिकों के मामले- वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में सूचीबद्ध किए जाने वाले नियमित मामलों की सूची प्रत्येक गुरुवार को सूचीबद्ध की जाती है। 4. लोक अदालतों का आयोजन- उच्च न्यायालय में समय-समय पर मामलों के निपटान के लिए लोक अदालतों का आयोजन भी किया जाता है। 5. वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग का गठन- वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग में 8 प्रभागीय पीठें और वाणिज्यिक प्रभाग में प्रत्येक में 7 एकल न्यायाधीशों की पीठें वाणिज्यिक मामलों के निपटान के लिए गठित की गई हैं। 6. बौद्धिक संपदा प्रभाग का गठन- बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मामलों से निपटान के लिए इस न्यायालय में बौद्धिक संपदा प्रभाग (आईपीडी) का भी गठन किया गया है। 7. पुराने लंबित मामलों की सूची- माननीय मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के द्वारा अनुमोदित उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए आदर्श कार्य योजना में निर्धारित मापदंडों के अनुसार सुनवाई और निपटान के लिए पुराने लंबित मामलों को भी दिनांक 01.07.2025 से सूचीबद्ध किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न संख्या :— 101
डायरी सं० :— 8/4/10
दिनांक :— 06.01.2026
प्रश्नकर्त्ता का नाम :— माननीय विधायक श्री जरनैल सिंह जी।

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :—

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
(क)	पिछले पाँच वर्षों में दिल्ली के विभिन्न सब–रजिस्ट्रार कार्यालयों में संपत्ति रजिस्ट्रेशन से संबंधित आवेदकों द्वारा कुल कितनी अपॉइंटमेंट रद्द की गई, इसका सब–रजिस्ट्रार कार्यालयवार विस्तृत विवरण दिया जाए;	राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (एन०जी०डी०आर०एस०) पोर्टल में, यदि पंजीकरण के समय संबंधित पक्ष उप–पंजीयक कार्यालय में उपस्थित नहीं होता है, तो दस्तावेज पंजीकरण के लिए नियुक्ति स्वतः रद्द हो जाती है।
(ख)	यह भी बताया जाए कि सब–रजिस्ट्रार कार्यालयों में संपत्ति रजिस्ट्रेशन रद्द होने की स्थिति में आवेदकों द्वारा जमा की गई स्टैम्प ड्यूटी की राशि को वापस करने के क्या प्रावधान हैं;	भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुसार, स्टाम्प ड्यूटी की राशि का रिफंड, खरीद की तारीख से केवल 6 महीने तक ही हो सकता है। राजस्व विभाग द्वारा स्टाम्प ड्यूटी की राशि के रिफंड के लिए जारी दिशानिर्देश की प्रतिलिपि **अनुलंग्नक 'अ'** संलग्न है।

(ग)	पिछले पाँच वर्षों में स्टैम्प ड्यूटी रिफंड के लिए विभाग को कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा क्या इन सभी मामलों में विभाग द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर आवेदकों को रिफंड प्रदान किया गया, इसका वर्षवार विस्तृत विवरण दिया जाए;	पिछले पाँच वर्षों में स्टाम्प ड्यूटी रिफंड के लिए प्राप्त आवेदनों की वर्षवार सूचि का विस्तृत विवरण इस प्रकार हैः–

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	स्टाम्प ड्यूटी रिफंड के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या
1.	2020–21	393
2.	2021–22	443
3.	2022–23	661
4.	2023–24	698
5.	2025–25	793
स्टाम्प ड्यूटी रिफंड के लिए प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या		**2988**

उपरोक्त आवेदनों में केवल वही मामले लंबित हैं जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अंतर्गत 6 महीने में जमा नहीं किए गए, उन्हें विभाग के आदेश पत्रांक दिनांक 09.06.2016 के अनुसार लंबित रखा है (आदेश की प्रतिलिपि **अनुलंग्नक 'ब'** संलग्न है)।

(घ)	क्या यह सत्य है कि अनेक मामलों में स्टैम्प ड्यूटी की राशि महीनों अथवा वर्षों बीत जाने के बावजूद भी आवेदकों को वापस नहीं की गई है;	नहीं, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अंतर्गत स्टाम्प पेपर का रिफंड राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा समय पर किया जाता है और जिन मामलों में स्टाम्प ड्यूटी रिफंड के आवेदन खरीद की तारीख से 6 महीने बाद जमा किए जाते हैं, उन्हें विभाग के आदेश पत्रांक 09.06.2016 के अनुसार लंबित रखा जाता है।(आदेश की प्रतिलिपि **अनुलंग्नक 'ब'** संलग्न है)।
(ड़)	यदि हाँ, तो ऐसे कुल कितने मामले वर्तमान में लंबित हैं, उनमें कुल कितनी राशि लंबित है तथा रिफंड न हो पाने के क्या कारण रहे, इसका विस्तृत विवरण दिया जाए; और	वर्तमान में कुल लगभग 650 स्टाम्प ड्यूटी रिफंड के आवेदन लंबित हैं। इनका मुख्यतः कारण, स्टाम्प ड्यूटी रिफंड के आवेदन खरीद की तारीख से 6 महीने बाद कार्यालय को प्राप्त होना हैं, उन्हें विभाग के आदेश पत्रांक 09.06.2016 के अनुसार लंबित रखा जाता है। (आदेश की प्रतिलिपि **अनुलंग्नक 'ब'** संलग्न है)।
(च)	स्टैम्प ड्यूटी रिफंड में विलंब होने की स्थिति में कौन–कौन से अधिकारी उत्तरदायी होते हैं तथा पिछले पाँच वर्षों में क्या विभाग द्वारा ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, इसका विस्तृत विवरण दिया जाए?	भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के नियमों के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी रिफंड राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा समय पर किया जाता है लेकिन जिन मामलों में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुसार, आवेदन खरीद की तारीख से 6 महीने बाद जमा किया जाता है, उन्हें विभाग के आदेश पत्रांक दिनांक 09.06. 2016 के अनुसार लंबित रखा जाता है। (आदेश की प्रतिलिपि **अनुलंग्नक 'ब'** संलग्न है)।

इसकी स्वीकृति माननीय मंत्री (राजस्व) से प्राप्त की गई है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ **में** Question Module **पर उपलब्ध।**

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 102

डायरी सं० :– 8 / 4 / 103

दिनांक :– 06.01.2026

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– माननीय विधायक श्री संदीप सहरावत जी।

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर

<table>
<tr><td>(क)</td><td>मटियाला विधानसभा क्षेत्र में संपत्ति पंजीकरण (Registry) हेतू संबंधित कार्यालय का नाम एवं क्षेत्राधिकार स्पष्ट किया जाए;</td><td>मटियाला विधान सभा क्षेत्र की संपत्ति का पंजीकरण सब–रजिस्ट्रार, कापसहेड़ा–IX, जिला (दक्षिण–पश्चिम) एवं सब रजिस्ट्रार कार्यालय जनकपुरी जिला (पश्चिम) में होता है।</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>मटियाला विधानसभा क्षेत्र के किन–किन क्षेत्रों/कॉलोनियों की रजिस्ट्री वर्तमान में बंद या प्रतिबंधित है; क्षेत्रवार सूची उपलब्ध कराई जाए;</td><td>मटियाला विधान सभा के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों/कॉलोनियों में रजिस्ट्री नियमानुसार की जाती है। शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की गई नियमित कॉलोनियों की सूची संलग्न है (अनुलंग्नक 'अ' संलग्न है)।</td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td>यदि किसी नागरिक की संपत्ति किसी कारणवश रजिस्ट्री योग्य नहीं पाई जाती है, तो उसके समाधान हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;</td><td>यदि किसी नागरिक का दस्तावेज रजिस्ट्री हेतु योग्य नहीं पाया जाता है, तो उसकी सूचना संबंधित व्यक्ति/फर्म को नियमानुसार दी जाती है तथा अयोग्य रजिस्ट्रियों की अपील करने का प्रावधान सेक्शन–72 के अंतर्गत रजिस्ट्रार को जाती है।</td></tr>
<tr><td>(घ)</td><td>जनवरी 2025 से अब तक मटियाला क्षेत्र के जनकपुरी और कपासहेड़ा रजिस्ट्रार एवं सब–रजिस्ट्रार कार्यालयों में कुल कितनी रजिस्ट्रियाँ की गई हैं, राजस्व प्राप्ति (Registry Fee/Stamp Duty) का विवरण उपलब्ध कराया जाए तथा अब तक कितनी रजिस्ट्रियों को रोक (Hold/Reject) दिया गया है तथा कितनी अभी भी लंबित हैं; कारणों सहित जानकारी दी जाए;</td><td>इस संदर्भ में जानकारी इस प्रकार हैः–
<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">जनवरी 2025 से अब तक मटियाला क्षेत्र की रजिस्ट्रियों का विवरण</td></tr>
<tr><td>सब–रजिस्ट्रार कापसहेड़ा</td><td>सब–रजिस्ट्रार जनकपुरी</td></tr>
<tr><td>कुल की गई रजिस्ट्रियों की संख्या</td><td>22947</td><td>1303</td></tr>
<tr><td>राजस्व प्राप्ति</td><td>₹ 2,74,12,04,693/–</td><td>₹ 9,16,59,667/–</td></tr>
<tr><td>रोकी/ अस्वीकार रजिस्ट्रियों की संख्या</td><td>92 (अस्वीकार)</td><td>01 (अस्वीकार)</td></tr>
<tr><td>लंबित रजिस्ट्रियों की संख्या</td><td>––––––––––</td><td>––––––––––</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(ड़)</td><td>पिछले एक वर्ष में मटियाला विधानसभा क्षेत्र में कितनी सरकारी/निजी संपत्तियों की रजिस्ट्रियाँ रद्द की गई हैं; सूची उपलब्ध कराई जाए;</td><td>पिछले 01 वर्ष में मटियाला विधानसभा क्षेत्र में किसी भी सरकारी भूमि का पंजीकरण नहीं किया गया।</td></tr>
<tr><td>(च)</td><td>क्या यह सत्य है कि मटियाला विधानसभा क्षेत्र में कई Awarded/अधिग्रहित (Acquired) संपत्तियों की रजिस्ट्री हुई;</td><td>पिछले 01 वर्ष में मटियाला विधान सभा क्षेत्र में किसी अवार्डिड/अधिग्रहीत भूमि का पंजीकरण नहीं किया गया है।</td></tr>
<tr><td>(छ)</td><td>यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें;</td><td>उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।</td></tr>
<tr><td>(ज)</td><td>मटियाला विधानसभा क्षेत्र में D-Lit लैंड से संबंधित संपत्तियों की संख्या कितनी है, उनकी वर्तमान स्थिति एवं कार्रवाई का विवरण उपलब्ध कराया जाए;</td><td>इस संदर्भ में राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।</td></tr>
<tr><td>(झ)</td><td>क्या यह सत्य है कि मटियाला विधानसभा क्षेत्र में अनधिकृत कॉलोनियों में अवैध प्लॉटिंग की जा रही है;</td><td>मटियाला विधान सभा क्षेत्र में शहरीकृत तथा ग्रामीण दोनों प्रकार के गांव आते हैं। शहरीकृत गांव में अनाधिकृत कॉलोनियों में अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई डीडीए द्वारा की जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस पर कार्रवाई राजस्व विभाग द्वारा की जाती है। अतः समय–समय पर इस विभाग में इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाती है (अनुलंग्नक 'ब' संलग्न है)।</td></tr>
<tr><td>(ट)</td><td>यदि हाँ, तो इस संबंध में DM/SDM कार्यालय द्वारा अब तक कितने RO नोटिस जारी किए गए हैं, कार्रवाईवार विवरण उपलब्ध कराया जाए; और</td><td>सब–डिविजन कापसहेड़ा, जिला (दक्षिण–पश्चिम) द्वारा 60 आर०ओ० जारी किए गए हैं, जिसमें 6 मामलों में डिमोलिशन आदेश जारी किए गए है (आर०ओ० की सूची अनुलंग्नक 'ब' संलग्न है)।</td></tr>
<tr><td>(ठ)</td><td>मटियाला विधानसभा क्षेत्र में स्थित DDA, ग्राम सभा अथवा अन्य विभागों की भूमि पर</td><td>राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार के अंतर्गत मटियाला विधानसभा क्षेत्र में ग्राम सभा भूमि की सूची संलग्न है (अनुलंग्नक 'स' संलग्न है)।</td></tr>
</table>

	अवैध कब्जों की वर्तमान स्थिति क्या है, विभागवार एवं स्थानवार विवरण उपलब्ध कराया जाए?	मटियाला विधान सभा क्षेत्र में स्थित डी०डी०ए० तथा अन्य विभागों की भूमि पर कब्जों की वर्तमान स्थिति के बारे में राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

इसकी स्वीकृति माननीय मंत्री (राजस्व) से प्राप्त की गई है।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ **में** Question Module **पर उपलब्ध।**

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 103
डायरी सं० :– 8/4/146
दिनांक :– 06.01.2026
प्रश्नकर्त्ता का नाम :– माननीय विधायक श्री चंदन कुमार चौधरी जी।

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :–

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
(क)	संगम विहार विधानसभा के अंतर्गत मंगल बाजार रोड, रतिया मार्ग तथा शूटिंग रेंज से 16 नंबर रोड का राजस्व अभिलेखों के अनुसार डिमार्केशन/सीमांकन किया गया है या नहीं;	राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार में उपलब्ध अभिलेखानुसार, इस क्षेत्र का कोई सीमांकन नहीं किया गया है।
(ख)	यदि हाँ, तो उक्त मार्गों का खसरा संख्या सहित विस्तृत विवरण क्या है;	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।
(ग)	यदि नहीं, तो अब तक डिमार्केशन न होने के क्या कारण हैं; और	इस संदर्भ में राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
(घ)	क्या सरकार संबंधित क्षेत्रों में शीघ्र डिमार्केशन कराने का प्रस्ताव रखती है, यदि हाँ, तो उसकी समय–सीमा क्या है?	

इसकी स्वीकृति माननीय मंत्री (राजस्व) से प्राप्त की गई है।

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 104
डायरी सं० :– 8/4/163
दिनांक :– 06.01.2026
प्रश्नकर्त्ता का नाम :– माननीय विधायक श्री सतीश उपाध्याय जी।

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर

(क)	पूर्ववर्ती 11 जिलों के स्थान पर 13 नए राजस्व जिलों के निर्माण के मानदंड अथवा औचित्य (rationale) क्या था;	पूर्व के 11 जिलों का पुनर्गठन 13 जिलों की संख्या मंत्रिमंडल निर्णय संख्या 3280 दिनांक 11.12.2025 के आधार पर तय की गई है। इस पुनर्गठन का मुख्य औचित्य राजस्व जिलों की सीमाओं को दिल्ली नगर निगम के 12 जोनों, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एवं दिल्ली छावनी बोर्ड की सीमाओं से पूर्णतः सह–अंतिम हो गई हैं। पूर्व में सीमाओं की असंगति के कारण एक ही क्षेत्र राजस्व कार्यों हेतु एक जिले में तथा नगर निगम सेवाओं हेतु दूसरे जोन में पड़ता था, जिससे नागरिकों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, शिकायत निवारण में देरी होती थी एवं विभागीय समन्वय प्रभावित होता था। एम०सी०डी० जोनों, एन०डी०एम०सी० एवं छावनी क्षेत्र को आधार बनाने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि एम०सी०डी० जोन शहरी प्रशासन एवं दैनिक नागरिक सेवाओं (स्वच्छता, कर संग्रहण, भवन नियमन आदि) के लिए अधिक प्रासंगिक हैं तथा इनकी सीमाओं से सह–अंतिम बनाने से प्रभावी निगरानी, बेहतर समन्वय एवं Ease of Doing Business में सुधार होता है।	इसकी स्वीकृति माननीय मंत्री (राजस्व) से प्राप्त की गई है।
(ख)	क्या नए बनाए गए राजस्व जिलों को नागरिक एजेंसियों जैसे एमसीडी, पुलिस, पीडब्ल्यूडी व दिल्ली जलबोर्ड के साथ संबद्ध (align) कर दिया गया है;	राजस्व जिलों की सीमाएं दिल्ली नगर निगम के 12 जोनों, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एवं दिल्ली छावनी क्षेत्रों की सीमाओं से पूर्णतः सह–अंतिम कर दी गई हैं। पुलिस, पीडब्ल्यूडी व दिल्ली जलबोर्ड एवं अन्य प्रमुख विभागों की सीमाओं को भी क्रमशः नए राजस्व जिलों के साथ संबंध करने की प्रक्रिया जारी है, ताकि समन्वय एवं सेवाएं और अधिक प्रभावी हों।	
(ग)	सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार प्रत्येक जिले में एक लघु–सचिवालय स्थापित किए जाने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों को विभिन्न कार्यालयों के लिए अलग–अलग स्थानों पर न भटकना पड़े;	प्रत्येक जिले में लघु सचिवालय (मिनी सचिवालय) स्थापित करने की योजना स्वीकृत है, जिसमें राजस्व एवं अन्य जनसेवा संबंधी कार्यालय एक ही छत के नीचे होंगे। वर्तमान में स्थान चयन, व्यवहार्यता अध्ययन एवं निर्माण कार्य प्रगति पर हैं तथा शीघ्र ही ये क्रियाशील हो जाएंगे, ताकि नागरिकों को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं प्राप्त हों।	
(घ)	बहुमंजिला भवनों में आपदा तैयारी तथा सुरक्षा प्रणाली जैसे अस्पताल व स्कूल हेतु क्या हाल में कोई ऑडिट या पुनरीक्षण किया गया है, यदि हां, तो उसका विवरण दें; और	दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से प्राप्त जारकारी अनुसार, हाल ही में ऐसा कोई ऑडिट या समीक्षा नहीं की गई है।	
(ड़)	क्या मानसून के दौरान बाढ़ के कारण बार–बार कठिनाइयों का सामना करने वाले, मालवीय नगर के असुरक्षित इलाकों सहित दिल्ली के निचले इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए बाढ़रोधी स्थाई मूलभूत संरचनाओं को तैयार करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है?	दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में इस तरह का कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।	

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 105

डायरी सं० :– 8 / 4 / 181

दिनांक :– 06.01.2026
प्रश्नकर्त्ता का नाम :– माननीय विधायक श्री संजीव झा जी।

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या सरकार के पास यह विवरण उपलब्ध है कि पिछले 20 वर्षों में बुराड़ी क्षेत्र में दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 81 के अंतर्गत कितनी भूमि पर नोटिस जारी किए गए, उन नोटिसों का विवरण उपलब्ध करवाया जाए;	राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार ने कुल 92 नोटिस जारी किए गए हैं (सूची की प्रतिलिपि **अनुलंग्नक 'अ'** संलग्न है)।
(ख)	यदि हाँ, तो कृपया वर्ष–वार, गाँव/मौजा–वार, क्षेत्रफल सहित तथा प्रत्येक भूमि का खसरा नंबर विवरण दें;	सूची की प्रतिलिपि **अनुलंग्नक 'अ'** संलग्न है।
(ग)	उपर्युक्त नोटिसों में से कितने मामलों में वेस्टिंग ऑर्डर पारित किए गए, उनके वर्ष–वार, खसरा नंबर एवं भूमि के क्षेत्रफल सहित विवरण दिया जाए;	अभी तक उपरोक्त मामलों में वेस्टिंग ऑर्डर पारित नहीं किए गए हैं।
(घ)	कितने मामलों में वेस्टिंग ऑर्डर पारित होने के पश्चात सरकार द्वारा वास्तविक कब्जा (Possession) लिया गया है, कृपया खसरा नंबर, क्षेत्रफल एवं कब्जा लिए जाने की तिथि सहित विवरण दिया जाए;	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।
(ङ)	क्या ऐसे मामले भी हैं जिनमें वेस्टिंग ऑर्डर पारित होने के बावजूद अब तक कब्जा नहीं लिया गया है;	
(च)	यदि हाँ, तो प्रत्येक ऐसे मामले में खसरा नंबर सहित कारण बताए जाएँ;	
(छ)	क्या धारा 81 के अंतर्गत जारी नोटिसों अथवा वेस्टिंग ऑर्डरों के विरुद्ध न्यायालयों में वाद/अपील/स्थगन आदेश लंबित हैं;	
(ज)	यदि हाँ, तो खसरा नंबर एवं मामलों की वर्तमान स्थिति का विवरण दिया जाए;	
(झ)	क्या सरकार द्वारा बुराड़ी क्षेत्र में धारा 81 के अंतर्गत की गई कार्रवाइयों की समीक्षा या जाँच कराई गई है अथवा कराए जाने का प्रस्ताव है, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके;	नहीं, अभी तक इस प्रकार की कोई समीक्षा या जांच अभी तक नहीं कराई गई है।
(ण)	यदि हाँ, तो उसका विवरण दिया जाए?	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

इसकी स्वीकृति माननीय मंत्री (राजस्व) से प्राप्त की गई है।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 106
डायरी सं० :– 8/4/193
दिनांक :– 06.01.2026
प्रश्नकर्त्ता का नाम :– माननीय विधायक डॉ० अनिल गोयल जी।

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि गीता कॉलोनी, झील, आजाद नगर सहित दिल्ली की लगभग 190 विस्थापित कॉलोनियों में संपत्तियों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया वर्तमान में बंद है;	भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के उप भूमि एवं विकास अधिकार द्वारा दिनांक 31.03.2022 को जारी पत्र संख्या F.24026/09/2022-CDN/47 के अनुसार बिंदु संख्या 4 से स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि
(ख)	यदि हाँ, तो इसका तकनीकी और कानूनी कारण क्या है;	

		1. भूमि एवं विकास अधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना उप–पंजीयकों द्वारा किसी भी भूमि एवं विकास अधिकारी की संपत्ति (पटेदारी / मुक्त स्वामित्व वाली) का पंजीयक नहीं किया जाएगा, क्योंकि संपत्तियों निषेधात्मक सूची में हो सकती है, पुनः पंजीकृत संपत्ति हो सकती है या मुकदमेबाजी के अधीन हो सकती है। 2. जी+ से उपर सी प्रकार के मकानों / ए प्रकार के मकानों के लिए जीपीए / विक्रय विलेख / विक्रय समझौता एल० एंड डी०ओ० से एन०ओ०सी० के बिना पंजीकृत नहीं किया जा सकता है।
(ग)	क्या सरकार को ज्ञात है कि इन कॉलोनियों में पारिवारिक विभाजन के कारण 50 वर्ग गज या 25 वर्ग गज के छोटे भूखंडों का पंजीकरण न होने से लगभग 60 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं;	इस संदर्भ में राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
(घ)	क्या सरकार के पास इन संपत्तियों को 'फ्रीहोल्ड' करने या इनके पंजीकरण पर लगी रोक को हटाने की कोई समयबद्ध योजना है;	
(ड़)	क्या यह सत्य है कि रजिस्ट्री न होने के कारण क्षेत्र में रह रहे नागरिको को बहुत–सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;	
(च)	इस समस्या का समाधान अगले कितने दिनों या महीनों के भीतर कर दिया जाएगा; और	
(छ)	क्या सरकार उन कानूनी उत्तराधिकारियों को राहत देने के लिए कोई विशेष प्रावधान करेगी जो अपनी संपत्ति न बेच पाने या बैंक ऋण न मिल पाने के कारण आर्थिक और मानसिक संकट (जैसे बच्चों की शादी या मकान के निर्माण कार्य में बाधा) का सामना कर रहे हैं?	

इसकी स्वीकृति माननीय मंत्री (राजस्व) से प्राप्त की गई है।

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 107
डायरी सं० :– 8 / 4 / 197
दिनांक :– 06.01.2026
प्रश्नकर्त्ता का नाम :– माननीय विधायक श्री संजय गोयल जी।

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
(क)	शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में योजना–वार एवं वर्ष–वार कितने प्रकार के प्रमाण पत्र (जैसे SC, ST, OBC, आय प्रमाण पत्र आदि) जारी किए गए हैं तथा इसी अवधि में कुल कितनी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं और उनसे सरकार को वर्ष–वार कितना राजस्व प्राप्त हुआ है;	शाहदरा विधानसभा क्षेत्र उप–मंडल विवेक विहार तथा सीमापुरी में आता था। दिल्ली राजपत्र संख्या 396 दिनांक 25.12.2025 के अनुसार वर्तमान में शाहदरा सब–डिविजन में आता है। अतः मांगी गई जानकारी शाहदरा सब–डिविजन कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा जानकारी प्राप्त होते ही उपलब्ध करा दी जाएगी।
(ख)	क्या बड़े औद्योगिक प्लॉटों को बिना सक्षम प्राधिकरण की अनुमति छोटे–छोटे प्लॉटों में काटकर विक्रय किए जाने की स्थिति में उप–पंजीयक (Sub-Registrar) को उनकी रजिस्ट्री करने का अधिकार है;	

<table>
<tr><td>(ग)</td><td>यदि हाँ, तो किन नियमों/प्रावधानों के अंतर्गत तथा पिछले 5 वर्षों में शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे मामलों से संबंधित कितनी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं वर्ष–वार एवं क्षेत्र–वार विवरण दिया जाए;</td><td>वर्ष 2021 से 2025 तक सब–रजिस्ट्रार कार्यालय में दर्ज दस्तावेजों की संख्या व प्राप्त राजस्व का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः–
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>दर्ज दस्तावेजों की संख्या</th><th>राजस्व का ब्यौरा</th></tr>
<tr><td>2021</td><td>12849</td><td>730,960,033</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>12401</td><td>844,941,557</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>15269</td><td>988,306,212</td></tr>
<tr><td>2024</td><td>14750</td><td>715,510,919</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>14313</td><td>717,819,007</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>69,582</td><td>3,997,537,728</td></tr>
</table>
इस संदर्भ में राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।</td></tr>
<tr><td>(घ)</td><td>दिल्ली–यूपी बॉर्डर (शाहदरा क्षेत्र) पर संचालित तीन शराब की दुकानें किस भूमि पर स्थित हैं उनके भूमि–स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं;</td><td>शाहदरा विधानसभा क्षेत्र उप–मंडल विवेक विहार तथा सीमापुरी में आता था। दिल्ली राजपत्र संख्या 396 दिनांक 25.12.2025 के अनुसार वर्तमान में शाहदरा सब–डिविजन में आता है। अतः मांगी गई जानकारी शाहदरा सब–डिविजन कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा जानकारी प्राप्त होते ही उपलब्ध करा दी जाएगी।</td></tr>
<tr><td>(ङ)</td><td>पिछले 8 वर्षों में शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में SDM द्वारा कितने भवन सील किए गए। भवन संख्या एवं पते सहित विवरण दिया जाए;</td><td>शाहदरा विधानसभा क्षेत्र उप–मंडल विवेक विहार तथा सीमापुरी में आता था। दिल्ली राजपत्र संख्या 396 दिनांक 25.12.2025 के अनुसार वर्तमान में शाहदरा सब–डिविजन में आता है। अतः मांगी गई जानकारी शाहदरा सब–डिविजन कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा जानकारी प्राप्त होते ही उपलब्ध करा दी जाएगी।</td></tr>
<tr><td>(च)</td><td>क्या सील किए गए भवनों को डी–सील करने का कोई प्रावधान है? यदि हाँ, तो पिछले 8 वर्षों में कितने भवन डी–सील किए गए, किन मानकों/शर्तों पर किए गए तथा उनके भवन संख्या व पते सहित विवरण उपलब्ध कराए जाएँ;</td><td>शाहदरा विधानसभा क्षेत्र उप–मंडल विवेक विहार तथा सीमापुरी में आता था। दिल्ली राजपत्र संख्या 396 दिनांक 25.12.2025 के अनुसार वर्तमान में शाहदरा सब–डिविजन में आता है। अतः मांगी गई जानकारी शाहदरा सब–डिविजन कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा जानकारी प्राप्त होते ही उपलब्ध करा दी जाएगी।</td></tr>
<tr><td>(छ)</td><td>पिछले 10 वर्षों में शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में SDM द्वारा कितने सबमर्सिबल पंप सील किए गए तथा कितनों को डी–सील किया गयाा पते सहित विवरण दिया जाए;</td><td>शाहदरा विधानसभा क्षेत्र उप–मंडल विवेक विहार तथा सीमापुरी में आता था। दिल्ली राजपत्र संख्या 396 दिनांक 25.12.2025 के अनुसार वर्तमान में शाहदरा सब–डिविजन में आता है। अतः मांगी गई जानकारी शाहदरा सब–डिविजन कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा जानकारी प्राप्त होते ही उपलब्ध करा दी जाएगी।</td></tr>
<tr><td>(ज)</td><td>क्या सबमर्सिबल पंप को डी–सील करने की कोई कानूनी प्रक्रिया है;</td><td>सबमर्सिबल पंप को सील/डी–सील करने का प्रावधान सी०जी०डब्ल्यू०ए० के द्वारा जारी दिशा–निर्देश में अंकित है।</td></tr>
<tr><td>(झ)</td><td>यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें;</td><td>सी०जी०डब्ल्यू०ए० के द्वारा जारी दिशा–निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध है।</td></tr>
</table>

(ट)	क्या शराब की दुकान खोलने से पूर्व SDM द्वारा निरीक्षण/जांच की जाती है;	हाँ, दिल्ली आबकारी नीति, 2010 के तहत एस०डी०एम० द्वारा निरीक्षण/जांच की जाती है।
(ठ)	यदि हाँ, तो किन–किन मानकों पर, किन–किन विभागों (MCD, Police, Excise, Fire, PWD आदि) से, कौन–कौन से अनुमति पत्रों की जांच/प्राप्ति की जाती है;	दिल्ली आबकारी नीति, 2010 में उल्लिखित मानकों के अनुसार।
(ड)	शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में अवैध निर्माणों, मंदिरों एवं अस्पतालों के समीप संचालित शराब की दुकानें क्या SDM की जांच के दायरे में आती हैं;	नहीं।
(ढ़)	यदि हाँ, तो ऐसी दुकानों को किन आधारों पर अनुमति प्रदान की गई है; और	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।
(ण)	वर्तमान में शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में संचालित कुल शराब की दुकानों की संख्या कितनी है तथा उनके लिए प्राप्त सभी अनुमति पत्रों (MCD, Labour, DJB, Power, PWD, Revenue आदि) की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएँ?	माँगी गयी सूचना राजस्व जिला कार्यालय उत्तर–पूर्व से संबंधित नहीं है।

इसकी स्वीकृति माननीय मंत्री (राजस्व) से प्राप्त की गई है।

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 108
डायरी सं० :– 8/4/239
दिनांक :– 06.01.2026
प्रश्नकर्त्ता का नाम :– माननीय विधायक श्री कुलदीप कुमार जी।

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :–

<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>(क)</td><td>1 जनवरी, 2024 से 28 दिसंबर 2025 तक आग लगने, वर्षा के कारण मकान गिरने या नदी, नालों, झीलों व तालाबों में डूबने, करंट लगने अथवा अन्य किसी प्राकृतिक या मानवीकृत दुर्घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई, सबकी विस्तृत सूची प्रदान करें;</td><td>इस संदर्भ में जानकारी निम्नलिखित हैः–
<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>मृत्यु के कारण</th><th>संख्या</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>आग से</td><td>53</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>वर्षा के कारण मकान गिरने से</td><td>46</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>नदी, नालों, झीलों व तालाबों में डूबने से</td><td>89</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>करंट लगने से</td><td>03</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>अन्य किसी प्राकृतिक या मानवीकृत दुर्घटना से</td><td>48</td></tr>
<tr><td colspan="2">मृत्यु का कुल आंकडा</td><td>239</td></tr>
</table>
सूची अनुलग्नक 'अ' संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>प्रत्येक व्यक्ति का नाम, आयु, स्थाई पता, दुर्घटना की तिथि, समय व सटीक स्थान, रिकॉर्ड अथवा पोस्टमार्टम के अनुसार मृत्यु का कारण, मांगी गई सहायता/क्षतिपूर्ति राशि, व स्वीकृत/लंबित अथवा अस्वीकृत राशि का विवरण भी दें;</td><td>सूची अनुलग्नक 'अ' संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td>उन व्यक्तियों की एक अलग समेकित सूची भी प्रदान करें जिन्हें दिल्ली सरकार से 1 जनवरी 2024 से 28 दिसंबर 2025 की अवधि में अनुग्रह राशि प्राप्त हुई है, प्रत्येक व्यक्ति/परिवार को दी गई विशिष्ट राशि की जानकारी भी दें;</td><td>सूची अनुलग्नक 'अ' संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>(घ)</td><td>जिन मामलों में ऐसे दावों को अस्वीकार किया गया अथवा जो दावे अभी लंबित हैं, उनको अस्वीकार किए जाने अथवा विलंब होने के क्या कारण हैं;</td><td>इस तरह का कोई मामला राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार में लंबित नहीं है।</td></tr>
</table>

(ड़)	दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) अथवा अन्य संबंधित योजनाओं के अंतर्गत इस प्रकार की दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु के लिए अनुग्रहराशि–पात्रता संबंधी सरकारी दिशा निर्देश क्या हैं;	इस संदर्भ में राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार आदेश दिनांक 05.03.2020 की प्रतिलिपि **अनुलग्नक 'ब'** संलग्न है।
(च)	क्या इन दिशानिर्देशों में संशोधन पर विचार किया जा रहा है ताकि सहायता राशि का त्वरित वितरण सुनिश्चित किया जा सके; और	वर्तमान में उपरोक्त आदेश दिनांक 05.03.2020 के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत ही सहायता राशि का वितरण किया जा रहा है।
(छ)	1 जनवरी, 2024 से 28 दिसंबर 2025 तक दिल्ली आपदा प्रतिक्रिया कोष व अन्य संबंधित निधियों से कुल कितनी अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है?	राजस्व जिला (दक्षिण–पूर्व) ने एक करोड़ एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया।

इसकी स्वीकृति माननीय मंत्री (राजस्व) से प्राप्त की गई है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 109

डायरी सं० :– 8 / 4 / 320

दिनांक :– 06.01.2026

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– माननीय विधायक श्री अशोक गोयल जी।

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
(क)	राजस्व विभाग द्वारा दिल्ली नगर निगम द्वारा बुक्ड सम्पति की रजिस्ट्री करवाने की प्रक्रिया बताई जाये;	दिल्ली नगर निगम द्वारा बुक्ड संपत्तियों की रजिस्ट्री सामान्य रजिस्ट्रियों की ही तरह होती है। लेकिन, राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश दिनांक 09 मई, 2006 और 13 अप्रैल, 2015 के अनुसार बुक्ड संपत्तियों की रजिस्ट्री के पहले और आखिरी पन्ने पर लाल रबर स्टैम्प को मुद्रित किया जाता है, जो कि बुक्ड संपत्तियों की रजिस्ट्री की पहचान करता है।
(ख)	उत्तर पश्चिम जिला द्वारा पिछले 5 वर्षो में किन बुक्ड सम्पति की रजिस्ट्री की गयी उनकी सूचि उपलब्ध कराई जाएँ;	रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण रूप से ऑनलाइन होता है। वर्तमान में एन०जी०डी०आर०एस० और पूर्व में डोरिस पोर्टल पर किया जाता है, परन्तु दानों ही पोर्टल पर बुक्ड संपत्तियों की रजिस्ट्री को खोजने का कोई विकल्प नहीं है। पिछले 5 वर्षों की बुक्ड संपत्तियों की रजिस्ट्री को चिन्हित करने का काम मैन्युअली करना पड़ेगा जिसके लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है।
(ग)	बुक्ड सम्पति की जानकारी देने वाले पोर्टल के संचालन की जिम्मेदारी किस विभाग की हैं जानकारी उपलब्ध कराई जाएँ;	बुक्ड संपत्तियों की जानकारी समय–समय पर निगम की ऑनलाईन पोर्टल वेबसाइट www.mcdonline.nic.in पर एम०सी०डी० द्वारा अपलोड की जाती है।

(घ)	बुक्ड सम्पति पर बैंक से लोन लेने के लिए राजस्व विभाग की अनुमति की आवश्यकता हैं या नहीं , जानकारी उपलब्ध कराई जाएँ;	पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत बुक्ड संपत्तियों पर बैंक से लोन लेने के लिए राजस्व विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
(ड़)	200 वर्ग मीटर के प्लाट पर निर्माण किये गए कितने फ्लैटों की रजिस्ट्री करवाने का प्रावधान हैं;	रेरा विभाग, दिल्ली के आदेश दिनांक 11 सितंबर, 2023 के अनुसार केवल चार आवासीय ईकाइयों की अनुमति दी गई है।
(च)	किसी भी सम्पति की रजिस्ट्री को निरस्त करने की प्रक्रिया बताई जाएँ;	माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के उपरान्त ही सम्पत्ति की रजिस्ट्री को निरस्त किया जा सकता है।
(छ)	5 वर्शो में सब–रजिस्ट्रार कार्यालय में कितने कर्मचारियों के खिलाफ नियमों का पालन न करने के लिए कार्यवाई की गयी हैं, इन कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराई जाएँ तथा की गयी कार्यवाई की जानकारी उपलब्ध कराई जाएँ;	5 वर्षों में सब रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मचारियों के खिलाफ नियमों का पालन न करने के लिए कार्रवाई की सूची **अनुलग्नक–'अ'** संलग्न है।
(ज)	मॉडल टाउन नगर विधानसभा में स्थित डी–लिट् लैंड की जानकारी उपलब्ध कराई जाएँ; और	इस संदर्भ में राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
(झ)	क्या डी–लिट् लैंड पर निर्माण किये गए व्यावसायिक तथा रिहायशी भवनों की रजिस्ट्री हो सकती हैं, जानकारी उपलब्ध कराई जाएँ?	

इसकी स्वीकृति माननीय मंत्री (राजस्व) से प्राप्त की गई है।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ **में** Question Module **पर उपलब्ध।**

अतारांकितप्रश्नसंख्या:**- 110**

दिनांक**:- 06/01/2026**

प्रष्नकर्ता का नाम**:-** सुश्रीआतिशी

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि**:-**

क.सं	**प्रश्न**	**उत्तर**
क)	फरवरी 2025 से अब तक रा.रा.क्षे. दिल्ली में कितनी सड़कों की रीलेइंगरी सरफेसिंग/ रीकारपेटिंग प्रस्तावित है, इनमें से प्रत्येक सड़क के लिए अनुमानितलागत क्या है;	इस कार्यालय में फरवरी 2025 से अबतक कुल 218 सड़कों की रीलेइंग / रीसरफेसिंग /रीकारपेटिंग होनी है।सूचीसंलग्नक - A, B, C में संलग्न है।
ख)	इनमें से प्रत्येक सड़क की स्थिति, जैसे एस्टीमेशन, सिद्धांततः स्वीकृतिप्राप्त, बजटस्वीकृत, निविदा मंगाई गई, निविदा आवंटित, की विस्तृत जानकारी दें;	सूचीसंलग्नक- A, B, C में संलग्न है।
ग)	नेहरू प्लेस व चिराग दिल्ली के बीच मोदी मिल सेसावित्री फ्लाइओवर तक की सड़क पर कार्य के लिए निविदा कब जारी की गई थी;	इस सड़क पर strengthening के कार्य की निविदा 15.03.2024 को जारी की गई थी।

घ)	इन परियोजनाओं के लिए कितने बजट का आवंटन किया गया था और कार्य कब पूरा हुआ था, और	इस परियोजना के लिए रु 14,91,87,295/- का आवंटन हुआ था एवं यहकार्य दिनांक 08.11.2025 को समाप्त हुआ था।
ङ.)	इन सड़कों के रख-रखाव के लिए कौन-सा अधिकारी उत्तर दायी है?	संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता उत्तरदायी है।

यह पत्रमाननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ **में** Question Module **पर उपलब्ध।**

.....व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अभी आप रुकिए मैं पहले पूरी बात कर लूं मैं आप आपको दूंगा मौका बैठिए। बैठिए, बैठिए आप ,आप बैठिए अभी आप बैठिए । देखिए आप बैठिए, आप बैठिए। अभी, अभी सारी हर विषय पे बात आ रही है, मेरी बात पूरी हो जाए, आप बैठिए। कल दिनांक 5 जनवरी 2026 को माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही में बाधा डाली और उनके इस व्यवहार के कारण सदन की गरिमा को ठेस पहुंची और मुझे मजबूरन चार सदस्यों को सदन से बाहर भेजना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सुश्री आतिशी, माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने मीडिया में तोड़ मरोड़ कर बयान दिए हैं और कहा है कि प्रदूषण के मुद्दे पर काम करना तो छोड़िए, चर्चा करने को भी तैयार नहीं है जबकि उस समय एलजी एड्रेस था। ''आज हमें विधानसभा से क्यों निकाला? क्योंकि हम मास्क पहन कर गए थे।'' जबकि कारवाई इसलिए नहीं हुई थी। जनता के समक्ष आप चेयर के द्वारा दिए गए निर्णयों के बारे में आप अगर उसको तोड़ मरोड़ कर या झूठ के रूप में परोस रहे हैं तो यह बड़ा गंभीर मामला है। पहली बात तो चर्चा कल उस समय एलजी एड्रेस था और एलजी एड्रेस में उस समय कोई चर्चा का विषय ही नहीं था और जो भी चर्चा थी उसमें एलजी साहब का एड्रेस होना था। फिर आपने यह कैसे कह दिया कि चर्चा को तैयार नहीं है जबकि मेरे पास रूलिंग पार्टी की तरफ से पहले ही चर्चा के लिए समय मांगा गया है और वो मैं समय दे रहा हूं पाल्यूशन पे चर्चा के लिए, सदन में खुले दिल से चर्चा चर्चा होगी इसका मैंने आश्वासन दिया है। इस प्रकार सुश्री आतिशी जी ने मीडिया से कहा कि उन्हें सदन में प्रदूषण का मामला उठाने की अनुमति नहीं दी गई थी और ना ही उन्हें मास्क पहनने की अनुमति दी गई थी, जबकि ऐसा नहीं था। सब लोग बैठे थे। अगर कोई पहना है तो हमने कोई उसको मना नहीं किया। कहां किसने मना किया? कहां मना हुआ? जब आपको लगा कि मना नहीं हो रहा है तो आपने जो है उसको लेकर के शोर मचाना शुरू कर दिया। आप नाटक कर रहे हैं यहां बैठ करके सिर्फ इससे ज्यादा आप क्या कर रहे हैं? आप यहां पर हमारे सीनियर मेंबर मैं तो उनकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूं, पूरा सम्मान करता हूं गोपाल राय जी का। उन्होंने भी मास्क लगाया हुआ था। बाद में भी लगाया हुआ था। वो बैठे थे। किसने मना किया आपको? लेकिन आपने...

.....व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: बैठिए आप। अब आप आप विषय को खत्म करने दीजिए मुझे। जबकि उनको यह पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन पर अध्यक्ष को निर्णय लेना होता है। विपक्षी नेता का मीडिया को दिया गया बयान पूरी तरह से गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भावनापूर्ण है और इसमें अध्यक्ष के निर्णय को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। विपक्ष के सदस्यों को माननीय उपराज्यपाल के संबोधन में बाधा डालने के लिए बाहर निकाला गया था और यह हमारी आचार संहिता के नियम छह के तहत सदस्यों की आचार संहिता का उल्लंघन है। मैंने किसी भी समय सदस्यों को मास्क हटाने का निर्देश नहीं दिया। इसके अलावा सदन में कोई मुद्दा उठाया जा सकता है इस बारे में निर्णय तब तक नहीं लिया जा सकता जब माननीय उपराज्यपाल अपना संबोधन दे रहे हैं। अंत में इस प्रकार नेता, प्रतिपक्ष का यह बयान पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना है और उनकी अपरिपक्वता को दर्शाता है क्योंकि यह आरोप सीधे तौर पर चेयर पर लगाए गए हैं, मुझे इससे बहुत पीड़ा हुई है और मैं इस पूरे मामले को विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 82 के तहत सदन की विशेषाधिकार समिति को जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए सौंप रहा हूं। यह मैटर प्रिविलेज कमेटी को दे दिया गया है।

.....व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष:अब एक सेकंड, अब श्री आशीष सूद माननीय ऊर्जा मंत्री अपने विभाग से संबंधित कार्य सूची के बिंदु क्रमांक तीन में दर्शाए गए दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

श्री आशीष सूद, माननीय उर्जा मंत्री: अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची के बिंदु क्रमांक तीन में दर्शाए गए दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं।

i. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (बजट) (संशोधन) नियम, 2025 के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 5(27)/2025/डीईआरसी/ऊर्जा/6032 दिनांक 25.09.2025 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)[1]

ii. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) का वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)[2]

---

[1] दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23448 पर उपलब्ध।

[2] दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23449 पर उपलब्ध।

iii. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मानक) (सातवां संशोधन) विनियम, 2025 के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 17(220)/डीईआरसी/इंजी0/2023-24/7898/750 दिनांक 07.08.2025 एवं शुद्धिपत्र सं0 एफ. 17(220)/डीईआरसी/इंजी0/2023-24/7898/751 दिनांक 07.08.2025 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)[3]

iv. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना कार्यान्वयन), विनियम, 2025 के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या 17(332)/डीईआरसी/ई.जी./2024-25/8107/992 दिनांक 10.10.2025 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)[4]

v. दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का वर्ष 2023-24 (01 अगस्त, 2023 से 31 जुलाई, 2024) हेतु 10वां वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)[5]

vi. नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (पूर्ववर्ती नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान) के वर्ष 2018-19 से 2021-22 हेतु वार्षिक लेखों पर कार्रवाई रिपोर्ट सहित सीएजी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)[6]

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः अब श्री मोहन सिंह बिष्ट माननीय सदस्य एवं डिप्टी स्पीकर कार्य मंत्रणा समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य मंत्रणा समिति का तीसरा प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः हमारे बीच में मैं प्रोफेसर जगदीश मुखी जी का सदन की ओर से आज दर्शक दीर्घा में वो हमारे बीच में उपस्थित है उनका अभिनंदन करता हूं। प्रोफेसर जगदीश मुखी जो टू टर्म 1980 में पहली बार मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के मेंबर बने थे 80 और फिर उसके बाद 82-83 आप पांच बार इसी सदन के सदस्य रहे 1993, 1998, 2003, 2008, 2013 आप दिल्ली के वित्त मंत्री रहे हैं, आप दो टर्म नेता, विपक्ष रहे हैं। आप अंडमान एंड निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं और आपने आसाम के गवर्नर के रूप में भी अपना कार्यकाल बहुत सफलतापूर्वक निभाया

---

[3] दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23450 पर उपलब्ध।

[4] दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23451 पर उपलब्ध।

[5] दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23452 पर उपलब्ध।

[6] दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23453 पर उपलब्ध।

है। हम आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करते हैं। श्री प्रदुमन सिंह राजपूत जी जो विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

श्री प्रधुम्न सिंह राजपूत: अध्यक्ष महोदय मैं ये प्रतिवेदन सदन में रखूं उससे पहले मैं इस विषय पे अपनी बात रखना चाहूंगा कि फांसी घर के विषय में 5,6, 7 अगस्त को चर्चा हुई सदन के अंदर और सभी साथियों ने उसमें भाग लिया और उसके बाद अध्यक्ष जी ये मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया और विशेष अधिकार समिति ने इन लोगों को 19 सितंबर को, 23 सितंबर को नोटिस दिया। उस मीटिंग के अंदर दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, रामनिवास गोयल जी, राखी बिरला जी उस मीटिंग के अंदर नहीं आए। उस मीटिंग के अंदर यह आकर के अपने तथ्य रखते, फैक्ट रखते फांसी घर के ऊपर और सारी जानकारी रखते उससे ये बचते रहे और यह भागते रहे। उस मीटिंग के अंदर ये नहीं आए। जबकि कमेटी ने इनको दो बार मौका दिया। उसके बाद कमेटी की सिफारिश यही है कि इन्होंने सदन का अपमान किया, कमेटी का अपमान किया तो इनके खिलाफ उचित कारवाई की जाए। मैं आपकी अनुमति से यह प्रथम प्रतिवेदन सदन सदन में प्रस्तुत करता हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: ये सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाए और कल इस पर कल पर बात होगी। बैठिए आप बैठिए आप। कल बात होगी जब आप करिएगा। आगे।

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अब विधेयक का पुनः स्थापना इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। अब श्री प्रवेश साहिब सिंह जी माननीय विधायी कार्य मंत्री,

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: बैठ जाइए आप बैठ जाइए बैठ जाइए अब माननीय सदस्यों को पूरा मौका जहां अभी, माननीय सदस्य बैठ जाइए आपको पूरा मौका मिलेगा अभी, अभी बैठिए आप प्लीज

श्री परवेश साहिब सिंह, माननीय विधायी कार्य मंत्री: अध्यक्ष जी, मैं न्यायलय शुल्क दिल्ली संशोधन विधेयक 2026 वर्ष 2026 का विधेयक संख्या एक को इंट्रोड्यूस करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय विधायी कार्य मंत्री ने यहां न्यायालय शुल्क दिल्ली संशोधन विधेयक 2026 को इंट्रोड्यूस करने के लिए सदन की अनुमति चाही है। यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है वे हां कहे।

जो इसके विरोध में है वे ना कहे।

हां पक्ष जीता हां पक्ष जीता प्रस्ताव पारित हुआ।

अब माननीय विधायी कार्य मंत्री विधेयक को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगे।

श्री परवेश साहिब सिंह, माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री : अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से पूरे सदन को इस बिल के बारे में थोड़ी सी भूमिका बताना चाहता हूं कि कोर्ट फीस एक्ट जो 1870 का एक्ट है इसका सेक्शन 89 सीपीसी के अंडर में जो 16 का भाग है वो ये कहता है कि जब भी आदमी कोर्ट में जाता है अपने केस के लिए तो उसको कोर्ट फीस वहां पर 1.5% के रूप में जमा करानी पडती है। अभी बहुत ही मैं सिंपल शब्दों में बताना चाहता हूं कि अगर कोर्ट के माध्यम से उनका सेटलमेंट होता तो कोर्ट फीस को पूरा वापस कर दिया जाता था और अगर वो दोनों पक्ष कोर्ट के बाहर में अपना सेटलमेंट कर लेते हैं तो कोर्ट फीस को केवल 50% ही वापस किया जाता है। अब हम ये बिल के माध्यम से दिल्ली वासियों को सारे नागरिकों को एक बहुत बड़ी राहत ये देना चाह रहे हैं कि चाहे कोर्ट के माध्यम से सेटलमेंट हो ,चाहे बाहर जाकर दोनों पार्टियां आपस में सेटलमेंट करें। कोर्ट फीस 100% उनको रिफंड होनी चाहिए। केवल अब बात तो बहुत छोटी सी है अध्यक्ष जी, मगर इसका आम आदमी के जीवन में, दिल्ली के नागरिकों के जीवन में क्योंकि आपका नाम केवल आम आदमी है, आप उनके लिए 10 साल तक बिल में कोई भी चेंज नहीं कर पाए, कोई भी फर्क नहीं कर पाए, ये भी हमें ही करना पड़ रहा है। दिल्ली के नागरिकों के जीवन में अगर कोई 10 लाख रूपये का केस का मुआवजे का कोई अपना केस करता था और वो वहां पर 15,000 रूपये की राशि जमा कराता था कोर्ट फीस में। आज अगर दोनों पार्टियां कोर्ट के बाहर भी समझौता करती है तो उनको पूरा 15 हजार रूपये वापस हो। खाली कोर्ट के माध्यम से सेटलमेंट पर ही ना हो, अगर दोनों पार्टियां बाहर भी अगर अपना समझौता करती है तो भी पूरा पैसा वापस होना चाहिए। तो केवल इतनी सी बात है। बात बहुत ही छोटी सी है मगर इसका फर्क बहुत ही

ज्यादा पड़ेगा। दिल्ली सरकार दिल्ली के नागरिकों के जीवन में ये सारे छोटे छोटे जो ऐसी बातों से उनके जीवन में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, आज हम इस बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बिल यहां पर प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं सदन की अनुमति से न्यायालय शुल्क दिल्ली संशोधन विधेयक 2026 वर्ष 2026 का विधेयक संख्या एक को सदन में इंट्रोड्यूस करता हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय सभापति: अब माननीय मंत्री द्वारा वक्तव्य। अब श्री कपिल शर्मा, माननीय मंत्री नियम 270 के अंतर्गत श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के संबंध में वक्तव्य देंगे।

<u>नियम 270 के अंतर्गत माननीय मंत्री का वक्तव्य</u>

श्री कपिल मिश्रा, माननीय पर्यटन मंत्री: बहुत-बहुत आभार माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सदन में यह एक वक्तव्य भी रख रहा हूं और सदस्य भी अगर इसमें कुछ अपनी बात रखना चाहें तो मैंआपसे अनुमति चाहूंगा कि सदस्यों को भी अपनी बात रखने की अनुमति दी जाए। बहुत ही ऐतिहासिक ये वर्ष है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी मैं सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि सभी को एक कॉफी टेबल बुक इस संबंध में टेबल पे दी जाए।

श्री कपिल मिश्रा, माननीय पर्यटन मंत्री : सबकी टेबल पे पहुंचा दी गई है। बहुत-बहुत आभार। बहुत ही ऐतिहासिक ये वर्ष है। अध्यक्ष महोदय हम लोग साढे तीन सौ साल श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के वो पूरा विश्व इन साढे तीन सौ साल के शहादत को मना रहा है, जी रहा है और पूरे विश्व में बहुत सारे तरीकों से इस शहादत को सेलिब्रेट भी किया गया, जिया भी गया, इसके सबक को भी सीखा गया और उस काल के दौरान जो भी जिस प्रकार की भी शक्तियां हावी थी उन शक्तियों को वर्तमान काल में पराजित किया जाए इसके संकल्प भी लिए गए। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म, मानव अधिकार और मानवों की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और शायद विश्व के इतिहास में किसी एक परिवार के द्वारा मानवता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, मानव अधिकारों के लिए, किसी एक परिवार के द्वारा बलिदान देना जब से ये दुनिया बनी है और शायद जब तक ये दुनिया चलेगी, इससे बड़े बलिदान का कोई इतिहास इस दुनिया में दूसरा मिलेगा। उनके साथ-साथ भाई मतिदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी ने भी अमानवीय

अत्याचारों का सामना करते हुए शहादत प्राप्त की। उनकी यह शहादत केवल सिख इतिहास ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए साहस, सत्य और धार्मिक स्वतंत्रता का एक अद्भुत अनुपम उदाहरण है। यह शहादत संदेश देती है कि अन्याय और दमन के विरुद्ध दृढ़ता से खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। अध्यक्ष महोदय मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के निर्णय के बाद दिल्ली सरकार के कला संस्कृति एवं भाषा विभाग ने पंजाबी अकादमी के साथ मिलके श्री गुरु ते बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष में एक भव्य सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन 23 नवंबर से लेकर 25 नवंबर 2025 तक लाल किला नई दिल्ली में किया गया। इस आयोजन के अंतर्गत विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं जन सहभागिता के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं नागरिकों ने सहभागिता की। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक समरसता, धार्मिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का संदेश भी दिया गया। अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जब गुरु तेग बहादुर जी के शहादत का फरमान लाल किला से दिया गया था, भाई सतीदास जी, भाई मतिदास जी, भाई दयाला जी की शहादत का फरमान दिया गया था तब शायद औरंगजेब ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब औरंगजेब की कब्र पे कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचेगा और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के स्थल पर लाखों लाख लोगों के मेले लगाए जाएंगे। हम लोगों ने अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा। इन तीन दिनों में भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया महामहिम उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, भारत के माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदया लगभग तीनों ही दिन इस कार्यक्रम में रही और उन्होंने वहां पर कार सेवा का काम भी किया। जो लोग आ रहे थे उनकी सेवा का काम भी किया इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बस मैं सदन के समक्ष ये जानकारी रखना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक आयोजन दिल्ली सरकार ने किया और साल भर इस प्रकार के आयोजन गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की स्मृति में दिल्ली सरकार करेगी। शिक्षा विभाग ने भी एक पुस्तिका प्रस्तुत की है जो दिल्ली के सभी स्कूलों के छात्रों छात्राओं तक पहुंचाई जाएगी। इस अवसर को देने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी द्वारा दिए वक्तव्य पर चर्चा के लिए मेरे पास कुछ नाम आए हैं। माननीय मंत्री श्री एमएस सिरसा जी। विपक्ष भी नाम दे सकते हैं। आप भी नाम दीजिए। आपको बोलना है तो ।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय पर्यावरण मंत्री: बहुत धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: विपक्ष के सदस्यों को भी आमंत्रण है। वो भी इस विषय पर अपनी बात रखना चाहे तो अपना नाम विपक्ष के नेता के माध्यम से मुझे दे दें।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय पर्यावरण मंत्री : बहुत धन्यवाद। आज अभी पहले तो मैं सदन का धन्यवाद करता हूं, अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और मंत्री कपिल मिश्रा जी का धन्यवाद करता हूं। गुरु तेग बहादुर जी की इस महान शहादत को आज इस पवित्र सदन के अंदर एक उनको श्रद्धा सुमन और उनको जो भाव अर्पित करने के लिए आपने इस विषय को लिया है इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय आपका भी और मुख्यमंत्री जी को और सभी अपने साथियों का धन्यवाद करता हूं। हम सब जानते हैं गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत दिल्ली में हुई। गुरु तेग बहादुर जी नौवे पादशाह ऐसे कई इनके इतिहास की जानकारियां मैं आपको बताना चाहता हूं जो शायद हम लोगों को जहन में नहीं और हम लोग क्या है इसकी अहमियत को ही उतना समझ भी ना कभी पाए होंगे। मैं बताना चाहता हूं कि गुरु तेग बहादुर जी जिनका नाम गुरु तेग बहादुर कैसे पड़ा। गुरु तेग बहादुर जी जब जंग में मुगलों के खिलाफ जोहर दिखा रहे थे तब उनके पिताजी ने उनकी तेग के जोहर को देखकर उनका नाम तेग बहादुर रखा। गुरु तेग बहादुर जी नौवें पादशाह की शहादत दिल्ली में हुई। गुरु तेग बहादुर जी के पास आनंदपुर साहब में जो कि शहर भी उन्होंने खुद बसाया था। उस शहर में कश्मीरी पंडित उनके पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरह मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब जबरन उनका धर्म बदलने पे अड़े हैं और वो चाहता है कि किसी भी तरीके से इनका धर्म बदला जाए। शायद आप इतिहास में हमेशा पढ़ते रहे होंगे कि ऐसा कहा जाता था कि तब का शासक औरंगजेब जब तक दिन में 40 किलो, मतलब एक मन के आसपास जनेऊ नहीं उतरवा लेता था तब तक अपने मुंह को अन्न नहीं लगाता था, इस तरह का अत्याचार इस देश पे किया जा रहा था। कश्मीरी पंडित जब उनके पास आनंदपुर साहब में जाते हैं वह गुरु तेग बहादुर जी से उनको औरंगजेब से मुक्ति दिलाने की बात करते हैं, तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि इसके लिए

कोई महान शहादत देनी पड़ेगी। उनके बेटे जो दसवें पादशाह गुरु गोविंद सिंह जी गुरु के रूप में बाद में हुए उन्होंने कहा पिताजी अगर ऐसी शहादत की बात है तो आपसे बड़ी शहादत और कौन हो सकता है, ये तो शहादत आप ही को देनी चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को आश्वासन देकर भेजा और उनको कहा कि आप जाकर कह दीजिए औरंगजेब को कि अगर गुरु तेग बहादुर जी अपना धर्म बदलेंगे तो हम सब भी अपना धर्म बदल लेंगे। यह जानकारी पाकर औरंगजेब को लाल होना ही था। उसने गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार किया। उनके साथ भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी को दिल्ली में कोतवाली जो कि शीशगंज साहब गुरुद्वारे के साथ है, उस कोतवाली में बंद किया गया। उनको बुलाया गया और कहा गया कि बताइए या तो आप कोई करतब करके दिखाइए या तो आप अपना धर्म बदलिए, नहीं तो मरने को तैयार हो जाइये। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि मैं उस परमात्मा का कतई मुकाबला करते हुए कोई करतब नहीं दिखा सकता और ना ही मेरे धर्म को कोई बदल सकता है। ऐसी शहादत को मैं जाम पीने को तैयार हूं लेकिन किसी भी सूरत में मैं ये धर्म को नहीं बदल सकता। गुरु तेग बहादुर जी के साथ जो गए थे भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, देखिए उनको उबलती देगों में, रुई के साथ लपेट कर आग लगाई गई और एक आरे के साथ पूरे शरीर को काट कर दो फाड़ किए गए। गुरु तेग बहादुर जी को ये सब दिखाया गया कि किसी तरीके वो डर और खौफ में आएं और ये बात कबूल करें और देश के अंदर वो सबको ये कह सकें कि तुम्हारे गुरु ने मान लिया अब तुम भी मान लो। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब के किसी भी अत्याचार की परवाह ना करते हुए अपनी शहादत दे दी। शीशगंज साहब में जो वहां पवित्र कुआं है उसमें उन्होंने स्नान किया और फिर उनके शीश और धड़ को अलग कर दिए गया। उनका शीश भाई जयता जी जिनका बाद में भाई जीवन सिंह नाम हुआ वो दिल्ली से आनंदपुर साहब लेकर चले और भाई लखी शाह बंजारा जिन्होंने बिना किसी डर खौफ के गुरु तेग बहादुर जी का शरीर लिया और वो जो रकाबगंज साहब, आप गुरुद्वारा साहब देखते हैं इस गुरुद्वारा साहब में यहां पर उनका घर था, लखी शाह बंजारा में गुरु साहब का शरीर अंदर रख के, डर खौफ था, उसने पूरे घर का अपने को आग को जलन कर दिया ताकि उनका शरीर का दहन संस्कार उसी तरीके उसी घर में हो सके। लखी शाह बंजारे का बहुत बड़ा उनका योगदान है जिसके लिए आज रकाबगंज साहब में लखी शाह बंजारा हॉल भी है गुरुद्वारा साहब के साथ। भाई जीवन सिंह जी जब उनका शीश लेकर आनंदपुर साहब पहुंचते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी को सारी बात बताते हैं तब गुरु गोविंद सिंह ने पूछा कि क्या वहां कोई और सिख

नहीं थे तो उन्होंने कहा कि ये तो भाई मतीदास, भाई सतीदास भी थे उनका भी साथ में शहादत हुई। अब देखिए गुरु तेग बहादुर जी हम सब इतना ही जानते हैं कि उनकी शहादत हुई लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उससे पहले उनके दादा गुरु अर्जुन देव पादशाह जी की भी इसी तरह शहादत हुई। जहांगीर ने उनको भी तसिए देके लाहौर में उनकी शहादत हुई। उनके बाद गुरु तेग बहादुर जी की शहादत होती है और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के चारों लाल, साहब जादे दो जंग में लड़ते हुए शहीद होते हैं और दो को जिंदा नीवों में चिन दिया जाता है। अध्यक्ष जी मैं आज अपने मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। 350 साला शहादत पर्व जब आया, ऐसा नहीं है कि इससे पहले उनके दिन नहीं आए, लेकिन किसी ने भी सरकार ने या किसी ने इसकी चिंता नहीं की। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 400 साला गुरु तेग बहादुर जी की प्रकाशपर्व भी 2023 में आया, तब तो भारत सरकार ने तो लाल किले पर प्रोग्राम किया लेकिन यहां जिस जगह पे उनकी दिल्ली में शहादत हुई, क्या हम सब लोग इतने एहसान फरामोश हो गए कि उनका प्रकाश पर्व और वह भी चौथी शताब्दी मनाने के लिए भी किसी ने जहमत नहीं की और मुझे आज इस सदन में बताते हुए बड़ा दुख और खेद हो रहा है कि तब की सरकार को व्यक्तिगत तौर पर हमारी तरफ से उनको पत्र भी भेजा गया और अभी भी शहीदी पर्व पे भी सभी को कार्ड भेजे गए, सभी को आग्रह किया गया। मेरा कहना है कि कभी-कभी हमें राजनीति से ऊपर से उठकर सोचना चाहिए। यह विषय किसी एक पार्टी का, किसी एक सदस्य का या किसी धर्म का नहीं है। जब गुरु तेग बहादुर साहब जी ने शहादत दी, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत तिलक, जनेऊ की रक्षा करने के लिए, हिंदूधर्म की रक्षा करने के लिए हुई, वो कोई खाली सिखों के लिए गुरु साहब का काम नहीं है। वो गुरु साहब ने ये नहीं कहा कि मेरा कोई एक धर्म है या मेरा दूसरा धर्म है। गुरु तेग बहादुर साहब ने मानवता के लिए, लोगों के धर्म की आजादी के लिए इतनी बड़ी महान शहादत का जाम पिया। अब आप देखिए उसके बाद उनके छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जिनको जिंदा नीवों में चिन दिया गया। हम जब बात करते हैं तो बड़ी साधारण सी बात लगती है, हम सुनते हैं तो अपने कान में एक बात आती है कि चिंदियो में चिन दिया गया लेकिन कभी आपने कभी गहराई से सोच के देखा है छ साल आठ साल के बच्चे गुरु साहब की शहादत, गुरु साहब के साहबजादे अपने पिता के दिए हुए उस वादे को निभा रहे हैं, उनको निहों में चिनने के लिए खड़ा किया गया। एक इस उम्र के बालक को अगर किया जाए तो वो क्या करेगा आप समझ ही सकते हैं लेकिन उनका दृढ़ निश्चय कि उन्होंने कहा

हम किसी सूरत में अपना धर्म नहीं बदलेंगे, उनको लोभ लालच दिए गए बहुत कुछ कहा गया, तुम्हारे पिता मारे गए अब तुम्हें भी कर लेना चाहिए। लेकिन आप सोच के देखिए उन साहबजादों को शहादत और कितनी क्रूरता थी तब मुगल राज में, उस हालातों के अंदर भी वो बच्चे नहीं डोले साहबजादे। क्या किया, शहादत हुई। उसके बाद उनकी शहादत के बाद ये कहा गया कि इनके शरीर यहीं रहेंगे। इनका देह संस्कार भी नहीं करने देंगे। तो टोडरमल ने तब पूछा कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम इसका संस्कार करना चाहते हो तो जगह खरीद लो। टोडरमल ने कहा मैं जगह खरीदने को तैयार हूं, बताइए। तो उसने कहा जितनी जगह पे तुम सोने के सिक्के बिछा सकते हो उतनी जगह हम तुम्हें दे देंगे, ये बताओ बिछा सकते हो। आज हम टोडरमल जी को भी नमन करते हैं, हम आज उनको भी याद करते हैं। उनकी महानता की कोई सीमा नहीं रही जब उन्होंने सोने के सिक्के बिछाकर वो जगह ली और फिर साहबजादों का वहां पर संस्कार हुआ। आज फिर अभी कपिल जी ने कह दिया, फिर यह कहा शर्त कि नहीं सिक्के बिछाने की बात नहीं हुई थी, सिक्के देने की बात हुई थी खड़े सिक्के करने पड़ेंगे जितनी खड़े सिक्के कर पाओगे उतनी जगह देंगे। भाव क्या था कि क्रूरता इस हद तक थी कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में ऐसी बात सुने उसकी आत्मा कांप उठे 1705 में छोटे साहबजादों को दीवार और ये बात जब माता जी को पता चलती है, गुरु गोविंद सिंह जी के माता जी को, उन्होंने ने भी उस ठंडे बुर्ज में जहां पे उनको कई दिन से कैद कर रखा था, उन्होंने भी वहां पे अपने स्वांस छोड़ दिये। तो गुरु तेग बहादुर जी के दादा जी, गुरु तेग बहादुर जी के चार पोतरे, गुरु तेग बहादुर जी के गुरु के महज उनके घर से सारा परिवार गुरु गोविंद सिंह जी ने वार कर भी एक बार भी अपनी रंक मात्र में गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, जब औरंगजेब को चिट्ठी लिखी जिसको जफरनामा कहते हैं तो गुरु गोविंद सिंह पादशाह ने कहा औरंगजेब को कि रंक बराबर भी मेरे को इस बात का मलाल नहीं बस एक बात का मलाल है कि तूने छोटे-छोटे साहबजादों को, छोटे बच्चों के रूप में तू इतना कायर हो गया, तेरी सारी कसमें परमात्मा को झूठी है और तेरा जीना भी हराम है, जो तूने आज तक किया है। तूने छोटे साहेबजादे छोटे बच्चों को नींवों में चिन दिया, मेरे को इस बात का मलाल नहीं मेरा सिख मेरा शहबजादा मेरा सिख मेरे बच्चे हैं मेरे लाखों हैं लेकिन ना तू धर्म का पक्का है ना ईमान का पक्का है और आप सोचिए इस देश के अंदर जिस जगह पे साहबजादे शहीद, देश 1947 में आजाद हुआ, आपको ये बड़ी सुनने वाली बात है। आप सारे ध्यान से सोचिएगा फिर आपको समझ में आएगा कि हम कहां खड़े थे और कहां पहुंचे हैं। 1947 में देश आजाद होता है। इस देश की आजादी के

बाद किसी ने भी, चलिए वे तो गोरे थे उनकी बात हम क्या करेंगे। इस देश में ना गुरु तेग बहादुर जी को बाद में याद किया, ना साहबजादों को याद किया, ना गुरु गोविंद सिंह को। याद किसको किया गया यहां पर, जिसको गुरु नानक देव जी ने

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय पर्यावरण मंत्री(जारी) :जिस बाबर को जाबर कहा, जिस बाबर को गुरु नानक देव जी ने जाबर कहा, जिस औरंगजेब को गुरु गोविंद सिंह जी ने चिट्ठी लिख के बताया कि तू कितना बड़ा काफर है, तू कितना बड़ा पाप किया है, उनके नाम के उपर दिल्ली के अंदर सड़को के नाम आ गए, बाबर रोड आ गया, औरंगजेब रोड आ गया। ये लोग, क्या ऐसी कौन सी मानसिकता थी, मैं सीबीएसई में पढ़ा हूं, सेंट जेवियर स्कूल से पढ़ा, मैंने अपने पूरे काल में एक बार भी किसी किताब में भी ना गुरु तेग बहादुर जी की, ना गुरु गोविंद सिंह जी का, ना साहबजादों का, एक भी लाइन किसी ने किसी भी जगह नहीं पढ़ाई। हमें किताबों में क्या पढ़ाया गया, आप सबने ही पढ़ा है, हमें किताबों में पढ़ाया गया औरंगजेब कौन है, हमें पढ़ाया गया जहांगीर कौन है, हमें किताबों में पढ़ाया गया बाबर कौन है। अब सोचिए कितने साल पहले, आज भी दशहरा हम मनाते हैं, दशहरा क्यों मनाया जाता है, क्योंकि पाप के ऊपर सच्चाई की विजय है। हम आज भी औरंगजेब को नहीं भूले। लेकिन इस देश के अंदर किसी ने औरंगजेब के नाम माफ़ करना, मैं, आज भी हम रावण को नहीं भूले तो पर किसी ने भी रावण के नाम पर शहर नहीं रखें। इस देश के अंदर औरंगजेब के नाम पे औरंगाबाद रखा गया, एक नहीं कई औरंगाबाद रखे गए। यह तो मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, आप सोचिए कि अगर इस देश के अंदर रावण के नाम के ऊपर शहर होते, रावण के नाम के ऊपर यूनिवर्सिटी होती, रावण के नाम के ऊपर सड़कों के नाम होते, देश क्या कभी उसको कबूल कर लेता, कभी उसको मान लेता। लेकिन कितने शर्म की बात है इन किताबों के अंदर औरंगजेब पढ़ाया जा रहा है, इन किताबों के अंदर बाबर पढ़ाया जा रहा है, जहांगीर पढ़ाया जा रहा है, जिन लोगों ने इस देश के लोगों की अस्मिता को मारा, इनकी आत्मा को मारा, धर्म को मारा, उनकी जय जयकार किताबों में की जा रही है और गुरु तेग बहादुर साहब जी का किसी जगह नाम भी नहीं आ रहा। ये तो मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी ने 2018 में इस मुहिम को लिया और सबसे पहले सारी किताबों के अंदर साहबजादों का नाम, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी का नाम के रूप में एक हिस्ट्री में चैप्टर लेकर आयें। फिर उन्होंने बड़ा कदम उठाया और कहा कि गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रकाश पर्व सरकार 400 साला शताब्दी सरकार मनाएगी और उसी स्थान पर मनाएगी और लाल किले पे प्रधानमंत्री जी

खुद आते हैं और देश को संबोधन करते हुए बताते हैं कि भई आज ये लाल किला साक्षी है दोनों वाक्याओं का, एक वक्त वो था जब गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के फरमान इस लाल किले से सुनाए जा रहे थे औरंगजेब का यहां राज था, आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं और पूरी दुनिया आज गुरु तेग बहादुर जी की जय जयकार कर रही है, ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया।

दूसरा, दूसरा किया देश की हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सबको अपना धर्म प्यारा होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती, मेरे को भी मैं तो वैसे ही ये मानता हूं अपनी पूरी जिंदगी मेरी गुरु तेग बहादुर जी के लेखे है। मैं तो उन्हीं की कृपा के सदके जी रहा हूं, उन्हीं की कृपा के सदके सजाए हुए हम हैं और मैं मेरे मन में इतनी भावना थी, मैंने कपिल जी से या रेखा जी से, जब कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरे को इस बात का इतनी अपनी जिंदगी में इतनी तसल्ली रहेगी कि मेरे काल के अंदर, मुझे याद है मैं इस बक्शों के उधर तरफ बैठा था और मैंने यहां पे खड़े होकर कहा था जब 1984 के पीड़ितों की विजेंद्र जी बात हुई आप हमारे साथ बैठे थे कि मैं विधानसभा से रिजाइन दे दूंगा पर मेरे अगर मेरे परिवार 1984 के पीड़ितों को नौकरी नहीं मिलती, मुझे ऐसी सदन में आके नहीं बैठना। मुझे इतनी तसल्ली हुई जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आइए बताइए कैसे प्रोग्राम करना है और मैं देश के गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूं। उसके बाद घटना घट गई। आपको याद है लाल किले पे क्या घटना घटी। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत इस बात को लेके चिंतित थी कि सिरसा जी हमने यहां की बात तो कर दी लेकिन इस वक्त तो यहां पे इतनी बड़ी घटना घट गई, कैसे करेंगे? पर देखिए गुरु साहब भी हमेशा कहते हैं कि जब आपका विश्वास परमात्मा में हो, रेखा गुप्ता जी ने अरदास की कि परमात्मा ये सब कुछ ठीक हो जाए मैं दरबार साहब दर्शन करने आऊंगी। ये एक भावना है। इसी भावना के लिए सिख जो है वो जिंदगी में कुछ और चाहता नहीं है, उसको उसके गुरु के प्रति जो नतमस्तक है उसके मन में वो सब कुछ भावना उसके बदले में वो अपनी जान दे सकता है, सिख के लिए यही सब कुछ है। मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। तीन दिन का वो खाली समागम नहीं था, कई दिन चला, पर बात ये है कि दिल्ली के लाखों लोग जब वहां पे दर्शन करने आए और उस लाल किले से लेकर सीसगंज साहब तक जिस तरह का कॉरिडोर बनाया गया, जिस तरह से विदेशों से आने वाले हजारों लोगों के लिए टेंट सिटी बनाई गई, जिस तरह से एक विशेष म्यूजियम बनाया गया जिसमें गुरु तेग

बहादुर जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी और साहबजादों तक की सारी जानकारी दी गई और जिस तरह से दिल्ली के स्कूल के बच्चों के लिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने स्कूलों के अंदर गुरु तेग बहादुर साहब से लेकर साहबजादों का इतिहास उनकी किताबों पढ़ के, लाखों किताबें उन तक भिजवाई।

और इसी तरह दिल्ली के अंदर एक फॉरेस्ट, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम रिजर्व एरिया में एक बड़ा फॉरेस्ट जंगल बनाएंगे जो गुरु तेग बहादुर सिंह जी को समर्पित होगा, जो वो बता पाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी को हम समझा पाएंगे। मुख्यमंत्री जी हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और साथ में मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री जी के साथ-साथ इस सदन से देश के प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बार वीर बाल दिवस के अंदर 15 ला॰ स्कूलों में 25 करोड़ बच्चे, 1100 यूनिवर्सिटीयों में ढाई करोड़ छात्रों ने गुरु तेग बहादुर जी के पोतरे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी के इतिहास की जानकारी ली है। इसके ऊपर 15 लाख से ज्यादा ऐसे कंपटीशन हुए जिसके अंदर उन्होंने लिख-लिख कर उन्होंने ये सारी जानकारी ली है।

और अंत में मैं अपने सभी साथियों का, हमारे मंत्री- परवेश वर्मा जी, हमारे मंत्री- पंकज जी, हमारे मंत्री इन्द्राज जी, इन सबने रात दिन वहां मेहनत की और मुख्यमंत्री जी, आपने तीन दिन तो याद कराए कपिल जी, पर मुख्यमंत्री जी तीन दिन नहीं, चार-पांच दिन वहां पर गईं और मैंने कभी नहीं देखा इतनी श्रद्धा हो कि शुरू कराने से लेकर प्रोग्राम अंत तक, रात से लेके सुबह तक इतनी श्रद्धा के साथ आपने जो सेवा की है मैं जानता हूं कि गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों की की हुई सेवा मुख्यमंत्री जी आपकी खाली नहीं जाएगी, गुरू आप सब पे कृपा करें, हम सब पे करें। लेकिन मैं इतना आज कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा, आज हमें ये जरूर विचारना चाहिए, कौन सी ऐसी मानसिकता है जिस मानसिकता ने इस दिल्ली शहर के अंदर आज भी औरंगजेब को जिंदा रखा, बाबर को जिंदा रखा, औरंगाबाद को जिंदा रखा और गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, साहबजादों के नाम को कभी आपके सामने आने नहीं दिया, हमें ऐसी सोच के लोगों को पहचानना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने इस देश के अंदर उन काफिरों का, उन पापी लोगों का, उन दुष्टकारियों का जिन्होंने इतना अत्याचार किया उनका नाम हमें किताबों तक पढ़ाने की कोशिश की। मैं फिर से धन्यवाद करता हूं मोदी जी आपने शहरों के नाम बदल दिए, औरंगाबाद का नाम बदलकर और दिल्ली के अंदर औरंगजेब सड़क का नाम बदलकर

आपने तय कर दिया कि यह देश औरंगजेब जैसे लोगों का नहीं है, यह देश गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों के अंदर नतमस्तक है। मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी आपका भी और देश के प्रधानमंत्री जी का। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री अरविन्दर सिंह लवली जी को मैं बुलवाऊं उससे पहले एक सेकंड बस हमारे बीच में पूर्व विधायक- श्री नसीब सिंह जी उपस्थित हैं दर्शकदीर्घा में मैं उनका सदन की ओर से स्वागत करता हूं। अब माननीय सदस्य- श्री अरविन्दर सिंह लवली जी।

श्री अरविंदर सिंह लवली: धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं समझता हूं कि हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 350 वें शहीदी वर्ष को जिस तरीके से, जिस बड़े पैमाने के ऊपर दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और उनकी सारी कैबिनेट को, कपिल मिश्रा जी को, सिरसा जी को और विशेष करके मुख्यमंत्री साहिबा को जो है बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद करना चाहता हूं उनका। किसी भी फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना एक मायना, एक तरीका होता है लेकिन मन से किसी चीज को करना जो है वो जो है दूसरा रुख होता है और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री साहिबा जिस तरीके से इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व हुईं उससे उन्होंने तमाम भारतवासियों का, हिंदुस्तानियों का मन जो है वो जीता क्योंकि दिल्ली विशेष करके मैं समझता हूं कि दिल्लीवासियों के लिए और दिल्ली शहर के लिए गुरु तेग बहादुर जी की महत्वता सबसे अधिक है क्योंकि हमारे पूरे इतिहास में अगर सबसे बड़ी शहादत हुई, मैं हिस्ट्री रिपीट नहीं करना चाहूंगा, हमारे सिरसा जी ने जो है बड़ी डिटेल में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बारे में बताया कि कैसे गुरु अर्जुन देव जी से जो उनके दादा थे शहादत शुरू होके उनके पोतों तक जो है वो शहादत गई, साहबजादों तक शहादत गई और दुनिया के इतिहास में शायद कोई दूसरा ऐसा वर्णन नहीं होगा कि पूरा का पूरा परिवार जो है वो देश के लिए जो है वो न्योछावर हो जाए और हिंद की चादर उनको, जब औरंगजेब ने जजिया जो है हिंदुस्तान के लोगों के लिए , हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर लगाया कि वो अपने धार्मिक स्थान के ऊपर जाएंगे तो भी उनको जजिया देना पड़ेगा। तो पूरे देश के अंदर जब कोहराम मचा तो पंडित कृपाराम जी की लीडरशिप में कश्मीरी पंडित्स का डेलीगेशन जो है वो गुरु तेग बहादुर जी के पास गया और गुरु तेग बहादुर जी अपने साथियों के साथ जो है दिल्ली आते उससे पहले ही जो है रोपड़ में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अध्यक्ष जी कोई थोड़ा समय उनको चांदनी चौक नहीं रखा गया चार महीने तक जो है लगातार उनको यातनाएं देते रहे कि शायद वो डगमगा

जाएं लेकिन इसीलिए जो है यह कहा जाता है कि "तिलक जंजू राखा प्रभु शाखा" कि उन्होंने एक कदम भी इधर से उधर नहीं होके जो है आज जो हम हिंदुस्तान की तस्वीर देखते हैं अगर उसके अंदर सबसे बड़ा बलिदान या सबसे बड़ी लड़ाई किसी की थी तो ऐसे गुरु तेग बहादुर जी थे और उनके ऊपर मैं समझता हूं ना केवल सिख कौम को, पूरी दुनियां में रहने वाले भारतवासियों को जो है कहीं ना कहीं बहुत मान-सम्मान है और ऐसी ही पवित्र आत्मा का शहीदी दिवस मनाने का काम जो है वह बहुत बड़े पैमाने पे दिल्ली में किया गया है इसलिए हम जो है इनका धन्यवाद कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, तकलीफ की बात यह है इसलिए जो है इस मौके के ऊपर नरेंद्र मोदी जी का जिक्र करना बहुत जरूरी है कि देश की सबसे बड़ी शहादत और तकलीफ की बात यह है कि हिस्ट्री के अंदर और हिस्ट्री बुक्स के अंदर मात्र केवल चार कॉलम के एनसीआरटी के करिकुलम के अंदर जो है राइज ऑफ सिखिज्म के नाम से एक चैप्टर उनके अंदर जो है, इतनी बड़ी शहादत, इतनी बड़ी लड़ाई जो इस देश के सबसे गौरवशाली इतिहास है, उसका जिक्र होता है और उसके अंदर भी अध्यक्ष जी मैं चाहे तब दूसरी पार्टी का सदस्य था आज आदरणीय हमारे मुखी जी और नसीब सिंह जी यहां बैठे हैं, राजकुमार जी भी उस सदन के सदस्य थे, मोहन सिंह बिष्ट भी थे, 1998 से 2003 के बीच में मैंने इस सदन में उठाया था बल्कि एनसीआरटी की बुक्स के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में और हमारे जैन तीर्थांकरों के बारे में कुछ अपशब्दों का वर्णन था। तो मैंने उस समय यहां उठाया था कि एनसीआरटी बुक्स के अंदर जो है उस हिस्ट्री को ठीक करना चाहिए। तो उस समय मेरे ऊपर यह इल्जाम भी लगा और इस हाउस के रिकॉर्ड में वो जो है मौजूद है फ्रंट लाइन जैसी मैगजीन ने लिखा कि ये जो है आरएसएस की लाइन टो कर रहा है। तो मैंने कहा अगर देश की लाइन आरएसएस की लाइन हो सकती है तो अगर देश की हिस्ट्री को आगे लाने की लाइन जो है ठीक लाइन हो सकती है, तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जो है उस लाइन को टो करना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी का जिक्र करना आज इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे देश के इस सबसे गौरवशाली इतिहास को दोबारा से दुनियां का ध्यान दिलवाना किसी ने शुरू किया है तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे वो गुरु तेग बहादुर जी का 350 साल शहीदी दिवस हो, उनकी शहीदी के बारे में बताना और अध्यक्ष जी, चाहे वो साहबजादों की शहादत के बारे में और वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश में मनाने की बात हो और अध्यक्ष जी मेरे लिए बड़े अचरज की बात थी कि अभी पार्लियामेंट के अंदर जो है अपने सारे सहयोगी दलों के एमपीज की जब प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई और अध्यक्ष जी लोग राजनीति के टाइम पे

किसी भी धर्म को याद रखते हैं, चुनाव आता है तो पंजाब में जाते हैं, यह तो हमारे सामने वाले साथी भी जाते हैंऔर वहां उस समय गुरुओं का जिक्र कर देते हैं, यह तो महान आत्मा है ही हैं वहां पंजाब में जो है पंजाब वाले इनका आने वाले समय में करेंगे । हर पार्टी कर देती है। चुनाव में हम कहीं भी जाएं किसी भी रीजन में जाते हैं हम उस रीजन का जो भी सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम महाराष्ट्र में जाते हैं तो हम छत्रपति महाराज का जिक्र कर देते हैं, कोई भी पॉलिटिकल दल कर देता है। हम वाल्मीकियों में जाएं तो हम महर्षि वाल्मीकि का जिक्र कर देते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टी कर देती है। कोई चुनाव नहीं है उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी एनडीए के सभी पार्टनर्स के बीच में ये कहते हैं कि हर ट्राइब में जाओ, हर गांव में जाओ, वहां पर सिक्किम के एमपी बैठे हुए हैं जहां शायद एक परिवार भी सिख्खों का नहीं रहता हो, वहां के ऊपर आसाम के लोग बैठे हुए हैं, वहां पर वेस्ट बंगाल के लोग बैठे हैं, वहां पर तमिलनाडु के लोग बैठे हैं, वहां पर केरला के लोग बैठे हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वहां सिखों की आबादी है कि नहीं है लेकिन नरेंद्र मोदी जी तमाम एमपीज को कह रहे हैं कि आप देश के कोने-कोने में जाओ विशेषकर के महिलाओं को और बहनों को बताओ कि कैसे-कैसे जो है गुरु तेग बहादुर जी ने और उनके पोतों ने, साहबजादों ने शहादत दी है। तो इसलिए जो है मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उनको सलाम करता हूं कि देश के कोने-कोने के अंदर जो है वो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत और देश की हिस्ट्री को लोगों के बीच में जिस हिस्ट्री के ऊपर हमको मान होना चाहिए, जिस हिस्ट्री का वर्णन जितना होना चाहिए उतना हमारे करिकुलम में और हमारी हिस्ट्री में नहीं है। उसको बढ़ाने का अगर कोई काम कर रहा है तो देश के एक इकलौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। तो मैं जहां रेखा गुप्ता जी को बधाई देना चाहता हूं वहीं आज इस सदन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो इस काम को जो है जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं हमेशा इस देश के लोगों को जो है उन पे गर्व रहेगा। मैं इस मौके के ऊपर मुख्यमंत्री साहिबा से एक अनुरोध भी करना चाहता हूं। मेरा सौभाग्य रहा है क्योंकि जैसा मैं पहले कह रहा हूं कि गुरु तेग बहादुर जी के नाम से दिल्ली को जाना जाना चाहिए और सबसे बड़ी शहादत दिल्ली के अंदर देश के लिए अगर किसी ने दी तो गुरु तेग बहादुर साहब ने दी और मेरा सौभाग्य रहा है और कपिल मिश्रा जी अभी शायद विजिट करके भी वहां पे आए थे कि गुरु तेग बहादुर मेमोरियल का फाउंडेशन स्टोन ले करने का और अपने टेन्योर में उसको खत्म करके चालू करने का भी। लेकिन पिछले 10 सालों में कहीं ना कहीं उस मेमोरियल की अनदेखी हुई है। तो हमारी सरकार को दोबारा से उस

मेमोरियल को ठीक ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए और गुरु तेग बहादुर साहब की स्मृति में हर साल हमको कार्यक्रम जो है वहां पे आयोजित जो है गुरु तेग बहादुर मेमोरियल में करना चाहिए। मैं एक बार फिर ज्यादा लंबा नहीं बोलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और बधाई देना चाहता हूं उनको कि वो कोई फील्ड हो, चाहे वो दिल्ली के विकास की बात हो, दिल्ली की समस्याओं की हो, दिल्ली के रिलीजियस कल्चर की हो, दिल्ली की पॉलिटिकल भावनाओं की हो, दिल्ली की कल्चरल भावना की हो, मुख्यमंत्री हमारी सबसे ज्यादा अग्रणी भूमिका में रहती हैं, तो इसलिए उनको बहुत-बहुत बधाई, उनकी सारी कैबिनेट को बहुत-बहुत बधाई। परवेश जी को, आशीष सूद जी को जिन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से वीर बाल दिवस को ऑर्गेनाइज किया। हमारे रविंद्र इंद्राज जी को, कपिल जी का डिपार्टमेंट है उनको तो बधाई है, पंकज जी को भी और तमाम हमारे विधायकों को साथियों को और मैं तो सामने वालों को भी कहूंगा कि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें हमको राजनीति से ऊपर उठके उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और सारे दिल्ली वालों को जो है बधाई देना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र कादियान जी।

श्री वीरेंद्र सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर मंत्री जी ने चर्चा शुरू की उस पर मैं अपना पक्ष रखना चाहूंगा। यह जो शहीदी दिवस था गुरु तेग बहादुर जी का यह एक ऐतिहासिक है और जो कुर्बानियां हमारे गुरुओं ने दी हैं हिंदू धर्म को बचाने के लिए, अच्छाई का प्रचार करने के लिए और मानवता का जो संदेश दिया है वो काबिले तारीफ रहा है और हम सब लोग क्योंकि हम सब लोग धार्मिक लोग हैं, धर्म को मानते हैं। कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है लेकिन एक बार मुझे बड़ी भावुकता हुई अध्यक्ष महोदय। जब मैं जा रहा था एक अपना चांदनी चौक का गुरुद्वारा है लाल किले के सामने मैंने उसमें देखा और पढ़ा कि "2% सिख और 100% कुर्बानियां" तो मेरे दिल को छू गई ये बात और ये देखने में भी आया है। अध्यक्ष महोदय, जो गुरुओं की शिक्षा, गुरुओं की जो फॉलोइंग और गुरुद्वारों में मैं जाता रहता हूं। हमारे पड़ोस में एक गुरुद्वारा है सदर बाजार दिल्ली कैंट का तो बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा शब्द सुनने को मिलते हैं, अच्छी वाणी सुनने को मिलती है और जो कोरोना काल में हमारे सिख भाइयों ने जो सेवा की है मानवता की वो निश्चित तौर पर हमारे गुरुओं के बताए हुए पद चिन्ह हैं और जो गुरुद्वारों में हमें सिखाया जाता है कहीं ना कहीं वो हम उसका पालना कर रहे हैं। जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा सिरसा साहब ने कहा।

श्री वीरेंद्र सिंह कादियान(जारी): कि ये जो पर्व था बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े-बड़े हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी आईं, बड़े-बड़े नेता आए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गईं। यह अच्छी बात है पर्व मनाने चाहिए, सभी धार्मिक पर्व मनाने चाहिए इससे अच्छाई का संदेश जाता है और लोगों को प्रेरणा मिलती है। हमारा इतिहास जागरूक होता है। जो गुरुओं ने कुर्बानी दी, अपने छोटे-छोटे बच्चे दीवारों में चिनवाना, हम देखते हैं कि एक आदमी की ऊंगली कट जाती है कितना दर्द होता है, उनके सामने उनकी संतानों को जो चिन दिया गया लेकिन अपनी बात से, अपने धर्म से टस से मस नहीं हुये क्योंकि उन्ही के ऊपर दारमोदार था। वो उनको हिलाना चाहते थे, वो उनको तोड़ना चाहते थे, उन्हें बीच से आरे से काट दिया गया लेकिन वो नहीं टूटे। और उन्होंने सभी धर्मों का साथ दिया, सब लोगों को साथ ले लेके चले। अध्यक्ष जी इसमें कोई राजनीति नहीं है। हर आदमी अपने-अपने तरीके से धर्म को मनाता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो दिल्ली कैंट विधानसभा में बहुत ही भव्य जुलूस निकलता है। गुरुद्वारों में काफी धूमधाम से कोई भी पर्व होता है मनाया जाता है और इस पर्व में भी काफी लोग आए थे, शिरकत की थी। जरूरी नहीं कि एक जगह जायें हर जगह-जगह जाकर हम गुरुद्वारों में जिस भावना से त्यौहार मनाया जाता है, दु:ख का दु:ख मनाया जाता है, खुशी का हो तो खुशी मनाई जाती है लेकिन हम हर चीज में राजनीति करें तो भी ठीक नहीं है। अब मैं बताऊं आपको पंजाब की सरकार ने स्पेशल सेशन रखा, जहां तक मेरी जानकारी है, भगवंत सिंह मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, एक स्पेशल लोगो भी बनाया गया। सभी लोग वहां पर जगह-जगह पर भव्यता से इस त्यौहार को मनाया गया और यह पूरा मीडिया में भी चला, सब जगह चला। अच्छी बात है कि दिल्ली में भी मनाया और हमारे सभी नेता गण वहां पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंची। मैं एक बात और कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी कि यह जो कॉफी टेबल बुक है इसका जो प्रीफेस है मैं वो पढ़ना चाहता हूं कि गुरु तेग बहादुर जी की क्या वाणी थी, क्या उन्होंने शिक्षा दी, उसको हमें पालना करनी चाहिए। हमें खाली तारीफों के पुल बांध के, दूसरे को कोसने की, इसमें लिखा है गुरु जी ने, तो मैं पढ़ना चाहता हूं। एक बार पढ़ के बताऊंगा। The second bani of Guru Teg Bahadur Sahib ji prescribe a very brief and simple code of conduct for living a truthful religious life, truthful religious life not to show, it has to be followed with a spirit. recite the name of God भगवान का नाम लो frighten none and fear none ना किसी को डराओ और ना किसी से डरो avoid committing unintended sins कोई भी पाप ना करे जिसकी आपकी मंशा ना हो treat comfort and discomfort alike सुख-दु:ख को एक साथ बराबर माने

avoid indulging in praise and slander कोई किसी की बडाई में खाली तारीफों के पुल ना बांधे और खाली किसी की बुराई भी ना करें। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं मानते हम सब लोग जैसे लवली जी ने कहा कि हमें भी शिक्षा दे दें, अरे हम शिक्षा लिए हुये हैं हम सब शिक्षा हम बहुत ही धार्मिक लोग हैं। हम हर जगह जाते हैं गुरुद्वारे में भी जाते हैं मंदिर का भी वो करते हैं। हमने शिक्षा ली और ये गुरु जी ने लिखा है। गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है प्रेम पर 10 चीजें लिखी है उसमें लिखा है avoid indulging in praise and slander, remain aware about the illusionary character of the world's attachment, recognize the presence of God everywhere हर जगह भगवान को देखो मानो। Man of God must renounce ego हमारे अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का घमंड नहीं आना चाहिए, कभी भी किसी भी प्रकार का घमंड आना नहीं चाहिए। Strength given by almighty dissolves the fetters, do not renounce the world in search of God तो ये सारी चीजें जो इस बुक में लिखी हैं और ये वाणी है गुरु तेग बहादुर जी की जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतने अपने परिवार की कुर्बानी दी, सबकी कुर्बानी दी और किस लिए दी? मानवता के लिए दी हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए भी दी। तो इन्होंने यह भी लिखा है इसमें कि जो गुरु जी जो है सभी धर्मों को साथ ले कर चलते थे, लिखा है इसमें, आप पढ़ लो, पढ़ा नहीं आपने। तो हम जो कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि ये जो भव्यता से जो कार्यक्रम किया बहुत अच्छी बात है, इसकी मैं पर्सनली तारीफ करता हूं इसकी लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। पंजाब में हर जगह-जगह पे हुआ है, स्पेशल सेशन लगा है विधानसभा का। भगवत सिंह मान ने स्पेशल सेशन इस पे वो किया है ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: बोल चुके आप।

(समय की घंटी)

श्री विरेन्द्र सिंह कादियान: तो ये मैं ये कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं रवि जी सुनो सुनो, ये मैं ये कहूंगा कि जो धर्म, कोई भी धर्म हो अच्छी शिक्षा देता है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए, उसे मानना चाहिए और कभी भी किसी प्रकार का ना घमंड करना चाहिए, ना किसी को डराना चाहिए और ना किसी से डरना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जो आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः धन्यवाद।

....व्यवधान....

श्री अरविन्दर सिंह लवलीः एक सैकेंड अध्यक्ष जी मैं एक चीज क्लेरिफाई करना चाहता हूं इसमें।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः आपका हो गया विरेन्द्र जी।

श्री अरविन्दर सिंह लवलीः पंजाब में अगर हम गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मनाना चाहिये। पंजाब में तो हम मनाएंगे ही, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इसलिए प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं कि हम सिक्किम में भी मना रहे हैं जहां पे एक परिवार भी नहीं रहता, नागालैंड में भी मना रहे हैं। ये नरेन्द्र मोदी जी तारीफ करने की बात है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः देखिए ये, इसमें कोई ये विषय कोई मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सेकंड थॉट होगा जो गुरुओं की कुर्बानी है वो समाज के लिए हुई थी, देश के लिए हुई थी, पूरा देश नतमस्तक है। गुरुओं की कुर्बानी किसी एक धर्म, एक मजहब, एक व्यक्ति, एक समाज तक, एक ग्रुप तक सीमित नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के लिए एक नतमस्तक करने का ये अवसर है। तो इसलिए, हां जी-हां जी।

श्री हरीश खुराना: मेरा निवेदन है विपक्ष के अपने साथियों से जभी भी मैं सुन रहा था कादियान जी को कि वो कहते हैं गुरुद्वारे, हम सबकी एक आस्था होती है जब भी हम गुरुद्वारा बोलते हैं गुरुद्वारा साहिब बोलते हैं एक तो जब भी आगे संबोधन करें तो ये और जो जुलूस बोल रहे हैं कभी भी सिख धर्म के अंदर जुलूस नहीं होता नगर कीर्तन होता है। मेरा निवेदन है कि आगे से कोई बोले तो किसी की भावना आहत ना हो।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः ठीक है ठीक है। कोई नहीं वो उन्होंने ध्यान दिलवाया आप फ्लो में बोले तो कोई बात नहीं कोई ठीक ठीक अच्छा अब आगे बढ़ते हैं अब श्री तरविन्दर सिंह मारवाह जी माननीय सदस्य।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: अध्यक्ष महोदय आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज जो विषय है बड़ा गंभीर विषय है क्योंकि आज ऐसे व्यक्ति की यहां बात हो रही है जिसने खुद कुर्बानी तो दी लेकिन उसने अपने पूरे परिवार की, बच्चों की, पोत्रों की सबकी कुर्बानी दी। यहां पर सबसे पहले तो हमें मुख्यमंत्री जी का गुरु सिंह सभा की तरफ से जिसका मैं अध्यक्ष भी हूं, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैं मेंबर भी हूं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी, केंद्रीय गुरु सिंह सभा की तरफ से भी रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करते हैं और पूरी कैबिनेट प्रवेश वर्मा जी का, आशीष सूद जी का, रविन्द्र जी का, कपिल मिश्रा जी का, पंकज जी का, सूद साहब का, सभी का। सबसे बड़ी बात है बहुत मुख्यमंत्री हमने देखे हैं क्योंकि हमें भी सियासत में कितने साल हो गए हैं 50 साल तो होने ही वाले होंगे या एक आधा दो दिन कम रह गए होंगे क्योंकि कहां से शुरू हुए 1975 अध्यक्ष जी भी मेरे साथ के ही हैं या एक साल छोटे होंगे 1975 से दौर चली। नहीं मैं अपने जीवन की बात अध्यक्ष जी बता रहा हूं। 50 साल में मैंने पहली मुख्यमंत्री देखी है और मुख्यमंत्री भी रहीं जिसने एक काम लिया और उस टाइम काम जब आपने देखा लाल किला में कितना बड़ा भयानक आतंकवादियों ने हमला किया। बम ब्लास्ट हुआ, लोगों की जानें गयीं । अगर कोई, मैं दावे से कहता हूं कोई और मुख्यमंत्री होती तो वो स्थान को बदल देती लेकिन इसके लिए हम सैल्यूट मारते हैं मुख्यमंत्री को। इन्होंने कहा कि वहीं पर, हम वहीं पर गुरु तेग बहादुर जी की 350 साल शताब्दी शहीदी दिवस वही मनाएंगे। सिरसा जी की बात बहुत पसंद आई कि मुख्यमंत्री जी तीन बार तो गए हैं लेकिन उसके पहले कितने दौरे किए वहां पर, अनगिनत दौरे किए हैं वहां पर कम से कम नहीं तो सात-आठ बार जाकर उस जगह का मुआयना किया।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह(जारी): आज प्रधानमंत्री जी की बात तो मैं कहूंगा बाद में , गुरु तेग बहादुर जी से पहले ही जब से गुरु नानक देव जी का इतिहास शुरू हुआ 540 साल पहले उस टाइम बाबर आया था , उस टाइम गुरु नानक देव जी ने कहा था कि आप बाबर नहीं हो आप जाबड़ हो । मतलब ये काम कब से शुरू था उसके बाद जब अर्जुन देव महाराज जी की शहीदी हुई। उनको कड़ाव में उबलते पानी में, जलते पानी में डाल दिया लेकिन उन्होंनेअपने धर्म और प्रचार को बंद नहीं किया। शहीदी दे दी लेकिन अपने धर्म को नहीं उन्होंने कहा। गुरु तेग बहादुर जी का जन्मदिन 1621 में अमृतसर में हुआ। उनके पिताजी हरगोविंद सिंह जी, माता नानकी जी जब से पैदा हुए थे छोटी उम्र में उनको तेग बहादुर कहना शुरू कर दिया था वो इसलिए क्योंकि वो कहीं पर भी

चाहे गतका हमारे में होता है कहीं पर घोडा सवारी होती है सब जगह वो अव्वल आते थे और सबसे बड़ी बात गुरु तेग बहादुर जी साहसिक तो थे लेकिन तपस्या भी की। उनका एक इतिहास है तपस्या का भी जब गुरु हरकिशन महाराज जी ने बाला साहब यहीं पर दिल्ली में जब अपने श्वास छोड़े तो उन्होंने कहा कि इसका नाम क्या नौवा गुरु कौन होगा संगत जैसे वहां पर । तो उन्होंने कहा बाबा बकाले जो अमृतसर में 20 किलोमीटर पहले पड़ता है। जब वहां पर नौवें गुरु का गुरु हर कृष्ण महाराज जी ने कह दिया उसके बाद वहां भीड़ इकट्ठी हो गई संत ही संत बैठ गए वहां पर हजारों के हिसाब से। मैं गुरु, मैं गुरु, मैं गुरु, गुरु उस वक्त एक लुबाना जी होते थे। उनका जहाज समुंदर में डूब रहा था। वो बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत ही बड़ा व्यापारी था। उसने कहा क्योंकि वो गुरु नानक देव जी से जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा अरदास की कि मेरी ये जो नाव है किनारे लगा दो। तो उस टाइम वो होती सोने की जो अशरिफयाँ तो उन्होंने अरदास की, तो जब नाव किनारे लग गई तो उसके बाद उनको किसी ने कहा कि गुरु नानक देव जी की गद्दी तो बाबा बकाले घूम रही है। वहां पर है गुरु हर कृष्ण महाराज जी कह के गए थे। तो वो वहां चला गया। उसने देखा यहां तो हजारों संत बैठे हुए हैं, पहचानूंगा कैसे ? उसने किसी को दो अशरफी दी, किसी को पांच दी, किसी को एक दी, किसी को तीन दी। थक गया बेचारा। शाम हो गई। तो किसी ने कहा कि एक गुरु जी हैं वो मिलते नहीं किसी से, आप वहां पर जाएं। अगर मिल गए तो ठीक है नहीं तो आपको निराश होकर जाना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम गुरु तेग बहादुर जी महाराज कितने सालों से बरवे में वो जो होता है नीचे जमीन के नीचे जाके और गोरा जिसको कहते हैं गांव में भी होता है वहां पर दूध बाहर रख दिया जाता था वो आते थे लेकर चले गए। कई साल उस वक्त लुबाना जी वहां पहुंचे , तो उन्होंने उसको कहा कि वो कहते हैं नहीं मिलते। कहते हैं एक बार कह दो आप जाके कि एक बहुत ही थका हुआ आपसे मिलना चाहता है। गुरू तेग बहादुर जी हँस पड़े। कहा बुलाओ उनको। लुबाना जी ने वही कहा 5 अशरफियाँ रखी। उन्होंने कहा कि आपने तो उस टाइम अरदास 21 की की थी और यह देखो मेरा कंधा जो है, कंधा दिखाया कि आज भी यहां पर चोट लगी हुई है। ये बात उन्होंने सुनी लुबाना जी ने 21 अशरफियाँ रखी वहां और बाहर निकले। गुरु मिल गया। ला दो गुरु ला दो गुरु ला दो गुरु तब गुरु तेग बहादुर महाराज जी प्रकट हुए और नौवे गुरुओं में शामिल हुए।

1864 में उन्होंने अपना नौवे गुरु का संभाला। गुरु तेग बहादुर महाराज जी का इतिहास एक ऐसा इतिहास है अभी मेरे सिरसा जी कह रहे थे हिंदुस्तानी पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड का अगर इतिहास

पढ़ो पूरे वर्ल्ड के इतिहास में एक ही परिवार ने इतनी कुर्बानियां नहीं दी होंगी जो गुरु तेग बहादुर महाराज जी के परिवार ने दी है। मतलब कि कुर्बानियों के अलावा एक होता है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है वो कहता है ये तो महाराजा थे। गुरु तेग बहादुर जी ने जमीन लेके पूरा आनंदपुर साहब बसाया। लोग आते थे, घोड़े लाते थे, सोने के बड़े-बड़े कंगन लाते थे गुरु तेग बहादुर महाराज जी को देते थे। लेकिन उन्होंने बिना लालच के, यह तो इतिहास गवाह है और सबसे बड़ी बात है ये कोई इतना पुराना इतिहास नहीं है। 2000 साल का 5000 साल का ये इतिहास सिर्फ 574 साल का इतिहास है जो गुरु नानक देव जी की गद्दी से शुरू हुआ था। इसको कोई झूठ नहीं कर सकता। इसको कोई मना नहीं कर सकता क्योंकि आपको मालूम है, पूरे हाउस को मालूम है कि गुरु तेग बहादुर जी ने कुर्बानी जो दी है, अपने लिए नहीं दी, उसने समाज के लिए दी है। जब गुरु कृपा जी पंडित जी पहुंचे वहां पर सब लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ रहा है। औरंगजेब जो है वो हमारे बहू बेटियों को उठाकर ले जाते हैं। हमारा धर्म चेंज कर देते हैं और धर्म हुए भी चेंज है, अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूं। आप यूपी में चले जाओ। आप बिहार में चले जाओ। जम्मू जम्मू कश्मीर में चले जाओ। कई परिवार जो है अगर वहां पर पांच परिवार है, पांच भाई थे, तो एक या दो भाई मुसलमान बन चुके हैं और अब आज तक बने हुए हैं। ये पक्का है देख लो पता कर लो। दिल्ली में भी चाहे कई गॉंव हैं जहां पर जो आबादी मुसलमानों की है वो कन्वर्ट हुए है। वो जुल्म पर जुल्म करता था और सिख समाज के लिए फख्र की बात है हमारे लोगों के लिए कि हमारे गुरुओं ने कुछ किया है और अगर मैं दावे से कहता हूं मुगल शासक का अगर मुकाबला किया है तो असली गुरुओं ने करके उनको वहां से भगाया है। और सबसे बड़ी बात, गुरुतेग बहादुर जी को जब भाई मतीदास भाई सतीदास भाई दयाला जी उनको क्या किया, किसी को आरे से काटा, किसी को उबलते पानी में डाल दिया सिर्फ गुरु तेग बहादुर जी को डराने के लिए और जब औरंगजेब को पता लगा कि कश्मीरी पंडितों ने कह दिया अगर गुरु तेग बहादुर महाराज जी को आप अपने धर्म में परिवर्तन कर लोगे तो हम सब आपके आपके धर्म में आ जाएंगे। औरंगजेब बड़ा खुश हुआ। बड़ा खुश हुआ एक व्यक्ति को अगर मैं कर लूंगा तो पूरा समाज मेरे लिए मुसलमान बन जाएगा। ये एकदम सच्ची बात आपको बता रहा हूं इतिहास में जो लिखी हुई है। औरंगजेब ने कहा कोई इतनी बड़ी बात नहीं। मेरे लिए तो और अच्छा होगा। जब गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में उस टाइम गुरु गोविंद सिंह नौ साल के थे। जब गुरु तेग बहादुर जी ने पूछा कोई बलवान है जो इनकी सहायता कर सकता है। 9 साल का बच्चा अध्यक्ष जी क्या होता

है, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा कि आपको शहीदी देनी पड़ेगी, आप जाओगे मुकाबला करने। तो गुरु तेग बहादुर जी ने फैसला कर लिया। उसी टाइम कहा कि जाओ आप औरंगजेब को कह दो कि मैं आ रहा हूं और वहां से निकले और आगरा होते हुए, आगरा उनको गिरफ्तार किया गया और सबसे बड़ी बात देखो गुरु तेग बहादुर जी की, औरंगजेब ने पूछा क्योंकि सवाल जवाब होते हैं। उन्होंने पूछा कि तू दूसरों के धर्म के लिए क्यों कुर्बानी दे रहा है? तो उन्होंने पता है क्या कहा कि अगर कल औरंगजेब तेरी जगह अगर ये भी जुल्म करते तो मैं तेरे साथ खड़ा होता, इनके साथ नहीं खड़ा होता, ये जवाब दिया। कितना बड़ा जवाब दिया। उसके बाद अध्यक्ष जी वार्तालाप चलते रहे, मनाते रहे और औरंगजेब ने तो यहां तक कह दिया था कि पूरा स्टेट जो मर्जी ले ले, जो मर्जी ले ले लेकिन धर्म परिवर्तन कर ले। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने जो बात कही उससे रोना खटकता है। उन्होंने कहा कि मैं तो पैदा ही कुर्बानी के लिए हुआ हूं और लोगों की सेवा के लिए हुआ हूं। शुरू में ही उनका नाम जो था गुरु तेग बहादुर जी को सेवा के लिए लोग कहते थे, बहादुरी के लिए कहते थे और अध्यक्ष जी गुरु तेग बहादुर जी में ज्ञान भी बड़ा था और आपको ये भी मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, जब गुरु तेग बहादुर जी का शीश कटा उस वक्त पूरा अंधेरा हो गया था। बिल्कुल वहां पर अगर अंधेरा ना होता तो जो अपना जेता सिंह था वो वहां से शीश नहीं उठा सकता था। आंधी आ गई, तूफान आ गया था वहां पर उस वक्त। तो आज जेता सिंह जी को भी पूरा सिख समाज याद करता है और सबसे बड़ी बात ये अध्यक्ष जी खालसा पंथ का जब 1699 में पांच प्यारे सजाए गए उस टाइम गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने एक टेंट लगवाया आनंदपुर साहब में और कृपाण लेके निकल गए। लोगों ने कहा पता नहीं क्या हो गया, हलचल हो गया। उन्होंने कहा मुझे एक शीश चाहिए। एकदम जहां पर मीटिंग हो रही थी पूरा एकदम क्या हो गया। अलग-अलग समाज से सब निकले और लोगों ने कहा पांच शीश काट दिए गुरु जी ने लेकिन बाद में पांचों वहां पर जिंदा थे। उस वक्त खालसापंथ सजा। जो बात आज मोदी जी ने करके दिखाई है देश की आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी उसका नाम है जिसने सिख समाज के लिए सोचा है। चाहे वो करतारपुर हो,अभी हमारे पाकिस्तान से कितने रिश्ते खराब है लेकिन फिर भी करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया मोदी जी ने। अभी सिरसा जी ने कहा छोटे साहबजादे छोटे साहबजादों के नाम पे मैं उत्तराखंड से निकला एक जगह चाय पीने सिरसा जी बिल्कुल आपको सच्ची बात बता रहा हूं ये तीन साल पहले की बात है। वहां पर मैंने देखा एक चाय की दुकान पे छोटे साहबजादों की तस्वीर लगी हुई है और प्रोग्राम लिखा हुआ एक ढाबे में और सबसे बड़ी बात

मोदी जी ने जो की है वो ये कि पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री हों, गवर्नर हों उनको इतला की गई कि 26 दिसंबर आपको हर जगह मनाना है और छोटे साहबजादों का प्रोग्राम करना है। जब मैं मिला था मोदी जी से 20 मिनटऔर सिरसा जी को पता है। पूछो सिरसा जी को, मैं ठीक नहीं कह रहा? 20 मिनट ऐसे बैठ के बात की।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: 20 मिनट होने वाले हैं आप इतना इमोशनल बोल रहे हो मैं घंटी बजाते हुए भी सोच रहा हूं। अब वो इमोशनल बातें हैं तो उसमें बीच में रोकने में दिक्कत आ रही है।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: ज्यादा टाइम नहीं ले रहा अध्यक्ष जी ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: उसको कंक्लूड कर दो।

.....व्यवधान.....

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, जब मैं मोदी जी से मिला तो उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी का जहां पर गुरुद्वारा था वहां पर समुंदर आ गया था , क्या नाम उसको हां गुजरात में भूकंप आ गया था वहां पर। मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा,अध्यक्ष जी सुनने वाली बात है, अध्यक्ष जी मुझे बताया उन्होंने जब वहां पर गुरु नानक देव महाराज जी का गुरुद्वारा तहसनाश तहसनहस हो गया, सभी आर्किटेक्टों को बुलाया और उन्होंने कहा कि मुझे सेम गुरुद्वारा बना कर देना है और उन्होंने 15 दिन जाकर वहां पर 15 मीटिंगें के करके वहां पर गुरुद्वारा बनाया इससे बड़ी बात क्या हो सकती है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय नहीं, दो और बातें बताऊंगा गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के बारे में।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अब आपको अगले विषय में समय देंगे।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: चलो लास्ट बस गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के जब छोटे शहजादों को नीव में क्योंकि वहां पर भी जो उस टाइम शासक था, आर्डर तो औरंगजेब का चल रहा था लेकिन काजियों ने कहा कि ये जुल्म कर रहे हो आप लोग छोटे बच्चों को नियों में चिना रहे हो। आपका उससे बाप से झगड़ा है उससे करो लेकिन ये पाप की तरफ जा रहे हो। जब उनको चिनाया चुनाया गया तो उस टाइम दीवार फट गई। जब ऊपर तक आने लगी ना, दीवार फट गई, लेकिन फिर भी उनको चैन नहीं आया। फिर उन्होंने उनको पत्थर मार मार के उनको मार दिया। टोडरमल के बारे

में सिरसा जी ने आपको बता दिया। क्या उस वक्त जुल्म हुआ और नानकी दादी जी के साथ क्या जुल्म हुआ लेकिन हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और मैं दोबारा एक बार मुख्यमंत्री को सलूट मारता हूं कि आपने जो गुरु तेग बहादुर महाराज जी के लाल किला पे जहां पर उनके आर्डर हुए थे शहीदी के वहीं पे जो काम करके दिखाया उसके लिए हम जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। यही कहता हुआ अध्यक्ष जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, श्री अजय दत्त माननीय सदस्य।

डॉ. अजय दत्त: धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले ''बोले सौ निहाल, सत श्री अकाल''। गुरु तेग बहादुर जी साहिब जी के विषय में आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सिरसा जी ने उठाया। मैं सिरसा जी का धन्यवाद करता हूं और पंजाब ने और दिल्ली सरकार दोनों ने गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस बहुत धूमधाम से मनाया और विशेषकर क्योंकि दोनों सरकार ने मनाया, दोनों का धन्यवाद है लेकिन क्योंकि मैं पंजाब के बहुत सारे लोगों को जानता हूं। वहां से मुझे इंफॉर्मेशन आई कि 23 से 25 नवंबर तक बहुत बड़ा सर्व धर्म सम्मेलन किया गया। नगर संकीर्तन किए गए। बहुत शानदार ड्रोन शो हुआ। मुझे लगता है आपने देखा होगा टी.वी. में और सेमिनार हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, रक्तदान हुआ और अंगदान का भी वहां शिविर लगाये गये। इसका मतलब बहुत बड़ी सेवा वहां पर लगाई गई। बहुत सारी बातें सिरसा जी ने गुरु साहिब के बारे में बता दी है। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं यहां पर इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। जब गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत की गई। उसके बाद औरंगजेब और वहां बहुत बड़ी सेना लगा दी गई और उनका शीश, भाई जेता जी लेकर वहां से छुपते छुपाते इतनी सेनाओं से लड़ते हुए अंधेरे में ठंड के समय में और लेकर निकले और ये भाई जेता जी कौन थे? किस समाज से आते थे? इसके विषय में मैं थोड़ा सा आपको यहां पर आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, इस पटल पर रखना चाहता हूं, भाई जेता जी वाल्मीकि समाज से आते थे। बहुत बहादुर व्यक्ति थे और उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के साथ बहुत बड़ी-बड़ी लड़ाईयां लड़ी थी और उनके अंदर गुरु साहिब के बारे में बहुत सम्मान था और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनका शीश लेके वहां से जाएं, सिर्फ भाई जेता जी, जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, उन्होंने उनका शीश लेके वहां से गए और आनंदपुर साहिब में वहां पर उन्होंने जब शीश को गुरु साहिब को दिया तो उनको एक नाम दिया गया सम्मान के साथ और वो नाम था रंगरेटा गुरु का बेटा और उस दिन से पंजाब में ही नहीं, पूरे देश

में वाल्मीकि समाज के लोगों को रंगरेटा गुरु के बेटे के सम्मान के साथ स्थापित किया गया और पंजाब में भी एक बहुत बड़ी रंगरेटा फौज जो गुरु साहिब के नाम से चलती है उसकी स्थापना हुई और यह बात मैं आज सदन के पटल पर रखना चाहता था कि समाज में बहुत सारे ऐसे बलिदानी, ऐसे बहादुर लोग हैं, जिन्होंने गुरु साहिब के साथ लड़ाईयां लड़ी और धर्म के नाम को जीवित रखते हुए अपने काम किए। मैं इस सदन का ज्यादा समय ना लेते हुए इतना ही कहूंगा कि इस देश में जब-जब जुल्म हुआ है सब धर्म के, सब जाति के लोगों ने अपना पूरा काम किया है। मेहनत की है, शहादत दी है और इस धर्म को,इस देश को बचा कर रखा है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। सिरसा जी ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। वाहे गुरु जी का खालसा। वाहे गुरु जी की फतेह।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष : सिरसा जी ने, सिरसा जी को तो, प्रस्ताव तो हमारे कपिल जी का है।

डॉ. अजय दत्त: अध्यक्ष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष : नहीं ये कपिल जी का प्रस्ताव है।

डॉ. अजय दत्त: सिरसा जी ने चर्चा शुरू की।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष : घबरा गए हैं ये।

डॉ. अजय दत्त: सिरसा जी का भी धन्यवाद।

श्री अभय कुमार वर्मा: यह प्रस्ताव कपिल जी से आया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष : यही भूल गए ये। अब माननीय सदस्य श्री राजकुमार भाटिया जी।

श्री राज कुमार भाटिया: आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने बोलने के लिए मुझे अवसर दिया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सदन को अपने मन की बात रखते हुए सबसे पहले मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी का और उनकी कैबिनेट का अभिनंदन और वंदन करता हूं। जिन्होंने 23, 24, 25 नवंबर को ऐतिहासिक लाल किले पर इस गुरमत समागम का आयोजन करके दिल्ली

ही नहीं अपितु देश की नौजवान पीढ़ी को उस संदेश से अवगत करवाया और प्रधानमंत्री जी के उस विज़न को जिसमें उन्होंने कहा कि विरासत से हम विकास की ओर चलेंगे तो विकास सर्वांगीण होगा, गौरवशाली होगा। प्रधानमंत्री जी के विज़न को पूर्ण करते हुए दिल्ली सरकार ने 350वें शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया और बहन रेखा गुप्ता जी ने तो कहा कि दिल्ली का सौभाग्य है कि हम श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर लाल किले में समागम मना रहे हैं। पूरे देश का हर परिवार आकर भाग लें और गुरु साहब के साहस, करुणा और धार्मिक स्वतंत्रता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं बहन रेखा गुप्ता जी का, उनके कैबिनेट का और दिल्ली सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। आपने उस महान विभूति को नमन करने का अवसर दिल्ली की भूमि को दिया। जिनकी गाथा मानवता के इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। नौवें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने ऐसे महान योद्धा के रूप में दार्शनिक और मानवतावादी के रूप में धर्म मातृभूमि की और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करे। उनके चित्र और चरित्र से दिल्ली को अवगत कराने का आपने जो पुनः काम किया मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह आयोजन मात्र उत्सव नहीं था, यह आयोजन मात्र फोटोग्राफी का एक इवेंट नहीं था, यह आयोजन था गुरु जी के जीवन की आध्यात्मिकता, मानवीय मूल्यों और सच्चाई पर लड़ने की जो उनकी विद्या थी उससे अवगत कराने का देश को एक अवसर था जिसमें यह बताया गया कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म एक जीवन की कला है जिसमें न्याय हो, करुणा हो और सत्य की भावना और अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रवृत्ति भी हो, यह आपने दिल्ली को अवगत कराया है। बहन जी आप उम्र में मेरे से छोटी हैं, छोटी बहन की तरह हैं, लेकिन जिस समय आप वहां पर लंगर की सेवा कर रही थीं मुझे आपके चित्र में एक मां की भूमिका नजर आ रही थी, एक बड़ी बहन की भूमिका नजर आ रही थी, जो अपने घर आए हुए संगत की सेवा करने के लिए तुरंत वहां पर रोटी बेलने के लिए बैठ जाती है। मैं इस काम के लिए भी आपका वंदन और अभिनंदन करता हूं। आपने सेवा की एक नई परिभाषा को वहां पर परिपूर्ण किया। नहीं तो कौन मुख्यमंत्री, कौन राजनेता अपना फोटो इवेंट छोड़कर जहां पर बड़ी-बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, वहां आपने लंगर घर को चुना और आए हुए संगत के लिए लंगर बनाने का काम करा। मैं आपको और आपकी सोच को नमन करता हूं। दिल्ली सरकार ने, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटियों के विभिन्न गुरुमत के संगठनों, वेलफेयर सोसाइटीज, आर.डब्ल्यू.ए. मीडिया संस्थानों के साथ मिलकर श्री गुरु तेग बहादुर के जीवन वृतांत

के प्रचार प्रसार के लिए विशेष अभियान भी चलाया। नगर कीर्तनों के माध्यम से प्रभात फेरियां निकाली गई, नौजवानों के अनेक प्रकार की साझेदारियों के माध्यम से टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, सोशल मीडिया और स्थानीय कार्यक्रमों के जरिए गुरु जी के उपदेशों को और दिल्ली में हुए बलिदान की कथा को घर-घर तक पहुंचाया। मैं इसके लिए दिल्ली सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। सार्वजनिक कीर्तन दरबार हुए, अनेक सहजधारियों ने गुरु सिख की संगत ने और मैं तो कहता हूं कि समाज का सबसे बड़ा अगर इसको आयोजन कहा जाए कि समाज के हर वर्ग ने उसमें आकर हिस्सा लिया। मैं छोटी-छोटी बच्चियों को देख रहा था, बच्चों को देख रहा था जो पंज प्यारों की पोशाक पहनकर उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए थे। वहां अनेक प्रकार की जो प्रदर्शनी लगी और उस प्रदर्शनी के माध्यम से दिल्ली की जनता को यह अवसर मिला कि वो अपने गुरुओं की शहादत को जान सके। मुगल सम्राट औरंगजेब के अत्याचार जब चरम सीमा पर थे, वैसे तो सभी मुगल सम्राटों के अत्याचार चरम सीमा पर ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस समय जैसा अभी सिरसा जी बता रहे थे कि एक मन जनेऊ रोज तोड़कर यानि कि एक मन जनेऊ पहने हुए लोगों का धर्मांतरण करवा कर फिर उसने नाश्ता करना भोजन करना, ये उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या में था। उस समय जो जुल्म हो रहे थे उस जुल्म की टक्कर में खड़े होने वाला अकेला व्यक्तित्व था तो श्री गुरु तेग बहादुर जी थे। इससे पूर्व जो उनके पूर्वजों ने भी अपनी-अपनी कुर्बानियां दी, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने स्पष्ट कहा जब भाई कृपा राम जी के नेतृत्व में कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधि मंडल आनंदपुर साहब में उनसे मिलने जाता है तो कश्मीरी ब्राह्मणों ने कहा कि उन पर इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बनाया जा रहा है, गुरु जी क्या करना चाहिए? हमारी रक्षा कीजिए, गुरु जी ने बड़े धैर्य से उनकी बात सुनी और बोला यदि मैं अपना धर्म बदल लूं तो तुम भी अपना धर्म बदल लेना। ये एक ऐसा साहसिक वाक्य था जिसे सदियों तक आने वाले युगों तक याद किया जाएगा और मैं तो उनके बारे में इतना ही कह सकता हूं कि:

"कैसे थे वो लोग जो आसमान भी थे और धर्म की शान के लिए,

धर्म के मान के लिए सिर कटा कर चले गए।

वो आस्मा भी थे और धर्म की शान और धर्म के मान के लिए

सिर कटाकर चले गए, शीश नवाकर चले गए।"

और आज उनके कटे हुए शीश और कटे हुए धड़ के प्रतीक के रूप में दिल्ली में शीशगंज साहब गुरुद्वारा और रकाब गंज साहिब गुरुद्वारा जो यहां पर स्थापित है वो हम सबके लिए प्रेरणा का प्रतीक है। अभी कपिल भाई जिक्र कर रहे थे कि जीटी रोड सिंघु बॉर्डर पर बना हुआ गुरु तेग बहादुर जी का स्मारक वो अपनी ही बात को क्योंकि हमारी सरकार में

(समय की घंटी)

श्री राज कुमार भाटिया: एक विशेष आदत है कि अपने किए कामों का बखान नहीं करती है, दिल्ली सरकार ने संकल्प लिया है, निश्चय लिया है कि उस जीटी रोड पर जो बना हुआ स्मारक है उसकी पुन स्थापना के रूप में हम एक विशेष कार्य योजना लेकर आएं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बहन जी एक पूरे मंत्रिमंडल की बैठक विधायकों के साथ उस गुरुतेग बहादुर मेमोरियल पर करनी चाहिए ताकि हम वहां पर शीश नवाकर दिल्ली सरकार के जो भी सात्विक और धार्मिक और सांस्कृतिक संकल्प हैं उनको पूर्ण कर सके। मैं पुनः आपको बधाई देते हुए इस अतुलनीय अद्भुत गुरुमत समागम के लिए आपको और आपकी कैबिनेट को बधाई देता हूं और दिल्ली सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी।

श्रीमती रेखा गुप्ता माननीया मुख्यमंत्री, दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के

श्री वीर सिंह धिंगान: यह बात गलत है सिखों का और वालमीकि समाज का कितना गहरा सम्बन्ध है यह तो कोई बता ही नहीं रहा

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये, अपने नेता से बात करिये।

श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीया मुख्यमंत्री: दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, इस ऐतिहासिक विधानसभा के सदन में बैठे मेरे कैबिनेट के साथीगण और सभी साथी विधायक गण आप सभी का धन्यवाद करती हूं कि आपने इस महान समागम जिसमें हमने सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब की 350 वी शहादत का दिवस दिल्ली में मनाया उसका श्रेय मुझे दिया, उसका साधुवाद मुझे दिया। परंतु मैं सच में उस साधुवाद की, उस बडाई की पात्र नहीं हूं क्योंकि मैं यह मानती हूं कि ये जो कुछ भी हम कर पाए ये गुरु साहब की मेहर से, उनकी मेहरबानी से ही हम कर पाए। नहीं तो संभव नहीं था। नहीं तो सच में दिल्ली देश की राजधानी जहां पर कुछ

ही दिन पहले उसी लाल किले के बाहर वो हादसा होना, बम विस्फोट होना और सही कहा सिरसा जी ने कि मैंने सच में उनसे चर्चा करी कि क्या करना चाहिए। अगर कुछ भी और होता है तो जिम्मेवारी हमारे पर ही रहने वाली है और मैं धन्यवाद करना चाहती हूं आज इस मंच के माध्यम से देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जिन्होंने हमें संबल दिया और कहा कि आप अपना कार्यक्रम कीजिए, पूरी व्यवस्थाएं सुरक्षा की की जाएगी और लाखों श्रद्धालु वहां पर आए, लाखों लोगों ने उस समागम में हिस्सेदारी की, गुरु साहब के चरणों में शीश नवाया और तिनक भर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं हुआ। पहले दिन जितना बड़ा टेंट था अगले दिन उसको और खोलना पड़ा, इतनी संगत वहां पे आई। और सच में बड़े खुशी का और हर्ष का विषय है कि जो कपिल जी ने कहा कि जिस लाल किले से वो फरमान जारी हुए थे गुरु साहब के लिए उसी लाल किले पे जब गुरबानी के मधुर सुर गूंज रहे थे, जहां हजारों लोग वहां पे श्रद्धा के भाव अपनी आंखों में लिए गुरु साहब के चरणों में बैठे हुए थे। जब हजारों लोग गुरु के प्रसाद को लंगर के रूप में वहां चख रहे थे और ऐसे ही जो म्यूजियम वहां पर बनाया गया जिसमें गुरु साहब के जीवन से जुड़े हुए साक्ष्य और ऐसी कहानियों का वहां पर प्रस्तुतीकरण किया गया कि हर परिवार को देखकर के अच्छा लग रहा था और गुरु साहब की जो शहादत थी उसका एक बहुत सुंदर स्वरूप वहां पे हर एक तक पहुंच पाया और मैं सच में ये मानती हूं कि यह हमारा सौभाग्य है कि हम गुरु साहब की शहादत को वर्तमान पीढ़ी की ओर से हम उनके चरणों में नमन कर पाए और इस पूरे के पूरे उनकी शहादत की गाथा को जन जन तक पहुंचाने में हम यह काम कर पाए और इसी तरीके से मैं धन्यवाद और साधुवाद अपने शिक्षा मंत्री को भी देती हूं उन्होंने 5 लाख पुस्तकें दिल्ली के स्कूलों में जिसमें गुरु साहब की शहादत की पूरी विषय था उसे बांटा, अनेकों कार्यक्रम हुए एक जत्था पूरा जहां जहां गुरु साहब गए थे उसी गुरुद्वारों से होते हुए हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चे गए उन्होंने उस जगह दर्शन किए गुरु साहब की सारी गाथा को समझा, सुना। ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम अपनी इस संस्कृति को सहेज के रखें और जितनी भी हमारी ये कोशिशें रही कि हम दिल्ली में आगे बढ़कर के इस सेवा को ले सकें, इस महान बलिदान को जनजन तक पहुंचा सकें यह आप सबके सहयोग के कारण, इस पूरी टीम के कारण संभव हो सका इसलिए मैं आप सबको साधुवाद देती हूं। और इतना जरूर कहना चाहूंगी अध्यक्ष जी कि मेरा यह विश्वास है कि जो देश, जो राज्य और जो नगर अपना इतिहास भूल जाता है उसे वर्तमान कभी भी भविष्य में याद नहीं रखता, वर्तमान कभी याद नहीं रखेगा। और जो लोग अपनी जड़ों से कट जाते

हैं एक दिन तेज हवाओं में वह तिनके से उड़ जाते हैं। और ऐसे में अपनी संस्कृति पे गर्व करना, अपने संस्कारों को मान करना और समय आने पे उसका सम्मान करना यह हम सबका दायित्व है। जिसे अपने पुरखों पे नाज नहीं है वो औलादों का कोई नाम लेवा बचता नहीं है और हमने अपने इस महान इतिहास को, अपने महान पुरखों को और इन महान परंपराओं को गर्व से याद करते हुए जो सम्मान हम दे पाए ये हमारे लिए एक सेवा के समान था। जो सेवा हम कर पाए गुरु साहब की मेहरबानी से और यह शुक्रिया अदा करने के लिए उसके बाद मैं अपनी पूरी कैबिनेट की टीम के साथ में गुरु दरबार में अमृतसर भी गई और इसी का शुक्राना हम सब ने मिलकर के अदा किया। अध्यक्ष जी, जो बात बार-बार आई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस बात को कहते हैं विकास भी और विरासत भी और इसी विज़न के साथ में लगातार लगातार दिल्ली सरकार भी काम कर रही है। ये कोई एक अवसर नहीं है कि हमने ऐसा करके अपने दिल्ली वासियों के लिए काम किया। मैं इस तेज रफ्तार जिंदगी में करोड़ों लोग अपने गांव से,अपने राज्यों से दिल्ली शहर में आते हैं और वो इसी आस के साथ आते हैं कि भाई कहीं कोई रोजगार मिल जाएगा, कहीं बच्चों के लिए हम निवाला कमा पाएंगे। वो आते हैं, दिल्ली में बसते हैं पर इसका मतलब यह नहीं कि वो अपनी जड़ों से टूट गए। उनको हक है अपनी जड़ों से जुड़े रहने का, अपनी भाषा पर, अपनी वेशभूषा पर, अपने भोजन पर, अपने भजन पर गुमान करने का, अभिमान करने का। और दिल्ली सरकार इसी नियति के साथ में लगातार दिल्ली में रह रहे करोड़ों लोगों की आस्थाओं का सम्मान करती है और उनको दिल्ली में वो सारी सुविधाएं देते हैं जिन पे उनका हक है जब उनके कोई पर्व आते हैं, जब उनके कोई उत्सव आते हैं। हमने इसी तरीके से जब कांवड़ शिव भक्तों ने मनाई तो दिल्ली सरकार की ओर से उन्हें पूरी सुविधाएं दी। जब लोगों ने रामलीलाएं करी तो हमने उन्हें पूरी सुविधाएं दी, 1200 यूनिट बिजली देना बाकी सब सुविधाएं देना ये सारे काम हमने किए और ऐसे ही हर राज्य के राज्य दिवस को हमने बड़े मन से मनाया। हमने एक और गुजरात के गरबे को मनाने के लिए अपना आयोजन रखा तो वहीं राजस्थान की तीज का त्यौहार भी हमने मनाया। छठ का महापर्व मेरे पूर्वांचल भाइयों की आस्था सब का ये महापर्व हमने बड़े मन के साथ में यमुना किनारे भी मनाया और पूरी दिल्ली शहर में मनाया। ऐसे हर उत्सव को हमने और इस बार भव्यता के साथ में जो दिल्ली ने दिवाली मनाई कर्तव्य पथ पे लाखों दियो के साथ में प्रभु राम के आगमन का वो त्यौहार दिल्ली ने बड़े जोरों शोरों से मनाया। ये हमारे मन के भाव है जो लगातार दिल्ली के लिए हम कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली का अपना एक बहुत

बड़ा इतिहास है। इस दिल्ली ने महाभारत के काल में इंद्रप्रस्थ कहलाने के समय में वो समय भी देखा जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इसे सत्य और न्याय की राजधानी बनाया। इस दिल्ली ने महाराजा अग्रसेन के उन कामों को भी देखा जब उन्होंने समता और धर्म सेवा को दिल्ली के हर एक व्यक्ति से जोड़ा। दिल्ली ने पृथ्वीराज चौहान की उस तलवार की वीरता की अमर गाथाएं भी सुनी है। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जब उन्होंने बहरी अंग्रेज सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है और दिल्ली ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 'दिल्ली चलो' के नारे को भी सुना है। तो दिल्ली की अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां है क्योंकि दिल्ली केवल एक शहर नहीं है। ये भारत की आत्मा है और भारत की आत्मा में एकाकार होने के लिए हजारों लोग दिल्ली में आकर के बसते हैं, अपने पर्व अपने त्यौहार मनाते हैं। दिल्ली आने के बाद भी वो व्यक्ति जिस राज्य से जुड़ा होता है, वह पंजाबी कहलाता है, वो हरियाणवी कहलाता है, वो कश्मीरी कहलाता है, वो महाराष्ट्रियन कहलाता है, गुजराती कहलाता है। अपने राज्य के जड़ों के साथ वो जुड़ा रहे, इस बात के लिए दिल्ली की यह जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार पूरा ध्यान रखती है। पूरा ये 11 महीनों का हमारा कार्यकाल अनेकों उत्सवों के साथ में मनाया गया। दिल्ली शहर को हमने एक तरह से मिनी इंडिया का रूप दिया और हमने जहां नॉर्थ के राज्यों के पर्व मनाए वैसे ही साउथ के ओणम, बथुकम्मा ऐसे ऐसे फेस्टिवल दिल्ली में सेलिब्रेट हुए और सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उस कार्यक्रमों का आनंद हमने लिया। मैं गर्व के साथ कहती हूं कि दिल्ली सरकार के प्रयासों में दिल्ली हर त्यौहार को केवल मनाती नहीं है, उस त्यौहार को बड़े प्रेम के साथ जीती है । एक भारत श्रेष्ठ भारत की सजीव तस्वीर है दिल्ली और इसमें पूरे देश के हर राज्य का आपको हर त्यौहार, हर पर्व देखने को मिलेगा और ये भी हमारी जिम्मेवारी है कि वो पर्व वो त्यौहार बिना किसी विघ्न के पूरा हो और इसीलिए जब गुरु साहब के साढे तीन सौ वे शहीदी दिवस की बात हुई कि इसे मनाना है बहुत सुंदर तरीके से यह हमारा सौभाग्य है कि ये बड़ा दिन हमारे टेन्योर में आया है तो हमने बड़े मनोयोग के साथ में पूरी टीम के साथ में इसकी प्लानिंग की और गुरु साहब के उन शब्दों को मैं याद करती हूं कि "धर्म हेतु साका जिन किया, शीश दिया पर सिर ना दिया" यानी अपना शीश अपना सिर दे दिया परंतु अपने सिद्धांत और अपने स्वाभिमान को गुरु साहब ने कभी नहीं छोड़ा। गुरु महाराज ने धर्म की रक्षा के लिए , मानवता की रक्षा के लिए अपने शीश का बलिदान दिया। हम सबके लिए मुगल शासकों के सामने औरंगजेब के सामने वो झुके नहीं और कश्मीरी पंडितों की जो बात हो रही है उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के समर्थन में उन्होंने

अपना शीश दिया और ये आज भी हमें सत्य की, न्याय की और मानवीय मूल्यों की दृढ़ प्रेरणा देने वाला है। जब भी मैं गुरु तेग बहादुर जी को स्मरण करती हूं तो ये पाती हूं कि गुरु साहब किसी एक पंथ के गुरु नहीं थे। हम कहे कि गुरु साहब एक पंथ के गुरु थे, वो एक पंथ के गुरु नहीं थे, वो भारत की साझा संस्कृति के, साझा चेतना के और साझा मूल्यों के प्रखर रक्षक थे। उनके जैसा व्यक्तित्व विरला ही कोई समाज में आता है जिसने परिवार खो दिया, जिसने अपना जीवन दे दिया। किसी परिवार में इतनी बड़ी शहादत शायद ही हमने किसी और की सुनी होगी। उनका जीवन, उनका त्याग, उनका चरित्र केवल एक कालखंड की कहानी नहीं है कि हम कहें कि एक कालखंड की कहानी है, यह मानवता के साहस और धर्म निष्ठा का शाश्वत आदर्श है, शाश्वत आदर्श है और इसीलिए दिल्ली सरकार ने इतने बड़े आयोजन को तैयारी के साथ में किया कि गुरु साहब के शीश देना जो बात हुई कि हमारे दिल्ली के ही गुरुद्वारा शीशगंज साहब उनकी शहादत की गवाही देता है, रकाबगंज साहब गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी का जहां अंतिम संस्कार हुआ। ये दिल्ली में होना हम सबके लिए एक बड़े गर्व की बात है और इसलिए समय-समय पर हमें गुरुओं को याद करना, उनकी शहादत को याद करना यह हमारा फर्ज है। एक ऐसा व्यक्तित्व गुरु तेग बहादुर जी जिसे हिंद की चादर कहा गया। हिंद की चादर जिसने ना केवल अपने धर्म को बल्कि दूसरों की आस्था को भी सुरक्षा दी। अध्यक्ष जी ये कारण था कि हम लोगों ने मिलकर के इस समागम को बड़े मन से किया। मैं यही कहना चाहती हूं कि संस्कृति के संरक्षण के लिए और संवर्धन की दिशा में अपनी सरकार की ओर से दिल्ली की जनता को यह विश्वास दिलाती हूं कि हम दिल्ली की जनता के साथ लगातार इसी तरीके से जुड़े रह के काम करेंगे। लगातार दिल्ली को एक परिवार की भांति एक मिनी इंडिया एक भारत श्रेष्ठ भारत के धागे में पिरो करके हम लगातार दिल्ली के हर व्यक्ति को अपने साथ ले चलेंगे, उनके सुखदख में खड़े रहेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अब उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव।

.....व्यवधान......

श्री वीरेंद्र सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय कॉलिंग अटेंशन...

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: हां जी बैठिए बैठिए बैठिए बैठिए आप ।

श्री वीरेंद्र सिंह कादियान: पहले उस पर चर्चा कर लें।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: बैठिए आप ।

श्री वीरेंद्र सिंह कादियान: जो महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष:अब श्री रविंद्र इंदराज सिंह जी माननीय मंत्री उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

सुश्री आतिशी, माननीया विपक्ष के नेता : अध्यक्ष जी वो पोल्यूशन पर चर्चा करने के लिए कह रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष:अभी चर्चा, उसको रखा हुआ है कल के लिए। हाँ रखा हुआ है pollution पर चर्चा के लिए प्रस्ताव आया हुआ है कल सदन में उस पर चर्चा के लिए उसको रखा हुआ है।

श्री रविंद्र इंदराज सिंह , माननीय मंत्री: आदरणीय अध्यक्ष जी,...

.....व्यवधान......

सुश्री आतिशी, माननीया विपक्ष के नेता : पोलूशन आज दिल्ली का सबसे बडा मुद्दा है। दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे अध्यक्ष महोदय, आप इसको चर्चा का मुद्दा बनाइये।बनाइये। पहले आप इसपर चर्चा करिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: पहले ही बिजनेस बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में आपके सदस्य मौजूद थे और वहां पर pollution पर सदन में विस्तार से चर्चा होगी। सभी सदस्यों को पूरा मौका मिलेगा। जितनी देर आप चाहेंगे हम pollution पर यहां चर्चा कराएंगे। कल उसके लिए समय सुनिश्चित किया गया है।

सुश्री आतिशी, माननीया विपक्ष के नेता : आज दिल्ली के लोगों के लिए ये सबसे बडा मुद्दा है। दिल्ली के लोग इसपर चर्चा चाहते हैं। दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय पहले पोल्यूशन पर चर्चा होगी। दिल्ली के एक्यूआई पर चर्चा होनी चाहिए। आप दिल्ली के लोगों की आवाज दबा नहीं सकते। दिल्ली के लोग पोल्यूशन पर चर्चा चाहते हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष:अब श्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह जी माननीय मंत्री उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

.....व्यवधान......

श्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह, माननीय समाज कल्याण मंत्री: आदरणीय अध्यक्ष जी

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष:शुरू करिये आप।

.....व्यवधान......

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष:बैठ जाईये।

श्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह, माननीय समाज कल्याण मंत्री : उपराज्यपाल महोदय का अभिभाषण....

.....व्यवधान......

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष:आप एक मिनट, मुझे बहुत दुख है कि विपक्ष pollution पर सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, गुमराह कर रहा है और उसके प्रति संवेदनशील नहीं है मुद्दे के प्रति। अगर आप संवेदनशील हैं तो कल इस पर चर्चा में आप..... जितने सदस्य आप कहेंगे हम बुलवाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहां आप यहां पर सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए सिर्फ यहां पर झूठे बयानबाजी करें वो ठीक नहीं है। शुरू करिए।

सुश्री आतिशी, माननीया विपक्ष के नेता : पहले पोल्यूशन पर चर्चा करवाईये। दिल्ली में बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। मत भागिये, मत बचाईये अपनी सरकार को।

श्री परवेश साहिब सिंह, माननीय जल मंत्री: एक हफ्ता पहले ही एक हफ्ता पहले ही विपक्ष को बता दिया कि हम लोग 7 तारीख को पोलुशन के ऊपर में चर्चा करेंगे और ये सरकार लेकर आ रही है, ये सरकार लेकर आ रही है तो आप केवल एक दिन का इंतजार करिए।

सुश्री आतिशी, माननीया विपक्ष के नेता : पहले पोल्यूशन पर बात होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय।

...व्यवधान.....

सुश्री आतिशी, माननीया विपक्ष के नेता : तो आप कराईये ना चर्चा, क्यों भाग रहे हैं। कहते हैं कुत्तों का सम्मान करो, गुरूओं का सम्मान करो.......

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: एक मिनट,आप इसमें मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा।

...व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: जब इसके लिए समय सुनिश्चित कर दिया गया है और 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितनी देर पोलुशन पर चर्चा करनी है सदन इसमें चर्चा करवाने के लिए चेयर तैयार है।

...व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अब आप बैठ जाइए बैठ जाइए। बैठ जाइए आप बैठ जाइए। एक मिनट नहीं प्लीज। मैं किसी को अलाउ नहीं कर रहा। दोनों पक्षों में से किसी को अलाउ नहीं करूंगा आज मैं। कल मैंने इसलिए समय रखा है अब इंद्राज जी।

....व्यवधान......

श्री कपिल मिश्रा, माननीय कला एवं संस्कृति मंत्री: सर इन्होंने जो बोला है वो बहुत भयानक है,

....व्यवधान......

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: कोई नहीं, वो...

....व्यवधान......

श्री कपिल मिश्रा, माननीय कला एवं संस्कृति मंत्री: ये स्वीकार नहीं है। ऐसे कैसे बोल दिया इन्होंने गुरुओं के बारे में ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: xxxxxxx[7]

....व्यवधान......

श्री कपिल मिश्रा, माननीय कला एवं संस्कृति मंत्री:ये नहीं चलेगा।

---

[7] चिन्हित अंश माननीय अक्ष्ध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदन की कार्यवाही से हटाए गए।

...व्यवधान.....

श्री कपिल मिश्रा, माननीय कला एवं संस्कृति मंत्री: इन्होंने गुरुओं के बारे में बोला है।

...व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: मैं आज पोलुशन पर आपके आवेदन मांग रहा हूं। आप अपने नाम दीजिए। कल पोलुशन पर चर्चा के लिए समय सुनिश्चित कर दिया गया है और विपक्ष और पक्ष और सरकार की तरफ से उस चर्चा को शुरू किया जाएगा। दिल्ली की सरकार ने खुद उस पर चर्चा मांगी है। सरकार खुद चर्चा मांग रही है। फिर ये नाटक नौटंकी क्यों हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। इंद्रराज जी।

...व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: इस पर कोई नहीं बोलेगा।

श्री मनजिंद सिंह सिरसा, माननीय उद्योग मंत्री: अध्यक्ष जी क्या बोला अभी इन्होंने सुना आपने, आपने सुना क्या बोला है? इन्होंने बोला गुरुओं का सम्मान करो, अरे भाई एहसान कर रहे हैं आप गुरुओं की तौहिन कर रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं, आप बार-बार ये बोल रहे हैं, गुरु साहब के खिलाफ बोल रहे हैं, गुरुतेग बहादुर जी के खिलाफ बोल रहे हैं आप।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: सदन के समय को खराब किया जा रहा है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। पोलुशन पर चर्चा होनी है। लेकिन विपक्ष, मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि सदन के अंदर माहौल खराब कर रहे हैं। चर्चा का माहौल खराब कर रहे हैं। अब श्री इंद्राज सिंह जी। इंद्राज जी आप इंट्रोड्यूस करिए।

....व्यवधान....

श्री कपिल मिश्रा, माननीय कला एवं संस्कृति मंत्री: पहले इनसे माफी मंगवाएंगे चाहे पंजाब तक जाए ये मामला। इसने गुरुओं के सम्मान के खिलाफ बोला है मैडम।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: मैं सदन के सामने सदन का समय..

श्री कपिल मिश्रा, माननीय कला एवं संस्कृति मंत्री: अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय सदन में सदन में गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान की चर्चा हो रही थी उसके बारे में बहुत भद्दी भाषा बोली है, बहुत गंदी भाषा बोली है आतिशी ने। गंदी भाषा बोली है, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के बारे में इतनी, कैसी भाषा बोली है ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। सदन में चर्चा हुई थी, इन्होंने उसका अपमान किया है, इन्होंने उसका अपमान किया है। इसके लिए माफ़ करनी पड़ेगी। माफ़ी मांगनी पड़ेगी इनको, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, माफ़ी मांगनी पड़ेगी इनको। बिलकुल नहीं चलेगा अध्यक्ष महोदय। इस सदन में हमने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के सम्मान में चर्चा थी, उसका अपमान किया विपक्ष की नेता ने, नेता, विपक्ष ने उसका अपमान किया है, उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी यहां पर।

(माननीय सदस्य श्री गोपाल राय के अतिरिक्त विपक्ष के अन्य उपस्थित सभी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय उद्योग मंत्री: यह बहुत बड़ी बात है आपको अध्यक्ष जी वीडियो सुननी चाहिए, सारे सदन को सुनानी चाहिए। किस तरीके से इन्होंने क्या बोला, गुरुओं का सम्मान करो। गुरुओं का, क्या करो हमें पोलुशन में बात करनी है। आप गुरु साहब के प्रति ऐसे अपशब्द बोलेंगे। आपके मन में आप नास्तिक होंगे, हो आप नास्तिक। आप किसी और, लेकिन आप गुरु तेग बहादुर जी पर चर्चा हो रही है। हम उनकी शहादत की बात कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आई ऐसी बात कहते हुए। मैं चाहता हूं आप वो वीडियो लाएं सबको सुनाए और ये बताएं कि किस तरह की मानसिकता के लोग, मैंने कहा था ना तभी कि वो मानसिकता के लोग पहचानने जरूरी है जो औरंगजेब के वंशज हैं, जो आज भी जहांगीर की बात करते हैं जो बाबर की, ये वो लोग हैं जिनके मन में आज भी इस तरह का भाव है गुरु तेग बहादुर जी के प्रति ऐसे अपशब्द बोलते हैं ये शर्म की बात है,इनको माफी मांगनी चाहिए गुरु तेग बहादुर जी के प्रति अपशब्द बोले। ये बड़े शर्म की बात है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: इस पर सिरसा जी ने जो विषय रखा है वो बहुत ही संवेदनशील है और इस संबंध में वो एक निंदा प्रस्ताव जो है वो लेकर आना चाहते हैं। हां जी, हां जी, एक मिनट, एक मिनट, उनको कहना एक मिनट हां जी आप बताइए।

श्री गोपाल राय: आपकी बात का सम्मान करते हुए मैं ये क्लीयरफाई कर दूं उन्होंने गुरुओं का नाम नहीं लिया था उन्होंने कुत्तों की बात कही थी इसलिए गलत अगर उस रिकॉर्डिंग आप सुन ले, ऐसा ना हो गलत तथ्य के आधार पर सदन कोई निर्णय ले वो ठीक नहीं है। उन्होंने कुछ सुबह जो कुत्तों वाली बात हुई थी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, उद्योग मंत्री: नहीं हम तो गुरुओं की बात कर रहे हैं। नहीं, नहीं आप बात सुनिए, हम गुरुसाहब की बात कर रहे हैं, मैं तो मूँह से बोल भी नहीं सकता जो आप बोल रहे हैं। ये तो आपकी हिम्मत है कि मैं गुरु साहब की बात कर रहा हूं और आप किसका नाम ले रहे हैं, ये तो और भी शर्मनाक बात है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: नहीं एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट,एक मिनट एक मिनट। इसमें, देखिए संवेदनशील मामला है। अगर गुरुओं के बारे में कुछ कहा गया है तो उसको एक बारी सुन लिया जाएगा और फिर कल इस विषय पर निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, जब ये चर्चा खत्म हो, भाई साहब एक मिनट, जो आपकी विपक्ष की लीडर ने कहा उसको कुछ नहीं पता पहली बात तो। पलाई-पलाई गां मिल गई थी उसको, पली पलाई। बात ये है कि चर्चा हो ना हो अलग बात है, ये क्या मतलब किसी को सम्मान दे रहे हो किसकी, उसकी चर्चा कर रहे हो shame शेम होनी चाहिए इसमें। अब आप साफ सुन रहे थे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: देखिए मैं इस मुद्दे पर ये बहुत संवेदनशील मामला है। गुरुओं की कुर्बानी से जुड़ा हुआ मामला है। ये मतलब हमारे शब्द छोटे हैं, हम बहुत छोटे हैं उनके आगे। इसलिए मैं इस पर बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। जो आपने बात कही है उसको सुनकर के अगर उसमें जो बात आप कह रहे हैं तो कल इस विषय पे सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। अब समय एक मिनट, अब एक घंटा समय बढ़ा रहे हैं हम और दूसरा 15 मिनट का ब्रेक करेंगे। उसके बाद मैं चाहूंगा रविंद्र इंद्राज जी माननीय मंत्री जी प्रस्ताव रख दें फिर उस पर चर्चा शुरू कर देंगे।

श्री कपिल मिश्रा (कानून मंत्री): एक चीज एक मिनट के लिए एक रखना चाहता हूं सदन में।

...व्यवधान...

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: कार्रवाई होनी चाहिए उसपर।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: बैठ जाइए बैठ जाइए।

...व्यवधान...

श्रीमती आतिशी, माननीया विपक्ष के नेता: कपिल मिश्रा जी बिल्कुल झूठा आरोप लगा रहे है अध्यक्ष महोदय सुबह-सुबह जब हमने प्रदूषण का मुद्दा उठाया हमने 280 लगाये, 280 चर्चा पर नहीं हुई, क्यों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष ने।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: आप देखिये इसमें ना, आपको पोलुशन पर हमने समय दिया हुआ है फिर आप क्यों बार-बार उसको गुमराह कर रहे हैं लोगों को, लगातार गुमराह कर रहे हैं आप।

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: चलिए अब आप आगे अभी मैं 15 मिनट का ब्रेक कर रहा हूं चाय का। उसके बाद इंद्राज जी प्रस्ताव रखेंगे, धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गई।)

सदन अपराह्न 4.16 बजे पुन: समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री विजेन्द्र गुप्ता) पीठासीन हुए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। श्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह- माननीय मंत्री निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह - माननीय मंत्री: आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी थोड़ी देर पहले विपक्ष का..

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: एक बार प्रस्ताव का नाम मैं पढ़ दूं। यह सदन दिनांक 5 जनवरी, 2026 को उपराज्यपाल महोदय द्वारा विधानसभा को दिए गए अभिभाषण के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

<u>उप-राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव</u>

श्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह, माननीय समाज कल्याण मंत्री: आदरणीय अध्यक्ष जी, विपक्ष का जो गैर जिम्मेदाराना अभी व्यवहार था वो व्यवहार कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट नजर आ रही थी उसमें, उसका मूल कारण है कि 10 महीनों के अंदर जो दिल्ली ने विकास किया और विकास के साथ-साथ दिल्ली की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपना आशीर्वाद दिया उसके कारण से वो बोखलाहट साफ-साफ नजर आ रही थी। उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मैं माननीय उपराज्यपाल श्री वी. के. सक्सेना जी के दिल्ली सरकार के पिछले 10 महीनों की उपलब्धियां, नीतिगत निर्णय तथा भावी दृष्टि को अपने अभिभाषण के माध्यम से इस सदन के समक्ष अत्यंत स्पष्टता, संतुलन और गरिमा के साथ प्रस्तुत करता हूं। मैं सदन और सरकार की तरफ से माननीय उपराज्यपाल महोदय का हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री- आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन और दिल्ली की बेटी और दिल्ली की बेटी वो भी सनातनी बेटी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी के दृढ़ संकल्प, पूर्ण निष्ठा और सशक्त नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने विकसित दिल्ली और गांधी जी के सर्वोदय भाव, बाबा साहब के समरसता के सिद्धांत के अनुरूप और पंडित दीनदयाल जी के अंतोदय के संकल्प को केंद्र में रखकर अनेक ऐतिहासिक और दूरगामी पहलें की हैं। सरकार ने इस क्षेत्र में नए आयाम साबित किए हैं, जिसमें स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, खेल जगत हो, ट्रांसपोर्ट हो, सड़क, जल भराव, झुगियों का विकास, ग्रामीण विकास, यमुना की स्वच्छता, नागरिक सेवा, महिला कल्याण, समाज कल्याण, श्रमिक कल्याण, मानवीय राहत, सांस्कृतिक उत्थान, प्रदूषण नियंत्रण एवं ऊर्जा के इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं और उन्हें लागू करने का कार्य किया है। वहीं दिल्ली सरकार ने सनातन को प्राथमिकता देते हुए अपनी संस्कृति और परंपराओं को और मजबूत करने के लिए रामलीला, कावड़ सेवा, दुर्गा पूजा, छठ पूजा और अभी जिस पर विशेष चर्चा हुई गुरु तेग बहादुर जी की 350 वीं जयंती के उपलक्ष पर जो विशेष आयोजन किया उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। वहीं दिल्ली की सरकार ने वीरांगना झलकारी बाई जी को प्रतिष्ठित श्रेणी में रखकर एक विशेष वीरांगना को जिन्होंने इस देश के प्रति अपने जीवन को इस देश को समर्पित किया ऐसी वीरांगना का नाम भी दर्ज करने पर भी उनको मैं धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने पहली बार एक लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया। जबकि पिछली सरकार ने 76,000 करोड़

रुपये का सीमित बजट रखा था। इतना ही नहीं सरकार ने पूंजीगत व्यय को दुगना करते हुए 15,000 करोड़ से बढ़ाकर 28,000 करोड़ रुपये किया। उसके लिए भी मैं दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना संरचना, महिला कल्याण, जल, बिजली संकट, औद्योगिक विकास, पर्यावरण, समाज, न्याय और हर क्षेत्र में संतुलित और समग्र विकास को आगे लेकर बढ़ रही है। वहीं व्यापारियों की विशेष चिंता करते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसमें हर वर्ग का व्यापारी 24 घंटे जिसमें शराब की दुकानें नहीं आती, ऐसे व्यापार को सुदृढ़ करने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो बजट का 13% बजट विशेष रूप से स्वास्थ्य के लिए रखा गया। 6,72,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए जो कि ऐतिहासिक है जिसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के 2 लाख 62 हजार वरिष्ठ नागरिकों को वय वंदन योजना के तहत कार्ड प्रदान किए गए। दिल्ली में एक ऐतिहासिक कार्य यानी 238 आयुष्मान आरोग्य मंदिर सरकार ने संचालित किए। स्वास्थ ढांचे को और मजबूत करने के लिए लगातार स्वास्थ्य मंत्री भाई पंकज जी जिसने स्वास्थ ढांचे में लगभग 926 नर्सिंग अधिकारी, 141 पैरामेडिकल कर्मी और 1194 नॉन टीचिंग विशेषज्ञों की नियुक्ति भी की गई। शिक्षा के आधार पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ में शिक्षा मंत्री आदरणीय आशीष सूद जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने दिल्ली के नागरिकों को जिसके कारण से स्कूली शिक्षा में फीस को लेकर एक अलग सी दिल्ली के पेरेंट्स में एक अराजकता या मानसिकता रहती थी कि फीस कब ना बढ़ जाए उस पर भी निजी विद्यालयों की मनमानी को रोकने के लिए शुल्क वृद्धि पर रोक लगाने का काम दिल्ली की सरकार ने किया इसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथ में दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री ने 75 सीएम श्री विद्यालयों की शुरुआत की। कक्षा दसवीं, 11वीं में प्रवेश लेने वाले 1200 मेधावी छात्रों को क्योंकि जब तक देश का युवा शिक्षित नहीं बनेगा जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का 2047 में विश्व गुरु बनाने का सपना है उस कदम पर अगर युवा आगे नहीं बढ़ेगा, इस देश की जीडीपी की बात करें, देश को विकसित भारत की बात करें, अगर युवा उसमें प्रभावशाली शिक्षा लेकर आगे नहीं बढ़ेगा तो शायद वो सपना अधूरा रह जाए। उसमें भी मुफ्त लैपटॉप देने का जो काम दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री ने किया उसके लिए भी मैं दिल्ली की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। मैं दिल्ली देहात से आता हूं। दिल्ली देहात में खेलों की एक अलग ही छटा बिखरती है। जब दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री ने खेल जगत में जब कोई बच्चा मैडल लेकर आता है तो देश का जिस शहर में रहता है उस शहर का और खासतौर

पर उस गांव का नाम रोशन करता है तो एक अलग सी खुशी, एक अलग सा माहौल दिखाई देता है। उसमें भी विशेष रूप से सर ओलंपिक और एक सब्जेक्ट है पैरा ओलंपिक यानी दिव्यांग। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने विकलांग से दिव्यांग की एक परिभाषा देते हुए और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने उसको सुदृढ़ बनाते हुए पैरा ओलंपिक और ओलंपिक खिलाड़ी को स्वर्ण पदक जिसको मिलेगा उसको 7 करोड़ रुपये की राशि देने का जो आह्वान किया। रजत पदक के लिए 5 करोड़ रुपये और कांस्य पदक के लिए 3 करोड़ रुपये देने का जो प्रस्ताव रखा उससे मेरे दिल्ली देहात में, मैं आज कहीं भी दिल्ली देहात में जाता हूं, किसी भी खेल उत्सव में जाता हूं वहां पर विशेषरूप से एक ये चर्चा का विषय है कि पूरे देश के अंदर हर राज्य में एक अलग-अलग अनुदान के रूप में एक राशि दी जाती है पर दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री ने अपना इतना बड़ा हृदय करके बड़े मन से और विकसित दिल्ली के भाव को रखते हुए इतनी बड़ी राशि का आह्वान किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। परिवहन और सड़क की बात की जाए अध्यक्ष महोदय लगभग 3500 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में शुरू की गई जिसमें से 1150 देवी बसें शामिल है। इन देवी बसों के बारे में कहूं जिन गांव में संकीर्ण रास्ते हैं, जहां कभी बसें नहीं गई मेरे ऐसे ही क्षेत्र में एक सुल्तानपुर गांव पड़ता है। वहां कभी कोई बस पहुंची नहीं क्योंकि पूंठ तक ही बस रुक जाती थी। मैंने प्रस्ताव रखा दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भाई पंकज जी को और इन्होंने विशेष आग्रह पर उस गांव के लिए, आज उस गांव में बस का प्रावधान होने जा रहा है उसके लिए मैं पंकज जी का धन्यवाद करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। ऐसी छोटी बसों के कारण से दिल्ली का ट्रांसपोर्ट बहुत सुलभ हुआ है और खासतौर पर जहां पंडित दीनदयाल जी का एक सपना था, अंत्योदय का भाव था उसको साकार करने का काम दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री ने किया है। वहीं 3600 इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स की स्थापना करके एक इतिहास रचा है जिसके कारण से प्रदूषण से भी एक बहुत बड़ी राहत, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक बसें और सुलभ ट्रांसपोर्ट दिल्ली के अंदर रहेगा और लगातार ये बसें बढ़ रही है जिसके कारण से ट्रांसपोर्ट की स्थिति सुधरेगी,तो लोग प्राइवेट वाहन की जगह सरकारी वाहन को पसंद करेंगे जिसके के कारण से दिल्ली एक विकसित दिल्ली के भाव और प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी, उसके लिए भी मैं दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। वहीं दिल्ली की सड़कों की बात की जाए। दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आदरणीय प्रवेश वर्मा जी ने लगभग 150 किलोमीटर की सड़कों का नवीनीकरण करके एक इतिहास रचा है। वहीं 400 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण, पुनः विकास का जो लक्ष्य

मार्च 2026 तक रखा है वो भी अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि दिल्ली को जो जरूरत थी क्योंकि सड़कें दिल्ली की लाइफ लाइन है, ट्रांसपोर्ट के लिएअगर रास्ते सुलभ नहीं होंगे तो लोग सुचारू रूप से चल नहीं सकते, अपनी जगह पर पहुंच ही नहीं सकते उसके लिए भी मैं दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। यह ट्रिपल इंजन की सरकार है जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय अमित शाह जी और सनातनी बेटी दिल्ली की आदरणीय रेखा गुप्ता जी लगातार दिल्ली के विकास में जो भागीदारी अदा कर रही हैं और ऐसे बहुत सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट जैसे 2.13:21.8 Dwarka Expressway, Urban Extension Road, Nand Nagari flyover, Barapullah flyover मोदी मिल से और South East cinema flyover ये सभी योजनाएं दिल्ली के यातायात को नया स्वरूप देंगे। इस पर भी लगातार काम चल रहा है। जल प्रवाह और ड्रेनेज की बात की जाए जो दिल्ली की एक मूल समस्या है। जैसा कि हम बरसात में देखते हैं कि बरसात के कारण से जगह-जगह जो जल प्रवाह की एक बहुत अच्छी पहल दिल्ली सरकार की ओर से, पिछले 50 वर्षों में दिल्ली का कोई ड्रेनेज प्लान कभी भी कोई सरकार लेकर नहीं आई पर इस बार दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा जो दिल्ली का ड्रेनेज प्लान दिल्ली में प्रस्तुत किया गया जिसकी लागत लगभग 56 करोड़ है जिसके कारण से अगले चार वर्षों में वो कार्य पूर्ण होगा और दिल्ली में कहीं भी जो एक गंदी सी तस्वीरें कई बार खींच कर सामने आती है वो भविष्य में आपको दिखाई नहीं देगी और दिल्ली एक विकसित दिल्ली के रूप में दिखाई देगी। जहां झुग्गी, ग्राम और समाज कल्याण की बात हो, अभी विपक्ष हमारे बीच में नहीं है और मेरा बड़ा भाव था वो यहां पर रुकें तो उनकी असलियत मैं दिखा पाऊं। उनकी असलियत दिखाना इसलिए भी जरूरी है कि मेरा एक एससी/एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है जिसमें बाबा साहब के सपनों को साकार करने की ऐसी योजनाएं रहती हैं जिसमें दलित, शोषित, वंचित का विकास हो सके। उस डिपार्टमेंट को 11 वर्षों में जहां जिसका बजट कभी 355 करोड़ रूपये होता था वो बजट जब हमारी सरकार को यह मिला तो केवल 176 करोड़ रूपये रह गया था। हमारी सरकार ने आते ही उस बजट को 366 करोड़ कर दिया गया, इसके लिए भी मैं दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। ईडब्ल्यूएस फलैट का नवीनीकरण हो, गरीब परिवारों को समायोजन आवास देने की बात की हो और जल्द ही आप उनको जो रोड पर या झुग्गी-बस्तियों में ऐसे लोग दिखाई देते हैं, दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री ने ऐसे दिल्ली के लोगों को स्थाई आवास देने की जो योजना बनाई है और जो संकल्प लिया है उसके लिए भी मैं दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। जहां तक इन कॉलोनियों

में कार्य की बात हो, इन कॉलोनियों में लगभग 700 करोड़ रूपये की बुनियादी सुविधाएं दिल्ली सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, इसके लिए भी मैं दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। वहीं गरीबों के लिए जो लोग ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करते हैं उनको समय नहीं लगता घर में कब भोजन करेंगें, ऐसी बहुत सारी महिलाएं भी है जो सुबह घर छोड़ती है और खाने के लिए सोचती भी नहीं कि कब खाना मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। ऐसे लोग जो रेहड़ी-पटरी पर अपना कार्य करते हैं, अपने जीवन को ईमानदारी से चलाना चाहते हैं पर भोजन की अस्थाई परिस्थिति से गुजर रहे होते थे, उस भावना को भी समझते हुए दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री ने दिल्ली में 100 अटल कैंटीन खोलने का जो निर्णय लिया वो भी बहुत सराहनीय है, उसके लिए भी मैं विशेष रूप से दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। दिल्ली ग्रामीण विकास को पुनः जीवित कर 1715 करोड़ रूपये की 776 परियोजनाओं को शुरू करना यह भी एक सराहनीय कार्य है। इसके लिए भी मैं यशस्वी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। हमने 20 फरवरी को रामलीला ग्राउंड में शपथ ली और शपथ लेने के तुरंत बाद हम यमुना घाट पर गए। मां यमुना के सामने समर्पण करते हुए उनकी आरती की और उसको स्वच्छ बनाने का एक संकल्प लिया। जितने भी एसटीपी नाले यमुना जी की तरफ जाते थे उन पर एसटीपी बनाने का काम, नालों की टेपिंग का काम विशेष रूप से कर कर और इस बार पिछले पांच वर्षों से जो छठ का पवित्र पर्व यमुना पर नहीं मनाया जाता था पर पांच वर्षों के बाद क्योंकि दिल्ली में सनातन की बेटी और सनातन सरकार है, बहुत भव्य रूप से इस बार यमुना घाट पर छठ मनाई गई। उसके लिए भी मैं दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। वहीं एक पेड़ मां के नाम और इस पर्यावरण को बचाने का काम और एक पेड़ मां के नाम से एक अनुभूति भी है जाने अनजाने में हम समर्पण करते हैं, हम याद करते हैं अपनी मां को और आने वाले समाज में भी चेतना जगाने का काम, आने वाली पीढ़ियों को एक नया दृष्टिकोण देने का काम ऐसा एक पेड़ मां के नाम का अभियान जो कि हम सब ने मिलकर चलाया और जिसमें लाखों-लाखों लोग दिल्ली के जिन्होंने भागीदारी की, यह भी एक सराहनीय काम था, इसके लिए भी मैं दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। एक बड़ा लक्ष्य है आप दिल्ली के अंदर जगह-जगह पर कूड़े के पहाड़ देखते हैं। एक दुर्गामी सोच, एक दुर्गामी दृष्टिकोण, एक संकल्प जो दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री ने लिया है कि 2027 में दिल्ली कचरा मुक्त रहेगी, ऐसे संकल्प के लिए भी मैं दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। नागरिक सेवा, महिला एवं मानवीय कल्याण, 11 जिलों को पुनः 13 नए जिले

बनाकर खासतौर पे मैं बताना चाहूंगा आपको मेरी अपनी विधानसभा के एसडीएम का यह समझ में नहीं आता था कि कुतुबगढ़ के लिए कंझावाला जाना है, मुंगसपुर के लिए नरेला जाना है और रोहिणी के लिए अलीपुर जाना है यानि तीन-तीन एसडीएम तीन-तीन डिस्ट्रिक्ट के डीएम उसको भी सुलभ बनाकर एक डीएम और एक विधानसभा पर एक एसडीएम उनको मिन्नी सचिवालय बनाने का जो निर्णय लिया है उसके लिए भी मैं दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। वहीं कामकाजी महिलाएं घर में छोटे बच्चे को छोड़कर कहां जाए? गारंटी नहीं है कौन उसको उठाकर ले जाए। उसकी चिंता, उसके खानपान की चिंता और एक कामकाजी महिला जो आत्मविश्वास के साथ जीना चाहती है, आत्मनिर्भर बनना चाहती है, उस महिला के लिए उस बच्चे का मोह क्योंकि माता है और माता का मोह अपनी औलाद में यह बताने की भी आवश्यकता है कि उसकी ममता किस रूप से उसको कचोट रही होती है। जब वह बच्चे को छोड़कर जाती है पर एक सुखद एहसास वो सुखद एहसास एकमात्र भावना एक माता ही समझ सकती है। ऐसी भावनाओं को भी प्रमाणिकता से प्रमाणित करने का काम ऐसे 502 पालना केंद्र बनाकर जो किया है उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में अनुमति की बात हो और वहीं एक ऐसा एहसास, एक ऐसी अनुभूति कि एक व्यक्ति जो दिव्यांग हो , 80% से ज्यादा जो व्यक्ति दिव्यांग होता है उसका पूरा जीवन दूसरे पर आश्रित होता है।

श्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह, माननीय समाज कल्याण मंत्री : जब दूसरे पर आश्रित होता है तो उसके लिए घर में एक व्यक्ति 24 घंटे उसकी सेवा में रहता है। वो कोई कार्य कर ही नहीं पाता और किसकी आर्थिक स्थिति है ये हर घर की एक अलग-अलग अलग रूप से व्याख्या की जा सकती है क्योंकि हर घर में इकोनमिक शक्ति उतनी नहीं होती। कई जगह गरीबी के हालात ज्यादा होते हैं। तो उस भावनाओं को भी यानी दिव्यांग के घर की भावना को भी समझने का काम उसके अटेंडेंट को भी 6000 मासिक पेंशन के रूप में देने का जो काम दिल्ली के यशष्वी मुख्यमंत्री ने किया है मैं उसका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। वहीं 84 के दंगों की बात करूं तो शायद दिल्ली या पूरा देश एक आत्मा सी झंझोर के चली जाती है। किसी ने क्या खोया वो उसी परिवार को मालूम होता है। आदमी सोचता है तो अपने आप को अंधेरे में भी सोता हुआ भी झरोड़ के उठ जाता है। ऐसे परिवारों की भी चिंता ऐसी अनुभूति के साथ उन परिवारों को भी सरकारी नौकरी देने का जो काम किया है वो भी, वही जम्मू कश्मीर प्रवासियों को , क्योंकि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करें और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 11 वर्षों में जो देश के अंदर एक नई अनुभूति पैदा

की है अभी विपक्ष गुरुओं की बात कर रहा था और बौखला रहा था अंदर से, जहां 11 वर्षों की सरकार इनकी थी वहीं 11वर्षों की सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की है और 11 महीने हमारे पूर्ण भी नहीं हुए हैं और जो सनातन की छटा दिल्ली के अंदर पूरे देश के अंदर दिखाई देती है वो शब्दों में व्यक्त की नहीं जाती, वो एक अनुभूति का भाव है। उस अनुभूति के भाव में जो सनातनी कार्य हुए हैं या वो रामलीलाएं हुई या वो दुर्गा पूजा हुई या वो छठ बनाई गई हो या अब गुरु तेग बहादुर जी के 350 वीं की जयंती मनाई गई शहीदी दिवस मनाया गया हो उसके लिए भी मैं दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 2000 यानी सब्सिडी 2000 से बढ़ाकर 10,000 प्रति किलोवाट किया गया हो। अनधिकृत कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन,सवा लाख से भी अधिक परिवारियों को लाभानतरित करने का जो काम दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री ने किया है उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। वहीं मैं दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना जी का एक महान व्यक्तित्व क्योंकि अब विपक्ष सामने नहीं है, पिछले 11 वर्षों का कच्चा चिट्ठा मुझे लगता है कि उनको ये भी बताना चाहिए था 11 महीनों की सरकार और 11 साल की सरकार में क्या अंतर है। उनके भ्रष्टाचार का की व्याख्या भी शायद इसमें करनी चाहिए थी। पर एक व्यक्तित्व अपने आप में कितना बड़ा हो सकता है? उसकी मनोस्थिति क्या हो सकती है? उन्होंने दिल्ली सरकार का 11 वर्षों का काम बताकर यह बता दिया है कि दिल्ली अब विकसित दिल्ली की तरफ है और दिल्ली को विकास करने के लिए दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में लगातार दिल्ली आगे बढ़ रही है। वहीं माननीय अध्यक्ष महोदय यह सभी उपलब्धियां स्पष्ट रूप से कहती है कि दिल्ली या घोषणाओं से आगे बढ़कर प्रेरणाओं और सुशासन के मार्ग पर है। अतः मैं इन सभी उपलब्धियों नेतृत्व और सहयोग के लिए, मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करता हूं और इस धन्यवाद प्रस्ताव को पूर्ण समर्थन करता हूं। भारत माता की जय। जय श्री राम।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री अजय मारवाह जी।

श्री अजय कुमार महावरः धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी। आपने उपराज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं सदन में सभी माननीय सदस्यों को नव वर्ष की बहुत-बहुत बधाई देता हूं। ढेर सारी शुभकामना देता हूं। सबसे पहले दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, संसदीय कार्य मंत्री प्रवेश जी, स्पीकर साहब और पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि दो भारत के महान सपूत ,भारत रत्न अटल बिहारी

वाजपेई जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चित्रों का अनावरण इस ऐतिहासिक सदन में हुआ है। उसके लिए बहुत-बहुत आपका अभिनंदन है। सरकार का अभिनंदन है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आठवीं विधानसभा का यह चौथा सत्र है और उसमें उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। दो लाइन से शुरू करता हूं। रेखा सरकार जब से आई है, फर्क साफ दिखने लगा है। अभी वो जिनको दिखना चाहिए था वो तो है नहीं सामने।

''रेखा सरकार जब से आई है, फर्क साफ दिखने लगा है।

बोझ बन गए थे जो दिल्ली में , उनका नकाब गिरने लगा है।''

कल मैंने देखा कुछ लोग नकाब लगाकर आए थे। अच्छा मैं तो समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी 11 साल की करतूत से मुंह छुपाने आए हैं क्या? मुझे तो यही लगा कि 11 साल की करतूत से मुंह छुपाने आए हैं क्योंकि उनका कुशासन तो सर्वविदित है। अच्छा मजे की बात ये है कि वो पर्यावरण की बात कर रहे थे। अध्यक्ष जी ने कहा भी सरकार ने कहा हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि हम उसको लाने ही वाले हैं। सरकार की तरफ से पर्यावरण पर चर्चा बार-बार उस पर जिद कर रहे थे। तो मेरे मन में एक सवाल ये आया कि कातिल ही पूछ रहा है कि कत्ल कैसे हुआ? माने जो दिल्ली का कातिल है। कातिल ही पूछ रहा है। मतलब जिन्होंने दिल्ली को गैस चेंबर बना दिया, जिन्होंने दिल्ली में यमुना मैया को गंदा नाला बना दिया, जिन्होंने दिल्ली को मयखाना बना दिया। वो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये दिल्ली की हालत कैसे हुई आप बताओ? अभी तो हमें 10 महीने हुए। हमने तो हमारी सरकार ने, हमारी मुख्यमंत्री ने हमारे मंत्रियों ने तो नहीं कहा कि हमने पूरी दिल्ली बदल दी थी 10 महीनों में, पर दिल्ली बदली नहीं बदलने की दिशा में ठोस कदम इस सरकार ने जरूर रखा है जिसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री हमारे सभी मंत्रियों का बहुत अभिनंदन करता हूं। अच्छा वो जो सरकार थी वो तो सिर्फ जैसे एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसी विषय पर संसद में कहा था आंदोलनजीवी सरकार यह थी हमारी, विज्ञापन जीवी सरकार जो विज्ञापन को ही काम समझती थी उसी में अपनी पीठ थपथपाती रहती थी। किसी भी सरकार का, अब जैसे यमुना जी को और दिल्ली को गैस चेंबर की, पर्यावरण की बार-बार बात हो रही है। आदरणीय उपराज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बड़े सारगर्भित ढंग से कहा है कि 1400 के लगभग इलेक्ट्रिक बसें आई है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए देवी बसें चलाई गई मुख्यमंत्री जी की तरफ से और बड़ी प्रशंसा होती है हमारी, तो गली मोहल्ले में लोग कहते हैं

बड़ी बस आ नहीं पाती थी, इसकी कनेक्टिविटी एंड यूज़ तक हो रही है। दिल्ली सरकार ने मेट्रो फ़ेज के लिए 3300 करोड़ दिए।

श्री अजय कुमार महावर: मेरठ दिल्ली नव भारत रेल सेवा शुरू की। धूल नियंत्रण के लिए डबल शिफ्ट में mechanical road sweeping जल छिड़काव, एंटी स्मोक गन, सैनिटाइजेशन व्यवस्था के लिए सुदृण व्यवस्था प्रदूषण नियंत्रण के मकसद से एमसीडी को 10 वर्षों के लिए 70 एम.आर.एस.एम मशीन, 1000 लीटर पिकर्स मशीन, 2300 करोड़ की वित्तीय सहायता, 3000 इलेक्ट्रिक हीटर शुल्क अनेक ऐसे काम किए जो कि वो देखना, सुनना, पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया नहीं। वो तो रेड लाइट ऑफ और ऑन में ही अपनी जिंदगी बिता रहे थे, उसी में पीट थपथपा रहे थे। अब ये ऐसी सरकार थी। हमारी सरकार पर्यावरण फ्रेंडली सरकार है और चाहे 'एक पेड़ मां के नाम' हो, 'एक पेड़ सैनिक' के नाम हो, अनेक ऐसे सारे काम उठा रही है। पहला साल है और यह स्टेप बहुत दूर तक जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की रेखा जी की सरकार ही दिल्ली को प्रदूषण मुक्त भी करेगी और यमुना मां का सम्मान भी दिलवाएगी। जल मंत्री प्रवेश जी बैठे हैं। बहुत गहराई से वो यमुना जी को साफ करने की दिशा में कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने क्या किया था, नाला बना दिया था यमुना मैया को। इन्हें तनिक शर्म नहीं आई रेखा सरकार की मेहनत से यमुना मैया में छठी मैया भी मुस्काई। छठी मैया भी मुस्काई और मैं था उस समय बिहार में, पूरे बिहार में चर्चा थी यहां की। अच्छी सरकार के गुण क्या होने चाहिए इन्होंने सीखे नहीं कभी। ये मॉडल लाते रहे तरह तरह के। अच्छे सरकार के गुण होते हैं डेवलपमेंट विद स्पीड एंड स्किल, अच्छे सरकार के गुण होते हैं, शोषित, पीड़ित, बंचित, गरीबों का कल्याण। अच्छी सरकार के गुण होते हैं मानवीय चेहरा। अच्छी सरकार का गुण होता है, सांस्कृतिक उत्थान जो कपिल मिश्रा जी लगातार लगे हैं उस काम में। पारदर्शी शासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन। लेकिन इन्होंने तो ये सब एक किताब लिखी थी अरविंद केजरीवाल जी ने 'स्वराज'। स्वराज का 'स' भी नहीं अपनाया। ऐसे तो स्वराज थे इनका। स्वराज का मतलब सीखना है तो हमारी सरकार से सीखे, जिन्होंने ई गवर्नेंस के माध्यम से 75 ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेस को सीएससीएस के माध्यम से सफलतापूर्वक जोड़ा। ई ऑफिस का क्रियान्वयन किया सरकारी कार्यालयों में। 11 राजस्व जिलों को 13 नए जिले बना कर के जोड़ दिया। एमसीडी जोन एनडीएमसी दिल्ली कैंट के लिए सीमाएं समर्पित कर सकीं। मिनी सचिवालयों की स्थापना की सभी 13 जिलों में। उन्होंने हर साप्ताहिक जन सुनवाई का काम डीएम एसडीएम के माध्यम से सीधे नागरिकों की समस्यायें सुनने के लिए किया। वेब पोर्टल दिल्ली मित्र ऐप इन

सब की कल्पना बताती है कि स्वराज किसे कहते हैं। उन्होंने क्या किया? कहा जी हम मोहल्ला सभा करेंगे। मोहल्ला सभा से पूछकर कोई काम नहीं किया सिवाये इसके कि मोहल्ला सभा के नाम पर भी दारू के ठेके खोले। ये कह रहे थे रामराज मॉडल लाएंगे। इनका राम राज्य कैसा था ये देखिए। रामराज में इन्होंने, हां इनका रामराज क्या था। इन्होंने राम मंदिर के लिए कह दिया नानी नहीं मानेगी हॉस्पिटल बना दो। ये इनका रामराज था। हमारी सरकार 6476 फ्लैट गरीबों के लिए बना रही है, देने के लिए तैयार है, कृत संकल्प है और वो अपना शीश महल बना रहे थे ये उनका रामराज था और इनके रामराज में महिलाओं का कितना सम्मान था अपने ही सांसद स्वाति मालीवाल जी को अपने घर बुलवाकर पिटवा दिया ऐसा इनका रामराज था। ये गंभीर बात है और ये बताती है और ये कहते थे बार-बार हम पढ़े-लिखे लोग हैं। इस सदन में 10 बार कहा कि हम पढ़े-लिखे लोग हैं, हम पढ़े-लिखे लोग हैं। अरे तुम पढ़े-लिखे लोग नहीं हो। तुम अनार्किस्ट हो। अरबन नक्सलवादियों की पौध हो तुम जिनका तुम समर्थन करते रहते हो। हमारी सरकार,

(समय की घंटी)

श्री अजय कुमार महावर : घंटी बज गई। देखिए रही रामराज की बात इसमें एक बात और कहता हूं कि हमारी मुख्यमंत्री जी तो गरीब कल्याण के लिए गरीबों के लिए झुग्गी की जगह मकान दे रही है। जन संवाद करने के लिए खुद सड़कों पर जाती हैं, हमारे सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोगों से जाकर खुद मिलते हैं और इन्होंने अपने शीश महल के आगे वाली सड़क पर भी दोनों तरफ मोटे-मोटे लोहे के गेट लगा दिए थे ऐसा इनका रामराज था। इन्होंने हालांकि बहुत सारी बातें सब ने कह दी हैं और सांस्कृतिक उत्थान की दृष्टि से इस सरकार ने जिस प्रकार से 84 के सिख विरोधी दंग में पीड़ितों को 56 लोगों को सर्विस देने का काम किया। लाभार्थियों को नौकरी प्रदान की गई। जिस प्रकार इस सरकार ने कांवड़ सेवा के माध्यम से सिंगल बिंडो सिस्टम किया। जिस प्रकार रामलीला और दुर्गा पूजा की समितियों में 1200 यूनिट तक निशुल्क बिजली उपलब्ध कराई। छठ महापर्व मनाया और कर्तव्य पथ पर दीपोत्सव मनाने का काम किया। इसको कहते हैं सांस्कृतिक उत्थान का सरकार का काम और गरीब कल्याण की तो मैंने बात की है। गरीब कल्याण में मैंने जैसे फ्लैट्स की बात की, वैसे ही आयुष्मानआरोग्य मंदिर, हमारे पंकज जी उसके मंत्री हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जगह-जगह, पहले क्या था मोहल्ला क्लीनिक पर कहते थे वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लीनिक है। अरे दवाई मिलती नहीं, वहां पर टेस्टिंग होती नहीं, कोई लैब है नहीं, यहां तक कि कोरोना में कोरोना टेस्ट भी नहीं हो सकता था ऐसा वर्ल्ड क्लास इनका मोहल्ला क्लीनिक था।

आज आरोग्य मंदिर रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में खुल रहा है तो वहां पर दवाइयां भी है, लैब भी है, डॉक्टर भी हैं और इसके साथ-साथ योग को भी कराया जाता है, जिससे लोगों को मेंटल स्ट्रेंथ भी मिल रही है और उसी कड़ी में गरीब कल्याण योजना में ही अब अटल कैंटीन खुल रही है। अब हजारों लोगों को इससे फायदा मिलना शुरू हो गया है और हमारी सरकार कितनी पारदर्शी है। कितनी साफगोई से बात करती है। 100 अटल कैंटीन कही थीं 25 तारीख को। लेकिन, अगर 45 तैयार हुईं, तो 45 का ही उद्घाटन किया। 45 ही बताया इनकी तरह मोहल्ला क्लीनिक का ढिंढोरा नहीं पीटा। खोल दिया और वहां पर कुत्ते घूम रहे हैं, वहां शराबी घूम रहे हैं और उसका दुरुपयोग हो रहा है। हमारे यहां जितना कहा उतना ही किया, जितना किया उतना ही कहा। इसी प्रकार गरीब कल्याण में हमारी सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र हो, अब आयुष्मान कार्ड के लिए दो लाख बासठ हजार तो 70 प्लस के जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनको एक स्वास्थ्य बीमा का सहारा मिला है वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि इसी प्रकार रेखा गुप्ता जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करते रहें और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। जबकि 6,72000 टोटल आयुष्मान कार्ड बने हैं।

(समय की घंटी)

श्री अजय कुमार महावर : ठीक है तो फिर सारी बातें इसी में समाहित कर लेता हूं। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक एक बढ़िया सरकार ये रही है। एक चार लाइन की कविता बोल के अपनी बात को समाप्त करता हूं कि:

"तुम झूठ की फसल बोना हम सच की फसल काटते रहेंगे,

तुम सत्ता के सपने देखो हम जनता का भविष्य गढ़ेंगे,

दिल्ली हमारी कर्मभूमि है हम दिल्ली को संवारते रहेंगे,

तुम कीचड़ उछालते रहना हम कमल खिलाते रहेंगे,

हम कमल खिलाते रहेंगे।"

बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कल जारी रहेगी। अब सदन की कार्यवाही बुधवार दिनांक 7 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही बुधवार दिनांक 7 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की गयी।)